

# फॉर्ट विलियम कॉलेज

[ १८००-१८५४ ई० ]

श्री डॉ. मानमुखादजी गुहा द्वारा  
संरचने

— प्रथम वर्ष  
१. १२. '४७

लेखक

डॉ० लक्ष्मीसागर बाबरोय, पृष्ठ० ५०, डी० फिल०, डी० लिट०

लेक्चरर, हिंदी विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी



मूल्य ६)

मुद्रक—प० मणिकर्णण दीक्षित, दीक्षित प्रेल, प्रयाग

## परिचय

डॉ० लक्ष्मीसागर वाण्णेय से हिंदी पाठक तथा विद्वान् उनकी प्रसिद्ध कृति, 'आधुनिक हिंदी साहित्य' १८५०-१६०० ई० के द्वारा परिचित हैं। पिछले कई वर्षों से उनके अध्ययन का क्षेत्र १७५७ से १८५७ तक का हिंदी साहित्य रहा। यह अध्ययन डॉ० लिट० थीसिस के रूप में स्वीकृत हो चुका है और आशा है शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेगा। इसी अध्ययन क्षेत्र का एक अंग प्रस्तुत ग्रंथ है।

फोर्ट विलियम कॉलेज के इस विस्तृत अध्ययन में हिंदी पाठक पहली बार ऐसी सामग्री पावेंगे जो खड़ीबोली हिंदी भाषा और साहित्य विषयक उनके इष्टिकोण पर नवीन प्रकाश ढालेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा संबंधी नीति के संबंध में भी पाठकों को बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भी इस अध्ययन में समकालीन परिस्थितियों के विषय में बहुत कुछ नवीन आकर्षक सामग्री संकलित है।

डॉ० वाण्णेय की इस नवीन कृति को हिंदी पाठकों के संमुख रखने में मुझे हर्ष और गर्व है। विश्वास है कि वे इसे रोचक तथा उपयोगी पावेंगे। इसका प्रकाशन प्रथाग विश्वविद्यालय की ओर से हुआ है।

हिंदी विभाग,  
आमिदवान आमावस्या, स० २००४ वि०

धीरेन्द्र वर्मा

ईसा की अठारहवीं शताब्दी के अत में इस इंडिया कपनी के कर्मचारियों को कुशल न्यापारी ही नहीं, वरन् बढ़ती हुई बिटिश सत्त्व के अनुरूप उन्हें भारतीय भाषाओं तथा आचार-विचारों से परिचित कुशल नीनिज शासक बनाने की एक महत्वपूर्ण समस्या थी। इस समस्या के हल हुए बिना साम्राज्य के हाथ से निकल जाने की आशंका थी।

अपने पूर्ववर्ती<sup>१</sup> ब्रॅगरेज शासकों के अपूर्ण प्रयासों के उपरांत मार्किंग वेलेज़ली ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्रॅगरेज कर्मचारियों की शिक्षा और उनके चरित्र-सुधार की दृष्टि से, अन्य अनेक कार्यों में व्यस्त रहने पर भी, १८०० ई० में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और अन्य अनेक विषयों के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की। भारतीय इतिहास में आधुनिकता के निश्चित प्रतीक के रूप में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसायटी (१७८४) के बाद कॉलेज का महत्व तो है ही, साथ ही आधुनिक भारतीय भाषाओं में से प्रधानतः हिंदी, बैंगला और उदू॰ साहित्यों के इतिहास से भी उसका घनिष्ठ संबंध है। कॉलेज में व्याकरण, कोष, विराय-चिह्न, हिंदी में अरबी-फ़ारसी व्यनियाँ प्रकट करनेवाले तथा साधारण टाइप ढालने, आदि के संबंध में काफ़ी काम हुआ। लल्लूलाल और सदल मिश्र के नाते आधुनिक खड़ी-बोली गद्य के विकास में भी देशी तथा बिदेशी इतिहास-लेखक उसका उल्लेख करते रहे हैं। इतिहास-लेखकों का यह मत पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, इसका अतिम निर्णय कॉलेज-संबंधी मूल सामग्री के अध्ययन के आधार पर ही हो सकता है। इस अध्ययन से हिंदी-उदू॰ के वर्तमान संबंध को समझने में भी यथेष्ट सहायता मिलती है। प्रस्तुत पुस्तक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। विषय केवल हिंदी (आधुनिक अर्थ में) और 'हिन्दुस्तानी' के विवेचन तक ही सीमित रखा गया है।

फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के इस इतिहास की सामग्री के प्रधान आधार इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट ( अब नेशनल आरकाइव्ज ऑफ इंडिया ), नई दिल्ली, में सुरक्षित इस्तलिखित विवरण तथा अन्य सरकारी कागज़ और प्रेस लिस्ट है। प्रकाशित ग्रंथों से भी सहायता ली गई है जिनका वथास्थान निर्देश कर दिया गया है। विषय का विभाजन और विवेचन कालक्रमानुसार है। कुछ सूचनात्मक तथा उपयोगी सामग्री परिशिष्ट में दें दी गई है। परिचय लिखने के लिए लेखक श्री डॉ० धीरेन्द्रजी वर्मा, एम० ए०, डौ० लिट० (पेरिस) का तथा सामग्री संकलित करने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए समस्त सुविधाएँ प्रदान करने तथा प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कमशः इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली, के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, और इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के अधिकारियों का कृपया है।

‘गिलक्राइस्ट’ शब्दक अध्याय तक की सामग्री ‘हिंदुस्तानी’ (१६४० १६४३) में  
लेखों के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में उनमें अनेक आवश्यक  
परिवर्तन कर दिए गए हैं। शेष अंश प्रथम बार प्रकाशित हो रहे हैं।

हिंदी विभाग,  
दीपावली, सं० २००४ वि०

लक्ष्मीसागर वाण्णेय

# विषय-सूची

पृ०

परिचय	( ३ )
वक्तव्य	( ४ )
विषय-सूची	( ६ )
संक्षेप और संकेत	( ६ )
निव्र	मुख्यपृष्ठ

## १. कॉलेज की स्थापना

भारत में वेलेज़ली : कपनी के कमचारियों का सुधार—कपनी और भाषा-संबंधी समस्या—गिलक्राइस्ट और हिट्स्टानी—‘इंग्लिश-हिट्स्टानी डिक्शनरी’—‘हिट्स्टानी प्रैमर’—‘दि आर्टिएश्ल लिरियर्स’—वेलेज़ली, कपनी के कमचारी और गिलक्राइस्ट के प्रयास—आर्टिएश्ल सेमिनरी—वेलेज़ली का कॉलेज स्थापित करने का विचार—गिलक्राइस्ट के विद्यार्थियों की परीक्षा और कमेटी की रिपोर्ट—वेलेज़ली की कॉलेज-स्थापना संबंधी मिनिट्स—कॉलेज स्थापना-संबंधी रेप्यूलेशन—वेलेज़ली की आयोजना के विभिन्न पहलू—कोर्ट को स्वीकृति दिना मिले कॉलेज की स्थापना—कॉलेज की व्यवस्था, प्रधानाध्यापक, मुरी आदि—कॉलेज के विभान का प्रथम परिच्छेद।

पृ० १—२४

## २. बंगल सेमिनरी

कॉलेज और साम्राज्य—कॉलेज के संबंध में वेलेज़ली का पत्र-व्यवहार और विभिन्न भत—कोर्ट के डाइरेक्टरों का विरोधी दख्ख—कॉलेज तोड़ देने के लिए कोर्ट का आज्ञा-पत्र—कोर्ट के आज्ञा-पत्र का प्रभाव—वेलेज़ली का उत्तर—अपने पढ़-समर्थन के लिए वेलेज़ली द्वारा अन्य व्यक्तियों को पत्र—वेलेज़ली के शासन-काल में कॉलेज ज्ञान-कार्यों—वेलेज़ली की ख्याति और उनकी असफलता के कारण—कॉलेज का छोटा रूप और बालों द्वारा रेप्यूलेशन में परिवर्तन।

पृ० २५—४२

## ३. जॉन बीर्थविक गिलक्राइस्ट (अगस्त, १८००—फरवरी, १८०४)

वेलेज़ली के शासन में कॉलेज का पूर्ववत् सचालन—पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था—गिलक्राइस्ट और हिट्स्टानी ग्रंथों का प्रकाशन—गिलक्राइस्ट की प्रकाशन-संबंधी आयोजना—कौसिल का उत्तर—‘सिहासन बत्तासी’, ‘वैताल पच्चीसी’, ‘शकुनतला नाटक’ और ‘माघबानल’—गिलक्राइस्ट द्वारा सुंशिया की माँग—सुलेखक और क्रिस्सा खाँ की माँग—‘भाला’—मुरी की माँग ओर लल्लूनाल को नियुक्ति—‘सिहासन बत्तीसी’, ‘हिदी मैनुआल’ और ‘वैताल पच्चीसी’—कॉलेज की व्यवस्था में कमियों—पुनर्निर्मित हिट्स्टानी विभाग—‘टेविल्स ऐंड प्रिंसीपिल्स’—‘वैलीम्प्लोट’—‘स्टोरी टैलर’—‘ऐटी-जार्गोनिस्ट’—अप्रैल, १८०३ तक हिट्स्टानी में निर्मित या निर्मित होने वाले ग्रंथ—हैप्टेन सोश्रू प्रथ म सहायक के रूप में—गिलक्राइस्ट का यूरोप लोट जाने का विवार—‘आर्टिएश्ल फ्रेन्चुलिट’ और ‘मौख प्रोसेप्टर’—गिलक्राइस्ट का पत्र: कौसिल द्वारा अस्वीकृत नेउल के

गुरुस्कार देने के सबध म गिलकाइस्ट का पत्र कौसिल द्वारा अस्वीकृत 'प्रेमसागर' और 'चद्रावती' गिलकाइस्ट का दूसरा पत्र कौसिल द्वारा स्वीकृत गिलकाइस्ट द्वारा प्रपने ग्रथों के सबध में आधिक सहायता की याचना . कौसिल की आशिक स्वीकृति दो सहायक प्रवान सुंशियों की माँग : कौसिल द्वारा अस्वीकृत—ईसाई धर्म-पुस्तकों का प्रनुवाद—गिलकाइस्ट का त्याग-पत्र ।

पृ० ४३—६४

#### ४. जेम्स मोअट (जनवरी, १८०६—फरवरी, १८०८)

लल्लूलाल और सदल मिश्र—कॉलेज की व्यवस्था में परिवर्तन—प्रधानाध्यापक के पद पर मोअट की नियुक्ति—अन्य परिवर्तन—कॉलेज के विधान का द्वितीय परिच्छेद—रचनाएँ तथा टाइप—'सिहासन बत्तीसी'—ईसाई सुसमाचार—'बैताल पञ्चीसी'—सदल मिश्र का कार्य—गिलकाइस्ट के एजेंटों द्वारा आधिक सहायता की याचना—'प्रेमसागर'—मोअट का त्याग-पत्र ।

पृ० ६५—७८

#### ५. जॉन विलियम टेलर (फरवरी, १८०८—मई, १८२३)

टेलर—कोर्ट और भारतीय शासन-सदबीकाज़ाज़—संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता—कपनी का राज्य-विस्तार और भाषा-समस्या : विभिन्न पदाधिकारियों के मत—टेलर का मत—रोएवक का मत—विलियम प्राइस का मत—निष्कर्ष—कॉलेज की व्यवस्था में परिवर्तन—कॉलेज के विधान का तृतीय परिच्छेद—मीर शेर अली की मृत्यु और तारिखीचरण की मीर मुंशी के पद पर नियुक्ति—कॉलेज में शिद्धा का हास : विभिन्न पदाधिकारियों के मत—लम्सडन—टेलर और कैरे के मत—टेलर की रिपोर्ट: 'हिंदी' शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग—रोएवक का मत—सरकारी समर्थन—कॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद—प्राइस की सहायता के लिए एक पंडित की आवश्यकता—फ़ारसी और हिंदुस्तानी का अनिवार्य शान—कॉलेज का व्यय और कोर्ट—आवश्यक परिवर्तन—मज़हर अली की मृत्यु—कॉलेज के विधान का पाँचवाँ परिच्छेद—लल्लूलाल की जन्म-तिथि—काज़िम अली 'जवाँ' की मृत्यु—ब्रजभाषा-शिद्धा—कॉलेज के व्यय पर कोर्ट की फिर आपत्ति और आवश्यक परिवर्तन—नरसिंह पंडित कॉलेज से अलग—कॉलेज के विधान का छठा परिच्छेद—लल्लूलाल का अंतिम उल्लेख—कॉलेज के लिए ब्रजभाषा-आध्यापक की आवश्यकता और गगाप्रसाद शुक्ल की नियुक्ति—ग्रथ-प्रकाशन—'प्रेमसागर' और 'राजनीति'—सदल मिश्र कृत 'हिंदी-फ़ारसी-शब्द-सूची'—'राजनीति'—'रामायण'—लल्लूलाल कृत 'नक्लियात-इ-हिंदी' या 'लतायफ़-इ-हिंदी' और ब्रजभाषा व्याकरण—'प्रेमसागर'—लल्लूलाल कृत ब्रजभाषा व्याकरण—रोएवक की रचनाएँ—सरकारी कामाज़ों के आधार पर अब तक प्रकाशित समस्त ग्रंथों का विवरण—अन्य ग्रंथ—लल्लूलाल द्वारा संपादित 'समाविलास'—रोएवक कृत 'ऐनलस' तथा अन्य ग्रंथ—दुभाषियों के लिए आवश्यक ग्रंथों की आयोजना—टेलर का अवकाश-ग्रहण ।

पृ० ७६—११२

#### ६. विलियम प्राइस (नवंबर, १८२३—मई, १८३०)

प्रधानाध्यापक के पद पर प्राइस की नियुक्ति—प्राइस का हस्तलिखित ग्रंथों के सबध में पत्र छाँलेज़ में बँगला की उपेदा भाषा-समस्या पर विवार ऐत इन पत्र छाँलेज़

के विभान का सातवा परिच्छेद प्राइस का भाषा सम्बन्धी पत्र हिंदी को प्रधानता नै व्यवस्था के अनुसार नई आवश्यकताएँ अधापक और ग्रथ प्राइस का मत प्राइस का अधकचरा-प्रयास—कैरे का मत —नई व्यवस्था के अंतर्गत कालेज द्वारा प्रयुक्त हिंदी का रूप—मुशियों को हिंदी पढ़ाने के लिए सीताराम पडित की नियुक्ति—मुशियों की हिंदी-परोक्षा और फल—एडमॉन्सटन के भाषा-सबधी विचार—लॉर्ड ऐम्हर्ट के भाषा-सबधी विचार, भाषा-समस्या का वैशानिक विश्लेषण—कॉलेज के विभान का आठवाँ परिच्छेद—ख्यालीराम पंडित—प्रधानाध्यापक बाला पद तोड़ने की सरकारी आज्ञा तथा अन्य कमियाँ : पेंशन की व्यवस्था—बहसचिवानन्द—विभिन्न विभागों की नई व्यवस्था—प्राइस के समय में नवीन महत्वपूर्ण ग्रंथ-रचना का अभाव—‘प्रेमसागर, शब्दावली सहित’—गंगाप्रसाद शुक्ल कृत ‘हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी’—लल्लूलाल कृत ‘राजनीति’ का नया संस्करण तथा अन्य रचनाएँ—‘सभाविलास’ का नया संस्करण—प्राइस का अवकाश-अवृण्ण।

पृ० ११३—१४५

७. कॉलेज के अंतिम दिन

मधुसूदन तर्कालंकार—कॉलेज की व्यवस्था—ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—कॉलेज में हिंदी की समुचित शिक्षा के प्रबंध का अभाव : शेष शास्त्री की नियुक्ति—कॉलेज की व्यवस्था में फिर परिवर्तन और आठवें परिच्छेद के स्थान पर नए नियम—योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित ‘प्रेमसागर’ का संस्करण तथा अन्य रचनाएँ—कॉलेज की अवनति—डल्हौजी की मिनिट्स—अन्य सरकारी पत्र-व्यवहार—कॉलेज तोड़ देने की सरकारी आज्ञा—बोर्ड और ऐरजामिनर्स की स्थापना, उसका विधान और पाठ्य-क्रम।

पृ० १४६—१६१

#### ८. उपसंहार

भारतीय इतिहास में कॉलेज—कॉलेज का भारतीय साहित्यों के इतिहास में महत्व—कॉलेज और हिंदी साहित्य—कॉलेज और खड़ीबोली हिंदी गद्य—हिंदी गद्य-प्रपरा में लल्लूलाल और सदल मिश्र : विषय—भाषा, लल्लूलाल कृत ‘प्रेमसागर’ की भाषा का प्रधान उद्देश्य—कॉलेज में प्रयुक्त लिपि और भाषा : लिपि—भाषा : भाषा के अध्ययन की हाथि से गिलकाइस्ट के ग्रंथों का महत्व—गिलकाइस्ट के ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण—गिलकाइस्ट के भाषा-संबंधी विचार—उदाहरण—हिंदुस्तानी या उदूँ का प्राधान्य—गिलकाइस्ट के बाद भाषा-संबंधी परिस्थिति : प्राइस के समय में हिंदी का प्राधान्य, किन्तु गद्य के विकास का अभाव—हिंदुस्तानी के प्राधान्य के संबंध में प्रमाण—निष्कर्पे।

पृ० १६२—१७२

परिशिष्ट

काल क्रम

सहायक ग्रंथ और सामग्री

अनुक्रमणिका

पृ० १७३—२१३

पृ० २१४—२१९

पृ० २१८—२१९

पृ० २२१—२३१

## संशेष और संकेत

इ० रे० डि०	इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली
ओ० सी०	ओरिजिनल कंसलटेशन
जि०	जिल्द
प०	पब्लिक प्रोसीडिंग्ज़
प० क०	पब्लिक कंसलटेशन
फ्ल० वि०	फोर्ट विलियम तथा प्रोसीडिंग्ज़ आॅव दि कॉलेज आॅव फ्ल०ट विलियम .
मि०	मिसेसेनियस
ले० बु०	लेटर बुक
ह०	हस्तलिखित
हो०	होम डिपार्टमेंट



पोर्ट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की मोहर

गिलक्राइस्ट के स्वाक्षर

## कॉलेज की स्थापना

ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नैतिक दशा सुधारने और एक अनुशासनपूर्ण शिक्षा-प्रणाली द्वारा उन के देश-विप्रवक्त ज्ञान की अभिवृद्धि कर उन्हे व्यापारियों के स्थान

पर नीति-कुशल शासक बनाने का जो कार्य क्लाइब, हेस्टिंग्स और भारत में बेलेज़ली: कॉर्नवालिस न कर सके उसे मार्किंस बेलेज़ली (१७९८-१८०५) ने कंपनी के कर्मचारियों किया। इस महान् कार्य के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के का सुधार

इनिहास में उनका नाम सदैव श्रमर रहेगा। जिस साम्राज्य की नीव रॉबर्ट क्लाइब ने डाली और वारेन हेस्टिंग्स ने जिसे सुरक्षित बनाया उस पर मार्किंस बेलेज़ली ने ब्रिटिश साम्राज्य का भव्य प्रासाद बढ़ा किया। उन के भारतवर्ष आने पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक स्थापना थी। उन्होंने उसे सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता बना कर छोड़ा।

शासन-सूत्र अपने हाथ में ग्रहण करते समय स्वयं बेलेज़ली ने देखा कि कर्मचारियों की शिक्षा, योग्यता, आचरण और अनुशासन की देखरेख का कोई प्रबंध नहीं है। कम अवस्था में ही वे हॉगलैंड से मेज दिए जाते थे। उन की शिक्षा अपूर्ण रहती थी। भारत आने पर उन्हे ऐसे देश के शासन करने का भार सौंप दिया जाता था जिस के राजनीतिक, वार्मिक, साहित्यिक, भाषा एवं आचार-विचार संबंधी विषयों से वे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते थे। फ़ोर्जी विभाग के कर्मचारियों का सामरिक ज्ञान अधूरा रहता था और माल-विभाग के कर्मचारियों के लिए रुई की गाँठें गिनना, कागड़ा नापना या हिसाब लगाना प्रधान कर्तव्य समझा जाता था। उन्हे कंपनी के चतुर और कूटनीतिज्ञ शासक बनाने की चिंता किसी ने न की थी। अनुशासन-हीन अल्पवयस्क युवकों का चरित्र झष्ट होते कुछ देर भी नहो लगती। अनुभवहीन और अख्लशिक्षित होने के कारण वे अपना और कंपनी का उत्तरदायित्व समझने में नितात असमर्थ थे। इस प्रकार किनी नियंत्रण के आभाव में वे बहुत जल्दी कुछ सनों के शिकार बन जाते थे। अपलब्ध करने की आदत से उन पर हजारों रुपयों का कर्ज़ हो जाता था। दो-तीन वर्ष के हो अदर यूरोपीय शिक्षा का प्रभाव भी मिट जाता था। साथ ही वे भारतीय भाषा एवं ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन भी न कर पाते थे। बड़े-बड़े अफसर तक उन्हे मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करते देख कर उन से कुछ न कहते थे। कंपनी के राजत्व-काल के इस भाग में हमें पश्चिमी सभ्यता का भद्दा उदाहरण मिलता है।

शुरू में कंपनी के कर्मचारी एक व्यापारिक संस्था के प्रतिनिधि मात्र थे। परंतु कंपनी का भारत के विभिन्न भूमिभागों पर अधिकार होने के साथ-साथ उन का कार्य भी पेचीदा होता गया। उन की विशिक प्रवृत्ति अब ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा के सर्वथा विश्वद जैवी। वे अब राजदूत, मंत्री, जज और शासकों के रूप में थे। इसके लिए पाश्चात्य राजनीति एवं ज्ञान-विज्ञान के साथ भारतीय इतिहास, रीति-रस्मों, कायदे-कानूनों और भाषाओं का ज्ञान अत्यंत आवश्यक था। सफल शासन के लिए उन की शिक्षा का समुचित प्रबंध होना एक महत्वपूर्ण विषय था। ऐसा करने से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हड़ हो सकती थी। इंगलैड से आने पर कर्मचारियों का शासन और सेना-संबंधी ज्ञान नहीं के बराबर रहता था। इंगलैड में तो उन्हें केवल थोड़ा सा व्यापारिक ज्ञान करा दिया जाता था। उन की शिक्षा उस अवस्था पर रोक दी जानी थी जब कि वे अधिक से अधिक ज्ञानोपार्जन करने में समर्थ हो सकते थे। भारतवर्ष में भी उन की शिक्षा और योग्यता की ओर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। बेलेजली का कहना था कि अब हमें शुरू से ही उन का जीवन परिश्रम, दूरदर्शिता, सत्यप्रियता और धार्मिकता की भित्ति पर खड़ा कर उन्हें भारतीय जलवायु से उत्पन्न और जनता में प्रचलित दूषित वातावरण से बचाना चाहिए। उन्हें चतुर कृज्ञनीति शासक बनाने में ही ब्रिटिश साम्राज्य का हित है। नहीं तो साम्राज्य के बहुत जल्दी हाथ से निकल जाने की आशका है।

यह सब देखते और सोचते हुए मार्किवस बेलेजली को ऐसी संस्था के अभाव का अनुभव हुआ जहाँ नवागत सिविलियन कर्मचारियों की शिक्षा, योग्यता, आचरण और चरित्र की देखरेख का समुचित रीति से प्रबंध हो सके। वे चाहते थे कि भारतीय साम्राज्य जैसी अनमोल वस्तु पा कर कर्मचारी भाषाओं और रीति-रस्मों का ज्ञान प्राप्त कर उन के सरकार की हैसियत से शासन की बागडोर भली भौति संभाले। भारतीय भाषाओं और रीति-रस्मों का ज्ञान कराने के लिए एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता थी जिस की हड़ नींव इंगलैड में रखती गई हो आर जिस पर भवन भारतवर्ष में खड़ा किया गया हो।

जहाँ तक देशी भाषाओं के ज्ञान से संबंध था कंपनी फारसी भाषा का प्रयोग करती थी। अच्छी तरह या कामचलाऊ फारसी जानने वाले कर्मचारियों पर अधिकारीरण विशेष कृपा रखते थे। राजनीतिक कारणों से कंपनी ने १८३७ तक फारसी कंपनी और भाषा-संबंधी समस्या भाषा का प्रयोग बराबर बनाए रखा।<sup>१</sup> शुरू में ऑगरेजी ने देश की फौजों सिपाही अपने प्रदेश की भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा नहीं समझ पाते थे। ऐसी अवस्था में देश की प्रचलित भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य था। प्रारंभ में कंपनी

<sup>१</sup> 'हेंट्स्टानी' (अमेरिका, १८४१) में 'ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति' शी<sup>१</sup> देख देखिए।

के कुछ गिने-चुने कर्मचारियों ने इस ओर अपना ध्यान दिया। कहा जाता है कि गवर्नर ऑफ़ कोलकाता ने हिंदुओं के धार्मिक प्रथाएँ का, जिनमें दो हिंदी (?) में भी थे, संग्रह किया था। परंतु १७५६ की कलकत्ते की लडाई में वे नष्ट हो गए। १५ जनवरी, १७८४ में एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से इस ओर और भी प्रोत्साहन मिला। स्वयं हेस्टिंग्ज़ ने फ़ारसी के माथ-साथ उद्भूत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हें पूर्वीय साहित्य एवं भाषाओं का शोक भी था, पर राजनातिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे इस ओर अपना अधिक समय न दे सके। इनके अतिरिक्त विल्फ़ोर्ड, शार, कर्कपैट्रिक, ग्लैड्विन, गल्सटन, डॉ. हेरिस आदि कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों ने भी देश की प्रचलित भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। परंतु आमीं तक सुगठित और सुव्यवस्थित रूप से कंपनी के समस्त कर्मचारियों

को उनका ज्ञान कराने की कोई चेष्टा न हुई थी। १७८३ में जॉन गिलक्राइस्ट और हिंदुस्तानी सज्जन नियुक्त हो कर भारतवर्ष आए।<sup>१</sup> उस समय कंपनी फ़ारसी भाषा का प्रयोग करती थी। गिलक्राइस्ट ने अनुभव किया कि वह अब देश की भाषा नहीं रह गई थी। उन्होंने देखा कि दिल्ली दरबार की अवनति के साथ-साथ फ़ारसी भाषा का प्रयोग भी कम हो चला था और उसके स्थान पर हिंदुस्तानी का चलन हो गया था। इसलिए कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक था। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने शीघ्र ही हिंदुस्तानी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह कहना अनुभुक्त न होगा कि कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी का प्रचार करने के लिए जितना परिश्रम गिलक्राइस्ट ने किया उतना और किसी ने न किया था। इस कार्य में उन्हें जितने शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट उठाने पड़े उनका उन्होंने स्वयं वर्णन किया है।<sup>२</sup> उनकी देखादेखी अन्य व्यक्तियों ने भी हिंदुस्तानी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ४ जूल, १७८७ को उन्होंने कलकत्ते से गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम वह पत्र लिखा—

“इन पिछले तीन वर्ष से मैं जिस ग्रथ (‘हैंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी’) की रचना करने में लगा हुआ था उसके प्रथम भाग की पांडुलिपि समाप्त हो गई है। आप की आज्ञा से अब मैं दूसरे और तीसरे भागों की रचना करना चाहता हूँ। जहाँ

<sup>१</sup> एशियाटिक सोसायटी के प्रमुख सदस्यों की साहित्यिक विशेषताओं के विषय में जॉन कोलजिन्स नामक व्यक्ति ने एक कविता लिखी थी। इसमें सर विजियम ऑन्स, रिचर्ड्सन, मॉर्निंगस्टन, फ़्लेमिंग, हारिंगटन, रॉक्सबर्थ, येंडर्सन, हंटर, हार्डिक, फैक्ट्रिन, ग्लैड्विन, गिलक्राइस्ट, बाल्फ़र, स्कॉट, चिक्कोही, मार्सेलेन, विलिक्सन, कोलम्बुक, बलौन्कायर, क्रॉसटर, ड्यूकैनैन, डेविस, विजियम्स, कर्कपैट्रिक और हेस्टिंग्ज़ का उल्लेख है। —‘एशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर’, १८०१, लंदन, १८०२, मित्रेलेनियस्ट ट्रैक्ट लाइब्रेरी। तथा, डॉ. परिशिष्ठ आ

<sup>२</sup> ‘प्रैस्टिकस द्वि डिक्शनरी’ माय २ १८८८ सन्करण का सूमिक्षा-पत्र

तक हो सकेगा मैं यह कार्य शीघ्र ही करूँगा क्योंकि जैसा इस विषय  
[विविध-हिंदुस्तानी] पर लिखे एक कैप्टेन कर्पैट्रिक के द्वारा सुझे ज्ञात हुआ है, उन्होंने  
दिक्षणही। जिस कार्य के समाप्त करने का भार अपने ऊपर लिया था उन्हें  
अब वे सरकारी काम के कारण पूरा करने में असमर्थ हैं; अब उसमें  
वे अपना अधिक समय नहीं दे सकते।”<sup>१</sup>

सी पत्र में गिलकाइस्ट ने लिखा है—

“अपने अध्ययन की सुविधा और कार्य ने सहायता मिलने की दृष्टि से मैं श्रीमान्  
से बनारस की ज़मीदारी में, और ग्रावश्यकता हुई तो सूबा अवध में, जाने की आशा  
चाहता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार की जैसी कृपा-दृष्टि अब तक मुझ पर बनी  
रही है वैसी ही इस कार्य के समाप्त होने तक वनी रहेगी। इससे न केवल मुझे वरन्  
साधारण रूप से सब को लाभ पहुँचेगा।

“इस देश में इतने बड़े ग्रंथ की छापाई में व्यय अधिक होने की आशका से आर्थिक  
लाभ होने की कम संभावना है। इसलिए साथ ही मैं श्रीमान् से यह प्रार्थना करने का  
लोभ भी मवरण नहीं कर सकता कि मुझे वहाँ नील की खेती करने की आज्ञा दी जाय।  
वेस्ट इंडीज में कुछ वर्ष इन्हें से मैं यह काम अच्छी तरह जानता हूँ और पूर्ण आशा है  
कि मैं अपना पारिश्रमिक उससे निकाल लूँगा; विशेष रूप से यदि सौभाग्यवश श्रीमान्  
की यह सम्मति हो कि इस देश में नील की खेती से ऑनरेखुल कंपनी को अंत में  
अधिक लाभ पहुँचेगा।

“मैंना, बचन और कर्म से वर्तमान शासन की दीर्घायु और अपने ऊपर उसकी  
छाया की सदैव कामना करता रहूँगा। अब मैं अत्यत विनम्रता के साथ यह प्रार्थना करने  
का साहस करता हूँ और आशा करता हूँ कि श्रीमान् और बोर्ड इसे स्वीकार करेंगे।”

गवर्नर-जनरल ने उन्हें अपने खर्च पर बनारस में नील की खेती करने की आज्ञा  
तो दी, परन्तु सूबा अवध में खेती करने की आज्ञा देना उनके अधिकार से बाहर की  
बात थी। आज्ञा मिल जाने पर गिलकाइस्ट महोदय बनारस की ज़मीदारी में चले आए।  
अपना व्यवसाय करने के अतिरिक्त थोड़े दिन बाद नील के साथ-साथ वे अफ्रीम का  
काम भी करने लगे थे। वे मारतीय बेशभूमा में विभिन्न स्थानों पर घूम-घूम कर हिंदुस्तानी  
माषा का अध्ययन करते थे। १७६० तक उन्होंने ‘डिक्षनरी, इंगलिश ऐड हिंदुस्तानी’  
के दो माग प्रकाशित किए और सरकारी नियम के अनुसार २७ दिसंबर, १७६० को  
प्रकाशित ग्रंथ की कुछ निश्चित प्रतियाँ बोर्ड के पास भेज दी। बनारस की ज़मीदारी में  
गिलकाइस्ट किन-किन स्थानों पर गए, इसके विषय में ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता।  
परन्तु इतना अवश्य ज्ञात है कि १७६१ में वे गाजीपुर में थे; क्योंकि उस वर्ष की ६ जनवरी  
को ग्रंथ की प्रतियाँ भेजने में सुदूक और प्रकाशक की ज़लती हो जाने पर ज़मा-याचना

<sup>१</sup> स्टॉर्ट विलियम, ३ जून, १७८७, होम डिपार्टमेंट, पड़िलक प्रोसीर्विंग,  
ओरिंगिनल कंसल्टेशन नंबर १०, पृ० २१३-२१४२, इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट,  
बड़े दिल्ली

करते हुए उन्होंने बोर्ड को जो पथ लिखा था वह गाजीपूर से लिखा था नील की सेती वे शाजीपूर हा में करते थे। इसी त्रै में उन्होंने 'ग्रैमर' और कांब 'हिंदुस्तानी ग्रैमर' के 'ऐडिक्स' भाग के ग्रिपर में नैड को सूचित किया।<sup>१</sup> 'डिक्षनरी' समाप्त हो जाने की सूचना उन्होंने २३ नवंबर, १७६० को भेज दी थी।<sup>२</sup> ग्रंथ का आकार बढ़ जाने से उन्होंने उसका मूल्य बढ़ा दिया था। हुरू में उन्होंने उसका चालीस रुपया मूल्य रखा था। बाद को बढ़ा कर पचास रुपया कर दिया। परन्तु ग्राहकों को 'ग्रैमर' और 'ऐडिक्स' मुफ्त मेजाने का वचन दिया। वास्तव में इस कार्य के पूरा करने में प्रेस वालों का उन पर कर्ज़ बहुत हो गया था। मूल्य बढ़ा देने से उन्हें कर्ज़ लुकाने में सुविधा हुई। इस पत्र में उन्होंने यह सूचना भी दी कि 'डिक्षनरी' के द्वितीय भाग का फिर से एक नया संस्करण प्रकाशित किया जायगा। १७६७ से १७६४ तक गिलकाइस्ट गाजीपूर रहे। पर स्वास्थ्य टीक न रहने तथा अन्य अनेक कारणों से (संभवतः कर्ज़ बहुत बढ़ गया था, या अक्षीम और नील के व्यवसाय में लाभ न हुआ हो) वे अब वहाँ न रह सके। ६ दिसंबर, १७६४ के पत्र द्वारा बंगाल सरकार से आज्ञा प्राप्त कर वे और व्यापार में उनके माझीदार चार्टर्स कलकत्ता वापिस चले आए। अपनी जगह

**'दि ओरिएंटल  
लिंगिस्ट'** उन्होंने अपने एजेंट मेनर्म कॉलेज ऐंड बेजेट के दो प्रतिनिधि मैम्यूएल बुड और लेविस हिब्नर को भेज दिया।<sup>३</sup> कलकत्ते में रहते हुए उन्होंने 'दि हिंदुस्तानी ग्रैमर' और 'दि ओरिएंटल लिंगिस्ट'

नामक दो ग्रन्थ क्रमशः १७६६-६७ और १७६८ में प्रकाशित किए। १८०२ में कलकत्ते से ही 'लिंगिस्ट' का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। 'ग्रैमर' का पहले पचास और फिर साठ रुपया और 'लिंगिस्ट' का बत्तीस रुपया मूल्य रखा गया। बंगाल सरकार से उन्होंने प्रार्थना की कि 'लिंगिस्ट' का कपनी के कर्मचारियों में सब से अधिक प्रचार किया जाय। सरकार ने इस ग्रन्थ की तीन सौ प्रतियाँ खरीदी।<sup>४</sup> २७ सितंबर, १७६८ के पत्र में गिलकाइस्ट ने आर्थिक सहायता देने पर सरकार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की और उसके साथ ही 'ऐडिक्स' की तीन सौ प्रतियाँ भी भेजी। इस के लिए सरकार ने उन्हें तीन हजार रुपए की स्वीकृति तो दे दी, परन्तु आर्थिक सकट होने के कारण गिलकाइस्ट ने 'ओरिएंटल लिंगिस्ट' की बाबत ६६०० रुपए दिए जाने

<sup>१</sup> को० वि०, २१ जनवरी, १७६१, हो०, प०, ओ० सी० न०० ३०, पू० २६२०-२६४, ह०० रे० डि०

<sup>२</sup> को० वि०, २१ जनवरी, १७६१, हो०, प०, ओ० सी० न०० ३१ पू० २६४-२६७, ह०० रे० डि०। प्रोफेसर्स में अन्य की तिथि २६ नवंबर, १७६१ दी गई है। परन्तु मेसे लिस्ट में भूल सुधार कर २३ नवंबर, १७६० कर दिया गया है।

<sup>३</sup> को० वि०, २२ दिसंबर, १७६४, हो०, प०, ओ० सी० न०० १०, पू० ४८८-४८८६, ह०० रे० डि०

<sup>४</sup> को० वि०, १२ सितंबर, १७६८, ओ० सी० न०० ७६, ग्रेस लिस्ट, पृ० १८०, ह०० रे० डि०

नी प्रार्थना की सरकार ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली । १२ नवंबर १७६८ को उन्होंने 'लिगिस्ट' की निश्चित प्रतियोगी भेज दी ।<sup>१</sup> गिलक्राइस्ट की देखादेखी फारसी भाषा के ताता कानिस रॉयड्विन ने भी २४ अक्टूबर, १७६८ के पत्र में अपनी 'आॉरिएंटल मिसेलेनी' के लिए आर्थिक सहायता मांगी । सोलह रुपया फ्री प्रति के हिसाब से सरकार ने 'मिसेलेनी' की दो सौ प्रतियों खरीदी<sup>२</sup> और उसी साल उन्हें बत्तीस सौ रुपए देने की स्वीकृति दी ।<sup>३</sup> २० मार्च, १७६९ को उन्होंने अपनी कुटि की दो सौ प्रतियों सरकार के पास भेज दी ।<sup>४</sup>

मई, १७६८ में वेलेजली कलकत्ता पहुंच गए थे। उन्होंने जॉन बौथिक गिल-

क्राइस्ट के परिश्रम की भरावना की और कर्मचारियों को शिक्षा देने की अपनी आयोजना के प्रकाश में उनके अध्ययन से पूरा लाभ उठाना चाहा। उस समय वेलेजली, कंपनी के बगाल में नियुक्त किए गए सिविल सर्विस के प्रत्येक कर्मचारी को कर्मचारी और गिल अपने वेतन के अतिरिक्त तीस रुपए मासिक एक मुश्ति के वेतन-स्वरूप क्राइस्ट के प्रधास और मिलते थे। इस वेतन के देने का उद्देश्य यह था कि कर्मचारी देशी

भाषाओं, विशेष रूप से फ़ारसी भाषा, का अध्ययन करें। परंतु शिक्षा का माध्यम देशी भाषा या फ़ारसी भाषा इन दोनों में से एक ही हो सकती थी। मुश्ति लोग अँगरेजी नहीं जानते थे, और कर्मचारी देशी या फ़ारसी भाषा से अनभिज्ञ थे। इसलिए मुश्तियों के लिए अँगरेजी का या कर्मचारियों का देशी या फ़ारसी भाषा में से एक का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था। वेलेजली को मुश्तियों से पढ़ने वाली यह व्यवस्था निर्वर्थक ज़ैची। इसी समय निलक्राइस्ट ने उनके सामने कर्मचारियों (जूनियर राइटर्स) को, मुश्तियों से फ़ारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले, प्रति दिन हिंदुस्तानी भाषा सिखाने के साथ-साथ फ़ारसी के प्राथमिक सिद्धांत भी सिखाने का प्रस्ताव रखका। वेलेजली को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने कर्मचारियों को अलग-अलग तरीके से मुश्तियों का वेतन देने की प्रथा बदल कर दी। इसके स्थान पर उन्होंने यह व्यवस्था कर दी कि भविष्य में बद्द कर्मचारियों के भारतागमन के पहले बाहर महीने तक गिलक्राइस्ट को दिया जाया करे। इसके बदले में गिलक्राइस्ट, रविवार को छोड़ कर, प्रतिदिन कर्मचारियों को हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा दिया करते थे। १ जनवरी, १७६९ से इस आयोजना को

<sup>१</sup>फ्रॉ० वि०, <sup>२</sup> अक्टूबर, १७६८, हो०, प०, ओ० सी० न० १०१, पू० २६७१ २६७२, ह०० द० डि०

<sup>३</sup>फ्रॉ० वि०, १६ नवंबर, १७६८, हो०, प०, ओ० सी० न० १४, पू० ३२३७-३२३८ ह०० द० डि०

<sup>४</sup>फ्रॉ० वि०, १४ दिसंबर, १७६८ हो०, प०, ओ० सी० न० २७, पू० ३७८६ ३७८७, ह०० द० डि०

<sup>५</sup>फ्रॉ० वि०, ३१ दिसंबर १७६८, हो०, प०, ओ० सी० न० ३८, पू० ४०६० ४०६१, ह०० द० डि०

<sup>६</sup>फ्रॉ० वि०, १ अप्रैल १०२५ प्रेस लिस्ट वि० १६, सुखाई १०२०—स्पष्ट १०२२ पू० ८२३

व्यावहारिक रूप दिया गया। बारहवें महीने के अन्त में विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की व्यवस्था भी की गई ताकि आयोजना की सफलता या असफलता की जाँच हो सके। कर्मचारियों की सुविधा के लिए राइटर्स चिल्ड्रिंग्स में एक कमरा गिलक्राइस्ट को दे दिया गया।

कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए यह सर्व प्रथम संगठित प्रयास था। यह न समझना चाहिए कि बेलेज़ली ने हिंदुस्तानी की अपेक्षा फ़ारसी को अधिक महत्व दिया। प्रत्युत उन का इद्द विश्वास था कि फ़ारसी के साथ-साथ हिंदुस्तानी का ज्ञान भी अत में कर्मचारियों को लाभदायक निछ्छ होगा।

परंतु इस से बेलेज़ली की बृहत् आयोजना का शताश भी पूर्ण न हो सका। न्याय, मालगुज़ारी और व्यापार विभाग के सुनार सचालन के लिए उन्होंने उसी समय बोर्ड के सामने भारतीय भाषाओं ही की नहीं बरन् समस्त आईंगों की शिक्षा देने वाली बृहत् आयोजना की एक रूपरंखा रखली थी। परंतु कारोमडल चल जाने तथा अन्य अनेक राजनीतिक कार्यों की विवशता के कारण वे उसे अधिक विस्तृत रूप न दे सके। तो भी उन्होंने इस और एक कदम और आगे बढ़ाया। अपनो बृहत् आयोजना का बीजारोपण उन्होंने २१ दिसंबर, १९६८ की सरकारी सूचना से किया, जिस में उन्होंने लिखा था कि बगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की सफलता की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि भविष्य में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर वे ही व्यक्ति नियुक्त किए जायें जो गवर्नर-जनरल की कौसिल में पास किए हुए नियमों और विधानों और देश की एक या एक से अधिक भाषाओं से भली भाँति परिचित हों। इस के साथ यह सूचना भी प्रकाशित की गई कि १ जनवरी, १८०१ के बाद सिविल सर्विस का कोई भी कर्मचारी उस समय तक किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह कौसिल के नियमों और विधानों और सुशासन के लिए भाषा-सर्वाधीन ज्ञान की परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो लेंगा। परीक्षाओं का वास्तविक रूप क्या होगा, इस का विचार बाद के लिए छोड़ दिया गया। मिन्न-मिन्न स्थानों के न्याय, माल और व्यापार विभागों के लिए जिन-जिन भाषाओं का ज्ञान आवश्यक समझा गया उस का विवरण इस प्रकार है: बंगाल, विहार, उड़ीसा या बनारस में न्याय-विभाग के अफसरों के लिए हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाएँ; बंगाल या उड़ीसा प्रात के मालगुज़ारी इकड़ा करने वाले कलकट्टो, या चुंगी के या व्यापार के, या नमक के एजेंटों के लिए बँगला भाषा; और बनारस या विहार प्रात में मालगुज़ारी इकड़ा करने वाले कलकट्टो, या चुंगी के या व्यापार के, या अक्सीम के एजेंटों के लिए हिंदुस्तानी भाषा। इन के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल की कौसिल के उन्होंने नियमों और विधानों की परीक्षा लेना उचित समझा गया जो कर्मचारियों के काम के आंतर उपयोगी थे। इस नवीन व्यवस्था की सूचना पहले से इसलिए दे दी गई थी ताकि इस अवसर से लाम उठा कर उच्चात के इच्छुक कर्मचारी यथाविधि तैयारियों करने के लिए यथेष्ट समय पा सकें। बोर्ड भी गवर्नर-जनरल के इन विचारों से पूर्णतया सहमत था और उसकी आशा से यह सूचना गज़ट में प्रकाशित कर दी गई।<sup>१</sup> तत्पश्चात् बंगाल सरकार के उप-मंत्री डंकन कैपवेल ने २४ दिसंबर, १९६८ के

<sup>१</sup>फ़ॉ. वि. २। दिसंबर १९६८ ई० १०, औ० सौ० ब० १३ ई० १९६९

न द्वारा गिलक्राइस्ट को सूचित किया कि नवागत कर्मचारियों को हिंदुस्तानी और फारसी भाषाओं की शिक्षा के सबै में आप की सेवाएँ स्वीकार कर सी गई ऑरिएटल सेमिनरी है। इस शिक्षा-संबधी संस्था का 'ऑरिएटल सेमिनरी' नाम रखा गया। सरकारी आशा के अनुसार गिलक्राइस्ट वहाँ का मासिक कार्य-विवरण ('जर्नल') सरकार के पास भेजते थे।<sup>१</sup> 'जर्नल' में उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी की उत्तिक्ति और प्रगति, उस की उपस्थिति या अनुपस्थिति आदि बातें लिखनी पड़ती थी। उसी दिन अर्थात् २४ दिसंबर, १७६८ को सरकारी मन्त्री जी० एच० बालों ने उन के पास नियुक्ति पत्र भेजा। राइट्स चिल्डिंग्स में उन्हें एक कमरा रहने को मिला, और, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि, जो वेतन मुशियों को मिलता था वह अब गिलक्राइस्ट को मिलने लगा।<sup>२</sup> २५ दिसंबर, १७६८ के पत्र में उन्होंने अपना नया पद सहर्ष स्वीकार किया।<sup>३</sup> २६ जनवरी, १७६९ के पत्र के साथ <sup>४</sup> कर्मचारी-विद्यार्थियों की सूची मिल जाने पर<sup>५</sup> उसी दिन से उन्होंने विवरण लिखना भी आरम्भ कर दिया। १८ मार्च, १७६९ के विवरण म भूमिका के तौर पर उन्होंने भाषा तथा अपनी शिक्षा-प्रणाली के संबंध में महेप में विचार प्रकट किए हैं।<sup>६</sup> पठन-पाठन का वास्तविक कार्य फ़रवरी के महीने से शुरू हुआ। २६ जनवरी के बाद जब तक 'ऑरिएटल सेमिनरी' का अस्तित्व रहा वे बराबर अपने यहाँ का कार्य-विवरण सरकार के पास भेजते रहे।<sup>७</sup>

<sup>१</sup> वही, ओ० सी० न० १२, पृ० ३८८-३८९, इ० रे० दि० । प्रोसीडिंग्ज में पत्र की तिथि पहली दिसंबर की गई है। परंतु प्रेस लिस्ट (पृ० ४२१) में यह जानकारी दीक कर दी गई है।

<sup>२</sup> फू० वि०, १८ मार्च, १७६६, प्रेस लिस्ट, लिस्ट १६, जुलाई १७६७—मार्च १७६६, पृ० २२३ (ओ० सी० न० ३६ प्रोसीडिंग्ज पृ० ६१८-६१९), इ० रे० दि०

<sup>३</sup> फू० वि०, १८ मार्च, १७६६, वही, पृ० २२३, ओ० सी० न० ३६, प्रोसीडिंग्ज पृ० ६१८-६१९), इ० रे० दि०

<sup>४</sup> वही, (ओ० सी० न० ३६, प्रोसीडिंग्ज पृ० ६१८-६२०)

<sup>५</sup> वही, [ओ० सी० न० ३६ (१८, प्रोसीडिंग्ज पृ० ६२१—६४१)]

<sup>६</sup> वही, (ओ० सी० न० ३८, प्रोसीडिंग्ज पृ० ६१४-६१५); फू० वि०, १२ अप्रैल, १७६६, प्रेस लिस्ट, लिस्ट १७, अप्रैल १७६६—दिसंबर १८००, पृ० २१ (ओ० सी० न० २३, २४, प्रोसीडिंग्ज पृ० १-१८-१०४६); फू० वि०, ६ मई, १७६६, वही, पृ० ३७-३८ (ओ० सी० न० २७, २८, प्रोसीडिंग्ज पृ० १३४८—१३४९); फू० वि०, १७ जून, १७६६, वही, पृ० ६७ (ओ० सी० न० ७३, ७४); फू० वि०, ४ जुलाई, १७६६, वही, पृ० ८० द० (ओ० सी० न० १४, १५); फू० वि०, ८ अगस्त, १७६६, वही, पृ० १०२ (ओ० सी० न० १६, २०); फू० वि०, ८ अक्टूबर, १७६६, वही पृ० ११८ (ओ० सी० न० १८, १९); फू० वि०, १८ नवंबर, १७६६, वही, पृ० १८७-१८८ (ओ० सी० न० २३, २४); फू० वि०, ८ दिसंबर, १७६६ वही, पृ० १०० (ओ० सी० न० १८, १९), पृ० १०० वि०, ८ अक्टूबर, १७६६ से ८ दिसंबर

पहले-पहल गिलक्राइस्ट को राइटर्स चिल्डिंग्स का कमरा नंबर ११ दिया गया था। ३ जुलाई, १७६६ को बगाल के सरकारी मंत्री एच० वी० डारेल के नाम पत्र लिखकर उन्होंने कमरा नंबर १ माँग लिया।<sup>१</sup> वेतन तै होने के समय तक उन्हें बारह हजार रुपया पेशगी दिया गया।

पहले कहा जा चुका है कि २१ दिसंबर, १७६८ की सरकारी सूचना निकालने के समय बेलेजली को थीपु सुलतान से छिड़ी लडाई में भाग लेने के लिए मद्रास जाना पड़ा था। परंतु राजनीतिक घटना-चक्र में पड़ कर वे कपनी के बेलेजली का कॉलेज कर्मचारियों का शिक्षा और योग्यता-संवेदी उद्देश्य भूले न थे। स्थापित करने का नगार की जिस अद्वितीय, अभूतपूर्व और महान् संस्था की स्थापना विचार करने का उद्देश्य और उसकी नीति उनके दिमाझ में थी उसे मूर्त रूप देने के लिए वे निरन्तर व्याकुल रहते थे। एक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने जो कुछ किया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परंतु इन्होंने से ही उन्हें संतोष नहीं था; यह तो उनकी बृहत् आशेजना के प्रारम्भिक भाग का प्रारंभ भी नहीं था। मद्रास से लौटने के बाद २४ अक्टूबर, १७६६ को उन्होंने राइट अॉनरेब्युल हेनरी हुंडाज के नाम एक पत्र लिख कर अपने विचार प्रकट किए।<sup>२</sup>

कॉलेज स्थापित करने का प्रथम संकेत बेलेजली ने इस पत्र में दिया है। ६ जनवरी, १८०० को उन्होंने गिलक्राइस्ट के विद्यार्थियों की परीक्षा लिए जाने का एक आज्ञापत्र निकाला। परीक्षा के लिए तिथि पहली जून निश्चित की गई। इस कार्य गिलक्राइस्ट के विद्या- के लिए २७ मई को जी० एच० वालों, जे० एच० हारिगढ़न, एन० थियों की परीक्षा और वी० एडमैन्सन, लेफ्टिनेंट-कर्नल डब्ल्यू० कर्कपैट्रिक और डब्ल्यू० कमेटी की रिपोर्ट सी० ब्लैकवायर की एक कमेटी नियुक्त हुई।<sup>३</sup> २१, २२, २३, २४ और

२५ जुलाई की बैठकों के बाद कमेटी ने गिलक्राइस्ट के परिश्रम तथा लगन और उनके विद्यार्थियों के भाषा-संवेदी ज्ञान से पूर्ण संतोष प्रकट किया। २६ जुलाई को उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नर-जनरल के पास भेज दी जो कौसिल के १७ अगस्त के अविवेशन में उनके सामने रखी गई। गवर्नर-जनरल ने उस पर अपनी स्वीकृति

१७६६ तक के प्रोसीडिंग्ज पृ०, क्रमशः, १७७०-१७७७, ? २२७६-२२६६, २८३०-२८४१, ३०४२-३०४४। २६ जनवरी से ८ मार्च, १७६६ तक का विवरण गिलक्राइस्ट ने एक ही साथ भेजा था। फ्र० वि०, २६ जनवरी, १८००, वही, पृ० २६२ ( ओ० सी० न० ६०, ६१, प्रोसीडिंग्ज पृ० ४३३-४४१ ) ; फ्र० वि०, १४ मार्च, १८००, वही, पृ० ३१० ( ओ० सी० न० १५०, १८१, प्रोसीडिंग्ज पृ० १२७६-१२७१ ) ; फ्र० वि०, १२ जून, १८००, वही, पृ० ३८३ ( ओ० सी० न० ४० )

<sup>१</sup>फ्र० वि०, ६ जुलाई, १७६६, प्रेस लिस्ट, जि० १६, जुलाई १७६७—मार्च, १७६८, पृ० ४२६ (ओ० सी० न० ३०)

<sup>२</sup>दो० परिषिष्ठ आ

<sup>३</sup>'प्रशिवाटिक पेनशल रजिस्टर' १८०१ लदम १८०२) पृ० ५

गैर उस प्रकाशित करने की आज्ञा देने हुए गिलक्राइस्ट की निम्नलिखित शब्दों में शासा की—

“हिंदुस्तानी के महत्वपूर्ण व्याकरण और कोष का निर्माण करते से हिंदुस्तान की सर्व-प्रचलित भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थियों को जो सुविधा हुई है, उसके लिए इस गिलक्राइस्ट महोदय की योग्यता की अत्यत सराहना करते हैं। उन्होंने जिस उम्माह, योग्यता और परिश्रम के साथ कंपनी के कर्मचारियों (जूनियर सिविल सेवेंट्स) को हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा देने में अपने कर्तव्य का पालन किया है उसके लिए वे प्रशंसा से पात्र हैं।

“सरकारी विभागों में अपना कार्य सुसंपादित करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों (जूनियर सिविल सेवेंट्स) को उपादेय ज्ञान की प्रत्येक शाखा की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना और उच्चति करने पर उनको पुरस्कार देना इस स्थान (आॅरिएटल सेमिनरी) का प्रधान उद्देश्य है। इससे लाभ उठाने वाले मज़ज़नों के परिश्रम और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का हमें बहौद्दी ध्यान रहेगा।”<sup>१</sup>

इसमें पहले ६ जुलाई की मिनिट्स में मार्किन वैलेज़ली और उनकी कॉसिल ने कंपनी शासन की द्वा समय जैसी कुछ दशा हो गई थी उनका वर्णन कोर्ट के डाइ-रेक्टरी के पास भेजा था। उसमें उन्होंने एक तो गवर्नर-जनरल वैलेज़ली की कॉलेज़ और अहातो में अच्छा और दृढ़ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने स्थापना संरक्षी के लिए वैधानिक सुधारों की आवश्यकता दिखलाई और दूसरे, मिनिट्स नामाज़दी की नींव सुदृढ़ बनाने की इच्छा से कंपनी के कर्मचारियों का राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक और तिजारती ज्ञान, उनकी वृत्ताधीय और भारतीय शिक्षा, उनका चरित्र सुधारने तथा सुशासन की दृष्टि से अन्य त्रुटियों दूर करने और समस्त अहातो के विद्यार्थियों की शिक्षा का समर्थन रूप से एक ही स्थान पर समृद्धि प्रबन्ध करने की अत्यंत आवश्यकता प्रदर्शित कर बड़ाल में एक कॉलेज उस्था स्थापित करने का दृढ़ विचार प्रकट किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसी मस्था कंपनी के कर्मचारियों में नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की भावना पैदा करने से सहायक होगी। इससे न केवल भारतवासियों को सुख शाति मिलेगी वरन् स्वयं अँगरेज़ों को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त होगा। न्याय और बुद्धिमानी का घही तकाज़ा था कि अँगरेज जाति और कंपनी के हित-साधन के लिए भारतीय शासन सब प्रकार से सुव्यवस्थित और सुनंगठित किया जाता।<sup>२</sup> १७६६ में हेनरी हुंडाज को पत्र लिखने के बाद उन्होंने कॉलेज-स्थापना के विषय में यह दूसरी बार अपना विचार प्रकट किया है। बालों कमेटी का रिपोर्ट मिल जाने पर वे शीत्र से शीत्र अपनी आयोजना को व्यावहारिक रूप देने का लोभ सवरण न कर सके। फ़ासीसियों की शक्ति द्वीण करने और

<sup>१</sup>टोमस रोप्टन : ‘दि ऐनवस ऑव दि कॉलेज ऑव फ़ॉर्म विजियम’, कल्कत्ता, १८६६, नं० १, पृ० १—१३

<sup>२</sup>वैलेज़ली डेस्पेच़ज़, नं० २ पृ० ११२ द२१

ये पु सुलतान जैसे प्रबल शत्रु की ओर ध्यान लगा रहने पर भी उनका ध्यान कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा, उनके भारतवर्ष सम्बन्धी कायदे-कानून और देशी भाषाओं के शान और उनके आचरण की ओर गया, यह उनकी प्रतिभा का एक उद्देश्य उदाहरण है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वेलेजली के कॉलेज-सम्बन्धी प्रबल द्वारा भारत वासियों की आधुनिक शिक्षा की नीव पड़ी। परंतु वह भ्रम है। वेलेजली की आयोजना केवल अँगरेज कर्मचारियों के लिए थी। देशी जनता की शिक्षा की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया था। कॉलेज की स्थापना के विषय में उन्होंने जो आयोजना तैयार की उससे उन की दूरदर्शिता और योग्यता का परिचय मिलता है। यद्यपि कंपनी के सचालक वेलेजली से सहमत नहीं थे और इसके फल-स्वरूप उन्हें विफल-मनोरथ होना पड़ा, तो भी उनकी नीति का सिद्धांत अनेक अशों में अब तक बना हुआ है। कॉलेज की आयोजना तैयार हो जाने पर उन्होंने जिस ढाप से काम लिया उससे उनकी स्वात्र प्रकृति का अच्छा परिचय मिलता है। कंपनी के कर्मचारी की हैसियत से नहीं बरन् एक उच्च पदाधिकारी होने की हाँ से उनका व्यक्तिगत यहान् था। अपनी इसी निर्भीक ग्राम स्वनत्र प्रकृति के कारण वे डाइरेक्टरों के अधियक्ष बन गए थे। २० दिसंबर, १९६८ में कर्मचारियों के नाम एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित कर वे अपनी कॉलेज-सम्बन्धी आयोजना का प्रथम आभास द चुके थे। ६ जुलाई, १९०० को उन्होंने कॉमिल के सामने कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और अपनी प्रबल तर्क-शैली द्वारा कॉमिल के सदस्यों को एकमत हो कर इस विषय को डाइरेक्टरों की स्वीकृति के लिए भेजने पर बाध्य किया। दूसरे ही दिन अर्थात् १० जुलाई को उन्होंने कॉलेज-स्थापना के सम्बन्ध में अपनी प्रतिभापूरण एवं सुन्दर शैली से समन्वित गमीर विचार प्रगत किए—  
 ‘दि गवर्नर-जनरलस नोट्स विथ रेट्पेक्ट दु दि फ़ाउडेशन आव ए कॉलेज ऐट फ़ोर्ट विलियम’। इससे उनकी असाधारण विचार और लेखन-शक्ति का परिचय मिलता है। उन्होंने अकाद्य रूप से वह दिखाया है कि यहि कंपनी के कर्मचारियों को केवल एक व्यापारिक संस्था के नौकर मानने के स्थान पर अब उन्हें राजदूत, सत्री, न्यायाधीश और शासकों के रूप में मान कर उनकी शिक्षा, योग्यता और आचरण एवं चरित्र का ध्यान नहीं रखता जायगा तो शामन में सफलता मिलता असभव है।

इस सघध में अपनी मिनिट्स द्वारा सब विषयों और पहलुओं पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करते हुए गवर्नर-जनरल मार्किंस वेलेजली ने फ़ोर्ट विलियम में एक कॉलेज

**कॉलेज-स्थापना** संबंधी रेम्यूलेशन स्थापित करने का निश्चय किया। अपनी आयोजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए वे इन्हें आतुर थे कि उन्होंने ६ जुलाई बाल डाइरेक्टरों के नाम पत्र लिखे जाने के दूसरे ही दिन अर्थात् १०

‘ये ही नोट्स १८ अगस्त, १९०० को ‘मिनिट्स-इन् कॉमिल’ के रूप में स्वीकृत हुए। इसी दिन उन्होंने फ़ोर्ट के डाइरेक्टरों के भी इन नोट्स के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा

, १८००<sup>१</sup> को कोर्ट के डाइरेक्टरों को सुचित तक प्रिना कालेज स्थापना की बली (रेग्यूलेशन) भी बना डाली। परंतु गवर्नर-जनरल की विशेष आवश्यकता तिथि मैसूर की राजधानी श्रीरगपट्टम के प्रथम विजयोत्सव के अनुसार ४ मई, रक्खी गई।<sup>२</sup> रेग्यूलेशन का भूमिका-भाग इस प्रकार है—

“चूंकि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से ग्रेट ब्रिटेन को भारत में बुद्धि और वृत्त द्वारा उत्तरोत्तर समृद्धि और धर्म प्राप्त हुआ है; और चूंकि कई सफल लड़ाइयों के बाद न्यायपूर्ण, कुशल और उदार नीति के सुखद परिणाम द्वारा हिंदुस्तान और दक्षिण के विस्तृत भूमिभाग ग्रेट ब्रिटेन के अधीन हैं, और काल-प्रवाह में ऑनरेबुल इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनात्मक एक ऐसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है जिसके अनेक बने बसे हुए और धनधान्यपूर्ण भूमिभागों में अपनी-अपनी प्रथाओं, सिद्धांतों और कायदे-कानूनों से अनुशासित होने के अन्धस्त विभिन्न जातीय, भाषाभाषी, धर्मावलब्धि, आचार-विचार और स्वभाव वाले लोग वसते हैं; और चूंकि ब्रिटिश जाति के पुनीत कर्तव्य, सच्चे हित, धर्म और उसकी नीति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सुशासन और उसके निवासियों की समृद्धि और सुख के लिए समुचित प्रबंध हो और जितके लिए निवासियों का उनके अपने कायदे-कानूनों, प्रथाओं और पद्धतियों के अनुसार शासन करने की दृष्टि से ब्रिटिश विधान की उदार और पुनीत भावना से प्रेरित होकर गवर्नर-जनरल ने समय-समय पर सुदर और लाभप्रद नियमों की रचना की है; और चूंकि इन सुदर, लाभप्रद और उदार नियमों के साथ भविष्य में सपरिपद् गवर्नर-जनरल द्वारा जो और कायदे-कानून पास किए जायें उनका सदैव सदुपयोग होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए भारतीय शासनात्मक ऑनरेबुल इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में अपना-अपना कार्य सुसंपादित करने की योग्यता होनी चाहिए; उन्हें साहित्य और विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए; और हिंदुस्तान व दक्षिण की विभिन्न देशी भाषाओं और जहाँ वे नियुक्त किए जायें वहाँ के आईनों और रीति-शिवाजों की भाँति ग्रेट ब्रिटेन के आईनों, शासन-व्यवस्था और विधान का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए; और चूंकि ऑनरेबुल इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की यूरोपीय शिक्षा असमय समाप्त हो जाने से उन्हें, भारतवर्ष आने से पहले, साहित्य और विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों से पथेष्ट परिचय अथवा ग्रेट ब्रिटेन के आईनों, शासन-व्यवस्था

<sup>१</sup> तदनुसार, २८ आषाढ़, १८०७, बंगाली संवत् ; ४ शावश, १८०७, फ़सली ; २८ आषाढ़, १८०७, विज्ञायती ; ४ शावश, १८०७, संवत् ; और १७ सफ़र, १८१४, हिजरी।

<sup>२</sup> कॉलेज के विद्यार्थियों को पुरस्कर-स्वरूप जो पदक विषय बनते थे उनकी एक सरफ़ यही चिन्ह और दूसरी तरफ़ श्रीरगपट्टम का चिन्ह बना रहा था।

और विधान का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, और चूंकि भारतीय सिविल सर्विस के दुलह और महत्वपूर्ण कार्य सपने करने के लिए बहुत सी ज़रूरी बातें सरकारी निरीक्षण, दिग्दर्शन और नियन्त्रण में भारत में सचालित शिक्षा और अध्ययन के विविवत् क्रम के बिना पूर्णरूप से नहीं सीखी जा सकती, और चूंकि इस समय भारत में ऐसी कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है जिसमें ऑनरेबुल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नवबयस्क जूनियर कर्मचारी ऊँची और मेहनत की जगहों पर नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर सके; और उन जूनियर कर्मचारियों की शिक्षा का प्रबन्ध करने, अथवा पहले-पहल भारतवर्ष आने पर उनके आचरण की देखभाल करने, अथवा परिश्रम, दूरदर्शिता, सचाई और धर्म के नियमित और सुसज्जित क्रम द्वारा भारत में अँगरेजों की यश-पताका फैलाने के लिए किसी अनुशासन या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है; इसलिए रिचर्ड मार्किवस वेलेजली, नाइट ऑफ़ दि इलसूट्रियस ऑर्डर ऑफ़ सेट पैट्रिक, आदि-आदि, सपरिषद् गवर्नर-जनरल, ने सुशासन स्थापित करने और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ढढ़ बनाने और ऑनरेबुल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों और यश की सरक्षा करने के लिए एक संस्था और अनुशासन, शिक्षा और अध्ययन की व्यवस्था आवश्यक समझ कर निम्नलिखित विधान पास किया—

“२. इस विधान के द्वारा कंपनी के जूनियर सिविल कर्मचारियों को ईस्ट इंडीज में ब्रिटिश राज्य के सुशासन के नियमित विभिन्न पद ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से साहित्य, विज्ञान तथा ज्ञान के आवश्यक अंगों की उचित शिक्षा देने के लिए बगाल के फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है।”<sup>१</sup>

गवर्नर-जनरल सरकार और विजिटर, और सुप्रीम कौसिल के सदस्य तथा सदर दीवानी और निजामत अदालतों के जज कॉलेज के गवर्नर नियुक्त हुए। कॉलेज के लिए एक अलग इमारत, पुस्तकालय आदि बनवाने की व्यवस्था हुई। कोष सपरिषद् गवर्नर-जनरल के मातहत रखा गया जिन्हें कोर्ट के डाइरेक्टरों के पास वार्पिंक रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। कॉलेज के शासन-प्रबन्ध के कर्ता प्रोवोस्ट और वाइस-प्रोवोस्ट, या ऐसा कोई दूसरा अफसर जिसे विजिटर नियुक्त करे, हुए। उनके बैठन का निश्चय विजिटर के ऊपर था, जो जब चाहे तब उन्हें हरा भी सकता था। प्रोवोस्ट के लिए इंगलैंड के चर्च का पादरी होना ज़रूरी था। विजिटर के लिए हर एक बात का विवरण कोर्ट के डाइरेक्टरों के पास भेजना अनिवार्य समझा गया। फोर्ट विलियम में पहुँचने पर विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध करना; उन की नैतिकता और आचरण की देख-भाल करना; उन्हें उपदेश देना या डॉट-फटकार बताना; इंगलैंड के चर्च के सिद्धात, अनुशासन और रीतियों के अनुसार ईसाई मत की शिक्षा देना प्रोवोस्ट के प्रधान कार्य-

रखे गए। प्रोफेसर और उसका बेतन नियुक्त करने का आधिकार विजिटर को मिला और जल्दी से जल्दी निम्नलिखित विषयों के प्रोफेसर नियुक्त करने का निश्चय हुआ।

भाग्याओं में अरबी, फारसी, स्थकृत, हिंदुस्तानी, बँगला, तैलग, महाराष्ट्री, तामिळ, कन्नड़, ग्रन्थ विषयों में, गरब्त्र मुहम्मदी, भारतीय धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून; भारत में विदिश राज्य के शासन-प्रबन्ध के लिए संपरिषद् गवर्नर-जनरल तथा फ्लोर्ड सेट जॉर्ज और वब्बई के संपरिषद् गवर्नर द्वारा पास किए गए कायदे-कानून; राजनीतिक व्यर्थशास्त्र, और विशेष रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक स्थाई और उनका हित; भूगोल और गणित; वृत्रोप की आधुनिक माध्यार्थ, ग्रीक, लैटिन, और प्राचीन ग्रेगोरीजी साहित्य (कल्सिक्स); प्राचीन और आधुनिक सामान्य इतिहास, हिंदुस्तान और दक्षिण का इतिहास और पुरातत्त्व, पक्षान्ति-विज्ञान; वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, और ज्योतिषशास्त्र।

विजिटर एक ही प्रोफेसर को एक में अधिक विषय पढ़ाने की आशा दे सकता था। पूरे भारत साल की नौकरी के बाद प्रोटोस्ट, वाइस-प्रोटोस्ट और प्रोफेसरों को उनके वार्षिक बेतन के एक-तिहाई रुपए की पेशन मिल सकती थी। पेशन पाने का अधिकार इंगलैंड या भारत में, जैसा कोई चाहे, दिया गया। विजिटर पेशन बढ़ा भी सकता था। कंपनी के नवागत कर्मचारियों को और साथ ही उन कर्मचारियों को भी जनन्हें बंगाल में आए हुए तीन वर्ष से अधिक नहीं हुए थे, क्रमशः पहले तीन वर्ष और रेश्यूलेशन की तिथि से तीन वर्ष तक कॉलेज में रह कर केवल अध्ययन करने का नियम स्थापित हुआ। फ्लोर्ड सेट जॉर्ज या वब्बई न कर्मचारी भी संपरिषद् गवर्नर जनरल की आशा से कालज से लाभ उठा सकते थे। उन्हीं की आशा से बंगाल, फ्लोर्ड सेट जॉर्ज और वब्बई के जूनियर मैनिक कर्मचारी भी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, परंतु उस समय तक और उन नियमों के अतर्गत जिन्हें वे उचित समझे। कॉलेज-वय में दो-दो महीने के चार पक्ष रखें गए। बीच-बीच में एक-एक महीने की छुट्टियाँ रखती गई। साल में दो परीक्षाएँ रखती रहं और विजिटर और गवर्नरों के सामने योग्य विद्यार्थियों को प्रोटोस्ट द्वारा पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई। वह भी निश्चित हुआ कि बंगाल, फ्लोर्ड सेट जॉर्ज और वब्बई के कुछ सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति पाने के लिए खास उपाधियाँ (डिप्लियो) रखी जायें और नौकरी में तरक्की कियार्थियों की योग्यता-नुसार दी जाय। गवर्नरों की अव्यक्ति में प्रोटोस्ट को कॉलेज की नियमावली बनाने का अधिकार दिया गया जिसका विजिटर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य था। इनके अनिरिक्त विजिटर को प्रत्येक विषय में पूरे-पूरे अधिकार दिए गए। हर एक पक्ष के अंत में कॉलेज का पूरा कार्य-विवरण विजिटर द्वारा कोर्ट के डाइरेक्टरों के पास भेजना निश्चित किया गया। अंतिम निर्णय का अधिकार कोर्ट के डाइरेक्टरों को दिया गया।

उपर्युक्त रेश्यूलेशन में बेलंजली की आयोजना के समस्त मूल सिद्धांत सञ्चिहित हैं।

उनकी इस आयोजना के विरोध में कही जाने वाली अनेक वातों में उनके विपक्षियों का यह भी कहना या कि मद्रास और वर्क्स के कर्मचारियों का बुलाने

के स्थान पर अपनी-अपनी जगहों पर ही उनकी शिक्षा का प्रबंध बेलेजली की आयो- किया जाय। बेलेजली जो यह मत स्वीकार न किया। क्योंकि इससे जना के विभिन्न पहलू ज्ञाना व्यव होने तथा अन्य अड़चनों के अतिरिक्त कपनी के समस्त

कर्मचारियों को समान रूप से केंद्रीय सरकार के तत्त्वावधान में शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। तीनों अहातों के कर्मचारियों का पारस्परिक वैमनस्य भी इससे कम न हो सकता था। साथ ही बगाल के कर्मचारियों की दशा कुछ अच्छी होने के कारण दूसरे अहातों के कर्मचारी उनके साहचर्य से कुछ लाभ उठा सकते थे। ये सब बातें सोच कर बेलेजली ने कलकत्ता ही केंद्र बनाना उचित समझा।

कॉलेज की स्थापना से बेलेजली की ही नहीं वरन् कपनी के संचालकों की आशा पूर्ण होने की पूरी समावना थी। २५ मई, १९६८ को कोर्ट के डाइरेक्टरों ने गवर्नर-जनरल के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कपनी के कर्मचारियों में बढ़ती हुई अधार्मिक प्रवृत्तियों और कुच्चलना के प्रति आशका प्रकट की थी। इसका जिक्र पहले ही चुका है। बेलेजली ने डाइरेक्टरों को लिखा कि फँस वी राज्यक्राति के उप्र विचारों से कपनी के माल व सैनिक विभागों के कुछ कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और इससे कम्पनी की राजमीतिक और धार्मिक स्थिति को धक्का पहुँचने की संभावना है। कर्मचारियों की शिक्षा के अभाव में ये विचार क्या रूप धारण करते इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कॉलेज का स्थापना-विषयक रेग्यूलेशन बना कर बेलेजली ने डाइरेक्टरों को उनकी उस शका के दूर होने के बारे में लिखा। बेलेजली खुद तो ईसाई भत का प्रचार करने में दिलचस्पी लेते ही थे, परंतु डाइरेक्टरों का २५ मई वाला पत्र हाथि में रखते हुए भी उन्होंने ईंगलैंड के चर्च के पादरी को विद्यार्थियों का अभिभावक बनाया था। उन्होंने समझा शायद इससे डाइरेक्टर उनकी आयोजना स्वीकार कर लेंगे।

बेलेजली की मिनिट्स में कर्मचारियों की शिक्षा, आचरण आदि के विषय में जिन अभावों और त्रुटियों की ओर निर्देश लिया गया है वे सब कॉलेज की स्थापना से दूर हो सकते थे। विद्यार्थी-जीवन में कर्मचारियों को तीन-सा रुप भास्ति देना तै हुआ। इसमें मुश्की का भत्ता शामिल न किया गया। साथ ही उनके रहन-सहन और खान-पान का ऐसा प्रबंध किया गया जिससे वे मितव्यता सीख कर त्रृण के बोझ से न ढव सकें। ईंगलैंड के विश्वविद्यालय और फ्रास की रॉकल मिलिट्री एकेडेमियों तथा यूरोप की अन्य प्रसिद्ध संस्थाओं के अच्छे से अच्छे नियमों की पद्धति स्थापित करना कॉलेज के जन्मदाता की आकांक्षा थी, और उसे वह पूर्ण विश्वास था कि कर्मचारी अपने हित के लिए, अपनी उन्नति और स्थाति के लिए एशिया की इस अपूर्य और अनन्य संस्था से पूरा-पूरा लाभ उठावेंगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कोई बात न उठा रखती गई। नियमों लिखन के अपराधी विद्यार्थियों के लिए नौकरी से निकालने तथा अन्य प्रकार के दड़ देने की व्यवस्था की गई।

कॉलेज के खर्च की सबसे बड़ी समस्या थी। कंपनी के संचालक वैसे ही मार्किंगस बेलेजली की आर्थिक नीति से असंतुष्ट थे। इस पर कॉलेज के चलाने में खर्च भी बहुत बढ़ता था परंतु बेलेजली जैसे योग्य वर्किंग के लिए स्पष्ट की चिंता से उनकी आयोजना

त कोई अतर न पढ़ सका था उन्होंने ऐसा आर्थिक प्रबन्ध किया जिससे कपनी ने गोप का अधिक रूपया खर्च न हो । राइटर्स बिल्डिंग्स खरीदने के लिए संचालक अपनी स्वीकृति दे ही चुके थे । लेकिन कॉलेज के मतलब के लिए राइटर्स बिल्डिंग्स ठीक न समझ कर वेलेजली ने उतने ही रूपए में गार्डन रीच के मैदान में कॉलेज की नई इमारत बनवाने का इरादा किया । विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, कॉलेज का शासन-प्रबन्ध करने और देशी जनता से विद्यार्थियों को कुछ दूर रखने की इष्टि से गार्डन रीच ही उन्हें उपयुक्त स्थान जैसा । यह जगह कलकत्ते से बहुत दूर भी नहीं थी । लेकिन नई इमारत बनने तक उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग्स में ही कॉलेज का काम शुरू करने का निश्चय किया । वाकी और खर्च के लिए उन्होंने कपनी के कर्मचारियों की तनखावों का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेना चाहा । शुरू में यह तथा मुशियों के भत्ते वाली बच्ची हुई रकम बहुत थी । इसमें सरकारी छापेखाने की आमदनी भी जोड़ी जा सकती थी । इस प्रकार वेलेजली ने यह सष्टु कर दिया था कि शुरू में कपनी का अधिक रूपया खर्च नहीं होगा; वार्षिक खर्च के लिए कपनी जितने रूपयों की स्वीकृति देती थी उतने ही में काम चल जायगा । लेकिन चूंकि ‘कॉलेज के द्वारा भारतीय प्रजा के लिए ब्रिटिश शासन की उपयोगिता और भी बढ़ जायगी’, इसलिए वेलेजली ने कोर्ट से यह प्रार्थना की कि बगाल और मैसूर की मालगुजारी से कुछ वार्षिक रकम कॉलेज के लिए निश्चित कर दी जाय ताकि उसके कार्य में कोई बावा न पड़ने पाए और सरकारी नौकर भी इस नए कर से बच जायें । साथ ही उन्होंने भारत में ब्रिटिश हित के शुभचिंतकों से कोर्ट की अध्यक्षता में यूरोप से चदा जमा कर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वैभव के अनुरूप इस कॉलेज-संस्था की सहायता करने का अनुरोध किया ।

कॉलेज में आईन और भाषाओं की शिक्षा के लिए कलकत्ते का मुहम्मदन कॉलेज और बनारस का हिन्दू कॉलेज अच्छे साधन समझे गए । मुशियों और देशी अध्यापकों के ऊपर कॉलेज का एक अफसर रखने का प्रबन्ध हुआ और कर्मचारियों की बाहर के मुशियों से पढ़ने की प्रथा बंद कर दी गई । विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक पुस्तकालय स्थापित करने और उसके लिए छपी हुई पुस्तकें तथा हस्तलिखित ग्रन्थ खरीदने की व्यवस्था हुई । इस कार्य के लिए बन और अँगरेजी सेना द्वारा कोर्ट को भेट-स्वरूप भेजे गए ट्रीपू सुलतान के पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थ वेलेजली ने कपनी के संचालकों से माँगे, जिनकि लंदन में रखने के बजाय कॉलेज में उनका अच्छा उपयोग हो सकता था । जिन विषयों के प्रधानाध्यापक ( प्रोफेसर ) भारतवर्ष में ही मिल सकते थे उन्हें वही से रखने तथा अन्य विषयों के प्रधानाध्यापकों को यूरोप से बुलाने का उन्होंने विचार किया । कॉलेज के प्रधानाध्यापक और अध्यापक कॉलेज के विद्यार्थियों के अतिरिक्त और किसी को नहीं पढ़ा सकते थे । यह प्रतिबन्ध उन्होंने इसलिए लगाया ताकि भारत में रहने वाले यूरोपीय लोग अपने बच्चों की शिक्षा यूरोप न भेज कर यहाँ शुरू न कर सके । अन्त में वेलेजली ने कोर्ट को यह सूचित कर कि आगामी नववर से कॉलेज का कार्य शुरू हो जायगा, उसके सामने भविष्य में समस्त कर्मचारियों को फोर्ट विलियम कॉलेज के विद्यार्थी बना कर भेजने का प्रस्ताव रखता । उस समय कोर्ट उनकी नियुक्ति के स्थानों का उल्लेख भी कर सकता था लेकिन उन्होंने यह कार्य मारतीय सरकार के हाथ में ही छोड़ देना

अच्छा समझा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार पद दिया जा सकता।

मंचालकों की स्वीकृति बिना मिले ही वेलेजली ने कॉलेज क्यों खोल दिया इसका उन्होंने स्वयं उत्तर दिया है। ऐसा करने के तीन कारण थे। पहला, कॉलेज की आंशिक आयोजना ही कार्य-रूप में परिणत करने से तात्कालिक लाभ पहुँचने कोट की स्वीकृति की उन्हे पूर्ण आशा थी। दूसरा, ऑर्सिटल सेमिनरी में गिलक्राइस्ट विना मिले कॉलेज द्वारा शिक्षित विद्यार्थियों से शासन को जो लाभ पहुँचा था वह उनके सामने स्पष्ट था। तीसरा, वे चाहते थे कि पिछले तीन वर्ष में आए हुए कर्मचारी भी कॉलेज से लाभ उठा सके। साथ ही अपनी प्रिय संस्था के प्रारम्भिक सचालन की देखभाल करने और जो बीत्र उन्होंने बोधा था उसे अकुरित होते देखने की उनकी प्रबल उत्कंठा थी।

अस्तु, वेलेजली की आयोजना के अनुसार प्रत्येक कार्य शुरू हो गया। १८ सितंबर, १८०० को प्रधान सरकारी मंत्री जी० एच० बालों ने मेडिकल बोर्ड की कैप्टेन वायट द्वारा कॉलेज की अध्यक्षता, करने और वह स्थान स्वास्थ्यप्रद है या नहीं इस सम्बन्ध में लिखा। प्रधानाध्यापक, मुंशी उसके स्वास्थ्यप्रद न होने पर दूसरा स्थान निश्चित करने का उनका आदि विचार था। २३ सितंबर को मेडिकल बोर्ड के द्वितीय सदस्य जे०

फ्लेमिंग ने अपने पत्र में गार्डन रीच स्वास्थ्य-प्रद बताया। इसलिए अक्टूबर, १८०० को बालों ने बोर्ड ऑवरेन्यू को गार्डन रीच में जितने किसान रहते थे उनकी एक सूची तैयार करने और उन्हे वहाँ से हटाने का प्रबंध करने के लिए लिखा। २१ नवंबर को बोर्ड ऑवरेन्यू ने सरकारी मंत्री को चौबीस परगना के कलकटर के पास प्रस्तावित ज़मीन का मूल्य निर्धारित करने और कॉलेज के लिए एक नई सड़क बनाने के लिए एक एजीनियर भेजने की सूचना दी। सरकारी मंत्री ने अपने २७ नवंबर के उत्तर में बोर्ड ऑवरेन्यू को उक्त कार्य के लिए एक एजीनियर भेजना स्वीकार किया। १६ अक्टूबर को फ्लोर्ट सेंट जॉर्ज और बम्बई के गवर्नरों को यह सूचना भेजी गई कि १७६८ में आए हुए कपनी के कर्मचारियों में से जो चाहे उन्हे फ्लोर्ट विलियम कॉलेज में दाखिला कराने की आज्ञा दे दी जाय। दोनों स्थानों से कॉलेज में पढ़ना चाहने वाले विद्यार्थियों की सूचियाँ भेज दी गईं। २० अक्टूबर को गवर्नर-जनरल ने अपनी एक मिनिट्स द्वारा कर्मचारियों को मुंशियों के लिए दिया जाने वाला रूपया बन्दकर देने की आज्ञा दी। लेकिन यह रकम कॉलेज के हिसाब में जमा कर देने और गिलक्राइस्ट का वेतन, पुरस्कार और मुंशियों का भत्ता देने में जो रकम खर्च हुई थी उसे कॉलेज के नाम लिख देने की आज्ञा प्रदान की। १७ अक्टूबर को रेवरेंड डी० ब्राउन, प्रोवोस्ट, ने किताबों का बिल बना कर सरकारी मंत्री के पास भेज दिया। ४ नवंबर को वह सरकारी विज्ञप्ति निकाली गई कि ४ मई, १७६७ और ३१ दिसंबर, १७६८ के बीच में आए हुए बंगाल के जो कर्मचारी कॉलेज में दाखिला कराना चाहे करा सकते हैं। १० नवंबर से कुछ दिन पहले फ्लोर्ट सेंट जॉर्ज के सरकारी मंत्री ने मालाबार के कर्मचारियों के सम्बंध में

हों के कमिशनरों को पत्र लिखे। ४ दिसंबर को बोर्ड ने प्रोवोस्ट के पास कॉलेज के वेद्यार्थियों के लिए राइटर्स बिल्डिंग्स ले लेने के सम्बन्ध में पत्र लिखा। राइटर्स बिल्डिंग्स क अतिरिक्त मेसर्म ग्रोर्ड ऐंड नॉक्स के कुछ मकान भी इसी काम के वास्ते किराए पर लेए गए। बोर्ड के ३० दिसंबर के प्रस्ताव के अनुसार शरअ़ मुहम्मदी और अरबी, फारसी और हिन्दुस्तानी भाषाओं के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इन सब प्रबन्धाके अतिरिक्त विद्यार्थियों के रहने, खाने-पीने आदि सभी वार्ताओं का प्रबन्ध किया जाने लगा। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता, राजशाही, मैमनसिंह, जौनपुर, पटना, भागलपुर, सारन, चटगाँव, माल्दा, ढाका, मुर्शिदाबाद, रङ्गपुर, मद्रास, बम्बई तथा कपनी द्वारा अधिकृत भूमिभाग में अन्य स्थानों से कर्मचारी आने लगे और वड़ी धूमधाम से कॉलेज का काम शुरू हो गया।

१८ अगस्त, १८०० की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति अपने विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए—

रेवरेंड डेविड ब्राउन

प्रोवोस्ट

रेवरेंड क्लोडियस ब्यूकैनैन

वाइस प्रोवोस्ट

### प्रधानाध्यापक ( प्रोफेसर )

लेफ्टिनेंट जॉन बेली

अरबी भाषा और शरअ़ मुहम्मदी

लेफ्टिनेंट कर्नल बिलियम कर्कपैट्रिक,  
फ्रासिस ग्लैड्विन और एन० बी०  
एडम्सन्सटन

} कारसी भाषा और साहित्य

जॉन वौर्थविक् गिलक्राइस्ट  
जॉर्ज हिलैरी बालों

हिन्दुस्तानी भाषा  
गवर्नर-जनरल द्वारा पास किए गए  
कायदे-कानून  
प्राचीन ग्रीक, लैटिन और अँगरेजी  
साहित्य ( क्लैसिक्स )

रेवरेंड क्लोडियस ब्यूकैनैन

१८ सितंबर की विज्ञप्ति में कौसिल के सदस्यों के नाम प्रकाशित हुए—

रेवरेंड डेविड ब्राउन, प्रोवोस्ट

}

रेवरेंड क्लोडियस ब्यूकैनैन, वाइस प्रोवोस्ट

} कॉलेज-कौसिल

जॉर्ज हिलैरी बालों

एन० बी० — , और

लेफ्टिनेंट कर्नल बिलियम कर्कपैट्रिक

प मे, ६ जनवरी, १८०१ से रखा।<sup>१</sup> १५ नवंबर, १८०० को प्रोवोस्ट ने अर्ही, शरसी और हिंदुस्तानी भाषाओं पर व्याख्यान, निम्नलिखित कम से, सोमवार, २४ नवंबर शुरू हो कर वर्ष ( १८०० ) के अंत तक रहने की सूचना निकाली —

अरवी—सोमवार और बृहस्पतिवार, १० बजे ; पहला व्याख्यान सोमवार, २४ नवंबर को ।

फारसी—मंगलवार और शनिवार, १० बजे । पहला व्याख्यान मंगलवार, २५ नवंबर को ।

हिंदुस्तानी—बुधवार और शुक्रवार, ६ बजे । पहला व्याख्यान बुधवार, २६ नवंबर को ।<sup>२</sup>

रेग्यूलेशन के अनुसार विजिटर ने फोर्ट विलियम कॉलेज के विधान ( स्टैड्टर्स ) का प्रथम परिच्छेद स्वीकृत किया और वे उनकी आज्ञानुसार प्रोवोस्ट द्वारा १० अप्रैल,

१८०१ में लागू हुए। इन नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को दाखिला

कॉलेज के विधान के समय कॉलेज की नियमावली का पालन और उसके वेभव, का प्रथम परिच्छेद ख्याति और हिंतों के अनुकूल आचरण करने की शपथ लेनी पड़ती

थी। शपथ लेने के बाद ही उनका नाम रजिस्टर में लिखा जा सकता था। प्रधानाध्यापकों ( प्रोफेसरों ) और बड़े-बड़े अफसरों को मो पद ग्रहण करते समय अन्य बातों के साथ ईसाई धर्म की रक्षा और उसके प्रचार करने की शपथ लेनी पड़ती थी। इनके अतिरिक्त कॉलेज के पक्षों, व्याख्यान और परीक्षाओं, डिस्पूटेशन्स ( बाद-विवाद, ६ ) प्रमाणपत्रों और उपाधियों, प्रोवोस्ट और कौसिल के अधिकारों, विद्यार्थियों के खाने-पीने के प्रबंध और उनकी उधार लेने की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने

<sup>१</sup> 'ऐशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर', १८०१, लंबन ( १८०२ ), पृ० ३१-३२ । अन्य विषयों के यूरोपीय अध्यापक दस्त प्रकार थे—

विलियम कैरे बंगला और संस्कृत

जेस्ट डिन्विडी, एल०एल०डी० गणित

दु चॉसी आधुनिक भाषाएँ

जस्टसडन कारसी विभाग के सहायक अध्यापक

रॉथमैन कॉलेज कॉलिक के मंत्री

— 'वेलेजली डेस्पैचेज़', जि० २, परिशिष्ट, पृ० ७३५

हारिंगटन व्यायाम स्कूल और आईन पढ़ाते थे ।

युह में औसठ विद्यार्थियों का कॉलेज में दाखिला हुआ। उनमें से कुछ ने आगे चल कर बड़ा नाम पैदा किया ।

६ जनवरी, १८०१ को ऐडवर्ड हक्केंट वारिंग हिंदुस्तानी विभाग में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए ।

२७ नवंबर, १८०१ को मज़हर अली खाँ की हिंदुस्तानी विभाग में नियुक्त हुए ।

<sup>२</sup> 'ऐशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर' १८०१, लंबन ( १८०२ ) पृ० ४४

के सबध म विविध नियम बने १६ अप्रैल को गवर्नर-जनरल ने विभान की एक प्रति बोर्ड के पास भेजी जिस पर बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी ।<sup>१</sup>

२६ अप्रैल, १८०१ के अविवेशन में कौंसिल<sup>२</sup> ने फारसी, अरबी, हिंदुस्तानी आर बैंगला विभागों में एक-एक मीर या प्रधान (चीफ) मुंशी, एक-एक सहायक (सेकेड) मुंशी और विद्यार्थी की संख्या देखते हुए आवश्यकतानुसार अन्य मुंशी रखने जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। परतु कुल मिलाकर, प्रधान और सहायक मुंशियों सहित, प्रधान से अधिक नहा रखने जा सकते थे। उनका पूरा विवरण और उनके वेतनों का लेखा इस प्रकार है—

प्रधान (चीफ) मुंशी	फारसी	१ मुंशी, वेतन, २०० सिवका रुपए मासिक
	हिंदुस्तानी	१ " " " २०० " " "
	बैंगला	१ " " " २०० " " "
	अरबी	१ " " " २०० " " "
सहायक (सेकेड) मुंशी	फारसी	१ मुंशी, वेतन, १००
	हिंदुस्तानी	१ " " " १०० " " "
	बैंगला	१ " " " १०० " " "
	अरबी	१ " " " १०० " " "

<sup>१</sup> क्रो० वि०, १६ अप्रैल, १८०१, दो०, प०, ओ० सी० ज० १, २, ४० रे० डि०

कोलंब के चार पक्ष द्वारा प्रकार रखने गए—

पहला, ६ फरवरी से लेकर मार्च के अंत तक,

दूसरा, ४ मई से लेकर जून के अंत तक,

तीसरा, १ अगस्त से लेकर सितंबर के अंत तक, और

चौथा, १ नवंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक।

दो परीक्षाएँ होती थीं—दूसरे और चौथे पक्ष के अंत में। एक या एक से अधिक पूर्वीय भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य था। कुल शिक्षाविधि बाह्य पक्षों की अर्थात् तीन साल की थी। इस अवधि के अंत में उसीए हुए विद्यार्थीयों को प्रमाणपत्र इत्यादि दिए जाते थे। किसी पूर्वीय भाषा या साहित्य या साहितीय धर्मशास्त्र या शरद्यु सुहम्मदी में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक 'डिप्री ऑफ ऑनर' दी जाती थी। प्रमाणपत्र मिलने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को यह दिखाना पड़ता था कि उसे किसी का अलग नहीं देना।

२३४ अप्रैल, १८०१ में प्रोवोस्ट, बाह्य-प्रोवोस्ट के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल ने कौंसिल के नियन्त्रित सदस्य नियुक्त किए—

ओ० हेकरी वेक्ट्रासी, ओ० पूष० बालों और एन० ली० एडम० मूर्टन

मुंशी

फ्रारसी	२० मुंशी वेतन	४० सि० रु० मा०	८००
हिंदुस्तानी	१२ , , ,	४० , , ,	४८०
बैगला	... ६ , , ,	४० , , ,	२४०
अरबी	.. <u>४</u> , , ,	४० , , ,	<u>१६०</u>
	<u>४२</u>		<u>१६८०</u>
	<u>५०</u>		<u>२८८०</u>

कौसिल ने इसी अधिवेशन में व्याख्यानों के दिन भी बदल दिए—

फ्रारसी और अरबी ... मोमवार और बृहस्पतिवार

हिंदुस्तानी ... मगलवार और शनिवार

बैगला ... बुधवार और शुक्रवार<sup>१</sup>

<sup>१</sup> फ्र० च० २६ अप्रैल, १८०१, हो०, मि०, जि० १, २६ अप्रैल, १८०१  
—४ सितंबर, १८०४, पृ० १०३, ह० १०० डि०

मुंशियों के विषय में इस प्रकार का विवरण बर्णन मिलता है—

“मुंशी मुसलमान ही होते हों, यह बात नहीं है; हिन्दू मुंशी भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। इनका कार्य न तो पर पराया त है और न किसी लंगदाय या उसकी किसी जाति तक ही सीमित है। साधारणतः मुंशी लोग इस बात की बहुत कोशिश करते हैं कि उनके लड़के पढ़ाने योग्य बन जायें। लेकिन इन महापूर्ण कार्य के लिये उन्हें ऐसे अनेक धनी व्यक्तियों का सुझावदाता करना पड़ता है जो अपने लड़कों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। इसमें खार्च ज़रूर थांडा अधिक पड़ता है, पर मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। मुंशियों का साधारण ज्ञान बहुत सीमित होता है। कुरान के लंबे लंबे उद्दरण सुनाने और फ्रारसी भाषा की जो कुछ किताबे भारतवर्ष में मिलती हैं उनके साधारण ज्ञान, अधिकतर महापुरुषों की जीवनियों या हाकिज़ को कविताओं के ज्ञान के अतिरिक्त सुन्दर लिखना, ग्रांतीय झरणों की जानकारी रखना, और हस्तबिंदित दोथियों की, जिनका पाठ लगभग पढ़ी जा सकने वाली अँगरेज़ी रचनाओं की भाँति अस्पष्ट होता है, अनेक रूप समझाने के लिये प्रस्तुत रहना, इस इतनी ही बातें पूर्व में विद्वान् कहलाए जाने के लिये ज़रूरी कही जा सकती हैं! विज्ञान की आर वे न केवल ध्यान ही नहीं देते, बरिक धूमा करते हैं।

“मुंशी प्रति विन बारते के बज्रन से खाना खाने के बज्त तक पढ़ाता है; और, कभी-कभी शाम को भी। उसका वेतन उसके स्वामी के पद या उत्साह पर निर्भर रहता है; इस कृपा से लंकर चालीस या पैंतालीस रुपए मासिक तक। वह सब नौकरों का अधान समझा जाता है। दूसरे नौकर उसकी बड़ी इज़ज़त करते हैं। अधिक उदार विद्यार्थियों में से बहुत-से तो उसे जूता पहने ही करने में आ जाने देते हैं। क्योंकि यदि कोई दूसरा नौकर जूता पढ़ने कर्मर में चला आवं तो घृणा और अनादरसचक समझा जाने के कारण उसे कठोर दंड दिया जाता है।

“सहकारी विभागों में जो सैकड़ों मुंशी काम करते हैं उनका आम तौर से बहुत ही कम वेतन होता है। इसी के सुधारिक वं अपनी पोशाक की तरफ से बेखबर रहते हैं। वे वह तो कोई अधिक सम्मानित व्यक्त हात हैं और व उनके जानकारी ही बहुत अच्छी रहती है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुमार ४ मई, १८०१ की बैठक में फ़ारसी, हिंदुस्तानी, बगला और सस्कृत, और अरबी के प्रधान (चीफ) सुंशी, सहायक (सेकेड) सुंशी, मौलवी और मुशी अर्थात् कॉलेज के अध्यापक नियुक्त हुए। हिंदुस्तानी भाषा के निम्नलिखित अध्यापक थे—

प्रधान ( चीफ ) सुंशी ...	मीर बहादुर अली ...	मासिक वेतन, २००	सिक्का रुपए
सहायक (सेकेड) सुंशी ...	तारिखी मित्र	...	१००
सुंशी .	मुर्तजा खाँ	..	४०
" ....	गुलाम अकबर	....	४०
" ....	नसरल्लाह	...	४०
" ....	मीर अम्मन	...	४०
" ....	गुलाम अशरफ	..	४०
" ....	हिलालुदीन	....	४०
" ....	सुहम्मद सादिक	....	४०
" ....	रहमतुल्लाह खाँ	....	४०
" ....	गुलाम गँौस	...	४०
" ....	कुन्दनलाल	...	४०
" ....	काशीराज	..	४०
" ....	मीर हैदरबख्श	....	४०

केवल रविवारो को छोड़ कर, प्रधान ( चीफ ) और सहायक ( सेकेड ) सुंशियों को छुट्टियों में भी कॉलेज में सुबह १० बजे से १ बजे तक उपस्थित रहना पड़ता था, ताकि विद्यार्थी जब चाह तब उनसे मदद ले सके। छुट्टी उन्हें केवल प्रोवोस्ट ही मंजूर कर सकता था। जितने भी मुशी थे वे सब चीफ सुंशी के भातहत थे। इस प्रबंध के अनिरिक्त कौसिल ने यह व्यस्था भी रखी कि विद्यार्थी, यदि जरूरत हो तो, कॉलेज के अध्यापक-वर्ग से बाहर के अध्याकों से भी काम ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं अध्यापकों से जिन्हे अधिकारियों की तरफ से पढ़ाने का प्रमाणपत्र मिल चुका हो। कॉलेज में जितने भी मौलवी और मुशी रखे गए उन में लगभग सभी अँगरेजी भाषा से अनभिज्ञ थे। इसलिए प्रत्येक विभाग के प्रधानाध्यापक ( प्रोफेसर ) को कौसिल की उनके संबंध की सब बातें अनुवाद कर उन्हें बतानी पड़ती थीं। परीक्षक भी कौसिल नियुक्त करती थी। कौसिल की इस बैठक में जी० एच० बालों, एन० बी० एडमॉन्सटन और एच० ट्री० कोलम्बक कॉलेज के दूसरे पक्ष के अंत में होने वालों परीक्षा के परीक्षक और प्रधान ( चीफ ) और सहायक ( सेकेड ) सुंशी उनके सहायक नियुक्त हुए। किसी विशेष कार्य की विवशता के कारण जब तक उन्हें पदल्याग न करना पड़े तब तक एक बार नियुक्त किए हुए परीक्षक ही बने रहते थे।

किसी संबोधित व्यक्ति की उपाधियों से अच्छी तरह परिचित होना, ( देशी लोगों में, खाली तौर से बड़े लोगों में, डापाधियों के द्रष्टि स्पर्द्धा देख कर बड़ा ताजुब होता है। किसी लंबी विवाहित का इन भाग सो डबड़ी उपाधियों से मर जाता है ), और तेज़ पड़ने के साथ साथ उसी लिखना उनके सबसे अच्छे गुण समझे जाते हैं।

पॉलेज की पहली परीक्षा १८ जून, १८०१ से ३० जून, १८०१ तक रही। ६ जुलाई १८०१ को उसकी रिपोर्ट अधिकारियों के पास भेज दी गई।<sup>१</sup> १० अप्रैल, १८०१ वाले विधान के पांचवें नियम (परीक्षा-संबंधी) के अनुसार कोई भी विद्यार्थी अपनी किसी विषय की विशेष योग्यता पर पुरस्कार पाने का अधिकारी था। ऐसे पुरस्कार प्रत्येक वर्ष की चौथी मई को घोषित किए जाते थे। दूसरी परीक्षा के अत में पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों के नाम अधिकारियों के पास भेज दिये जाते थे और प्रत्येक वर्ष की ६ जनवरी को पुरस्कार वितरित कर दिए जाते थे। थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ बहुत दिनों तक यह व्यवस्था बनी रही। विद्यार्थियों को सुलेख लिखने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भी पुरस्कार रखे गए और इस कार्य के लिए फ़ारसी-सुलेखक क़ल्पन अली और नागरी-सुलेखक सुन्दर पढ़ित नियुक्त हुए। इनका मासिक बेतन २० मिनट का रूप था। देशी भाषाओं में सुन्दर साहित्यिक रचना करने पर सुशिया और मोलवियों को भी उचित पुरस्कार दिया जाता था।<sup>२</sup> विद्यार्थियों के लिए देशी भाषाओं से कितावें नकल कराई जाती थी। इसमें खर्च बहुत होता था। इसलिए १८०१ में कौसिल ने यह नियम बनाया कि प्रधानाध्यापक स्वयं विभिन्न पुस्तकों के उपयोगी अंशों का संग्रह कर उन्हे छपावें ताकि खर्च भी कम हो और विद्यार्थियों के लिए पुस्तके भी सुलभ हो जायें। छपाने से पहले संग्रह उन्हें कौसिल के पास निरीक्षण और स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता था। कौसिल के इस नियम से देशी भाषाओं के अनेक संग्रह तैयार हुए।<sup>३</sup>

इसी वर्ष हिंदुस्तानी विमाग के सुहम्मद सादिक, रहमतुल्लाह खँ, काशीराज और गुलाम जौस नामक अध्यापकों के स्थान पर सैयद जाफ़र, सुहम्मद तकी, सुवारक सुहीउद्दीन और असद अली खँ नामक अध्यापकों की नियुक्ति हुई। पहले चार अध्यापकों ने अपनी जगहें कठोर इतनी जल्दी छोड़ दीं, इसका कोई विशेष कारण जात नहीं।<sup>४</sup>

यह फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के जन्म की कहानी है। जिस दिन भारतवर्ष में ऑगरेज़ी सत्ता का विकास हुआ उस दिन की कीर्ति स्मरणीय बनाए रखने में उसका महत्व है।

“भाषाओं का अध्ययन करने वाले सज्जन के सुंशी के पास साधारणतः एक लड़का नौकर रहता है जो बर से आगे-जाने के बड़त उसके लिखने का सामान पकड़े रखने के साथ अपने स्वामी के ऊपर लगाता लगाता है। इनमें से बहुत-से लड़के अपने स्वामियों की मेहनत और कृपा से दूटी-कूटी फ़ारसी भाषा जान जाते हैं और बड़तरों में नौकरी करने के लिए धर्थेष्ट पड़ता और लिखना सीख लेते हैं। कुछ तो वही आराम की और ऊँची जगहों पर पहुँचते सुने गए हैं।

—चालस डॉयले और कैप्टेन टॉमस विलियम्सन : ‘दि यूरोपियन इन इंडिया’,  
लंदन, १८१३

<sup>१</sup>फ़ो० वि०, ४ मई, १८०१, हो० मि०, जि० १, पृ० ४-८, ह०० रे० डि०

<sup>२</sup>फ़ो० वि०, ५० जून और ७ जुलाई, १८०१, हो०, मि०, जि० १, पृ० १३ कमानः ६ और १२, ह०० रे० डि०

<sup>३</sup>फ़ो० वि० २ अप्रैल १८०१, हो०, मि० जि० १, पृ० १४ १५, ह०० रे० डि०

किसी भी रूप में विज्ञा-दान करने वाले को यदि संसार के इतिहास में यश प्राप्त हो सकता है तो वेलेज्जती पूर्णरूप से उसके भागी हैं। अपनी हृदयत प्रिय आयोजना को मूर्त-रूप देने के लिए जो बीज उन्होंने बोया था उस में विशाल वर्ष-वृक्ष छिपा हुआ था। उसे अंकुरित होते देख कर उनके हृदय में आनन्द, उत्साह और पूर्ण आशा का सचार हुआ। परंतु क्या अच्छा होता यदि मनुष्य के लिए भविष्य बोधगम्य होता !

## बंगाल सेमिनरी

१२ अगस्त, १९०२ को लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम से डेविड स्कॉट को एक निजी पत्र लिखते हुए कहा था : 'दि कॉलेज मस्ट स्टैड, और दि कॉलेज और साम्राज्य एम्पायर मस्ट फ़ॉल'। बाद के कुछ इतिहासकारों ने लिखा था : 'दि एम्पायर स्टैड्स ऐड दि कॉलेज हैज़ फ़ॉलेन'। परंतु यदि वास्तव में देखा जाय तो 'नन हैज़ फ़ॉलेन, वोथ स्टैड'। कोर्ट के डाइरेक्टरों की नीति के फलस्वरूप वेलेजली को बृहत् आयोजना के अनुसार कॉलेज का रूप बना न रह सका और आगे चल कर लगभग पचास वर्ष के बाद उन्हें कॉलेज का अस्तित्व भी विलीन हो गया, यह ठीक है। किंतु उचालको ने वेलेजली का फोर्ट विलियम कॉलेज प्रदण न कर वेलेजली की नीति ग्रहण की और उसी से आज भारत में अंगरेजी साम्राज्य की भत्ता बनी हुई है।

वेलेजली के शासन-सूत्र ग्रहण करते समय अपनी के कर्मचारियों की कितनी शोचनीय अवस्था थी और कोर्ट के डाइरेक्टरों की उदासीन नीति का कॉलेज के संरंध में वेलेजली का पत्र-व्यवहार और विभिन्न भ्रष्टाचारों की दशा सुधारने के लिए कितना अर्थक परिश्रम किया यह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के अंतिम इतिहास में दिखाया जा सुका है। कॉलेज की स्थापना कर्मचारियों के लाभ तथा भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की नई सुदृढ़ बनाने के लिए की गई थी। ३ सकी आयोजना वेलेजली जैसे महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ के मस्तिष्क की उपज थी। सचालको की स्वीकृति विना मिले उनकी आयोजना के अनुसार कॉलेज का प्रत्येक कार्य शुरू भी हो गया था। परंतु इससे हम उन्हें स्वेच्छाचारी शागक नहीं कह सकते। वास्तव में वे कॉलेज को सुसार का सर्वोक्तुष्ट शिक्षा-केन्द्र बनाना चाहते थे और अपनी सर्वप्रिय आयोजना को पल्लवित और पुष्टि देखने की उनमें इतनी प्रबल उक्ता थी कि वे सचालको की स्वीकृति प्राप्त करने तक का धैर्य धारण न कर सके। साम्राज्य-हित की जिस उत्कृष्ट हृच्छा ने कॉलेज-संस्था के विचार को जन्म दिया था उस विचार को कार्यलय में परिणत करने की आतुरता वेलेजली जैसे व्यक्ति के लिए ज्ञान्य है। जिस संस्था के संबंध में उनका विचार था कि :

<sup>1</sup> क्रमशः 'कॉलेज बना रहना चाहिए, नहीं तो साम्राज्य का पतन हो जायगा',

'बचा रहा और कॉलेज का पतन हो यम 'किसी का पतन नहीं हुआ दोनों बने हुए है'।

“शार्त स्थापित हो जाने पर समस्त संसार इस संस्था के विषय में विचार करेगा। वर्तमान परिस्थिति में चाहे जो कुछ हो, परतु इसके उद्देश्यों का प्रचार करने से और इसके भविष्य पर विचार करने तथा इसके यश की विमल पताका फहराने से विद्युति विद्या हितों और चरित्र को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हमारे अपने देश को इस संस्था की विशेष आवश्यकता, इस देश में इसका विशेष स्थान, एशिया के अधिकार में इसका प्रकाश और यूरोप के मुहूर्दसमाज में इसका नवीन रूप—ये सब वाते शीघ्रातिशोध इस संस्था का महत्व सिद्ध कर इसे ऐसी ढढ़ नींव पर स्थापित कर सकेगी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को हटाए बिना कोई हिला नहीं सकता।”<sup>१</sup>

ऐसी संस्था के सबंध में उन्हें पूर्ण आशा थी कि सम्राट्, सचालकगण तथा अन्य सभी अनुभवी शासक कंपनी के कर्मचारियों का सुधार करने वाली आयोजना सहर्ष स्वीकार करेंगे। इसी आशा से प्रेरित होकर उन्होंने सचालकों के पास अपने ‘नोट्स’ जरा देर से भेजे। साथ ही उन्होंने कॉलेज-संबंधी अपने ‘नोट्स’, विधान इत्यादि अनुभवी राजनीतिज्ञों के पाल उनकी सम्मत्यर्थ भेजे थे। पिट को एक पत्र लिखते समय विल्वफोर्स ने वेलेजली की आयोजना की सराइना करने के साथ-साथ उनसे कॉलेज के विद्यार्थियों के अभ्यास-कार्य की पुस्तक सम्राट् को भेट-स्वरूप देने का अनुरोध किया था।<sup>२</sup> १८ अगस्त, १८०० को वेलेजली ने लॉर्ड टेनमर्थ को एक पत्र में सिविल सर्विस की बुराइयों और कठिनाइयों की ओर निर्देश करते हुए लिखा था—

“ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस के सुधार-कार्य के सबष में कौटिल द्वारा स्वीकृत विधान की एक अति मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इस विधान के उद्देश्य का अत्यधिक सार्वजनिक महत्व होने से मुझे भी इस संस्था की, जिसकी स्थापना करना मेरा कर्तव्य था, सफलता का उतना ही अधिक ध्यान है। मैंने कोर्ट के डाइरेक्टरों से प्रार्थना की है कि वे संस्था की आयोजना के सबंध में इसके सिद्धातों का परिचय देने वाले मेरे निजी ‘नोट्स’ आपके पास भेज दे। यदि आप इस रोचक विषय में मुझसे सहमत हो तो सभापति या कोर्ट को सबोधित करते हुए आपके एक सार्वजनिक वक्तव्य से इगलैंड में इस संस्था को अत्यधिक प्रभावशाली रूप में सहायता पहुँच सकेंगी।

“आप सिविल सर्विस की प्रारम्भिक अवस्था की बुराइयों और कठिनाइयों पर अत्यत योग्यता और प्रतिष्ठा के साथ विजय पा लुके हैं। इसलिए आपसे बढ़ कर इस संस्था का मूल्य और कोई नहीं आँक सकता। इस नियम पर, जिसे मैं आपके पास भेजने का साहस कर रहा हूँ, आपकी सम्मति अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।”<sup>३</sup>

<sup>१</sup> आर० आर० पीथर्स; ‘मेम्बायर्स एंड कॉरिसपौडेंस ऑव दि मोस्ट नोविल रिचर मार्किस वेलेजली’, जि० २ लंदन, १८४६, पृ० २०५-२०६

<sup>२</sup> वही, पृ० २००-२०१

<sup>३</sup> लॉर्ड टेनमर्थ ‘मेम्बायर्स ऑव दि बाइक एंड कॉरिसपौडेंस ऑव जॉन सोहै टेनमर्थ’, जि० २, लंदन, १८४६, पृ० २५-२६

३० मार्च, १८०१ को लॉर्ड टेनमथ ने ग्रांड महोदय के नाम एक पत्र लिखत समय अपने विचार प्रकट किए। उनका कहना है : कंपनी के कर्मचारियों की शुटिपूर्ण शिक्षा-पद्धति के सबध में लॉर्ड वेलेजली के जो विचार हैं उनका मेरे अपने और लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुभव से पूर्ण समर्थन होता है। कर्मचारियों में प्रचलित दोषों से सरकारी मशीन के गिर जाने या समय-समय पर साफ करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। किसी भी सरकार को अपने कर्मचारियों के ही गुण या दोषों से वश या अवश्य प्राप्त होता है। यह बात भारतीय शासन-व्यवस्था के सबध में पूर्णरूप से लागू होती है। आज कंपनी के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अब तो एक अपार जनसमूह का सुख, उसकी शाति और समृद्धि, कंपनी के कर्मचारियों पर ही निर्भर है। भारत में ब्रिटिश चरित्र का दिन-पर-दिन पतन होता जा रहा है। अतः इस समय प्रतिभाशाली और गुणसंपन्न व्यक्तियों के हाथों में शासन-भार सौंपने से ही भारतीय जनता को शांति आर राज्य-व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त हो सकेगी। यह कार्य दूरदर्शिता और समर्थित प्रयास से हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा, भारतीय साहित्य एवं विभिन्न भाषाओं का अध्ययन तथा साधारण ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इन आवश्यकता की पूर्ति के लिए फ़ार्ट विलियम कॉलेज एक उपयुक्त साधन है।

किन्तु वेलेजली के अन्य सभी विचारों का समर्थन करते हुए लॉर्ड टेनमथ उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं थे। प्रथम, भारतीय रीति-रस्मों और आचार-विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लॉर्ड टेनमथ कॉलेज में अध्ययन करने की अपेक्षा जनता के साथ संपर्क बढ़ाना अधिक उपयोगी समझते थे। दूसरे, लॉर्ड टेनमथ बंगाल, मद्रास और ब्रह्मपुर के विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही केंद्रीय शिक्षा-संस्था के पक्ष में नहीं थे। आयोजना की सफलता के संबध में उनका मत था कि यह बहुत कुछ गवर्नर-जनरल तथा कॉलेज के अन्य पदाधिकारियों की सतर्कता, सच्ची लगन, अनवरत परिश्रम और देख-रेख पर निर्भर है। अब श्रा तो उन्होंने वहीं समझा कि कॉलेज के उद्देश्यों की यथेष्ट पूर्ति तक मार्किस वेलेजली भारतवर्ष में ही रहते। उस समय उनके सब सदैह दूर हो जाते। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कॉलेज का काम करने से जी चुराते। अतः मेरे वेलेजली की आयोजना के सब पहलुओं पर गंभीरता-पूर्वक विचार करते हुए लॉर्ड टेनमथ ने उनकी प्रतिज्ञा की अत्यत प्रशस्ता की। ऐसे एक अनुभवी शासक का सहयोग प्राप्त कर वेलेजली को बड़ा सुख हुआ।<sup>१</sup>

सैनिक दृष्टि से कॉलेज जैसी एक संस्था की आवश्यकता बताते हुए कैप्टेन रामरूसन ने रेवरेड हॉलिडियस व्यूकैनैन के पास एक पत्र में लिखा था :

“मेरे तुच्छ विचार में इस संस्था की स्थापना करने में सरकार का प्रधान उद्देश्य नवयुवक अफसरों को हिंदूस्तानी और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा देने के साथ-साथ जिन सैनिकों का उन्हें नेतृत्व करना है उनके चरित्र, प्रकृति, रीति-रस्मों तथा धार्मिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। इस बात की आवश्यकता का प्रत्येक विचारबान व्यक्ति अनुभव करेगा। और विशेष रूप से उस समय जब कि

नवयुवक कर्मचारी हस देश में आते ही सेना में अपने अपन पदों पर नियुक्त कर दिए जाते हैं आर उनकी तरफ़की भी हो जाती है।

“ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने नवयुवकों को देर से अपने-अपने पदों पर नियुक्त करने की आवश्यकता का अनुभव किया है, और माथ वी एक ऐसी संस्था की स्थापना करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं, चित्तम भी है। वह एक ऐसी प्रणाली अपनाना चाहती है जो नवयुवकों को आगे आर भी सुवार का ग्रवलर देकर अपनो-अपनी सेना में पहुंच कर यश सचित करने और जिस कार्य पर नियुक्त हों उसे मरी भाँति सपादित करने योग्य बन सकें।”<sup>1</sup>

बेलेजली की आयोजना का समर्थन करने वाले अनुभवी और सुयोग्य शासकों में आर हेस्टिंग्ज के विचार ध्यान देने योग्य है :—

“सर्गभग नीय वर्ष पूर्व में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में फ़ारसी भाषा की शिक्षा देने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था और उसमी छोड़ी हुई प्रतियों कथनी के नवालकों के पास भेजी थीं। विश्वविद्यालय के चासलर महोदय ने उसकी प्रशंसा की थी। स्कर्गीय डॉ. जॉनसन ने उल्के तै हो जाने पर नियमावली प्रस्तुत करने का वचन दिया था। लेकिन प्रांत्साहन न निलंगने पर उरका विचार छोड़ दिया गया। इस बात का ज़िक्र कर मैं केवल यही दिखाना चाहता हूँ कि प्रस्तुत विषय पर मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह क्षणिक भावावेश का परिणाम नहीं है, वरन् यह मेरी बहुत समय से चली आ रही और निश्चित धारणा का फल है। और न मैं लॉर्ड बेलेजली से पूर्णतया सहमत होने का इससे अधिक पुष्ट प्रमाण ही दे सकता हूँ कि यहाँ हमारे साधन भिन्न थे, तो भी सैद्धांतिक रूप से उनकी आयोजना का उद्देश्य बहुत नहीं मेरा अपना ही था। मैंने इस बात की सिफारिश की थी कि नौकरी मिल जाने पर कंपनी के राइटरों को यूरोपीय ज्ञान की शास्त्राओं और ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में फ़ारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए एक निश्चित रामय के लिए रोक लेना चाहिए। श्रीमान् (बेलेजली) ने एक बड़े तैमाने पर यही आयोजना प्रस्तुत की है, और बगाल उसका केंद्र बनाया है। यह तो और भी अच्छा है। क्योंकि बड़ी अवस्था दर जाने की अपेक्षा अल्पवप्सक विद्यार्थी ग्रन्थिकारियों की पूरी देख-रेख में रहने, जलवायु से अभ्यस्त होने और समाज के रहन-महन से परिचित होने का लाभ उठा सकते हैं। भापाएँ, चिशेप रूप से सर्वसाधारण में प्रचलित भाषाएँ, कम उच्च में सबसे जल्दी सीखी जा सकती हैं, क्योंकि इस अवस्था में उनके उच्चारण सीखने और उन के विचार समझने और स्मरण रखने ने बड़ी आसानी पड़ती है।”<sup>2</sup>

लॉर्ड टेनन्स और आरेन हेस्टिंग्ज जैसे अनुभवी शासकों का समर्थन ही बेलेजली आयोजना का महत्व घोषित करने के लिए यथोऽथा, परतु इतने पर भी बेलेजली ने

<sup>1</sup> वही, पृ० २०३-२०५

<sup>2</sup> “दि मार्किस बेलेजली” नामक प्रथ से उत्पन्न

इंगलैड के मंत्रि-मंडल तथा भारतीय शासन से सबध रखने वाले अन्य सुयोग्य व्यक्तियों में अपने 'नोट्स', विधान इत्यादि वितरित कर कॉलेज-स्थापना के पक्ष में सम्मतियों का संग्रह किया। और अपने-श्रपने दृष्टिकोण से प्रायः सभी ने उनके साथ सहयोग प्रकट किया। इसाई धर्म-प्रचारकों ने भी अपने धर्म-प्रचार की दृष्टि से उनकी आवंजना की सराहना की।<sup>१</sup> किन्तु, १८०१ की आठारहवी पालमेट के पांचवे अधिवेशन की ईस्ट इंडिया हाउस डिवेट में कॉलेज-संघधी जो विवाद हुआ उससे कोर्ट के डाइरेक्टरों और कुछ प्रोप्राइटरों के रुख का कुछ और ही पता चलता है। उस समय जो विवाद हुआ था वह इस प्रकार है। लॉर्ड किनेश्वर्ड ने कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा था : वह विषय कपनी के लिए अत्यंत महत्व का है क्योंकि वडे पैमाने पर बनाए जाने के कारण इसमें बहुत रुपया खर्च होगा। यह विषय अभी कोर्ट के डाइरेक्टरों के विचाराधीन है। आशा की जाती है कि वे इसे उचित रूप से आंर दूरदर्शिता के साथ तैयार करेंगे। और इस संबंध में प्रोप्राइटर उनका साथ देंगे। इस पर थी हेचमैन ने उठ कर कहा : मालूम होता है अन्य प्रोप्राइटरों की अपेक्षा अपिको भी इस संबंध में जानकारी अधिक है, नहीं तो इस विषय में आप अपना कोई भत्ता निश्चित न करते। मार्किस बेलेजली के विश्व भूठी बातें फैलाना ठीक नहीं। कॉलेज के साथ-साथ और बातों के आधार पर मार्किस को अपने शासन में अपव्यय का दोषी ठहराया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार से दोषारोपण नहीं करना चाहिए। राष्ट्र और कपनी के प्रति उनकी महान् मेवाशा से आभारी होकर हमें उनके इस अप्रत्यक्ष विरोध से उनकी रक्षा करनी चाहिए। गढ़ि गवर्नर-जनरल से असंतुष्ट होने का कोई कारण है तो उसे साफ़ साफ़ कहना चाहिए, ताकि उसका उचित उत्तर दिया जा सके। तब सभापति ने उठ कर कहा कि यह विषय अभी कोर्ट के डाइरेक्टरों के विचाराधीन है, परन्तु अभी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके।<sup>२</sup>

चार्ल्स थियोफिलस मेट्राफ १८०१ की पहली जनवरी को भारतवर्ष आए थे। उस समय कॉलेज अव्यवस्थित अवस्था में था।<sup>३</sup> इसलिए एक और तो कॉलेज का कार्य सुचारू रूप से सञ्चालित करने के लिए बेलेजली ने १० अप्रैल, कोर्ट के डाइरेक्टरों १८०१ को कॉलेज के विधान का प्रथम परिच्छेद<sup>४</sup> (फर्स्ट चैप्टर) का विशेषी रूप स्वीकृत किया, उधर दूसरी और कपनी के संचालकों की एक बड़ी सख्त उनके विश्व फृद्यत्र रच ही थी। ऐसी हालत में उनका शासन-भार ग्रहण किए रहना कठिन ही था। इसलिए १ जनवरी, १८०१ को उन्होंने पद-त्याग करने का सूचना कोर्ट के डाइरेक्टरों के पास भेज दी और दिसंबर, १८०२ या जनवरी

<sup>१</sup> १४ सितंबर, १८०१ का चार्ल्स रॉट का बेलेजली के नाम पत्र। देखिये, आर० आर० आर० पीथर्स : 'मेड्वायर्स', पृ० २६७

<sup>२</sup> 'एशियाटिक एनुअल रजिस्टर', १८०१, लंदन, १८०२, पृ० २११-२१२

<sup>३</sup> जॉन विलियम के : 'काहूज़ा और हैंडियन ऑफिसर्स', जिं १, लंदन, १८०७

पृ० ३८०-३८१

<sup>४</sup> 'एशियाटिक एनुअल रजिस्टर', १८०३ लंदन १८०२ पृ० ११ स्ट० येस्ट०

१८०३ में यूरोप के लिए रवाना हो जाने का विचार प्रकट किया।<sup>१</sup> किंतु राजनीतिक एवं सामरिक घटना-चक्र के कारण कोर्ट ने उनसे जनवरी, १८०४ तक भारत में रहने की प्रार्थना की।<sup>२</sup> इस पर बेलज़ली ने कानपुर से फिर १० जनवरी, १८०२ को राइट आॅनरेंडुल हेनरी ऐडिगटन (फ़स्ट लॉर्ड आॅफ ड्रेजरी) के नाम एक पत्र लिखा और कहा कि भारत में रहने की जो अवधि मैं अपने पहले पत्र में निश्चित कर चुका हूँ उससे अधिक वहाँ ठहरना मेरे लिए अब असमर्पित है। जब कोर्ट का मुझमें अविश्वास बढ़ता जा रहा है और वह मेरे स्थानीय शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने लगा है, साम्राज्य-हित के लिए बनाई गई मेरी आयोजनाओं को जब उसने रद कर दिया है, तब मेरा यहाँ ठहरना शासन-नीति के विवर है। और १३ मार्च, १८०२ को उन्होंने फिर बनारस से अपना पद-त्याग करने का निश्चय लिख भेजा।<sup>३</sup> इसके थोड़े ही दिन बाद बेलज़ली के आत्म-सम्मान पर कुठाराघात हुआ। कोर्ट का २७ जनवरी, १८०२ का लिखा हुआ एक पत्र उन्हें कलकत्ते में भिला जिसमें उनको एकदम कॉलेज तोड़ देने की आज्ञा दी गई। आखिर बेलज़ली का डर सच साबित हुआ। पत्र के कुछ अंश वहाँ उद्धृत किए जाते हैं:—

“फोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्थापित करने के संबंध में हमने मार्किंस बेलज़ली की आयोजना तथा कारणों पर काफ़ी विचार किया है। यद्यपि हमें मार्किंस की आयोजना का न्यायोचित मूल्य मान्य है जो उदार और कॉलेज तोड़ देने के लिए उच्च भावना से ओतप्रोत और महान् योग्यता से संयुत है; तो कोर्ट का आज्ञापन भी कपनी की वर्तमान परिस्थिति में जब कि भारत में उस पर अभूतपूर्व कर्ज़ लदा हुआ है और जब कि धनाभाव वहाँ इतना है कि जिसका पहले कभी अनुभव नहीं किया गया, और जिसके फल-स्वरूप कंपनी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है, और बहुत से काम या तो धर्या दिए गए हैं या विलकुल ही बन्द कर दिए गए हैं—हम, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए, एक संस्था की तुरत स्थापना पर जिसके कुछ अश चाहे हमें पसंद ही हो, अपनी सहमति प्रकट कर स्वीकृति नहीं दे सकते। सस्था की स्थापना से कपनी के व्यय का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह धन कपनी के हितसाधक किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है।

“इस प्रकार के बड़े-बड़े काम उठाने से पहले खर्च का लेखा लगाने को रीति चली आई है। इस कार्य के लिए यह उपयुक्त समय था ताकि हम उसके खर्च का ठीक-ठीक अनुमान लगा लेते।

“हम को बिना सूचित किए कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में गवर्नर-जनरल ने जो कारण दिए हैं उन पर हमने विशेष ध्यान-पूर्वक विचार किया है। उनकी भावना प्रशसनीय हैं। लेकिन एक स्थापित प्रणाली से विमुख होने की आशा हम कभी नहीं दे सकते। इस प्रवृत्ति से इस देश में वैधानिक रूप से संस्थापित सत्ता

<sup>१</sup> ‘बेलज़ली डेसूपचेज़’, पत्र नं० १६६, पृ० ६१४-६१६

<sup>२</sup> वही, चि० ३, भूमिका, पृ० २५

<sup>३</sup> वही, भूमिका पृ० ३ २४

को ठेस पहुँचती है। क्योंकि एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो, चाहे सरकार को उसमें विश्वास हो या अधिक खर्च होता हो, ऐसे मामलों में किर सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर शासन-सत्ता का लोप हो जाता है। इसलिए इस नियम का पालन करना भविष्य में आपका सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए।

“गवर्नर-जनरल की आयोजना पर कोई विशेष वाट-चिवाद न कर हम यह कहे बिना नहो रह सकते कि हमारी सम्मति में कपनी की वर्तमान अवस्था और परिस्थिति में यह वश से बाहर की बात है।

“दिसंबर, १७६८ में डॉ० गिलकाइस्ट ने ज्ञान की शिक्षा के लिए एक सेमिनरी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। उसी के सिद्धांतों के आधार पर बड़े पैमाने पर एक सम्मति करने से हमारी सम्मति में उन बहुत से उपयोगी कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा जिनकी आशा गवर्नर-जनरल अपनी प्रस्तावित संस्था से करते हैं। इस सेमिनरी में पढ़ने वाले सज्जनों की जून, १८०० की परीक्षा के फल से हमारी यह धारणा और भी पक्की हो जाती है। विद्यार्थियों की हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं के ज्ञान के सबध में पर्सीज्ञा एक कमेटी के सामने हुई थी जो इस कार्य के लिए नियुक्त की गई थी। उनके भाषा-सबधी ज्ञान से कमेटी ने पूर्ण सताब्द प्रकट किया था। यहाँ तक कि कुछ को नो कमेटी की आशा से कही अधिक सफलता मिली थी। इसलिए इस संस्था की पुनर्स्थापना पर विचार करने के लिए हम आपको आशा देते हैं। क्योंकि हमारी सम्मति में कपनी के बिना किसी अधिक खर्च से इसका सचालन किया जा सकता है।

“७ मई, १८०० के पत्र में हमने श्री गिलकाइस्ट द्वारा प्रस्तावित संस्था और गवर्नर-जनरल का उसे विस्तृत रूप देने का विचार जरूर पसंद किया था, किन्तु हमें यह पता नहीं था कि श्रीमान् का विचार एक ऐसी बहुत आयोजना प्रस्तुत करने का है जिसका परिचय उन्होंने अपनी अगस्त, १८०० की मिनिट्स में दिया है। उन समय हमारा भतलब केवल उन सिद्धांतों को स्वीकृति देना था जिनके आधार पर प्रचलित हिंदुस्तानी, या बोलचाल की बोली का अधिकाधिक और साधारण, और प्राचीन फ़ारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री गिलकाइस्ट की सेमिनरी का निर्माण हुआ था। इन भाषाओं के अध्ययन के साथ-साथ गवर्नर-जनरल का सेमिनरी में मारतीय प्रदेशों के शासन के लिए सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृत कायदे-कानूनों की शिक्षा देने का विचार भी मालूम होता था। इन कायदे-कानूनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हम कर्मचारियों के लिए कर्तव्य-पालन करने की हड्डि से उपयोगी ही नहीं बरन् अत्यंत आवश्यक समझते हैं, विशेष रूप से उस समय जब कि उन्होंने अपने भावी जीवन-क्रम के अनुकूल योरोप में शिक्षा प्राप्त की हो।”<sup>२</sup>

<sup>1</sup> कोर्ट के द्वारेष्टरों ने इस संस्था को ‘मिनिट्सइस्ट सेमिनरी’ के नाम से पुकारा है बास्तव में इसका नाम ‘सिपिटस सेमिनरी’ था

तत्पश्चात् कोर्ट के डाइरेक्टरों ने केवल हिंदुस्तानी, फ़ारसी और बँगला भाषाओं और मार्त्तीय प्रदेशों के सुशासन के लिए पास किए गए कायदे-कानूनों के पूर्ण ज्ञान और यूरोपीय शिक्षा पर जोर दिया है। उनका विचार था कि इन्हीं गुणों के आधार पर उनके कर्मचारी जनसाधारण और राज्य का हित-साधन करने में समर्थ हो सकेंगे। उन्होंने अपने पत्र में गणित के ज्ञान का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार वेलेजली की आयोजना पर विचार करते हुए उन्होंने निश्चय किया :

“चूँकि हमारा हम सभ्य मार्किस वेलेजली द्वारा प्रस्तावित नई कॉलेज-संस्था के निर्माण के स्थान पर श्री गिलकाइस्ट की सेमिनरी की पुनर्स्थापिना करने का विचार है, इसलिए इस पत्र के मिलने के बाद इस संबंध में जितने भी खर्च हों वे सब बढ़ कर विए जायें और इसके साथ दूसरे अहानों से बुलाए गए विद्यार्थी भी जल्दी से जल्दी वापिस भेज दिए जायें। और एक ऐसी आयोजना को जन्म देने एवं उसकी व्यवस्था करने के लिए, जो कंपनी की अच्छी आर्थिक परिस्थिति में अत्यत गमीरता-पूर्वक विचार करने योग्य थी, मार्किस वेलेजली की सार्वजनिक भावना और कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा किए विना हम यह विषय समाप्त नहीं कर सकते।”<sup>१</sup>

कोर्ट के आज्ञापत्र की अनेक विद्यार्थियों में खूब चर्चा फैली जिससे अधिकारियों का आशका हुई कि कॉलेज के तुरत स्थगित होने की बात सुन कर नवयुवक विद्यार्थियों का कही अनुशासन शिथल न हो जाय और वे फिर कहीं प्रलोभनों और कॉर्ट के आज्ञापत्र का प्रभाव और कुछ सनों में न पड़ जायें। क्लोडियस ब्यूकैनैन, वाइस-प्रोबोस्ट, ने शीघ्र ही १४ जून, १८०२ को उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया : कोर्ट के डाइरेक्टरों ने मार्किस वेलेजली की आयोजना की अत्यंत सराहना की है। उन्हें केवल उसके व्यय के सब खर्च बढ़ा कर कॉलेज छोटे पैमाने पर चलाना चाहते हैं, किन्तु कॉलेज एकटम स्थगित कर देने के भवावह परिणाम से गवर्नर-जनरल महोदय भली प्रकार परिचित हैं। उन्हें आशा है कि कोर्ट के डाइरेक्टर उनकी आयोजना स्वीकार कर लेंगे। इस बीच में कॉलेज के पूर्णतया स्थापित हो जाने तक दूसरे अहानों से विद्यार्थियों का आगमन रोकने के लिए उन्होंने कॉलेज ३१ दिसंबर, १८०३ को स्थगित करने का निश्चय किया है। उस समय तक संस्था अपने बर्तमान रूप में चलती रहेगी और प्रस्तुत विधान समान रूप से लागू रहेगा। विधान के अनुसार १७६६ और १८०० में बंबई और मद्रास से आए हुए विद्यार्थी १८०२ के अंत में और १८०१ में आए हुए विद्यार्थी १८०३ के अंत में कॉलेज छोड़ने के अधिकारी होंगे।<sup>२</sup>

ब्यूकैनैन के इस पत्र का कुछ अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ा, किन्तु जैसा कि वाइकाउट वैलेंशिया कृत ‘बौयेजेज एंड ट्रैवेल्स टु इंडिया, सीजोन, दि रेड सी, एवीसीनिया एंड ईंजिन’ इन दि ईंट्री १८०२, १८०३, १८०४, १८०५ एंड १८०६’ से

गत होता है, कॉलेज के विद्यार्थियों में कुछ्यसनों और कुप्रवृत्तियों का प्रचार बढ़ता ही गया। कोर्ट के आज्ञा-पत्र से कॉलेज के अनुशासन पर जो वज्रपात हुआ उससे विद्यार्थियों में बुड्डोड में दाव लगाने, उधार लेने की प्रवृत्ति आदि कुछ्यसन बढ़ने लगे। वेलेजली का विचार था कि गिलकाइस्ट वाली सेमिनरी जैसी संस्थाओं से विद्यार्थियों के चरित्र-सुधार का एक महत्वपूर्ण कार्य कदापि नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उनकी आशाओं के विरुद्ध उनकी संस्था गिलकाइस्ट वाली सेमिनरी के पद पर ला खड़ी कर दी। परिणाम वही हुआ जो होना था और जिसके भव से और जिसकी शुद्धियों पर भली प्रकार सोच-विचार कर वेलेजली ने अपनी दृहत आयोजना प्रस्तुत की थी। कोर्ट के आज्ञा-पत्र के बाद वेलेजली ने ३१ दिसंबर, १८०३ तक कॉलेज का पूर्ववत् सचालम करने का निश्चय किया। इसी बीच में उन्होंने ५ अगस्त, १८०२ को कोर्ट के आज्ञा-पत्र का एक अत्यंत विस्तृत उत्तर मेजा। कोर्ट के आज्ञा-पत्र के सामने मार्किंग वेलेजली के इस पत्र की आवश्यकता नहीं थी। तो भी साम्राज्य के हित की दृष्टि से और इस आशा से कि सभव है वे अपनी जवरदस्त तर्क-प्रणाली से कोर्ट द्वारा अपनी आयोजना स्वीकार कराने में सफल हो सके, उन्होंने पत्र लिखने का निश्चय किया।

आर्थिक कठिनाई का उत्तर देते हुए मार्किंग वेलेजली ने अपने पत्र में लिखा है : अब कंपनी के ऊपर कर्ज़ बहुत थोड़ा रह गया है। पिछले नौ महीने के हिसाब से कोर्ट के डाइरेक्टरों को और भी संतोष हो जायगा। साथ ही आमदनी के बेलेजली का उत्तर जरिये भी बढ़ गए हैं। इन सब बातों से धनाभाव के विषय में चितित होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की प्रतिष्ठा भी अब बढ़तो जा रही है। बंगाल, मद्रास और बंबई में जो रूपया खर्च है रहा है उससे लाभ ही लाभ है। वहाँ रुपये की बचत करना ठीक न होगा। भारतीय राजनीतिक परिस्थिति मी हम सभव सुधरी हुई है। अतः घरने के स्थान पर कंपनी का कोष बढ़ता ही जायगा। कॉलेज पर खर्च किए गए धन के उपयोग का अनुमान संस्था के उद्देश्यों और उससे होने वाले अतीव लाभ से लगाया जा सकता है। धन का इससे अच्छा उपयोग और कोई नहीं हा मरता। संस्था-संवंधी प्रारम्भिक व्यय अवश्य अधिक होगा। किंतु बाद को यह व्यय भी कम हो जायगा। १८०२-३ के वर्ष में चार लाख व्यय का अनुमान है। भविष्य में इससे अधिक व्यय कभी न होगा। ३१ अक्टूबर, १८०१ तक के प्रथम वर्ष का व्यय छः लाख तीस हजार रुपया है। इसमें से कॉलेज-स्थापना से पहले के बहुत से खर्च कम हो जाएंगे। मुशियों का बेतन और राइटर्स निलिंडस का किराया, जो लगभग सत्तर हजार रुपया होता है, कम हो जाने से कुल खर्च तीन लाख तीस हजार रुपया रह जाता है। तीन सौ सिक्का रुपए मासिक राइटरों का भत्ता दिया जाता है। मद्रास और बंबई के राइटरों को कुछ अधिक भत्ता मिलता है। लेकिन बंगाल के राइटरों को कम भत्ता मिलने से यह खर्च बराबर हो जाता है। मेरे ३० जुलाई, १८०१ बाले पत्र के अनुसार यदि अलग-अलग मद्रास और बंबई भेजने के स्थान पर सब राइटरों को सौचा कलकत्ते मेज दिया जाय तो आने जाने का खर्च भी कम हो सकता है। कॉलेज का रोज़मर्रा का खर्च गवर्नर द्वारा लगाए गए कुछ नए करों से निकल सकता

। १८०१-२ में इन नए करों से बारह लाख सत्तर हजार रुपए की आय हुई है। प्रगल्भ वर्ष में चौदह लाख की आशा की जाती है। यदि कर बसूल करने का प्रबंध ठीक नरह से किया जाय तो आय और भी बढ़ सकती है। ८ जुलाई, १८०२ को इस और प्रत्यवर्त्तन किया भी गया है। इसलिए कंपनी के बंगाल-कोप से कुछ और अधिक व्यवस नहीं रोता। नवीन कर-पद्धति के असफल हो जाने से भी कॉलेज के लिए धनाभाव का अनुभव न होगा। उसके लिए अन्य बहुत से साधन हमारे पास मौजूद हैं। कॉलेज के चलते रहने या दूटने से कपनी के रुपयों का लागत पर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा। अब केवल सोचने की बात यह है कि नए साधनों से प्राप्त रुपयों में से तीन लाख तीस हजार रुपया या नो कॉलेज के ऊपर खर्च किया जाय या कोष में जमा कर दिया या 'सिकिंग फ़ाड' में चला जाय। मेरे विचार से यह धन यदि कॉलेज पर खर्च किया जाय तो साम्राज्य को बहुत लाभ होगा। आगे के लिए तीन खर्च रह जाने हैं:—

१. प्रोफेसरों की संख्या बढ़ाना;
२. प्रोफेसरों तथा अन्य पदाधिकारियों की पेशन, और
३. स्थायी रूप से कॉलेज की एक इमारत।

मैं पूर्वीय साहित्य और काश्मीर-कानूनों को कॉलेज में अध्ययन का मुख्य विषय बनाना चाहता हूँ। एक ही प्रोफेसर कई विषय पढ़ावेगा। प्रोफेसरों की अवस्था का विचार किया जाय तो पेशन आदि के सबध में भी चिता की कोई बात नहीं है। परन्तु इसमें समयानुकूल परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इमारत बनवाने के लिए ज़मीन खरीद ली गई है किन्तु उसका बनवाना अभी शुरू नहीं हुआ। उसका शुरू का खर्च बहुत अधिक नहीं होगा। गाड़ी रीच में कॉलेज की अपनी इमारत होने से बहुत लाभ होगा। जो खर्च होगा वह पांच या छः साल में बॉट दिया जायगा। स्वर्गीय जनरल मार्टिन (लखनऊ) से मिला हुआ तीन लाख रुपया कोष में तुरन जमा भी कर दिया जायगा।

यहाँ तक मार्किंस वेलजली ने केवल यही दिखलाया है कि कॉलेज कंपनी के लिए एक आर्थिक भार कभी प्रमाणित नहीं हो सकता, जिसका कोई के डाइरेक्टरों को विशेष भव्य था।

डाइरेक्टरों द्वारा उल्लिखित गिलक्राइस्ट की सेमिनरी के संबंध में मार्किंस वेलजली का कहना है: कोर्ट ने अपने १२ मार्च, १८०२ के पत्र में मद्रास और वर्बई में नस्थाएँ स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी। परन्तु भाषा-विषयक अध्ययन की सुविधा, मितव्ययिता, प्रोफेसरों की संख्या, शासन और सुध्यवस्था की हिंडि से कलाकारा, मद्रास और वर्बई में अलग-अलग स्थापित करने के बजाय कंपनी के समस्त नवागत कर्मचारियों के लिए कलाकारों में केवल एक केंद्रीय संस्था अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। अलग-अलग स्थापित करने से एक ही कार्य के लिए तिगुना खर्च होगा। इतना ही नहीं यदि हिंडि लगा कर देखा जाय तो एक-एक स्थान का खर्च फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के पूरे खर्च से कहीं अधिक होगा। और फिर गवर्नर-जनरल की २१ दिसंबर, १८०८ की मिनिट्स में प्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया गया था कि गिलक्राइस्ट वाली आयोजना को मविष्य में विस्तृत रूप दिया जायगा। प्रस्तुत आयोजना उससे कहीं अधिक

परिपक्व, नियम कद्द और व्यवस्थित है सिविलियन कर्मचारियों की शक्ति के त्रै में गिलक्राइस्ट महोदय की सेवाएँ स्मरणीय हैं। किन्तु उनका कार्य इस स्थान की स्थापना के दृष्टिकोण से प्रारंभिक मात्र था। कोर्ट न अपने ७ मई, १८०० के पत्र में २१ दिसंबर, १७६८ वाली मिनिट्स के सिद्धांतों को सराहा था और एक बड़ी आयोजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता स्वीकार की थी। हो सकता है कोर्ट का आशय समझने में मुझे कुछ कठिनाई हुई है। किन्तु कोर्ट का व्येय कॉलेज के अतिरिक्त और किसी स्थान से पूरा नहा हो सकता। क्षोट विलियम कॉलेज में ही विद्यार्थियों की उचित देखरेख और उन पर कठोर अनुशासन रखना जा सकता है। नबल गिलक्राइस्ट महोदय की शिक्षा से यह द्वेष अद्भूता ही पड़ा रह जाता। परन्तु ये जाते साम्राज्य के हित के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जिस समय गिलक्राइस्ट महोदय अपनी संस्था में पढ़ाते थे उस समय शिक्षा ही शिक्षा थी, अनुशासन नहीं था। कायदे-कानूनों का ज्ञान नहीं था और ईसाई धर्म के महान् सिद्धांतों का पालन नहीं था। क्षोट विलियम कॉलेज ने इन सभी बातों पर ध्यान रखना जाता है। इतने कठोर अनुशासन के बिना अँगरेज जाति के चरित्र पर कलकत्ता का टीका लगने की आशका है। कोर्ट यदि इन भव बातों पर अभीरतापूर्वक विचार करे तो उसे ज्ञान होगा कि क्षोट विलियम कॉलेज की केंद्रीय संस्था ही सिविलियन कर्मचारिया का मुधार कर सकती है। इस संस्था की स्थापना में अपने निजी अनुमति से की है। कोर्ट की आयोजना को व्यावहारिक रूप देने से लाभ की अपेक्षा हानि होने को समावना अधिक है। समिनरी फिर से स्थापित कर देन आर अनुशासन के नियम बरतन से खर्च में किसी प्रकार की कमी न पड़ेगी। वहाँ भी वे सब बाते करनी होंगी जो इस समय हम क्षोट विलियम कॉलेज में कर रहे हैं। अस्तु, कॉलेज का तीन सेमिनरिया में विभाजित करने से समस्त कार्य अव्यवस्थित और यावह हो जायगा और खर्च तिशुना पड़ेगा।

पूर्वीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन को दृष्टि से क्षोट विलियम कॉलेज के विद्यार्थियों ने जो उन्नति को है वह कपनी के राजवातर्गत अमूल्यपूर्व है। कई उपयोगी ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। पूर्वी विद्वान् स्वच्छा और उत्साह के साथ हमें हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। कॉलेज की महानता और प्रसिद्धि के कारण ही बालों, हारिगटन, एडमॉन्स्ट्रेन, कक्षपट्रिक, कॉलेक्शन आदि विद्वान् अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विद्य कालज सेमिनरिया में विभाजित कर दिया गया तो ये विद्वान् इस और आकृष्ट न होंगे। विद्यार्थियों में स्थधा बढ़ना भी कॉलेज के लिए शुभ लक्षण है। यहाँ में आप ही के हित की एक बात का उल्लंघन कर देना चाहता हूँ। भारत में आने पर नवयुवक सिविलियन कर्मचारियों में जिन कुप्रवृत्तियों और कुव्यसनों का ग्रन्थार्देश था उनमें से अनेक का निवारण ता हा भी चुका है। आपके जो नवागत कर्मचारी कुव्यसनों में फैस कर अपनी जाति का सिर नीचा करते थे, वे ही अब अपने परिश्रम, मितव्यरिता, नैतिकता, धार्मिकता, ज्ञानोपार्जन आदि गुणों से अपना और अपने देश का मुख उज्ज्वल कर रहे हैं। मुझे यह कहने ने तनिक भी सकोच नहीं कि कॉलेज के वर्तमान विद्यार्थी काई भा उलझी हुई शासन-व्यवस्था समालने योग्य हो सकेंगे। इस समय जब कि मद्रास और बड़े का शासन-प्रबंध बदला और पेचीदा होता जा रहा है, कॉलेज की शिक्षा ही कंपनी

: कर्मचारियों को उसका मार ग्रहण करने योग्य बना सकेगी सब को समान शिक्षा न से सरकार को अत्यत लाभ पहुँचेगा ।

जिन सिद्धांतों के आधार पर कॉलेज स्थापित किया गया है उन सिद्धांतों की सराहना स्वयं कोर्ट ने अपने २७ जनवरी, १८०२ के पत्र में की है। उनकी आपत्तियों का मैंने संतोषजनक उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मैंने जो कुछ कहा है उसके ठीक होने में मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं चाहता तो इस समय कोर्ट की आज्ञा शिरोधार्य न कर इस महत्वपूर्ण विषय पर फिर से विचार करने के लिए मैं कोर्ट को लिख देता। मेरे कर्तव्य ने मुझे यह सुझाया भी था। किन्तु अपना और कोर्ट का विचित्र संबंध और परिस्थिति देख कर मैंने कोर्ट की आज्ञानुसार सभी बातें पूरी करने का निश्चय कर लिया है। परिषद् की सम्मति से २४ जून, १८०२ को मैंने कॉलेज नोडने के सबंध में आज्ञा-पत्र प्रकाशित कर दिया है।

परंतु चूँकि विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और देशी अध्यापकों की आशाओं, उन के भविष्य और उनकी कुशलता और कॉलेज का घनिष्ठ सबंध है, चूँकि कॉलेज के एकदम बद कर देने से विद्यार्थियों के चरित्र और अनुशासन पर अत्यत बुरा प्रभाव पड़ेगा (ज्यूकैनैन के १४ जून के पत्रानुसार वेलेजली का विचार ठीक निकला), चूँकि मिलक्राइस्ट वाली सेमिनरी की पुनर्स्थापना करने और विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कॉलेज के वर्तमान पदाधिकारियों की ज्यो-की-न्यो आवश्यकता पड़ेगी, जिससे खर्च में किसी प्रकार की भी कमी न होगी, और चूँकि अनेक सुयोग्य विद्यार्थियों के अध्ययन और पाठ्य-क्रम के प्रवाह को अद्भुत बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है, तथा कपनी के हितों की दृष्टि से अन्य अनेक विषयों में सोच-समझ कर काम करना है, इसलिए दिसंबर, १८०३ तक कॉलेज अपने वर्तमान रूप में स्थित रहेगा।

देशी विद्यानों को एकदम कॉलेज से अलग कर देने में कपनी की बड़ी बदनामी है। ये लोग जब अपने-अपने देश लाट कर जाएँगे तो कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार ज्ञान और सदृश्यता की दृष्टि के लिए स्थापित एक संस्था का खर्च न सह सकी और धनभाव के कारण हमने उनके साथ विश्वासघात किया। वे कहेंगे कि हमारी हालत इतनी बिगड़ गई है कि हम सिविलियन कर्मचारियों को देशी जनता के हितकारी सुशासन की शिक्षा देने वाली संस्था न चला सके।

इन सब पहलुओं और सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए, कंपनी के नाम एवं विद्यार्थियों, अध्यापकों और प्रोफेसरों की सुविधा तथा अन्य अनेक विषयों पर विचार करते हुए मैंने निश्चित किया है कि सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा प्रकाशित आज्ञा-पत्र पर ३१ दिसंबर, १८०३ तक कोई कार्रवाई न की जाय।

इस बीच मेरे कॉलेज को धीरे-धीरे बंद करने के सबंध में सब प्रबंध कर लिया जाएँगे। साथ ही कोर्ट की भी इस विषय पर फिर से विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायगा।

इन सब बातों से अगले वर्ष कॉलेज का खर्च बहुत कम हो जायगा। नए विद्यार्थियों का तो अब दाखिला नहीं होगा, किन्तु ब्रगात प्रात में नियुक्त राइटरों के

कॉलेज के बन्द होने की अवधि तक अपना दाखिला करने की व्यवस्था में जारी रखी है।

फिर से सोच-विचार करने पर मी यदि कोर्ट ३१ दिसंबर, १८०३ से पहले ही कॉलेज शीघ्र बद कर देने की आशा देगा तो मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ कि भारत की स्थानीय परिस्थिति और मेरे विचार और व्यवहार की सत्तालक मेरी भावनाओं के प्रणाली पर आधारित उस आशा का अक्षरशः पालन किया जायगा। परंतु इससे मुझे अपने दृढ़ विश्वास छोड़ने पड़ेगे, अपने दल के अरमान राख कर देने देंगे और सार्वजनिक हित की एक आयोजना का अत होते देख कर मुझ अत्यत दुख और द्वंद्व हागा।

इतना सब कुछ होते हुए मी म कोर्ट द्वारा कोर्ट विलियम कॉलेज के पुनरुद्धार होने की या कम-से-कम घर लाने पर व्यक्तिगत रूप से जब तक मैं कॉलेज के सबध मेरोर्ट से बात-चीत न कर लूँ उसके वर्तमान अवस्था में स्थित रहने की आशा का परित्याग नहीं करूँगा।

अत म मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में जब तक कोई और आशा-पत्र न भेजा जाय तब तक कोर्ट कॉलेज को उसकी वर्तमान अवस्था में जारी रखने की शीघ्र ही आशा देगा। आर यद्यपि अपना त्याग-पत्र भेज देने से मुझे इन मूल्यवान प्रदेशों को कोई लाभ पहुँचाने की आशा नहीं है, ता भा मैं यही भावना लकर भारतवर्ष छोड़ूँगा कि मेरे बाद आने वाले सज्जन कोर्ट की कॉलेज-पुनरुद्धार की आशा का उसी उत्साह और सार्वजनिक भावना स पालन करेगे जिससे मैंने सस्था की स्थापना की थी।<sup>१</sup>

कोर्ट को पत्र लिखने के साथ उन्होंने ५ अगस्त, १८०२ को ही एक पत्र राइट ऑनरबुल दि अलै औब डाटूमथ का भी लिखा जिसम उन्होंने कपनी की आशा-

जनक आर्थिक अवस्था और कपनी के राज्य में सुख-शाति की अधने पक्ष-समर्थन के व्यवस्था का उल्लेख किया है। कोर्ट को लिखे गए पत्र की एक

लिपि बेलेज़ली द्वारा प्रति उन्होंने डाटूमथ के पास भी भेजी और उनसे प्रार्थना की कि

**अन्य व्यक्तियों** कॉलेज के पुनरुद्धार के सबध में आपसं जो कुछ हो सके उसे अत्यत

**को पत्र** प्रभावोत्पादक रूप में करे और जहाँ तक हो सके सस्था के पुनरुद्धार

के सबध में शीघ्र ही आशा-पत्र भिजवाने का प्रयत्न करे नहीं तो

मेर अपने २४ जून के निर्णय के अनुसार कॉलेज तोड़ दिया जायगा। साथ ही उन्होंने वह भा लिखा है कि : याद कोर्ट ने अपना निर्णय न बदला तो ईंगलैंड लौटने पर मैं तुरंत ही पालामंट में इस संबध में एक प्रस्ताव रखूँगा। इस सस्था की आवश्यकता का मुझे इतना दृढ़ विश्वास है कि उसके पुनरुद्धार के लिए मैंने अपना शेष राजनीतिक जीवन

व्यतीत करने का निश्चय कर लिया है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा इसी सस्था से हो सकती है। कपनी यह खर्च अच्छी तरह बदाश्त कर सकती है। जन-मत लेने पर जनता भी इस खर्च की स्वीकृति दे देगी। सिविल सर्विस के कर्मचारियों की शिक्षा और

अनुशासन की व्यवस्था के बिना हम अपना विश्वाल भारतीय साम्राज्य किसी प्रकार भी नहीं बचा सकते। न्यायोचित रूप में जहाँ भी रुपये की बचत हो सकती थी, वही मैंने

रूपथा बचाया है। इतने पर भी कोर्ट का हस्तक्षेप असहनीय है। कंपनी की आर्थिक दशा  
इस समय कितनी अच्छी है, इस बात का विवरण मैं लगभग एक के मास अन्दर आपके  
पास भेज दूँगा। एक समाचारपत्र द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि कोर्ट ने स्थानापन्न गवर्नर-  
जनरल के रूप में श्री बालों की नियुक्ति की है। कोर्ट के नाम पत्र में मैंने जनवरी, १८०३  
से आगे भारतवर्ष में रहने की सभावना का उल्लेख नहीं किया। किन्तु १३ मार्च, १८०२  
के आपके और श्री ऐडिगटन के नाम पत्रों में व्यक्त मेरे विचारों में कोई परिवर्तन  
नहीं हुआ। कॉलेज तोड़ने के सबध में कोर्ट के आज्ञा-पत्र से मेरी सत्ता को कितनी ठेस  
पहुँची है, इसका आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और यदि समाज के मन्त्रि-मंडल से  
पूर्ण सहायता का वचन न मिला तो मैं शासन-भार प्रहण करने के लिए असमर्थ हूँ और  
शीघ्र ही में उसे श्री बालों को सौप दूँगा। अत मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कॉलेज  
के सबध में कोर्ट को लिखे गए पत्र की एक-एक प्रति आप मेरे भाई, श्री पोल,  
श्री हुडाज, श्री पिट और श्री डेविड स्कॉट के पास भिजवा दे। मुझे विश्वास है  
कि ऐडिगटन उस सरकारी तौर पर देख लेंगे। लेकिन मुझे डर है कि लीडन-हॉल-स्ट्रीट  
के पदाधिकारी उस दबा देने का प्रयत्न करेंगे। मैं इस बात के लिए भी विशेष चित्तित हूँ  
कि उक्त सज्जन कंपनी के आय-व्यय का लेखा भी देखें। उनकी एक प्रति श्री हुडाज  
के पास भेजने का मेरा विचार है।<sup>१</sup>

वेलेजली के सभी निर्णयों के साथ बोर्ड का भी पूर्ण सहयोग था।<sup>२</sup> कोर्ट के व्यव-  
हार से वेलेजली को अत्यत दुःख हुआ था। अपने महत्वपूर्ण पक्ष के समर्थन के लिए उन्हें  
अनेक लबे-लबे पत्र लिखने पड़ते थे जिससे बहुत से सरकारी काम अवूरे रह जाते थे  
और निजी पत्रों का उत्तर देने का तो उन्हें समय ही नहीं मिलता था। एक सार्वजनिक हित  
के कार्य के लिए उन्हें अत्यधिक मानसिक करता उठाना पड़ा। कभी-कभी तो वे भूमिलाइट  
ओर क्रोध के वशीभूत भी हो जाते थे। इन सब बासों का उल्लेख करते हुए १२ अगस्त,  
१८०२ को डेविड स्कॉट के नाम पत्र लिखते हुए उन्होंने उनसे भारत में ब्रेट ब्रिटेन के  
पुनीत कार्य के लिए सहायता माँगी और कॉलेज और साम्राज्य के बीच घनिष्ठ सबध  
स्थापित किया।<sup>३</sup> अक्टूबर, १८०२ और फिर जनवरी, १८०३ में उन्होंने अन्ने पद-त्याग  
की सूचना भेजी। परंतु इंगलॉड के मन्त्रि-मंडल और कोर्ट के डाइरेक्टरों की प्रार्थना पर वे  
रुक्त गए। मरहठा राज्य तथा अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें भारतवर्ष ही  
म रखका गया।

११ मार्च, १८०३ को डेविड स्कॉट ने वेलेजली के नाम एक पत्र लिखा; इस पत्र  
से ज्ञात होता है कि कॉलेज के पुनर्व्यापार के लिए वेलेजली कितने उत्कृष्ट थे और किस  
प्रकार पालामेट के सदस्यों तथा अन्व अनुभवी शासकों आर राजनीतिज्ञों का भत-सम्बन्ध  
कर अपना पक्ष मज़बूत बना रहे थे।<sup>४</sup>

<sup>१</sup> आर० आर० पीअस० : 'मेम्बायर्स', पृ० २१२-२१७

<sup>२</sup> 'वेलेजली डेसपेचेज़', पृ० ६३६-६४०

<sup>३</sup> अर० आर० पीअस० : 'मेम्बायर्स' पृ० २११-२१२

<sup>४</sup> एस०, पृ० २१८ २२०

१६ जून, १८०४ को एक मित्र के नाम पत्र लिखते हुए वेलेजली ने कोर्ट के अति वृणा प्रकट की और लिखा कि देश लौटने पर मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सन्नाट और अपने देशवासियों से न्याय की भीख मार्गूगा। इस पत्र से वेलेजली की आहत भावनाओं का अत्यंत सुन्दर परिचय मिलता है।<sup>१</sup>

कोर्ट और वेलेजली के बीच में 'बोर्ड ऑफ करेल' के हस्तक्षेप करने से वेलेजली के शासन-कानून में कोई ज्यो-का-न्यो बना रहा। १८०४ में यह सुसमाचार प्राप्त हुआ

कि जब तक कोई दूसरा आज्ञा-पत्र प्रकाशित न किया जाय तब तक वेलेजली के शासन-कॉलेज न तोड़ा जाय। लेकिन मद्रास और बंवई के विद्यार्थियों के काल में कॉलेज विद्याध्ययन की व्यवस्था बिलकुल हटा दी गई। यह पहले कहा जा

तुका है कि वेलेजली ने अठारह महीने तक कॉलेज तोड़ना स्थगित कर दिया था। अवज्ञा का यह दूसरा उदाहरण कोर्ट को असह्य था। परतु पिट के प्रधान मंत्री होने से कोर्ट वेलेजली का कुछ भी न विगाह सका। और यद्यपि पिट के प्रभावातर्गत कोर्ट को अपना एकदम कॉलेज तोड़ देने वाला आज्ञा-पत्र वापिस लेना पड़ा, तो भी मद्रास और बंवई के विद्यार्थियों के विद्याध्ययन की व्यवस्था हटा देने से वेलेजली की इच्छा भी पूर्ण न हो सकी। १८०५ में वेलेजली के इंगलैंड लौट जाने पर वहाँ भी उनमें और डाइरेक्टरों में यह वाद-विवाद बना रहा। परतु उनकी जी तोड़ कोशिश कॉलेज का न बना सकी। उनको मूल वृहत् आयोजना का छोड़ा कर छोड़ी कर दी गई। भविष्य में उसका यही छोड़ा रूप चलना रहा।

परतु स्वाश्र्यी, उत्साही और पुरुषार्थी व्यक्ति अपने निश्चित किए हुए मार्ग से कभी विचलित नहा हाते। प्रतिकूलता ही उनकी सफलता की साधक बन जाती है। ऐसे

ही व्यक्तियों को विपक्षियाँ निराश नहीं करतीं और प्रत्यक्षतः सारा वेलेजली की ख्याति परिश्रम व्यर्थ जाने पर भी ससार में उन्हे यश और ख्याति प्राप्त होती है। कोर्ट की प्रतिकूलता से वेलेजली को छोभ अवश्य हुआ,

जता के कारण परतु अपने सिद्धान्त पर उन्हे अटल विश्वास बना रहा। गुण-भ्राहको ने उनकी और उनकी आयोजना की भूरि-भूरि प्रशंसा की। विशाल हृदय की विभूति के सामने कोर्ट की सकीर्णता को विजय प्राप्त हुई, किंतु वेलेजली का इससे और भी सम्मान बढ़ा। विलियम कैरे,<sup>२</sup> डेविड ब्राउन,<sup>३</sup> माकिनटोश,<sup>४</sup> विल्बफोर्स,<sup>५</sup>

<sup>१</sup> वही, पृ० २२४-२२५

<sup>२</sup> कॉलेज के १८०४ के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिया गया भाषण। दे०, आ० आ० आ० पीअस : 'सेम्वायर्स', पृ० २२०-२२४

<sup>३</sup> १९ जनवरी और २५ मई, १८०६ को चाल्स ऑट के नाम लिखे गए पत्र। दे०, जॉन विलियम के 'लाइब्रेरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स', जि० १, परिशिष्ठ, जॉन, १८६६, पृ० क्रमशः ४७६-४८४ और ४८५-४८६

<sup>४</sup> १६ जुलाई, १८०५ का लिखा हुआ वेलेजली के नाम पत्र। दे०, आ० आ० पीअस : 'सेम्वायर्स', पृ० ३७६-३८४

<sup>५</sup> अक्टूबर, १८०६ का आक्टीवर रंबम के नाम पत्र। दे० वही, पृ० २२५

विलियम बटवर्थ बेली<sup>१</sup> प्रभृति सज्जनों ने वेलेज़ली की आयोजना की महानता, उनके चरित्र और ध्येय का अपने-अपने इष्टिकोण सं<sup>२</sup> बार-बार गुणगान किया और कोर्ट की सकीर्णता पर दुःख प्रकट किया। स्वयं कोर्ट ने ईस्ट इंडिया कॉलेज (१८०६), हेलवरी की स्थापना कर वेलेज़ली को सैद्धांतिक विजय प्रदान की, यद्यपि इस संस्था के संबंध में विड्नानों के दो मत हैं; फोर्ट विलियम कॉलेज के विद्यार्थियों ने आगे चल कर जो स्थापित प्राप्ति की उससे वेलेज़ली की दूरदृश्यता और उनकी आयोजना की उपयोगिता सिद्ध हुई। अबनी संस्था के छोटे-से रूप के महान् परिणाम देख कर वे अपने जीवन के सध्या-काल में प्रसन्नता के कारण गदगद हो उठते थे।<sup>३</sup> परिश्रम और तत्परता का फल सीढ़ा होता है।

इतिहासकारा का कहना है कि शासक की हैसियत से वेलेज़ली अद्वितीय थे, किन्तु कर्मचारी की हैसियत से वे दुखदायी और परंशान करने वाले थे। किसी विचार के दृढ़ हो जाने पर वे उसे तुरन्त व्यावहारिक रूप में परिणत करते समय अपने उच्च पदाधिकारियों के विचारों की चिन्मा न करते थे। उच्च पदाधिकारियों के मतभेद या विरोध प्रकट करने पर भी वे अपने ही विचार पर अटल रहते थे। अनेक कारणों में से इस प्रवृत्ति के कारण भी उन की आयोजना कोर्ट द्वारा अस्वीकृत हुई। बालों के स्थानापन्न गवर्नर-जनरल नियुक्त होने पर (बाद को लॉर्ड कॉर्नवालिस उनकी जगह दुबारा गवर्नर-जनरल नियुक्त हुए) लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन को सलाह दी थी: आप भारत में त्रिपुरा साम्राज्य का शासन-भार ग्रहण करने पर कोर्ट की अवहेलना कभी न करें। विधान के अनुसार जिन मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार है उनके सम्बन्ध में कोर्ट की आत्मा लेकर उसका पालन करना अत्यत आवश्यक है। कोर्ट के प्रति सदैव शिष्टता का भाव रखना चाहिए। लॉर्ड वेलेज़ली और लॉर्ड क्लाइव के अवहेलनापूर्ण व्यवहार और अशिष्टता से मंत्रियों और 'बोर्ड ऑफ कट्रोल' को अन्यंत दुःख हुआ है। सावेजनिक हित के लिए आप चाहें जो कुछ करें, किन्तु कोर्ट की सत्ता पर आक्रमण करना ठीक नहीं। लॉर्ड कैसिलरीआ ने बड़े जोरों के साथ कॉलेज का समर्थन किया है। और जहाँ तक बंगाल प्रात से कॉलेज का संबंध है वहाँ तक वे सफल भी हुए हैं। मैं स्वयं लॉर्ड वेलेज़ली के विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ। परन्तु क्या अच्छा होता यदि वे कोर्ट के साथ जरा होशियारी से काम लेते। उस समय वे अपनी कॉलेज की या काई अन्य परिमित आयोजना स्वीकार करा सकते थे।<sup>४</sup> कोर्ट ने वेलेज़ली को

<sup>१</sup> कोर्ट के सभापति की हैसियत से इंडिया हाउस में १७ मार्च, १८४१ का भाषण। दे०, बही, जि० ३ परिशिष्ट, पृ० ४५३-४५६ आदि।

<sup>२</sup> उदाहरणार्थ, ईसाई धर्म-प्रचारकों के इष्टिकोण के लिए दे०, बही, जि० २, व्याख्याओं अध्याय।

<sup>३</sup> १८ और २१ मार्च, १८४१ को बेड्री के नाम वेलेज़ली के दो पत्र। दे०, जॉन विलियम के: 'लाइब्रेरी ऑफ इंडियन एफिलियस', जि० १, परिशिष्ट, लंदन १८६०, पृ० कम्या ४८६-४८८ और ४८८-४८९।

<sup>४</sup> बही, पृ० १२१।

महत्वाकांक्षी और अवश्याकारी समझ कर उनकी आयोजना रही के द्वेषरे में फैली ही।

बेलेज़ली की आयोजना की असफलता का यह एक, किन्तु महत्वपूर्ण, कारण था।

वास्तव में बेलेज़ली एक अच्छे शासक तो थे परन्तु कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री अच्छे न थे।

उधर कोर्ट के डाइरेक्टरों में राजनीतिक भावना जाग्रत हो रही थी, किन्तु उनका ध्यान अब भी आर्थिक लाभ पर लगा हुआ था। १९७३ और १९८८ के चार्टरों में भेद होते हुए भी वे व्यापारी ही बने रहना चाहते थे।

डाइरेक्टरों और हेस्टिंग्ज में भी सतभेद हो जाया करता था। डाइरेक्टरों की सिफारिशें बहुत चलनी थीं और हेस्टिंग्ज उन्हे नापसन्द करते थे। कोर्ट का यह व्यवहार वे अन्यायपूर्ण और भद्दा समझते थे। लेकिन वे बड़ी होशियारी से अपना काम चला लेते थे। उनके व्यक्तिगत व्यय की भी कोर्ट के डाइरेक्टर कड़ी आलोचना किया करते थे।

वास्तव में बेलेज़ली की अवध-नीति, हेनरी बेलेज़ली की नियुक्ति, बेसीन की सधि, मरहठों के साथ युद्ध, निजी व्यापार की समस्या और अत्यधिक सरकारी खर्च और अंत में फोर्ट विलियम कॉलेज—इन सब बातों से कोर्ट उनसे असंतुष्ट रहता था। हर विषय में वह बेलेज़ली पर दोषारोपण करने का प्रयत्न करता था। उसने उन पर जो अपराध लगाए वे ये हैं: ‘(१) वैधानिक सत्ता और कौसिल के अधिकारों की अवहेलना; (२) इंगलैंड की सरकार की आज्ञा के बिना बड़े-बड़े कामों में हाथ डालना, उस समय जब कि आज्ञा प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय रहता है; (३) अनुचित अधिकार ग्रहण करना; (४) अहातों के शासन-प्रबन्ध की ज़रा-ज़रा सी बातों में इस्तेवेप करना; और (५) अनुचित नियुक्तियाँ और कानून-भग करना।’ परन्तु अनेक इतिहासकारों का मत है कि बेलेज़ली पर लगाए गए अपराध कभी साबित नहीं हुए।

जिस समय कॉलेज तोड़ने का आज्ञा-पत्र प्राप्त हुआ था उस समय ‘बोर्ड ऑफ कट्रोल’ के एक सदस्य ने बेलेज़ली से कहा था: ‘निजी व्यापार ( प्राइवेट ट्रेड ) के संबंध में आपके पत्र ने आपके कॉलेज का नाश कर दिया।’ शुरू में तो सुनने वालों को यह बात अजीब-सी लगी। बाद को पता लगा उस सदस्य की बात ठीक थी।

इन सब बातों के अतिरिक्त आपस की दलवन्दी ने भी कॉलेज का सर्वनाश कर दिया। कोर्ट में बेलेज़ली के विरोधी दल का बहुमत था।

कॉलेज को घर के चराग से भी आग लगी। कंपनी के पुगने कर्मचारी कॉलेज से बृहणा करते थे। प्रत्यक्ष रूप से तो वे बेलेज़ली की आयोजना की प्रशंसा ही नहीं अपना पूर्ण सहयोग भी प्रदान करते थे, परन्तु परोक्ष रूप से वे सदैव उसका विरोध करते रहे। उसके विरुद्ध

कॉलेज की उपयोगिता और उसके द्वारा साज्जात्य के हित के सम्बन्ध में बेलेज़ली के बाद के यावर्स-जनरलों के विचारों से परिचय प्राप्त करने के लिए टॉमस रोएलक द्वारा समाप्ति ‘दि ऐनफ्स ओव दि कॉलेज ओव फोर्ट विलियम’ ( १८११ ) में संभालत माप्त दर्ज।

लबे-लबे लेख लिखे और उभकी बदनामी की। उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि कॉलेज से निकले हुए कर्मचारियों में हम पिछड़ जाएंगे—सरकारी नौकरी में उन्नति करने की दृष्टि से ही नहीं, मानसिक प्रगति की दृष्टि से भी। पुराने कर्मचारियों में सर नॉर्ड बालों ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सब्दे हृदय से कॉलेज का समर्थ नकिया। मारीशस में प्रासीसियों ने कुछ पत्र भारत भेजे थे और कुछ उन्होंने वही प्रकाशित किए थे। उनसे पता चलता है कि किस प्रकार वेलेजली के निकट कर्मचारियों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया। ये पत्र पढ़ कर डेविड ब्राउन को अत्यंत मानसिक पीड़ा हुई थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वेलेजली के विश्व प्रख्यूतकारियों ने क्या-क्या किया। कॉलेज के कुछ नवयुवक विद्यार्थी अनुचित व्यवहार कर बैठते थे। किंतु ऐसे अनुचित व्यवहारों के अब बहुत कम उदाहरण पाए जाते थे। डेविड ब्राउन का एक स्थान पर कथन है कि जो आनैतिकता एक समय राइटर्स विलिंडस में देखी जाती थी अब उसका नाम-निशान तक नहीं रह गया। केवल कुछ विद्यार्थियों के अनुचित व्यवहार के आधार पर कॉलेज की गति कलकित करना मानवोचित नहीं है। सुयोग्य पदाधिकारियों का अभाव भी कॉलेज के पतन का कारण बना। इस सदघ में लॉर्ड टेनमर्थ की आशंका ठीक ही निकली।

१८०५ के लगभग शुरू में डेविड ब्राउन, ग्रांवोस्ट, को कॉलेज छोटे पैमाने पर कर देने की आशा मिली। आखिर वही हुआ जो कोर्ट के डाइरेक्टर कॉलेज का छोटा छप चाहते थे—‘वंगाल सेमिनरी’, जैसी कुछ समय पूर्व गिलक्राइस्ट के और बार्बो द्वारा तत्वाधान में सचालित होती थी। नाम फ्रोर्ट विलियम कॉलेज ही रेम्यूलेशन में परिवर्तन बना रहा। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों में उदासी छा गई। परिवर्तन का यह तीव्र चक्र देख कर देशी अध्यापक आश्चर्य-चकित रह गए।

वे अब अपनी सोचने लगे। वेलेजली ने जिस विशाल बट-वृक्ष के बीज बोए थे वह पत्तेवित होकर बढ़ रहा था कि कोर्ट ने कुठाराधात किया। फ्रोर्ट विलियम कॉलेज अब वेलेजली के विचारों का काल मात्र था। वेलेजली ने उसके वास्तविक वैभव के साथ बचाना चाहा। किंतु वे असफल रहे।

१८०० ईसवी के रेम्यूलेशन ६ में से ३, १०, ११, १३, १५, १७ और २५ धाराएँ तथा कुछ और विश्व निकाल कर डेविड ब्राउन ने १८०६ ईसवी का रेम्यूलेशन बना कर फ्रोर्ट विलियम कॉलेज की एक परिमित आयोजना प्रस्तुत की। ३१ दिसंबर, १८०६ को गवर्नर-जनरल बालों ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी।<sup>1</sup>

<sup>1</sup>फ्र० वि०, २४ दिसंबर, १८०६—२० जनवरी, १८०७, हो०, मि०, जि० २, प० १०३ ११२ ६० रे० दि०

# जॉन बौथविक डिल्काहस्ट

( अगस्त, १८००-फरवरी, १८०४ )

फोर्ट विलियम कॉलेज का कार्य सुचारू रूप से सचालित करने के लिए वेलेजली ने १० अप्रैल, १८०१ को कॉलेज-विधान का प्रथम परिच्छेद स्वीकृत किया था। वे उसे एशिया का एक महान शिक्षा-केंद्र बना कर मंसार के इतिहास में वेलेजली के शासन ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश जाति को गौरवपूर्ण पद पर बिठाना में कॉलेज का पूर्वबद्ध चाहते थे। ऐसा सुनहरा स्वर्ण लेकर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया ही संचालन था कि कोर्ट के डाइरेक्टरों तथा अन्य पड़यंत्रकारियों ने उनका प्रश्नता मार्ग कंटकाकीर्ण बना दिया। वेलेजली को इसकी आशा भी नहीं थी। उन्हे नहीं मालूम था कि पारस्परिक राजनीतिक मतभेद और धन-लोभ का सकुचित दृष्टिकोण भी उनकी दूरदर्शितापूर्ण, उदार, पक्षपात-रहित, सर्व-हितकारिशी एवं साम्राज्य-द्वित की सरद्दिशी आयोजना के फलीभूत होने में बाधा उपस्थित करेगे। पनी सर्वाधिक आयोजना के सर्वध में कोर्ट का व्यवहार देख कर वेलेजली का उत्साह भग्न हृदय चुब्ध होकर चीत्कार कर उठा था।

परंतु तो भी एक ओर जहाँ वेलेजली और कोर्ट के डाइरेक्टरों में अन्यत खेदजनन एवं व्यवहार चल रहा था, वहाँ दूनरी ओर कॉलेज की स्थिति के विषय में अग्रीम निर्णय पर पहुँचने के नमय तक—दिसंबर, १८०३ तक—उन्होंने नाहसिक की भाँति कॉलेज का पूर्वनत् संचालन करने का निश्चय कर आपना मनोनीत कार्य आगे बढ़ाया।

व्यावहारिक राजकीय दृष्टिकोण से कॉलेज के विद्यार्थियों के लाभार्थ गद्य-पुस्तकों की अत्यन्त आवश्यकता थी। कुछ समय तक तो देशी भाषाओं से पुस्तके नकल कराई गईं। किंतु शीघ्र ही कॉलेज कौसिल ने यह व्यवस्था बदल दी। पुस्तकों तैयार कराने नकल कराने वाली व्यवस्था में एक तो अशुद्धियाँ रह जाती थीं, की व्यवस्था दूसरे उम्मे व्यय भी अधिक होता था। इसलिए नवंबर, १८०१ में कौसिल ने यह निश्चित किया कि प्रधानाध्यापक स्वयं विभिन्न पुस्तकों के उपयोगी अंश समझीत कर उन्हें छापावे ताकि दोष न रहें और विद्यार्थियों के लिए पुस्तके भी सुलभ हो जायें। पुस्तक प्रकाशित करने से पूर्व उन्ह अपना सम्राह कौसिल के पास निरीक्षण और स्वीकृति के लिए मंजना पड़ता था। कौसिल के इस नियम के अनुसार विभिन्न विभागों के प्रधानाध्यापक देशी भाषाओं के सम्राह प्रस्तुत करने में दस्त-चिन हुए। आवश्यकतानुसार भारत की प्रादः प्रत्येक भाषा के सम्राह तैयार किए गए। किंतु इनमें फ़ारसी, बङ्गला और हिन्दुस्तानी भाषाओं के सम्राह का विशिष्ट स्थान था। यहाँ हम केवल हिन्दुस्तानी विभाग में किए गए कार्य का उल्लेख करेंगे।

हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट थे। हिंदुस्तानी भाषा के संबंध में उनके गपने विचार थे,<sup>१</sup> और उन्होंने विचारों को उन्होंने कार्यरूप में परिणत किया। उन्होंने १२

जनवरी, १८०२ को एक पत्र कौसिल के पास भेजा जिसमें हिंदुस्तानी विभिन्नक्राइस्ट और भाषा के संग्रह प्रकाशित करने के संबंध में कुछ विचार प्रकट किए हैं। कौसिल ने उस समय उनका पत्र विचाराधीन रखा।

### का प्रकाशन

उस समय केवल मिसकीन कृत 'भासिय' की पाँच सौ प्रतियाँ छपाने के लिए गिलक्राइस्ट के तीन सौ पचहत्तर रुपए के बिल पर स्वीकृति दी गई। अपने १२ जनवरी, १८०२ के पत्र में गिलक्राइस्ट ने लिखा था : अभ्यास-पुस्तकों की दो सौ या तीन सौ प्रतियाँ छपाने में कम-से-कम आठ सौ और ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपए खर्च होंगे। इन अभ्यास-पुस्तकों में कॉलेज के सुंशियों और विद्यार्थियों के लाभार्थ समस्त प्रस्तावित प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर रहेंगे। इस प्रकार एक हजार रुपए के वार्षिक व्यय से हम शान्त ही हिंदुस्तानी भाषा-रचना के समस्त नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इन नियमों की सहायता से देशी अध्यापकों को पढ़ने में सुविधा होगी। इससे उन्हें अपना कर्तव्य पालन करने में भी सफलता प्राप्त होगी। किसी दूसरी आयोजना से हम यह कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी में ऐसे ग्रथों का नितांत आभाव है जिनका थोड़ा-बहुत भी सहारा लिया जा सके। इसलिए मुझे निम्नलिखित पुस्तकों हिसाब लगाए गए भिन्न-भिन्न खर्च की दर से छपाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कार्य के लिए मैंने कलकत्ते के ग्राथः सभी छापेखानों से सहायता ली है ताकि थोड़े-से समय में हम अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकें। मुझे आशा है कि कॉलेज कौसिल इसे नितांत आवश्यक समझ कर यथाविधि प्रोत्साहन देगी—विशेष रूप से उस समय जब कि वर्षों तक उनके नए संस्करणों की आवश्यकता न होने के कारण कॉलेज का कोई और व्यय भी न होगा, और फिर जब कि आधी प्रतियाँ की बिक्री से ही पूरी प्रतियों के दाम निकल आवेंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि छपाई का व्यय अपेक्षाकृत कम करने की दृष्टि से प्रतियों की सख्ता पाँच सौ कर दी गई थी। यदि कॉलेज कौसिल, कंपनी के हिसाब में, इन रचनाओं की बिक्री ब्रिटिश भारत के हितों के लिए उपयोगी समझे, तो मैं भविष्य में पाँच सौ के स्थान पर एक हजार प्रतियाँ छपाने की सिफारिश करूँगा। कारण प्रत्यक्ष है।

इसी पत्र के साथ गिलक्राइस्ट ने छपी हुई पुस्तकों का विवरण और उनके हिसाब का एक चिन्ह बन कर भेजा। इसमें उन्होंने यह भी लिख दिया था कि कॉलेज के लिए छपाई का कार्य अगले वर्ष तक चलता रहेगा। यह हिसाब उन्होंने रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर लगाया था।<sup>२</sup>

१८०२ में हिंदुस्तानी विभाग में संग्रह और छपाई का व्यय तिरसठ हजार रुपया बैठता था। इसलिए कॉलेज कौसिल ने यह निश्चय कर को लिखा कि मविष्य

म जब तक हस्तालस्थित प्रति कौसिल को न दिखा दी जाय तथा छपाए जाने वाल अश, प्रतियो की सख्त्या और व्यय के चिट्ठे के सबध म स्वीकृति न ल ली जाय, तब तक और पुस्तकों का कार्य न उठाया जाय और न उन पर कोई व्यय हो। ३० जून, १८०१ को कौसिल ने एक यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि अब आगे कॉलेज के खर्च पर विद्यार्थियों को पुस्तके न दी जायें। इस संवंध में उसने व्यय के लेखे के साथ छुपे हुए ग्रथों का हिसाब भी गिलक्राइस्ट से माँगा।

इसके उत्तर में गिलक्राइस्ट ने १२ जनवरी के पत्र का हवाला देते हुए उसमें दिए गए चिट्ठे की ओर संकेत किया। २० जनवरी, १८०२ तक उन्होंने केवल पंद्रह रुपए की

लागत की किताबें प्रेस भेजी थीं। हिंदुस्तानी साहित्य बहुत थोड़ा गिलक्राइस्ट की प्रका- होने के कारण वे दूर प्रकार के ग्रथ स्वयं प्रस्तुत करने के लिए शब्द संबंधी आव्योजना अपना विशेष उत्तरदायिक समझते थे। हिंदुस्तानी अभी प्रभवकाल में थी। इसलिए अत्यधिक मिनव्ययता वे उसके लिए धातक समझते थे। 'चार दरवेश' के साठ पृष्ठ नैयार करने में उन्हे छः या आठ महीने लगे थे। लगभग इतने ही उसे पूर्ण करने लिए जरूरी थे। ऐसी दशा में उन्हे सरकारी बादविचादों द्वारा अपनी प्रगति में हस्तक्षेप दांचकर प्रगति न हुआ। वे डरते थे कि सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करने में कहीं और समय नष्ट न हो जाय। अपने विभाग पर सरकारी व्यय भी वे बढ़ाना नहीं चाहते थे। अनेक पूरे कार्य का भार उन्होंने अपने ऊपर लेकर व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी निम्नलिखित शर्तें कॉलेज कौसिल के पास लिख भेजी :

१. ग्रथकर्ता और प्रकाशक के रूप में सुझे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विद्यार्थियों के उपयोग के लिए प्रकाशित मेरे प्रत्येक ग्रथ की सौ प्रतियाँ बाजार भाव पर हेगी।

२. कॉलेज के लिए मेरे द्वारा लिए गए और प्रकाशित किए जाने वाले प्रत्येक ग्रथ के रूप और उसके साधारण विषय की पूर्व-स्वीकृति के लिए मैं उसे कौसिल के सम्मुख उपस्थित करूँगा।

३. उपर्युक्त प्रतियों या तो संसार के विभिन्न कॉलेजों में सुप्रत दौदी जाएँगी या पूरे सक्षरण के द्वारा जाने तक कॉलेज में सुरक्षित रहेगी।

४. इन सुरक्षित प्रतियों में से आवश्यक प्रतियों की लागत सरकार को देते ही वे मेरी समझी जाएँगी।

५. हिंदुस्तानी कद्दा में आवश्यक ग्रथों की एक-एक प्रति प्रत्येक विद्यार्थी को बाजार भाव पर खरीदनी होगी।

६. जब तक मैं स्वयं अपने विद्यार्थियों की माँग पूरी कर सकता हूँ, तब तक मैं चाहे जिस समय वे ग्रथ बेचने की स्वतंत्रता रखेंगा, और इस सबध में ग्रथकर्ता की हैसियत से मुझे प्रत्येक स्वत्व और विशेषाधिकार प्राप्त रहेगा।

७. इच्छा, अनुबाद और प्रतिलिपि का पूरा खर्च मैं इस शर्त पर दूँगा जब कि सरकार मीर शेरग्रली को अपने खर्च पर हिंदुस्तानी साहित्य के संशोधक के उनके वर्तमान पद पर मेरी म बनाए रखूँगी, और उनके पद-त्याग करने या उनकी मृत्यु हो

जाने पर एक दूसरा सुयोग्य व्यक्ति रखेगी जिसका बेतन वही रहेगा जो अब है अर्थात् नो सौ रुपए मासिक ।

८. यदि कुछ विद्यार्थी तीनों वर्ष तक कहा में उपस्थित या अनुपस्थित रह कर पढ़ना चाहें और मेरे विभाग में विदित की जाने वाली पुस्तके माँगें तो ऐसी हालत में मेरी प्रत्येक कहा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किताबों का खर्च प्रथम वर्ष में पचास रुपए मासिक, द्वितीय में तीस रुपए मासिक, और तृतीय में बीस रुपए मासिक से अधिक किसी हालत में नहीं होगा ।

९. विद्यार्थियों की पुस्तकों की सँग पूर्ण करने वाले और प्रकाशक की हैसियत से मेर व्यवहार का निरीक्षण करने का प्रारंभिकार कॉलेज कौसिल को होगा, किन्तु साथ ही वह विद्यार्थियों के कॉलेज छोड़ने से पहले उनसे मेरा उधार का रुपया बदल करने में मेरी हर प्रकार की समुचित सहायता करेगी ।

१०. चूंकि अनेक ग्रथ जो इस समय छूप रहे हैं भिन्न परिस्थिति में दिए गए हैं, इसलिए उनका ठीक-ठीक हर्जाना भी दिया जाय ।

अपनी इन टूस शर्तों के अतिरिक्त गिलक्राइस्ट कोई अन्य सरकारी शर्त भी यथा-समव मानने के लिए तैयार थे । वे सरकार को यह सुझाना चाहते थे कि यह नवीन आयोजना मान लेने में उसका लाभ ही लाभ है । अनेक विद्यार्थी तो इतने लापरवाह थे कि सरकार की ओर से मिली हुई पुस्तके या तो खो देते थे या उनके एक या दो पृष्ठ फाड़ डालते थे । इस प्रवृत्ति से चालीस या पचास रुपए की लागत का एक इधर बेकार हो जाता था । इसमें सरकारी व्यय अधिक होने की संभावना थी । यह व्यय रोकने के दो ही उपाय थे । या तो सरकार गिलक्राइस्ट के निचारानुसार उनकी पुस्तक-प्रकाशन आयोजना स्वीकार कर लेती, या लापरवाह विद्यार्थियों को ग्रथ देना बद कर दिया जाता । यह दूसरी बात विद्यार्थियों की उचिति और प्रगति में बाधक सिद्ध होती । इसलिए गिलक्राइस्ट इस कठोर नियम का पालन करना नहीं चाहते थे । वे केवल इस बात के इच्छुक थे कि तीन वर्ष के लिए उनके विभाग की पुस्तकों का प्रकाशन-प्रबंध उनके हाथ में रहने दिया जाय और सरकार उनकी शर्तें मान ले, विशेष रूप में २, ५, ६, ७, ८, ९, १० शर्तों को । विद्यार्थियों का हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान पूर्ण बनाने और कॉलेज की तीन वर्ष की अवधि तक उनका अभ्यास लगातार बनाए रखने की दृष्टि से वे सरकार में तीन हजार रुपया वार्षिक पेशागी पाने पर हिंदुस्तानी रचनाओं का एक बृहत् और विविध संग्रह प्रकाशित करने के लिए राजी थे । अपनी आयोजना के विषय में वे इतने आशावादी थे कि पत्र में अस्पष्ट स्थलों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से कॉलेज कौसिल में जाकर स्पष्ट करने के इच्छुक थे । किंतु शायद सरकार ने उनकी यह आयोजना विशेष आकर्षक न समझी । गिलक्राइस्ट ने अपने २० जनवरी, १८०२ के पत्र में इस आयोजना का उल्लेख किया था । २५ जनवरी, १८०२ तथा बाद के सरकारी पत्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । २५ जनवरी के पत्र में उनके पास केवल एक सरकारी प्रस्ताव की सूचना मेंबीं गई जिसमें उनसे तुनी हुई पुस्तकों का विवरण और उनकी छपाई म अनुमानित व्यय का लखा माँगा गया किंतु

गिलक्राइस्ट को कालज कौसल के इस प्रस्ताव पर आपत्ति थी उनका कहना था कि हिंदुस्तानी भाषा के विद्यार्थियों के लिए रचनाओं की प्रतिलिपि भर करा कर क्य समाप्त करा देने से निश्चय ही लाभ की अपेक्षा हानि होने की अधिक संभावना है। हिंदुस्तानी भाषा में उन्हें कोई ऐसा ग्रंथ भी नहीं मिला था जिसे वे अपने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी समझते। ऐसी दशा में किसी भी हिंदुस्तानी रचना की प्रतिलिपि करा कर कौसिल के पास भेजने का कार्य वे बालू में से तेल निकालना समझते थे। जहाँ तक हिंदुस्तानी कविता से संबंध था वह केवल इस भाषा के पंडितों के पारावण के योग्य थी। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए वह समय शामी दूर था। आर्थिक इष्टिकोण से भी ग्रथों की केवल प्रतिलिपि कराने की अपेक्षा उनके छुपाने में कॉलेज को अधिक लाभ था, क्योंकि प्रारम्भिक व्यय के बहुत शीघ्र भर जाने की संभावना थी। इसलिए कॉलेज कौसिल का प्रस्ताव गिलक्राइस्ट के लिए अत्यंत निराशाजनक सिद्ध हुआ। निराश होने की बात भी थी। क्योंकि एक तो हिंदुस्तानी भाषा में उन्हें कोई ऐसा उत्सम ग्रंथ नहीं मिला जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता। इस अभाव की पूर्ति वे स्वनिर्मित ग्रथों से करना चाहते थे। दूसरे, अपनी आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण वे कुछ धनों आजन भी कर रुना चाहते थे। अपने २७ जनवरी, १८०२ के पत्र में उन्होंने दस हजार से बीस हजार रुपए तक प्रारम्भिक व्यय के रूप में कौसिल से माँगा—इस शर्त पर कि यदि इतना खर्च करने पर भी कोई अच्छा परिणाम न निकले तो हिंदुस्तानी विभाग में मिलव्ययता का सिद्धात लागू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने वह भी लिखा कि यदि इतने पर भी कौसिल मेरा प्रस्ताव अग्राह्य समझे तो मैं छुपाइ तुरत बंद करा दूँगा और एक ऐसी भाषा से, जिसमें विद्यार्थियों के लिए एक भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है, एक या दो जिल्डों में संग्रह प्रस्तुत कर कौसिल के पास मुद्रणार्थ भेज दूँगा। बास्तव में जो ग्रंथ गिलक्राइस्ट लिख रहे थे उनके पूर्ण होने तक वे कॉलेज कौसिल का प्रस्ताव असामयिक समझते थे। अपूर्ण रचनाओं से संग्रह प्रस्तुत करना वे अनुपयुक्त मानते थे। हिंदुस्तानी भाषा के ग्रथ छापने या छुपाने के सभी साधन उनके पास थे। धनाभाव ही उनके सार्वजनिक कार्य के लिए छुपाइ में अपना रुपया लगा कर वे एक बार आर्थिक संकट मुग्गत चुके थे। इसलिए अब वे केवल अपना रुपया लगा कर कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। इस संबंध में उनको इतना कदु अनुभव हो चुका था कि प्रकाशकों और ब्रिटिश भारत को अत्यंत लाभ पहुँचते देख कर भी उन्हें अपना रुपया लगाने का साहस न होता था। उनके इस विचार की परीक्षा का एक ही उपाय था। १८०२ के अंत तक हिंदुस्तानी साहित्य के जितने भी ग्रंथ निकलते उन्हें एक निश्चित मूल्य पर ग्राहकों को बेचने के संबंध में विज्ञापन करने का अधिकार गिलक्राइस्ट को दे दिया जाता। विद्यार्थियों से मूल्य लिए या न लिए जाने की समस्या इल करने का भार कौसिल पर रहता। गिलक्राइस्ट ऐसा चाहते थे। ग्राहकों से आशानुकूल चदा मिलने पर अन्य सभी भार ग्रहण करने के लिए वे तैयार थे। उनके विचार में इतने कम या अंत में नहीं के बराबर व्यय से न केवल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए हिंदुस्तानी भाषा के ग्रंथ कुछ ही था मुलम हो जाते बरन् कपन के समस्त कर्मचारिय में भी इस भाषा का प्रचार

करना अत्यन्त सुगम कार्य हो जाता गिनकाइस्ट की उस आयोजना के सम्बन्ध में दो-तीन महीनों के भीतर निश्चय हो जाना आवश्यक था।

इन सब बातों के उत्तर में कॉलेज कॉसिल ने १ फरवरी, १८०२ को एक पत्र गिलकाइस्ट के पास में जा। हिंदुस्तानी विभाग के विद्यार्थियों के लाभार्थ उसने गिलकाइस्ट के १२ जनवरी वाले पत्र के साथ दी गई सूची में उल्लिखित पुस्तकों कौसिल का उत्तर के मुद्रित अशाँ का, या उन्हें उन दूसरे अशाँ के साथ जिन्हें गिलकाइस्ट अपने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी समझे, पाँच सौ पृष्ठों का केवल एक संग्रह प्रस्तुत करना ही उचित समझा। वह ग्रंथ एक या अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता था। वह पाँच सौ प्रतियों पर दस हजार सिक्का रुपए से अधिक खर्च करना नहीं चाहती थी। इनमें मर्सिया-इ-मिस्कीन' का खर्च भी शामिल था। हिंदुस्तानी विभाग की पाठ्य-पुस्तकों के लिए उसने केवल दस हजार रुपया ही रखा। किंतु गिलकाइस्ट-कृत 'हिंदुस्तानी प्रिसिलिस' ('हिंदुस्तानी भाषा के सिद्धात') और अभ्यास-पुस्तकों की उपयोगिता समझकर कौसिल ने अधिक मेरे अधिक पाँच हजार सिक्का रुपए की लागत पर पाँच सौ प्रतियों और छपाने की आज्ञा दी। हिंदुस्तानी-प्रचार-आयोजना के संबंध में मितव्ययता के सिद्धात के आरण गिलकाइस्ट को अधिक प्रोत्साहन न मिल सका। जहाँ तक ग्राहकों से चदा लेकर ग्रंथ छपाने की आत थी, कौसिल 'चार दरवेश' और 'शुलिस्तां' या उन अन्य ग्रंथां के, जिन्हें हिंदुस्तानी के ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से गिलकाइस्ट उचित समझते थे, छप जाने पर केवल कॉलेज के लिए अधिक से अधिक पाँच हजार सिक्का रुपए में उनकी पाँच सौ प्रतियाँ खरीदने के लिए सरकार को लिख सकती थी। अत मैं कौसिल ने कॉलेज के लिए छापी गई पुस्तकों छुट रही थीं, उनका विवरण और लेखा बना कर गिलकाइस्ट के पास भेज दिया।<sup>१</sup>

गिलकाइस्ट द्वारा १२ जनवरी, १८०२ वाले पत्र के साथ भेजे हुए विवरण और उपर्युक्त विवरण में जो अंतर है वह दोनों की तुलना करने पर स्पष्ट हो जायगा। कौसिल ने व्यय कितना कम कर दिया है वह आत ध्यान देने योग्य है। इसके बाद फिर गिलकाइस्ट ने इस संबंध में कोई पत्र न लिखा। कौसिल का रख देख कर उन्हें कितना दुख हुआ होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त विवरणों से एक बात का और पता चलता है। उनमें 'मिहासन बत्तीसी', 'बैताल पच्चीसी', 'शकुन्तला नाटक' और 'माधवानल' (कामकदला), 'सिंहासन बत्तीसी', का उल्लेख है। ये चारा ग्रन्थ लल्लूलाल की कहाँ तक स्वतंत्र 'बैताल पच्चीसी', रखनाएँ हैं, इसकी चर्चा में नहीं कर्त्तव्य है। उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' 'शकुन्तला नाटक', में लिखा है:

"एक दिन साहिब ने कहा कि 'ब्रजभाषा' में कोई अच्छा कहानी हो उसे रेखते की बोली में कहो।" मैंने कहा, 'बहुत अच्छा, पर इसके लिये कोई पारसी लिखने वाला दीजे, तो मली भाँति लिखी जाय।' उन्होंने दो शाड़े मेरे तैनाथ किये, मजहर अली खान विला और काजिम अली जवाँ। एक वरष में

चार पोथी का नरजमा ब्रजभाषा से रेखत रा बाली म एक्या मिहासनबत्तीसी बेताल पूचीनी, सदुतजा नाटक, औ माकनल, उबत १८५७ म आजीविका कपनी के कालज में स्थित हुई ।”<sup>१</sup>

साहित्र ने किसे कहा और कौन किसके तैनात हुआ तथा तरजुमा किसने किया, उस संवाद में विवरणों से पाठक स्वयं अपना निष्कर्प निकाल सकते हैं। वहाँ इन चारा ग्रन्थों के विषय में इतना कहना यथेष्ट होगा कि इस्तलिखित रूप में उनकी रचना १८०१ म हा चुकी थी और १२ जनवरी, १८०२ तक ‘तिहासन बत्तीसी’ के छत्तीस पुष्ट और ‘शुतला नाटक’ के चांडीस पुठ कमशः हरकारा ग्रन्थ और कलकत्ता प्रेस में प्रकाशित हो चुके थे। कौमिल डारा तैयार किया गया विवरण १ फरारी, १८०२ का है और केवल व्यय की हष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रन्थों के प्रकाशन की हष्टि से गिलक्राइस्ट वाला विवरण मान्य है।

ग्रन्थों की तरफ से ध्यान हड़ा कर गिलक्राइस्ट ने अपने विभाग के मुंशियों की ओर ध्यान दिया। नववर, १८०१ तक हिंदुस्तानी विभाग में साठ विद्यार्थियों से कम फिसी हालत में नहीं थे। इन साठ विद्यार्थियों के पढ़ाने का कार्य बारह मुशियों के हाथ में था, जो चालीस रुपया मासिक वेतन नाते थे। अतः कार्य अधिक होने के कारण गिलक्राइस्ट ने

गुलाम अशरफ को, जो विभाग से अलग कर दिए गए थे, फिर विभाग में ले लिया। इसके अतिरिक्त कुछ सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र प्राप्त) मुशी<sup>१</sup> भी, जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान अच्छा न होने के कारण विभाग से अलग कर दिया था, फिर ले लिए गए। कॉलेज-स्थापना के प्रारम्भिक काल में फारसी विभाग को कुछ अधिक महत्व दे दिया गया था। उस सन्तुष्ट फारसी भाषा के अधिक महत्व प्राप्त होने का यह कारण था कि लोगों में हिंदुस्तानी भाषा सीखने के लिए अवकाश, चाब या योग्यता नहीं थी। एक नए विषय का ज्ञान प्राप्त करने के सबध में प्राप्त: ऐसा हो जाया करता है। दूसरे, एक कारण यह भी था कि अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वान् तो अत्यधिक सरब्या में मिल सकते थे और मिल जाते थे, किन्तु हिंदुस्तानी या बंगला भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान रखने वाल विद्वान् बहुत कम मिलते थे। अस्तु, गिलक्राइस्ट ने ५ नववर, १८०१ को कॉलेज कोमिल से बारह के अतिरिक्त आठ मुशी और, अर्थात् अपने विभाग के लिए चालीस रुपया मासिक वेतन पर कुल बीस मुशी माँगे। हिंदुस्तानी विभाग के कुछ मुशियों को छोड़ कर ऐसे मुशी ही अधिक थे जिनका हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान अपरिपक्व था। कॉलेज में नौकरी करने से पूर्व उन्हें हिंदुस्तानी भाषा के सिद्धातों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का अवसर कभी न मिला था। उनका ज्ञान युवावस्था में भीखो गई भाषाओं तक ही सीमित था। अतएव उन्हें हिंदुस्तानी भाषा

<sup>१</sup> सर्टिफिकेट हुंशी कॉलेज में अध्यापन-कार्य नहीं करते थे। वे या तो विद्यार्थियों के घर पर उनके अध्ययन में सहायता करते थे या स्वयं प्रधानाध्यापक उनसे कम सिया करते थे।

ए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने श्री और मिर उनसे सुश्रे ढग स काम लेनी ही दृष्टि से ही गिलक्राइस्ट ने नए और पुराने भव मुशियों का चालीस रूपया मासिक तन रखवा था। आठ नए मुशियों के वेतन का खर्च भी कुछ अधिक नहीं था। बहुत र मुशियों को स्वयं गिलक्राइस्ट रोमन और नागरी लिपियों ओं हिंदुस्तानी व्याकरण की शैक्षा देते थे। मुशियों की सख्त बढ़ाने में गिलक्राइस्ट बहुत कार्य हुए। १६ फरवरी, १८०२ को कॉलेज कौसिल ने इस नवध में अपनी स्वीकृति दे दी।

विद्यार्थियों को सुलेख लिखने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कॉलेज में सुलेखकों की नियुक्ति होती थी। इनका मासिक वेतन बीस सिक्का रुपए था। सर्वप्रथम सुंदर पडित नागरी सुलेखक और कल्प अलो फ़ारसी सुलेखक नियुक्त हुए थे। सुलेखक और किस्सा कितु कुछ समय बाद व्यवस्था बदल गई। फ़ारसी सुलेखक हिंदुस्तानी और फ़ारसी टोनों विभागों में काम करने और सौ रुपया मासिक वेतन पाने लगा। नागरी सुलेखक कोई न रहा। इसलिए ४ जनवरी, १८०२ को गिलक्राइस्ट ने पचास सिक्का रुपया मासिक वेतन पर एक नागरी सुलेखक (खुशनवीर) मौगा। सुलेखक के साथ-साथ उन्होंने एक किस्सा-खाँ भी मौगा। किस्सा-खाँ प्रत्येक विद्यार्थी के घर जाकर हिंदुस्तानी में किससे सुनाया करता था। इसमें विद्यार्थियों का भाषा-संबंधी जान बढ़ता था। इसका वेतन उन्होंने चालीस रुपए मासिक रखवा। एक चतुर किस्सा-खाँ न मिलने पर उन्होंने बीस-बीस रुपया मासिक वेतन पर दो किस्सा-खाँ रखने की अनुमति माँगी। उनकी दोनों मौगे ठीक थी और १६ फरवरी, १८०२ को उन्हें कौसिल की स्वीकृति भी मिल गई।

कितु उपर्युक्त पत्र में इन दोनों मौगों से भी अधिक महत्वपूर्ण उनकी मौग थी भाषा ('भाषा')-मुंशी की; गिलक्राइस्टी हिंदुस्तानी में अरवी-फ़ारसी शब्दों का बहुत रहता था। कितु इसका भवन हिंदी (आधुनिक प्रचलित शर्थ में) 'भाषा'-मुंशी की नींव पर खड़ा हुआ था। इसलिए त्रिना हिंदी-ज्ञान के हिंदुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करना कठिन था। कॉलेज के मुशियों का हिंदी-ज्ञान ज्ञान की नियुक्ति शून्य के बराबर था। इसमें गिलक्राइस्ट को बड़ी कठिनाई होती थी। स्वयं उन्होंने शब्दों में :

"मूल में हिंदुस्तानी और ब्रजभाषा का इतना घनिष्ठ संबंध है कि मुशियों को ब्रजभाषा का बहुत ही अपूर्ण ज्ञान होने के कारण इस अश के संबंध में समुचित सहायता के अभाव में मुझे प्राप्तः कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए कॉलेज के कामों में सहायता करने के लिए मैं पचास रुपए वेतन पर एक सुयोग्य व्यक्ति रखने की प्रार्थना करता हूँ।"<sup>१</sup>

१६ फरवरी, १८०२ को कॉलेज-कौसिल ने उनकी यह 'भाषा'-मुंशी की मौग सहर्ष स्वीकार की। कहना न होगा कि इस पद पर लल्लूलाल की नियुक्ति हुई। कौसिल ने २५ फरवरी, १८०२ को नागरी सुलेखक और 'भाषा'-मुंशी को १ अगस्त, १८०१ से ३१

जनवरी, १८०२ तक का पिछला पत्र दे देने की भी स्वीकृति थी। इससे पता चलता है कि अब तक लल्लूलाल सा फ़िक मशा के हैंसदृश का नज़र में बास कर रहे थे।

इस प्रकार अपने विभाग की व्यवस्था कर गिलक्राइस्ट निश्चित हुए और प्रतिदिन का कार्य-क्रम सुचारू रूप से चलने लगा।

संशोधित विवरण और अनुमान-पत्र के अनुसार कौसिल ने हिंदुस्तानी पाठ्य पुस्तकों के लिए दस हज़ार सिक्का रुपए की स्वीकृति दी थी। इसमें से २६ मार्च, १८०२ को एक हज़ार सिक्का रुपए 'निहासन बत्तीसी' की पाँच सौ प्रतियों के 'सिंहासन बत्तीसी' सुदक लथियोप (लथोप !) को दे दिए गए। इसी वर्ष की १२ हिंदी मैनुअल और अप्रैल को 'चार डरवश' की छपाई का मूल्य एक हज़ार तीन सौ 'बैताल पच्चीसी' नैतीस रुपया भी चुका दिया गया। २६ अप्रैल को 'हिंदी मैनुअल' (गिलक्राइस्ट कृत) बेतने के संबंध में गिलक्राइस्ट को आशा मिल गई। २४ मई को 'युलिस्टों' की छाई के एक हज़ार बासठ रुपए आठ आने और 'बैताल पच्चीसी' की छपाई के पाँच सौ रुपए भी चुका दिए गए। यह सब रुपया मिला कर एक साथ प्रेस को दिया गया।

इस प्रकार जब एक और कॉर्ट का कार्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी और कॉर्ट का २७ जनवरी, १८०२ का लिखा हुआ एक पत्र बेलेज़ली को कलकत्ते में मिला जिसमें उन्हें एकटम कॉलेज तोड़ने की आशा दी गई थी।

**मैं कमियों** १८०३ तक कॉर्ट की आशा का पालन करना स्थगित रखा। इस का उल्लेख पहले ही चुका है। इसी बीच में ३१ मई, १८०२ को कौसिल ने कॉलेज के विभिन्न विभागों में आवश्यक और व्यावहारिक रूप से कमी करने का निश्चय किया। और पहली जून से कॉलेज में काम करने वाले खानसामां, रसोइयों, खिदमतगारों, मशालचियों, कर्तशों, भिशियों, धोवियों, महतरा आदि की सख्त्या और उनके बेतनों में कमी करने के साथ-साथ कौसिल ने फ़ारसी और हिंदुस्तानी विभागों के प्रधानाध्यापकों से दूछा नि प्रवान और सहायक मुशी क्या काम करते हैं और क्या उनका विभाग में रहना बहुत ज़रूरी है। एन० बी० एडमॉन्सन तथा जे० बेली ने फ़ारसी विभाग और गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी विभाग की ओर से क्रमशः ६ और ७ जून, १८०२ को पत्र लिख कर प्रवान और सहायक मुशीयों की उपस्थिति अनिवार्य बताई। इन मुशीयों का कार्य विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों के रचनाक्रम का निरीक्षण कर उन्हें शुद्ध करना, शाफ़रण के विभिन्न विधियों के लिए मन्त्र प्रश्नन करना, दूसरे मुशीयों की देखभाल करना आग किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नवागत मुशी को परीक्षा लेना, और प्रवानाध्यापकों की सहायता करना तथा उनकी कठिनाइयों सुलझाना था। विद्यार्थी भी उनकी सहायता ले सकते थे। रविवार छोड़ कर प्रत्येक दिन ६ बजे सुबह से ५ बजे शाम तक उन्हें कॉलेज ही में रहना पड़ता था। गिलक्राइस्ट के 'हिंदुस्तानी प्रिसिपिल्स' नामक ग्रन्थ की रचना मुशीयों की सहायता से ही पूर्ण हो सकी थी। साथ ही मुशी प्राय काहिल होते थे और काम से ज़ चुराते थे। उनके लिए गिलक्राइस्ट को प्रतिदिन

आशा-पत्र निकालने पड़ते थे। इन आशा-पत्रों में सुशियों को शिक्षकों के रूप में अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करने के संबंध में जो शिक्षाएँ दी जाती थीं, वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हिंदुस्तानी में लिखी जाती थीं। प्रधानाध्यापक की अव्यक्ता में यह कार्य प्रधान और सहायक सुशी ही किया करते थे। वे देशी अध्यापकों की डायरियो का निरीक्षण भी करते थे। परीक्षाओं का भार भी प्रायः इन्हा दो सुशियो पर रहता था। प्रधान सुशी के अथक परिश्रम के ही कारण हिंदुस्तानी विभाग के अन्य समस्त सुशियों ने रोमन तथा नागरी लिपियों और 'हिन्दी', अरबी और कारसी व्याकरणों के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भीर बहादुर अली को गिलक्राइस्ट भारतवर्ष में हिंदुस्तानी भाषा का सर्वश्रेष्ठ विद्वान् समझते थे। तारिखीचरण मित्र हिंदुस्तानी के अच्छे विद्वान् होने के अतिरिक्त फ़ारसी और अँगरेजी का भी अच्छा ज्ञान रखते थे और गिलक्राइस्ट के रोमन-लिपि संबंधी सिडात से पूर्णतया परिचित थे।

इसलिए जब प्रधान और सहायक सुशियों की उपस्थिति अनिवार्य समझी गई तो कॉलेज में और जगहों पर कमी कर कौसिल ने ७ जून, १८०२ पुनर्निर्मित हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी विभाग का इस प्रकार पुनर्निर्माण करने का निश्चय

विभाग किया :

मीर शेर अली	...	२०० रु० मा०
अनुवादक	काजिम अली खाँ	८० , , ,
	मजहबर अली खाँ	८० , , , ३६०
मीर बहादुर अली, प्रधान सुशी	...	२०० , , ,
तारिखीचरण मित्र, सहायक सुशी	...	१०० , , ,
२० स्थायीरूप से नियुक्त	मुशी, प्रत्येक को ४० रु० मा० } }	८०० , , ,
	मुशी, प्रत्येक को ३० रु० मा० } }	६०० , , ,
२० सर्टिफ़िकेट प्राप्त	श्री लाल कवि, 'भासा' सुशी	४० , , ,
	क्रिस्ता-खाँ	४० , , ,
मुहम्मद ( १ महानंद ), नागरी सुलेखक	...	५० , , , २२००

कोर्ट की नीति के फल-स्वरूप हिंदुस्तानी विभाग में इस समय कोई कमी न होकर कॉलेज के अन्य छोटे-छोटे कार्य-केन्द्रों में बहुत-कुछ कमी हुई। किन्तु गिलक्राइस्ट की बढ़ी हुई उम्मीदों के लिए भी भविष्य अधिक आशाजनक नहीं था।

७ जून, १८०२ को कॉलेज की व्यवस्था में जो कमी की गई थी उससे एक ही दिन पहले, अर्थात् ६ जून, १८०२ को गिलक्राइस्ट ने अपने पत्र के 'ट्रिब्यून एंड प्रिसिपिलस' साथ हिंदुस्तानी 'तालिका' और सिद्धात' ('ट्रिब्यून एंड प्रिसिपिलस') नामक रचना कॉलेज कौसिल के पास प्रकाशन-अनुसन्धान प्राप्त करने के लिए भेजी थी। १४ ब्लून के अधिवेशन में कौसिल ने उसे लौटा

दिया और रचयिता को उस प्रकाशत फरने के आरक् स वाचत रखा। कुछ गल क्राइस्ट की सिक्कारश पर मीर अम्मन को पाच सो लक्षका रुपए पारप्रामक रूप भ देना स्वीकृत हुआ। उन्होंन 'चार दरवेश' का हिंदुस्तानी में अनुवाद किया था। इसके बाद विला और किसां-खाँ की आवश्यकता न समझ उन्हें क्रमशः ३० और ३१ सितंबर १८०२ को कॉलेज से अलग कर दिया गया। बेतन के अतिरिक्त विला का लखनऊ तक जाने का खार्च और मिला। लेकिन इन सब बांग का यह तात्पर्य नहीं है कि आर्थिक वंधनों के सामने कौसिल हिंदुस्तानी का महत्व सुला बैठी था। आवश्यकता-नुसार वह हिंदुस्तानी विभाग के प्रधानाध्यापक को सदैव आर्थिक सहायता देतो रही थी। १२ नवंबर, १८०२ को गिलकाइस्ट ने स्वरचित 'पालीखलो' को एक नमूने की प्रति कासिल के पास निरीक्षणार्थ भजा और गत्कृत के जिस पड़ित ने उनका सहायता नहीं थी।

उसके लिए एक अनिश्चित अवधि तक नीचे रखा मासिक बेतन न 'पौलीखलौट' भाँगा। कॉलेज कौसिल ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर उनके कार्य की गराहना की। इतना ही नहीं, कार्य की अधिकता देख कर

उसने २६ नवंबर, १८०२ को एजिनियर्स विभाग के ध्यायुत मक्क्लूगल को सहायक हिंदुस्तानी प्रोफेसर भी नियुक्त किया। २ जनवरी, १८०३ को गिलकाइस्ट ने कौसिल के पास एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी 'गुलिस्ताँ' का पूर्ण अनुवाद प्रकाशित करने में समर्थ हो सकने की सूचना दी। 'गुलिस्ताँ' और उसके साथ-साथ 'पदनामा' का अनुवाद भी उन्होंने कौसिल के पास भेजा था। वे चाहते थे कि 'गुलिस्ताँ' और 'चार दरवेश' के लिए जो पाच हजार रुपया नियत हुआ था, उसमें 'गुलिस्ताँ' और 'पदनामा' खरीद लिया जाय। की प्रति का मूल्य बंसे बत्तीस रुपया रखा गया था, लेकिन चूंकि गिलकाइस्ट केवल 'गुलिस्ताँ' की एक प्रति का मूल्य ग्राहकों से बत्तीस रुपया लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बत्तीस रुपए के स्थान पर कॉलेज द्वारा निर्धारित मूल्य लेना स्वीकार किया। 'चार दरवेश' के समाप्त होने की अभी कुछ महीना तक आशा नहां थी। साथ ही छपाई के कार्य में उन्हें इतना नुकसान उठाना पड़ रहा था कि कौसिल की सहायता के बिना उनका आगे बढ़ाना कठिन ही था। व्यापारिक दृष्टिकोण से उनका आशाओं पर तुषारापात हो चुका था। ऐसा भारी काम अपने ऊपर लेने की उनमें अब हिम्मत नहीं थी। वे चाहते थे कि जिस कार्य के लिए उन्होंने कौसिल से किसी भी प्रकार की आर्थिक याचना नहीं की, उसके लिए वह आपांत्क के समय उनकी कुछ सहायता करे। उधर कुछ विद्यार्थियों ने भी उनका झूरण न चुकाया था। इन आर्थिक सकटों के कारण गिलकाइस्ट को कौसिल से सहायता की प्रार्थना करनी पड़ी। कौसिल ने 'गुलिस्ताँ' और 'पदनामा' की सौ प्रतियाँ तीस रुपए की प्रति के हिसाब से खरीदी। गिलकाइस्ट ने उभे इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। सच देखा जाय तो कौसिल की आर्थिक सहायता के बिना गिलकाइस्ट का हिंदुस्तानी-प्रचार और शिक्षा-कार्य का सञ्चापन भी न हो सकता

था। वह कार्य कोर्ट के विरोधी रुख के होते हुए भी सपने हुआ।

३२ जनवरी, १८०३ को गिलकाइस्ट ने फिर अपने 'टिंहिंदी स्टोर' टेलर के पूर्ण होने की सूचना दी और कौसिल स 'चार दरवेश'

( श्रूपूर्ण ) के स्थान पर उसकी दो सौ प्रतियाँ खरीद लेने की प्रार्थना की । 'स्टोरी टैलर' तीन विभिन्न निधियों में छापा गया था । अतः गिलक्राइस्ट ने मूल्य बारह रुपया रखवा । हिंदुस्तानी प्रचार की दृष्टि से ग्रथ की उस्योगिता देखते हुए वे इसे साधारण मूल्य नमझते थे । और फिर 'गाइड', 'लिंगिस्ट' के द्वितीय सस्करण, और 'एंटी-जागोनिस्ट' 'ऐंटी-जागोनिस्ट' के जिए भी तो, यद्यपि वे कॉलेज से प्रकाशित होने वाले ग्रथों की सूची में शामिल थे, सरकार या कॉलेज ने उन्हें कोई आर्थिक राहायता नहीं दी थी । 'चार दरवेश' के लिए नियत दो हजार रुपए में से एक हजार में 'स्टोरी टैलर' का सा प्रति २० खरीद कर उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई । इस प्रकार जहां तक हो सकता था भरकार या कालत्र जैसे गिलक्राइस्ट की सहायता करने में कभी कोई संकोच न करती थी ।

कॉलेज की स्थापना हुए दो वर्ष पूर्ण हो चुके थे, और अब तीसरा चल रहा था ।

इस बीच में कॉलेज ने प्रधानाध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अप्रैल, १८०३ तक हिंदुस्तानी में नियमित भाषाओं आदि भाषाओं के अनेक ग्रथ प्रकाशित किए । हिंदुस्तानी वा नियमित होने वाले अंथ ग्रथों की रचना ऑगरेजी और हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में हुई । ऑगरेजी में हिंदुस्तानी ग्रथों की रचना का ऐसे गिलक्राइस्ट को है । ४ अप्रैल, १८०३ तक हिंदुस्तानी भाषा के अनेक ग्रथ नियमित हुए रहे थे ।

तीन वर्ष से भी कम समय में ग्रथों की रचना और विषयों की विविधता से कॉलेज कॉसिल को ग्राहोजना और हिंदुस्तानी-प्रचार सभवी उत्पुक्ता पर व्यष्ट प्रकाश पड़ता है ।

गिलक्राइस्ट ने कुछ तो व्यापारिक और कुछ हिंदुस्तानी प्रचार के कैथेन भांशट पथम दृष्टिकोण से अपना सहयोग प्रदान किया । धन-संबंधी उनकी माँगे सहायक के रूप में कॉसिल ने स्वीकार को । और यह सब कुछ कोर्ट की इच्छा के प्रतिकूल हो रहा था । मार्किवर बेलजली अभी भारतवर्ष ही में हिंदुस्तानी विभाग में कार्य बढ़ात देख कर उन्होंने कैंप्टन मोअट (Mouat) को प्रथम सहायक के रूप में नियुक्त करने की कॉसिल को स्वीकृति भी दी । उनकी नियुक्ति २ मई, १८०३ को हुई । वैसे भी देखा जाय तो कॉलेज के इतिहास में उसके प्रथम तीन वर्ष हिंदुस्तानी भाषा-सभवी रचनाओं की दृष्टि से अत्यत महन्यपूर्ण रहे । कॉलेज में रचनाएँ सदृश हाता रही, किन्तु जिनमी रचनाएँ इन प्रथम तीन वर्षों में हुई उनमी फिर आगे कभी न हुई । इस उदासीनता के कारण अनेक थे जिनमें प्रधान कारण था कोर्ट के डाइरेक्टर का विरोध रुख । बेलजली के चले जाने के बाद आगे आनेवाले गवर्नर-जनरलों का इस और उभाव भी कम रहा । किन्तु हिंदुस्तानी विभाग के प्रकाशन-कार्य के मद पड़ जाने के कारण का दूतगत गिलक्राइस्ट के निर्माणस्थित पत्र से हुआ, जो उन्होंने कालज कॉसिल के मत्रा चालते रूपमेन के नाम लिखा था :

कृपया कॉलेज कौसिल को यह सूचना दे दीजिए कि सभवत दिसबर मास में यूरोप लौट जाने के अपने विचार से मैं उसे इननी जल्दी परिचित करा देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इधर कुछ दिनों से मैं सिर ढाँचा, बुखार और गिलक्राइस्ट का यूरोप कष्टप्रद जुकाम ने निरतर और अन्धत पीड़ित रहना हूँ। मेरे इरादे का प्रधान उद्देश्य समय रहते अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है। मेरे कारण विभाग में जो कठिनाई उन्हमें होगी—देर से सूचित करने का यही परिणाम होता—उमका प्रबंध करने के लिए कॉलेज कौसिल के पास यथेष्ट समय है, क्योंकि १८०३ के बाट बगाल में ठहरना न तो मेरी अपनी अविकाधिक कुशलता और न घर पर मेरे परिवार और निजी कारोबार के हित की हाविं से अच्छा होगा।”

गिलक्राइस्ट ने १९ अप्रैल, १८०३ को यह पत्र लिखा जो २ मई, १८०३ की बेठक में कॉलेज कौसिल के सामने रखवा गया। किन्तु कौसिल उस समय किसी अनिम निर्णय पर न पहुँच सकी।

२० जून, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने फिर एक पत्र कॉलेज कौसिल के मंत्री के पास भेजा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी छापे से सुधार करने के सबंध में अपने प्रयत्नों का उल्लेख किया, और कौसिल से आर्थिक सहायता की प्रार्थना की। साथ ‘आ॒रिएंटल फैब्यूलिस्ट’ ही उन्होंने ‘आ॒रिएंटल फैब्यूलिस्ट’, ‘हिंदी मौरल प्रीसेप्टर’ आदि और ‘मौरल प्रीसेप्टर’ कुछ हिंदुस्तानी भाषा संघर्षी रचनाओं के नमूने कौसिल के निरीक्षण के लिए भेजे। इनके लिए भी उन्होंने पाँच हजार वार्पिक बाली रकम से से रुपया माँगा। हिंदुस्तानी ग्रथकर्ता का श्रेय प्राप्त करने के उत्साह में वे कौसिल द्वारा स्वीकृत थन प्राप्त किए बिना अपने पास से रुपया खर्च कर देते थे। क्योंकि उनका यह दढ़ विश्वास था कि हिंदुस्तानी विभाग की रचनाएँ हिंदुस्तानी भाषा को किसी दिन गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने में सफल हो सकेंगी, और देशी विद्वान् उमका उसी प्रकार आदर करेंगे जिस प्रकार वे किसी अन्य प्राचीन भारतीय भाषा का करते हैं। इंगलैंड से ग्रीक और लेटिन का बहुत कुछ आदर उनकी प्राचीनता के कारण था, न कि उपादेयता के कारण। उपयोग की हावि से फ्रेन्च भी बालचाल भी भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व नहीं रखती थी। इसी तुलना के आधार पर वे हिंदुस्तानी भाषा को, यदि वह किसी असामान्य और अलक्षित कारण से दब न गई, उसी पद पर प्रतिष्ठित होते देखना चाहते थे जिस पद पर उनके अपने देश में ड्रेगरेजी प्रतिष्ठित थी। स्वय कौसिल के कई सदस्य साहित्यिक अभियंत्र रखते थे। वे गिलक्राइस्टी प्रबलों का मूल्य निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप स लम्बर्ध थे। उन्होंने कौसिल की २७ जून, १८०३ की बैठक में १ फ्लरवरी, १८०२ को स्वीकृत पाँच हजार रुपए की रकम में से एक हजार रुपया ‘आ॒रिएंटल फैब्यूलिस्ट’ और ‘हिंदी मौरल प्रीसेप्टर’ के लिए दिया। साथ ही उन्होंने उन नो हिंदुस्तानी रचनाओं के लिए भी, जिनके नमूने गिलक्राइस्ट ने कौसिल के निरीक्षणार्थ भेजे थे, पाँच हजार रुपए देना स्वीकार किया और गिलक्राइस्ट को प्रत्येक रचना की बीस-बीस प्रतियाँ कॉलेज को देने का आदेश दिया।

कौसिल की इसी बैठक में गिलक्राइस्ट का १५ जून, १८०३ का लिखा दुआ एक

गैर पत्र पेश हुआ। इस पत्र से उनकी हिंदुस्तानी भाषा की शुद्धता, उसके महत्व और आर्थिक सहायता के संबंध में चिंता प्रकट होती है। गवर्नर-गवर्नर काहसुख का पत्र :

जनरल से मिलते के बाद उन्होंने यह पत्र लिखा था। उनका फूहना है : “श्रीमान् गवर्नर-जनरल पहला अवसर मिलते ही इन विषय पर विचार करने को उत्सुक थे। मेरे भेजे हुए १ और २ सम्बन्धक बाउचरों से कॉलेज कौसिल को स्वयं ज्ञात हो जायगा कि २१ जुलाई, १८०० से लेकर अब तक मैं आशा करता रहा हूँ कि सरकार के समस्त हिंदुस्तानी अनुवाद मेरे विमाग द्वारा होंगे। क्योंकि मेरा विश्वास है कि पूरे फोड़ के अन्यत कठिन रख्यूलेगना में मैं एक के अनुवाद में मैंने उसके साथ पूर्ण व्याय किया था। यद्यपि उसके कारण मैंने अन्यत कष्ट सहन किया गैर और उस समय का अविकाश भाग नष्ट किया जिसे दूसरे लोग आनंद मनाने और निद्रा देवी की जोद में व्यतीत करते हैं, तो भी सरकार ने न तो नुस्ख आज तक कोई पारिश्रमिक ही दिया और न इन्हीं कठिनाइयों के बाद किए जाने वाले कार्य के लिए कोई सराहना ही की। अभी थोड़े समय पहले श्री फॉर्स्टर ने जिस परिस्थिति ने हिंदुस्तानी अनुवादक की हैसियत में काम किया है वह किसी भी व्यक्ति को, जिसे मेरी अपेक्षा अन्य किसी प्रसिद्ध पूर्व विद्यालय की सफलता का कही अधिक कम ध्यान होता, एक ऐसी बात पर जोर देने से गँग देनी जिससे उस समय उसकी भीमित आशाओं पर जानी किर जाता। बुद्धिमान सरकार की उदारता और न्यायप्रियता से अब उम आपत्तियों का निवारण हो जाने पर अत मे सरकारी अनुवादों के बे अश मांगना जो स्पष्ट रूप से हिंदुस्तानी प्रोफेसर को मिलते चाहिए अपने व्यक्तिगत चरित्र के श्रोत्र नहीं समझता। यदि एक विभिन्न परिस्थिति में रहनेवाले व्यक्ति की अपेक्षा एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुदर हिंदुस्तानी बोलने और लिखने का गवे हो आर जो उसका मुख्य कार्य हो सच्चा और सुदर रूपातर कर सकता है, तो मैं आशा करता हूँ कि कॉलेज कौसिल श्री फॉर्स्टर से भी कहीं अधिक अच्छा हिंदुस्तानी अनुवादक रखने की आज्ञा देने में किसी प्रकार का सकोच न करेगी, और प्रत्येक दृष्टिकोण से अपने निए इतने बड़े लिलच्चस्प विषय के सबध में इतने दिनों से गमीरतापूर्वक शाति धारण किए रहने पर मुझे कुछ श्रेय देगी। जब कि सिविल सर्विस के बहुत कम कर्मवारी भारत की लोकप्रिय भाषा का ज्ञान रखते थे उस समय यह कोई चिंता की बात नहीं थी कि सरकारी रेम्डूलेशन किसने कब और किस प्रकार उपयोगी भाषा में रूपातरित किए, और बहुत कुछ समय है कि इस दृष्टि से श्री फॉर्स्टर के रूपातर जिस काम के निए कराए गए थे अच्छे सिद्ध हों। विचारशील सरकार के ख्याल सोच-विचार कर लेने के पश्चात् स्थानीय बोली के सबध में अब बातें दूसरी हैं, तथा दिन-प्रति-दिन उन्हें और भी ऐसा होना चाहिए जब कि हम देखते हैं कि कॉलेज के इस पद्धति में कम से कम ऐसे नौ विद्यार्थी भारत के विभिन्न अवासों में कॉलेज से भेजे गए हैं जो कई पूर्वीय भाषाएँ अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी हालत में मेरा विचार है कि भारत की सर्वोच्च सरकारी नस्था को आज्ञा से भविष्य में प्रकाशित सभी पूर्वीय भाषाओं के रूपातरों के रूप और उनकी रचना का निश्चय भारत के वास्तविक हित, जाति-

क मान और कालज संस्था क सरकार क उच्च पद और उसके समस्त सदस्यों के यश के साथ बनिष्ठ संबंध है। मैंने स्वयं श्रीमान् से कहा था कि मेरे विद्यार्थियों से ईसपू की कहानियों का अनुवाद करने के बजाय, जैसा कि इस समय मैं करता हूँ, उन्हें धीरे-धीरे सरकारी नियम अनुवाद करने के लिए देने चाहिए। इस प्रकार मैं उन्हे अभ्यास के लिए तीस या चालीस सर्वोत्तम चीजें हूँ और सरकार की ओर से स्वयं उन्हे अंत में शुद्ध कर ग्रहण करने योग्य बनाऊँ। उदार सरकार को मेरे विभाग की इस अध्ययन-पद्धति के लाभ इतने रुचे कि मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत न पड़ी। इसलिए एक ऑरिएंटल कॉलेज की कौसिल के सामने यह विषय विस्तार के साथ रखने में और भी बुद्धिमत्ता होगी—और एक ऐसी कौसिल के सामने जो अपने स्थानीय और साहित्यिक ज्ञान के कारण एक ऐसी शिक्षा-आयोजना की बारीकियों तुरंत समझने योग्य हो सकेगी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए इन्हीं फलदायक है। यदि मैं अब भी पूर्वीय भाषाशास्त्र का एकमात्र प्रोफेसर रहता, जैसा कि मैं पहले था, तो जितना वेतन मुझे उस समय मिलता था, और जिसे कॉलेज संस्था ने किसी प्रकार से नहीं बढ़ाया, मैं उसी में संतुष्ट रहता और सरकार को इस विषय में कष्ट देना कभी न्यायोचित न समझता। उस समय कुछ ऐसी ही हालत में इसी कॉलेज के मुफ्त से बहुत छोटे पूर्व विद्याविदों को चाहे जो कुछ वेतन मिलता। मुझे मालूम हुआ है कि अरबी भाषा के प्रोफेसर की हैसियत से मिलने वाले सोलह सौ मासिक वेतन के अतिरिक्त श्रीयुत बेली को अरबी अनुवादक की हैसियत से एक हजार रुपया और मिला करेगा। वह भी जब से कॉलेज स्थापित हुआ है तब से मिलेगा और भविष्य में भी निश्चित वेतन के रूप में मिलता रहेगा। तो क्या मेरा ऐसा ही कुछ सानुपातिक संरक्षण माँगना निंदनीय ठहराया जायगा? वह भी एक ऐसे विभाग के लिए जो, मेरे द्वारा शिक्षितों की गणना करने पर, अरबी की अपेक्षा भारतवर्ष के लिए दसगुना अधिक लाभदायक है, विशेष रूप से जब कि हिन्दुस्तानी प्रोफेसर को दी गई आर्थिक सहायता का बनिष्ठ संबंध सिविल सर्विस के कर्मचारियों को देशी जनता में मजिस्ट्रेट, व्यापारी, अफसर-माल इत्यादि की हैसियत से भली भाँति कार्य करने योग्य बनाने वाले कॉलेज के महान् सरकारी ध्येय से हैं। मैं तो यूरोप जाने वाला था। श्रीमान् ने कॉलेज में निश्चित समय के बाद तक मेरी उपस्थिति अनिवार्य समझ कर मुझे सम्मानित किया है। सरकारी इच्छा तुरत स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप मुझे आशा है कि जब तक मैं इस देश में हूँ कॉलेज कौसिल किसी अवसर पर मुझे मेरे सहयोगी प्रोफेसर के बराबर वेतन देकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। यदि श्रीमान् गवर्नर-जनरल ने कॉलेज की स्थापना के समय फ़ारसी में नाम पैदा कर लेने पर भी मुझ से वह विभाग ले लेने की ओर ध्यान दिया होता, यदि मेरी अध्यक्षता में फ़ारसी की प्राथमिक शिक्षा हिन्दुस्तानी के ही साथ जुड़ी होती और फ़ारसी और अरबी साहित्य के लिए बिल्कुल दूसरा ही प्रोफेसर रक्खा जाता तो संभव था कि आज मैं कॉलेज की निगाहों में इतना नीचा ठहरता और मुझे इतना कम वेतन मिलता होता कि मुझे अपनी स्थिति कम से कम अरबी प्रोफेसर के बराबर बनाने के लिए श्रीमान् या कॉलेज कौसिल को कष्ट देने पर मबद्दल होना पड़ता श्रीयुत बेना के विद्वान् भाषाशिद् और सुयोग्य व्यक्ति होने में कोई सवेद

है लेकिन तो मी मैं अपनी और उनकी स्थिति में इतना अतर नहीं समझ सकता - मेरे मुकाबले में उन्हें छब्बीस सो रुपए मासिक मिले। इस देश में मेरा अपेक्षाकृत अधिक समय का निवास, गर्भी बहुन दिनों की नौकरी, पूर्णि भाषाओं के जाता के रूप में री अनेक रचनाएँ, उस भाषा के संबंध में मेरे मूल व्यापार जिमके अध्ययन में देशी लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की, और एक ग्रथकर्ता के रूप में मेरा निरंतर उत्ताह, अब बाते मुझे इस नंस्था में उदाराश्रय पाने का समुचित अधिकारी बनाती हैं।

अपनी भाषाओं और स्वार्थ से आलग, मेरा वह विश्वास है कि पूर्वीय भाषाओं की सबसे अधिक उपयोगी शाखाएँ निम्नलिखित रूप से विभाजित करने में कॉलेज का और भी लाभ पहुँचेगा :

संस्कृत, बंगाली और दूसरी हिंदूवी वौलियाँ;

उर्द्दी और फ़ारसी साहित्य;

हिंदुस्तानी और प्रारम्भिक फ़ारसी !

इनके तीन प्रोफेसर होने चाहिए, जो वेतन आदि की दृष्टि से बराबर हों। सुविधाओं और यहाँ तक कि सरकारी बचत की किसी पूर्ण, उदार और विस्तृत आयोजना के अंतर्गत मिलने वाले किसी अधिक वेतन के बदले में विभिन्न भाषाओं के सरकारी अनुवाद जी उन्हा को दिए जाने चाहिए ।”

इस पत्र पर विचार करने के बाद कौसिल ने गिलक्राइस्ट को सूचना दी कि हिंदुस्तानी अनुवादक का कॉलेज से कोई संबंध न होने के कारण, प्रार्थनापत्र श्रीमान् गवर्नर-जनरल के पास नहीं भेजा सकता। कौसिल के इस उत्तर के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से गिलक्राइस्ट कितने हतोत्साह हुए होगे यह सोचने की बात है। इससे पहले भी कौसिल उनकी आर्थिक माँग अख्सीकार कर चुकी थी।

गिलक्राइस्ट का १६ अगस्त, १८०३ का एक दूसरा पत्र कौसिल की बैठक में पेश हुआ जिसमें उन्होंने देशी विद्वानों के परिश्रम के लिए कौसिल के उदार सरकार और उन्हें

प्रोत्साहन देने के लिए उनके बास्ते पुरस्कार माँगे। रचनाओं की सूची लेखकों को पुरस्कार और ग्रंथकर्ताओं के संबंध में अपनी सिफारिशों उन्होंने पत्र के साथ देखे के संबंध में भेजा। उन्होंने उसे पहले ही से चेता दिया था कि रकम देखने में तो गिलक्राइस्ट का पत्र : बड़ी है किन्तु ध्येय की महानता और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के हित और उसकी स्थिरता की दृष्टि से भविष्य में उसके परिणाम पर विचार करने से यही रक्तम छोटी लगेगी। श्रीमान् गवर्नर-जनरल से उन्होंने कौसिल द्वारा अस्वीकृत । ‘प्रेमसामार’

और ‘चंद्रावती’ हिंदुस्तानी विभाग के प्रति पूर्ण सहानुभूति प्रकट करने की आशा की।

लोकप्रिय हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन सरल बनाने और भारतवर्ष में प्रचार तथा प्राचीन हिंदुस्तानी रचनाओं के आधार पर निश्चित सिद्धांत स्थिर करने की दृष्टि से हिंदुस्तानी विभाग में तैयार या तैयार हो रहीं चबालीस पुस्तकों की गिलक्राइस्ट द्वारा प्रेषित सूची और सिफारिशों<sup>१</sup> के उत्तर में कौसिल के मंत्री ने गिलक्राइस्ट को लिखा:

कासिल का यह इराद कभी नहीं था कि जो देशी विद्वान् कॉलेज से नियमत बतन पर है उन्हे भी पुरस्कार दिया जाए, या अपूर्ण या प्रस्तावित रचनाओं के लिए पहले से ही पुरस्कार घोषित कर दिया जाए, कौसिल असाधरण परिश्रमी और सुयोग्य व्यक्तियों को जिन्हे कॉलेज से इच्छा बेतन दे मिल रहा है। कभी-भी विशेष अवसरों पर पुरस्कार देने के लिए तैयार है। जिन देशी विद्वानों को काई बेतन नहीं मिलता वे २ नवंबर, १८०१ के प्रस्ताव के अतर्गत आते हैं; “किन चूँकि गिलक्राइस्ट महोदय बेतन पाने वाले लोखंकों की प्रत्येक और यहाँ तक तक एक अपूर्ण रचनाओं पर भी पुरस्कार देना चाहते हैं इसलिए कॉलेज कौसिल उनके भेजे हुए विद्वाव पर कोई विचार नहीं कर सकती।

इस पर गिलक्राइस्ट ने अपने ६ सितंबर, १८०३ के पत्र में कौसिल के उत्तर प्रस्ताव का उल्लेख किया जो इस प्रकार है: ‘स्वीकृत हुआ कि देशी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएँ करने पर देशी विद्वानों को पुरस्कार दिए जाया करेंगे।’ गिलक्राइस्ट का दूसरा इस पर अपना विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पत्र कौसिल द्वारा सम्मति में वह प्रस्ताव कॉलेज के देशी विद्वानों का संबंध में भी लागू होता है। किंतु यदि कौसिल की इच्छा दूसरी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। चिना एकसी प्रतिवध के देशी विद्वानों को उनके परिश्रम के लिए पुरस्कार देने का मन जो निश्चय किया था उसके लिए मुझे दुख नहीं है। साथ ही यदि अपूर्ण या प्रस्तावित रचनाओं को मैं विभाग की ध्येय-पूर्ति के लिए सहायक न समझता तो रचयिताओं को पुरस्कार देने की कभी सिफारिश न करता। किंतु अब भविष्य में म कौसिल की इच्छानुसार ही कार्य करूँगा।

प्रस्ताव के अनुसार गिलक्राइस्ट ने एक दूसरी सूची बना कर भेजी जो कौसिल के १२ मित्र, १८०३ के अधिवेशन में उनके पत्र के साथ ही पेश हुई। लगभग एक महीने बाद कौसिल ने अपने निषेध की सूचना उनके पास भेज दी।<sup>१</sup>

कौसिल का उत्तर पाने के बाद किर प्रधान सरकारी नक्ती जॉन लस्टडन के नाम भेजे हुए २६ अगस्त, १८०३ के पत्र में पूर्वी ज्ञान-संबंधी अनेक ग्रथों के रचयिता होने की हँसियत से गिलक्राइस्ट ने अपने लिए आर्थिक सहायता, चंदा, प्रोत्साहन आदि पाने की प्रार्थना की। कॉलेज की स्थापना के समय से वे निम्न-लिखित ग्रथ प्रकाशित कर चुके थे:

### पहला भाग—प्रारंभिक रचनाएँ

१. ‘दि ऐटी-जार्गोनिस्ट, ए शोर्ट इंट्रोडक्शन द्वि दि हिंदुस्तानी,’ ... १६ रु०
२. ‘दि आरिएटल लिंगिस्ट’, द्वितीय संस्करण, अनेक संशोधन। सहित, ... ... ... ... ... २० रु०

३.	'दि गाइड', छूट्रोडेसीम,	...	...	...	८ रु०
४	'ए न्यू थियरी आँव पर्शियन बब्स विथ् देअर हिंदुस्तानी सिनोनिम्स' १० रु०				
५	'दि हिंदी, अरेबिक टेबिल', हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं में प्रयुक्त अरबी भाषा का ज्ञान सरल और सुगम बनाने के लिए। ४ रु०				
६	{ विभिन्न रूपों में रोमन, नागरी और फ़ारसी अज्ञाह दिखलाने				
७.	} वाली दो लिपियाँ	...	...	...	३ रु०
					६१ रु०

### दूसरा भाग—साहित्यिक रचनाएँ

८.	'हिंदी गुलिस्ताँ', दो जिल्द, अठपेजी	....	...	३२ रु०
९.	'हिंदी स्टोरी टैलर', एक जिल्द, अठपेजी	...	...	१२ रु०
१०.	'हिंदी मौरल प्रीसेप्टर', एक जिल्द, अठपेजी	...	...	२० रु०
११.	'गलीग्लोट फ़ेब्रिल्स' अथवा ऑर्गरेजी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा और बङ्गला में ईस्प् की कहानियाँ	...	...	६३ रु०
				१५७ रु०

इन सब ग्रंथों के लिए विभिन्न रूपों में चार हजार रुपया तो मिल चुका था और  
छः हजार मिलने को था। यह रुपया 'गुलिस्ताँ', 'स्टोरी टैलर', 'प्रीसेप्टर' और 'टेबिल्स'  
नामक प्रकाशित और निम्नलिखित प्रकाशित होने वाले अत्यंत लाभदायक ग्रंथों के लिए  
सहायता के रूप में दिया था : 'हिंदुस्तानी कुरान', 'नस्ख-इ-बेनज़ीर', 'अख्लाक़-इ-हिंदी',  
'हातिमताई', 'तोता कहानी', 'बाग्ना-ओ-बहार', 'बकावली', 'अयास-दानिश' 'नक्लियात'  
& जिल्द, और 'प्रेमसागर'। यह दस हजार रुपया 'गुलिस्ताँ', 'स्टोरी टैलर', 'प्रीसेप्टर',  
आर 'टेबिल्स' की सौ (?) प्रतिया की लागत में थोड़ा ही अधिक होता था। इन  
प्रकाशित ग्रंथों का व्यय प्रकाशित होनेवाले ग्रंथों के एक चौथाई व्यय से अधिक नहीं था।  
ऐसी हालत में गिलक्राइस्ट महोदय कॉलेज कॉसिल से आर्थिक सहायता माँगने पर बाध्य हुए  
थे। वे केवल ग्रंथों की बिक्री पर निर्भर रहना चाहते थे। और यद्यपि कॉलेज कॉसिल ने  
हिंदुस्तानी साहित्य की माँग बढ़ा दी थी, ता भी इस साहित्य के लिए सीमित समाज होने  
के कारण पुस्तकों की बिक्री कम होती थी और छुपाने का व्यय अत्यधिक होता था। फिर  
नए याइप की भी उन्हें झरत थी। अतः गिलक्राइस्ट ने अपने न्यारह ग्रंथों के लिए  
सरकार स आर्थिक सहायता और माँगी। किन्तु कॉलेज कॉसिल के मंत्री रॉथमैन ने २४  
अक्टूबर, १८०३ के पत्र में प्रधान सरकारी मंत्री जॉन लम्सडन को १ फ़रवरी, १८०२ के  
प्रस्तावानुसार स्वेच्छा किए गए एक हजार रुपए से अधिक को सहायता देना स्वीकार  
न किया।

पू. नवंवर, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने एक ओर पत्र कॉलेज कॉसिल के पास भेजा  
जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी विभाग में कार्य बढ़ा जाने के कारण अस्सी और साठ रुपया  
मार्शिक बतन पर दो सहायक प्रधान मुश्ती माँगे। कॉसिल के स्वीकार न करने

पर वे चाहते थे कि मेजर आर० डब्ल्य० कोलब्रुक के पत्रानुसार मिर्जा फ़ितरत को अस्टी रूपया मासिक वेतन दिया जाय या उन्हें स्वतंत्र रूप से मेजर कोलब्रुक को चार धर्म-पुस्तकों के फ़ारसी और हिंदुस्तानी रूपातरों के सशोधन करने और दुहराने में नहायता देने की आज्ञा दी जाय। सब गिलक्राइस्ट मिर्जा फ़ितरत को भेजने के लिए तैयार थे। मेजर कोलब्रुक ने अपने ३ नवंबर, १८०३ वाले गिलक्राइस्ट के नाम पत्र में चार धर्म-पुस्तकों के फ़ारसी और हिंदुस्तानी अनुवाद का उल्लेख किया था। 'उत्पत्ति की पुस्तक' का अनुवाद तो उस समय समाप्त भी हो चुका था। कार्य जल्दी समाप्त करने के घ्येय से उन्होंने फ़ितरत की सहायता माँगी थी क्योंकि सरकार की ओर से भौगोलिक निरीक्षण-कार्य में व्यस्त रहने के कारण स्वयं उन्हें अधिक समय नहीं मिलता था। वन भी वे उसमें काफ़ी लगा चुके थे। ४ नवंबर, १८०३ के पत्र में उन्होंने कॉलेज कौसिल के नाम भेजे गए पत्र के संघर्ष में गिलक्राइस्ट की सराहना की। अस्सी रूपए का वेतन वे फ़ितरत के लिए कम समझते थे क्योंकि इंग्लैड-यात्रा करने के कारण उन पर कुछ कर्ज़ हो गया था। चार महीने पहले फ़ितरत से उनका परिचय हुआ था। उस समय मेजर कोलब्रुक उनके लिए सौ रूपए और उसके बाट कार्य सतोषप्रद होने पर डेढ़ सौ रूपए माँगते थे। गिलक्राइस्ट ने मेजर कोलब्रुक के दोनों पत्र कौसिल के पास भेज दिए थे। कौसिल ने ७ नवंबर, १८०३ के अधिवेशन में दो सहायक प्रधान मुंशियों की माँग तो श्राविकार की, किंतु मिर्जा फ़ितरत को अस्सी रूपए मासिक वेतन देना निश्चित किया। मिर्जा फ़ितरत को मेजर कोलब्रुक को सहायता के लिए उनके पास भेजने के संघर्ष में उसने गिलक्राइस्ट का विचार पसंद किया और मेजर कोलब्रुक को उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए भव्यवाद दिया। ५ दिसम्बर, १८०३ को कौसिल ने निश्चित किया कि मेजर कोलब्रुक द्वारा तैयार किए गए चार धर्म-पुस्तकों के फ़ारसी और हिंदुस्तानी अनुवाद, जिन्हें उस समय गिलक्राइस्ट दुहरा रहे थे, कॉलेज के खर्च से और गिलक्राइस्ट की निगरानी में छापे जायें। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि मार्किन सेलजली ईसाई धर्म के प्रचार-कार्य में दिलचस्पी लाते थे।

गिलक्राइस्ट के पद-याग करने और यूरोप लौट जाने के विचार का पहले उल्लेख किया जा चुका है। उनके एक पत्र से यह ज्ञात होता है कि श्रीमान् गवर्नर-जनरल के अनुरोध करने पर उन्होंने अपना दूरोप जाना स्थगित कर दिया था। किंतु इवर उनको कई आंथक माँगे कौसिल ने अस्वीकृत ठहराई थी। इससे उन्हें, जैसा उनके पत्रों से भी ज्ञात होता है, अत्यंत निराशा हुई होगी। पत्रों से उनके अस्वस्थ रहने का हाल भी मालूम होता है। नभवतः इन सब कारणों से उन्होंने यूरोप लौट जाने का अब दृढ़ निश्चय कर लिया था। कदाचित् उनके इस दृढ़ निश्चय का पता लग जाने पर ही हिंदुस्तानी विभाग के सहायक प्रोफेसर कैप्टेन जै० मोश्ट्रट ने १६ जनवरी, १८०४ के एक पत्र में कौसिल से अपने सहायक प्रोफेसर की हैसियत स किए गए कार्य का गवर्नर-जनरल से सिफारिश करने की प्रार्थना की वे हिंदुस्तान में कुछ समय व्यतीत कर चुके थे उन्हें

हिंदुस्तानी भाषा का अच्छा ज्ञान था और भारतीय आचार विचारों से भी वे परिचित थे। इसलिए सब ग्रकार स अपने के नेतृत्व समझ कर व आवश्यकता पड़ने आए बैसर गान पर कौसिल द्वारा हिंदुस्तानी प्राक्केसर के पद पर नियुक्त होना चाहते थे। जनरल और रॉवर्ट ऐवरकॉम्बो ने उनकी सिफारिश की थी। २३ जनवरी, १८०४ को कौसिल के पत्री राथमैन न उन्हें उत्तर देते हुए लिखा कि कौसिल इसके लिए उपयुक्त अधिकार नहीं रखता। लेकिन समय बढ़ाने पर उनकी योग्यता, परिश्रम आदि की सिफारिश करने का उन्होंने कौसिल की तरफ से बच्चन दिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि गिलक्राइस्ट को कॉलेज के सम्बन्ध में कोर्ट के डाइरेक्टरों के रख का पता नहीं था, और यदि या भी तो वे आवश्यकता से अधिक उत्साही थे। कोर्ट के डाइरेक्टरों के रख पर उनकी हाँ रहती तो कदाचित् वे इतनी खुच्चीलों आयोजनाएँ कौसिल के समुद्र उपस्थित न करते और न उन्हें इतना निराश ही होना पड़ता।

अत मे उनका त्याग-पत्र कौसिल के पास पहुंच ही गया। २६ फरवरी, १८०४ की बैठक में कौसिल के पत्री राथमैन के नाम गिलक्राइस्ट का २३ फरवरी, १८०४ का लिखा हुआ निम्नलिखित पत्र सदस्यों के सामने रखा गया :

“यकायक स्वास्थ्य खुराक हो जाने के कारण किसी तैयार खड़े जहाज संयुक्त ज्ञान के लिए मैं हिज्ज एकसेलेसी दि मोस्ट नोविल गवर्नर-जनरल से प्रार्थना करने पर बाध्य हुआ और तदनुसार उनकी आज्ञा प्राप्त करने में सफल हो सका हूँ। इसलिए सपरिषद् हिज्ज एकसेलेसी द्वारा स्थापित कॉलेज में श्रीमान् की कृपा सं प्रहण किए हुए हिंदुस्तानी प्राक्केसर के पद से त्याग-पत्र देना मैं उचित समझता हूँ।

“कॉलेज कौसिल को वह सूचना देने की में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस ‘कलकत्ता’ नामक जहाज संयुक्त यूरोप-वात्रा कर रहा हूँ उसकी रवानगी का तारीख से मरा पदन्त्याग समझा जाय।

“मुझे इदू विश्वास है कि इस अवसर पर कौसिल मेरे कार्य के संबंध में, मेरे व्यवहार और परिश्रम के विषय में हिज्ज एकसेलेसी दि पैट्रन ऐड विजिटर को जिस तरह अच्छा समझे लिखेगा। कृपया आप उसे मेरी वह हार्दिक प्रार्थना जता दे कि वह मेरी अतिम विनती ऐसी आशा लकर स्वीकार करे जिससे मुझे कोर्ट के ऑनरेबुल डाइरेक्टरों की उदाराशयता प्राप्त करने के लिए सपरिषद् हिज्ज एकसेलेसी का सिफारिश मिल जाय।

“मेरे त्याग-पत्र देने से केवल मेरी आर्थिक व्यवस्था को ही तुरंत जबरदस्त आघात नहीं पहुंचेगा बरन् इससे सेरी उस आशा पर पानी किर जायगा जो मैंने श्रीमान् गवर्नर-जनरल के सरकारण में कॉलेज में रहते हुए एक दीर्घ काल के साहित्यिक परिश्रम के बाद अत मे विश्राम प्रहण कर अपने कुटुंब के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने की लगा रखी थी। इस संबंध में मुझे विश्वास है कि इस समय अपने उस अत्यधिक व्यय की ओर व्यान आकृष्ण करने के लिए कौसिल मुझे चमा करेगी जो कॉलेज के

स्थापना-काल से हिंदुस्तानी भाषा के अपने ग्रथों के ग्राम हनस ज्यादा उन्हें जा प्रेस में इतिहासिक करने में हुआ है और जिन्हें मुझे अब एक बड़ी अनिश्चित और अव्यवस्थित हालत में छोड़ जाना पड़ रहा है।

“१८०३ के गत वर्ष में ही छपाई में मेरा तेहम हजार आठ सौ में अधिक रुपया बच हुआ। जल्दी करने के सिवाय और कोई चारा न होने के कारण मुझे जितना नुकसान हुआ है उसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे इन सभी बहुत कम रुपया मिलेगा। मैं एक वर्ष और यहाँ रह जाता तो शायद मुझे मेरा सब रुपया मिल जाता।”

“कॉलेज में पढ़ाए जाने के लिए निर्मित हुए अपने कई ग्रथों के संबंध में मेरा कुछ खर्च हुआ है और मुझे ‘टि डाइरेक्टरी’ और ‘कास्केट’ नामक दो ग्रथों की विक्री का हिसाब देना है। ये दोनों ग्रथ कॉलेज की सपत्ति हैं। लेकिन यह हिसाब साफ़ करने का भार मैंने अब अपने एजेंट मेसर्स माकिटोश फुल्टन एंड कंपनी को दे दिया है। सब ज़रूरी कागजात उनके पान हैं।”

“कॉलेज के प्रेस और टाइप, साथ ही अपनी अपूर्ण रचनाएँ, और हिंदुस्तानी प्रेस इस सभी में साधारण रूप में मेसर्स माकिटोश फुल्टन एंड कंपनी के मेल में डॉक्यूमेंट्स और श्री मैकड़ूगल के प्रबंध और निरीक्षण में छोड़ जा रहा हूँ।”

कॉलेज कौसिल ने उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और गिलकाइस्ट की इच्छा नुसार गवर्नर-जनरल से उनकी मिफापिश करते हुए उनके हिंदुस्तानी ग्रथों से कॉलेज के ध्येय की पूर्ति में विशेष रूप से सहायता मिलने का उल्लेख किया। गिलकाइस्ट के पत्र और कौसिल के प्रस्ताव की नकले श्रीमान् विजियर वे पाल भी भेज दी गईं।

गिलकाइस्ट के चले जाने के बाद उनकी हिंदुस्तानी व्याकरण और साहित्य के सबध में उनकी समस्त रचनाएँ कॉलेज को भेट में दी गईं। साथ ही भविष्य में भी उसे इस प्रकार की भेट मिलने का वचन प्राप्त हुआ: कॉलेज कौसिल ने इस सबध में एजेंट को धन्यवाद दिया। ६ अगस्त, १८०४ को कौसिल ने मेसर्स माकिटोश फुल्टन एंड कंपनी को हिंदुस्तानी रचनाओं के लिए पाँच हजार रुपए देने के अपने २७ जून, १८०३ के वचन के सबध में लिखा। रचनाओं के नमूने गिलकाइस्ट ने कौसिल के निरीक्षणार्थ भेज दिए थे। उनमें से चार ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे जिनके नाम थे हैं: ‘हिंदी स्टोरी टैलर’ दूसरी जिल्द, ‘अखलाक-इ-हिंदी’, ‘नस्त-इ-बेनजीर’ और ‘गुलबकावली’। इन चार ग्रंथों और ‘शकुतला नाटक’ की सौ (?) प्रतियों की विक्री से छायालीस सौ रुपया मिला था। इसलिए २७ जून, १८०३ के प्रस्तावानुसार कौसिल ने पाँच हजार रुपया गिलकाइस्ट के एजेंट को देना स्वीकार किया। भविष्य में प्रकाशित होने वाले अन्य ग्रथों के लिए भी सहायता देने का वचन दिया। इस वचन के अनुसार ११ अगस्त, १८०४ को कौसिल ने ‘चार दरवेश’, ‘हिदायतुल्लूहस्लाम’, ‘तोता कहाना’ और ‘हिंदुस्तानी ढायलौस्स’ के लिए पाँच हजार रुपया देना स्वीकार किया और ‘कुरन ‘अगर दानिश’, ‘शतिमताई’ और ‘प्रेमसागर’ के सिए, जो प्रेल में थे, आयिक

सहायता देने का वचन दिया। पहले की तरड़ प्रत्येक ग्रंथ की बीस-तीन प्रतिशाँ उसने कॉलेज के लिए ली।

यहाँ गिलकाइस्ट का भारत में साहित्यिक जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद, जैसा कि उनके ल्याग-पत्र से भी संकेत मिलता है, उनका कार्य-क्षेत्र लंदन रहा। किंतु भारत से जाने के बाद वे कोई नवीन रचना प्रकाशित न कर सके। वे केवल सिविलियन विद्यार्थियों को कोर्ट के ईस्ट इंडिया कॉलेज, हेलीबरी की नई आयोजना के अनुसार हितुस्तानी भाषा की सार्वजनिक रूप से शिक्षा देते रहे। वहाँ कोर्ट की ओर से उन्हें बेतन मिलता था। तत्कालीन ईस्ट इंडिया हाउस डिबेट्‌स में इन बातों का मविस्तार उल्लेख मिलता है।<sup>१</sup>

## जेम्स मोअट

( जनवरी, १८०६—फरवरी, १८०८ )

६ मई, १८०४ को जेम्स मोअट ने कॉलेज कौसिल के मंत्री, चार्ल्स रॉथमैन, के नाम लिखे गए पत्र में हिंदुस्तानी विभाग के लिए 'भाषा'-मुशी लल्लूलाल और सदल मिश्र पडित की उपस्थिति अनावश्यक समझी। उनका यह पत्र लल्लूजाह और सदल मिश्र कौसिल की ११ जून, १८०४ की बैठक में पेश हुआ और १ जुलाई, १८०४ से उन्हें वेतन मिलना बंद हो गया। दूसरे शब्दों में, वे कॉलेज से अलग कर दिए गए<sup>१</sup> ; किन्तु 'भाषा'-ज्ञान की आवश्यकता कॉलेज में बराबर हुआ करती थी। इसलिए कॉलेज कौसिल ने २७ अक्टूबर, १८०४ की बैठक में, जिसमें ब्यूकैनैन, हारिगटन, आर कोलट्रुक उपस्थित थे, लल्लूलाल ( श्री लाल कवि ) और सदल मिश्र को फिर कॉलेज में ले लिया और पिछली जुलाई के बाद का वेतन भी उन्हें दे दिया<sup>२</sup> क्योंकि वे जुलाई से ही रक्ष्य समझे गए। कौसिल ने मीर बहादुर अली के स्थान पर मीर शेर अली का हिंदुस्तानी विभाग का प्रधान मुशी और मीर बहादुर अली को हिंदुस्तानी अनुवादक नियुक्त किया।

यह पहले कहा जा सकता है कि कोर्ट के डाइरेक्टर वैलेज़ली की आयोजना से नहमत नहीं थे। धन का अपव्यय समझ कर उन्होंने उसे कम करने की आज्ञा दी थी।

इसी आज्ञा के अनुसार सरकारी मंत्री, टॉमस ब्राउन, ने १६ मई, कॉलेज की अवधि १८०५ को एक पत्र लिखा। इस पत्र के साथ उन्होंने गवर्नर-जनरल के परिवर्तन में वेतन की ३० अप्रैल, १८०५ की परिषद् की कारखाई के उद्धरण भी भेजे और १ जून, १८०५ से उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का आदेश दिया। कोर्ट के नए आज्ञा-पत्र में बंबई और मद्रास के विद्यार्थियों को वापिस भेजने, भविष्य में उचित अवसर पर प्रोवोस्ट और बाइस-प्रोवोस्ट के स्थान पर दो हजार रुपया मासिक वेतन पर केवल एक प्रोवोस्ट रखने, आधुनिक भाषाओं और दर्शन के अध्यापकों का पद तोड़ने, अरबी और फ़ारसी के दो अलग-अलग प्रोफेसर के स्थान पर पद्धति संभालने, हिंदुस्तानी प्रोफेसर के वेतन पद्धति संभालने, फ़ारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं के द्वितीय

<sup>१</sup> लो० खि०, २८ अप्रैल, १८०१—४ सितंबर १८०५, छो०, मि०, खि० १, पृ० ११०, १०० रे० खि०

<sup>२</sup> यही, पू० १८८

सहायक प्रोफेसरों का पद तोड़ने और उनके स्थान पर एक हजार रुपया मासिक वेतन पर केवल एक ही सहायक प्रोफेसर रखने, कॉलेज कौसिल के मंत्री और पुस्तकालय नामक दो व्यक्तियों के स्थान पर चार सौ रुपया मासिक वेतन पर केवल एक ही व्यक्ति नियुक्त करने, विभिन्न भाषाओं के भारतीय अध्यापकों की सम्म्या में कमी करने और पुरस्कार-वितरण, परीक्षाओं, नौकरी, इमारत आदि के अन्य व्यय में कमी करने का आदेश था। उन्होंने भारतीय अध्यापकों और उनकी साहित्यिक रचनाओं पर केवल चालीस हजार रुपए वार्षिक का सीमित व्यय निर्धारित किया। इस सबव भी विछुले चार वर्ष में औसत व्यय इतना ही हुआ था। इन चालीस हजार रुपयों का कॉलेज के समान्य व्यय से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन देने की नीति तो सरकार की हमेशा रही थी।

कॉलेज कौसिल की २४ जून, १८०५ की बैठक में इस विषय पर विचार हुआ और सपरिपद् गवर्नर-जनरल की आशानुसार जहाँ-तहाँ कमी करने का निश्चय हुआ। व्यावहारिक हष्टिकोण से भारतीय अध्यापकों की सख्ती में कमी की गई। किन्तु फ्रारसी और हिंदुस्तानी विभागों के मुंशियों की सख्ती में कोई कमी न की गई, क्योंकि यह कार्य तो पहले ही हो चुका था। हाँ, सर्टिफिकेट मुंशियों की भूख्या अवश्य घटा दी गई। संस्कृत, बङ्गला और मराठी विभाग मिलाकर एक विभाग कर दिया गया। इस प्रकार अन्य चेत्रों में भी कौसिल ने सुविधानुसार कमियाँ की। हिंदुस्तानी विभाग का विवरण इस प्रकार है :

	१ जून, १९०५ को	प्रस्तावित कमी
प्रधान मुंशी	२०० रु०	कोई कमी नहीं
सहायक मुंशी	१०० रु०	" "
दो मुंशी—प्रत्येक को ८० रु० मा०	१६० रु०	" "
दो मुंशी— " " ६० " "	१२० रु०	" "
बारह मुंशी " " ४० " "	४८० रु०	" "
'भाखा' मुंशी	५० रु०	" "
सत्ताइंस सर्टिफिकेट मुंशी, प्रत्येक		
को ३० रु० मा०	८१० रु०	१६ सर्टिफिकेट मुंशी
	<u>१६२० रु०</u>	प्रत्येक को ३० रु० मा०-४८० रु०
		<u>१५७० रु०</u>
		कुल कमी—३३० रु०

हिंदुस्तानी अनुवादक

१ हिंदुस्तानी अनुवादक	२०० रु०	४ हिंदुस्तानी अनुवादक,
३ " " प्रत्येक		प्रत्येक को ८० रु० मा०
को ८० रु० मा०	२४० रु०	३०२ रु०
	४४० रु०	कुल कमी १२० रु०

ये हिंदुस्तानी अनुवादक बड़ी दूर-दूर से बुलाए गए थे। इसलिए उन्हें एकदम न हटाया जा सका। किन्तु कौसिल ने भविष्य में नए अनुवादक न रखने का निश्चय किया। नागरी सुलेखक पहले की भाँति ही रहने दिया गया। इसके अतिरिक्त कौसिल ने हिंदुस्तानी विभाग के छुकों तथा अन्य नौकरों की सख्ता और उनके वेतनों में कमियाँ कीं।<sup>१</sup>

२५ जुलाई, १८०५ के सरकारी पत्र में नए परिवर्तन स्वीकृत हुए। कौसिल को उन्हें तुरत कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा थी, किन्तु प्रोफेसर के बीमार पड़ जाने से प्रस्तावित कमियाँ तुरत ही कार्यान्वित न हो सकीं। इसलिए २ सितंबर, १८०५ को कौसिल ने सबधिन व्यक्तियों को सूचित करने और सितंबर के शुरू से नई आयोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

गिलक्राइस्ट के बाद अभी तक हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई थी। ७ अगस्त, १८०५ को कौसिल ने इस आशय का पत्र सपरिषद् गवर्नर-जनरल को

लिखा। द्वितीय सहायक प्रोफेसर का पद तोड़ना निश्चित हो ही प्रधानाध्यापक के पद चुका था। किन्तु कॉलेज कौसिल यह पद अभी थोड़े दिन और पर मोअट की नियुक्ति बनाए रखना और हिंदुस्तानी के प्रोफेसर की नियुक्ति तक एन्साइन मैकड़ूगल को द्वितीय सहायक के रूप में स्थित रखना चाहती थी। फिर स्वयं ही इस संबंध में निर्णय कर उसने सपरिषद् गवर्नर-जनरल को सूचना दी कि गिलक्राइस्ट के बाद प्रथम सहायक कैप्टेन मोअट स्थानाध्यक्ष प्रोफेसर की हैसियत से और द्वितीय सहायक मैकड़ूगल प्रथम महायक की हैसियत से अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन दोनों के परिश्रम से कॉलेज को यथेष्ट लाभ पहुँचा है।<sup>२</sup> १ जनवरी, १८०६ को मोअट के संबंध में परिषद् के उप-समाप्ति ने अपनी स्वीकृति दे दी।<sup>३</sup>

कॉलेज कौसिल की १८ सितंबर, १८०५ की बैठक में हिंदुस्तानी और फ़ारसी विभाग के कर्मचारियों की सख्ता, वेतन आदि पर विचार किया गया। २५ जुलाई को सरकार उसके प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी और सितंबर मास के अन्य परिवर्तन प्रारंभ से वे कार्यान्वित होने वाले थे। इस समय कॉलेज कौसिल ने निश्चित किया कि :

प्रधान और द्वितीय मुशी का वेतन क्रमशः २०० रु० और १०० रु०।

दो मुंशी—प्रत्येक को ८० रु० मा०।

दो मुंशी—प्रत्येक को ६० रु० मा०।

इन मुंशियों का कर्तव्य प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की सहायता करना, विद्यार्थियों के लिए अम्यास तैयार करना तथा अन्य आवश्यक कार्य करना था।

<sup>१</sup> वही, पृ० ४०६-४२।

<sup>२</sup> वही, पृ० ४३३।

<sup>३</sup> क्रो० वि०, १६ सितंबर १८०५ २७ अक्टूबर, १८०६ हो० मि० वि० २

पृ० ८६, ६० रे० छि०

बारह मुशी--प्रत्येक को ४० रु० मा० ।

न सुशियों का कार्य विद्यार्थियों को फारसी और हिंदुस्तानी भाषाएँ पढ़ाना था । एक प्रदार्थी के लिए एक मुशी नियुक्त हुआ ।

तीस रुपया मासिक बेतन पाने वाले मुशी कॉलेज के अस्थायी विभाग में रखे गए । इनकी सख्त विद्यार्थियों की नंख्या पर निर्भर रहती थी ।

'भाषा' पढ़ने के लिए 'भाखा'-मुशी की आवश्यकता न होने पर उन्हें हिंदुस्तानी अनुवादकों के साथ रखा गया । उपयुक्त अवसर पर उन्हें कॉलेज से अलग कर दिया जा सकता था ।

अस्थायी विभाग के मुशी भी साहित्यिक कार्य करने और पिछली ३० अप्रैल को स्वीकृत चालीस हजार रुपए की रकम में से पुरस्कार पाने के अधिकारी थे ।

इन सब प्रस्तावों की सूचना हिंदुस्तानी विभाग को दे दी गई और प्रस्तावानुसार उससे पूरा विवरण माँगा ।<sup>१</sup>

द्वितीय सहायक (?) मैक्डूगल के बीमार हो जाने से हिंदुस्तानी विभाग में बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई । इसी दिन अर्थात् २३ सितंबर को कौसिल ने परिषद् के उप सभापति और न० सर जॉर्ज वालीं को एक पत्र लिखा और मैक्डूगल के अच्छे होने तक एक सहायक माँगा । बेतन का निर्णय उप-सभापति पर ही छोड़ दिया गया । साथ ही कौसिल ने हिंदुस्तानी भाषा के अच्छे जानकार विलियम हंटर की सिफारिश की । उस समय हिंदुस्तानी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी :

कैप्टेन मोश्ट के साथ—१४

मैक्डूगल के साथ—१४

नए दाखिल हुए—१४

२६ सितंबर, १८०५ को उप-सभापति ने अपनी स्वीकृति के साथ-साथ बेतन आठ नौ सिक्का रुपया मासिक बेतन नियत किया । ३१ दिसंबर, १८०५ को मैक्डूगल के बापिस आ जाने की सूचना कौसिल ने परिषद् के उप-सभापति जॉर्ज उड्नी को दी । इसके बाद विलियम हंटर सहायक न रहे ।

१६ सितंबर के प्रस्तावानुसार कैप्टेन मोश्ट ने अपने विभाग के भारतीय अध्यापकों का विवरण भेजा जो कौसिल की ३० सितंबर, १८०५ की बैठक में पेश हुआ :

सि० रु०	कार्य
२००	'तवारीख-इ-खुलासहुल-हिंद' आदि का अनुवाद हिंदुस्तानी प्रेस में
१००	मीर शेर अली, प्रधान मुशी

	सि० रु०	कार्य
मीर बहादुर अली	८०	
मिजां काज़िम अली	८०	
मजहब अली खाँ	८०	अनुवाटक
मिजां फितरत	८०	
मीर अम्मन	८०	डोरिन्
मो० मुहम्मद वाजिद	८०	मौकूटन
मुर्तूजा खाँ	६०	मंकदूगल
यूसुफ अली	६०	मरिशेदार
महानद ठित	५०	नारायी सुलेखक
श्री लाल कवि	५०	हिंदुस्तानी प्रेस, आदि

इसके अतिरिक्त मुहम्मद सादिक, मीर मसूर अली, बशरुदीन, छलील खाँ, मुहम्मद तकी, गुलाम जौस, गुलाम अली, नजरल्लाह, मुहिन अली, गुलाम नक्शाबन्द, गुलाम सुभान, मौलवी कसालुदीन—प्रत्येक को चालीस रुपए मासिक मिलते थे—गार्डन, वालपोल, पैरी आदि विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ये सब स्थायी विभाग के अध्यापक थे। देवीप्रसाद तथा अन्य छब्बीस अस्थायी विभाग के अथवा सर्टिफिकेट सुशी थे। प्रत्येक सर्टिफिकेट सुशी को तीस रुपया मासिक वेतन मिलता था। एक अध्यापक एक विद्यार्थी के लिए नियुक्त था। हिंदुस्तानी का कुल व्यव दो हजार दो सौ साठ रुपया होता था। कौमिल ने हिंदुस्तानी विभाग की यह व्यवस्था स्वीकार की और फ़ारसी विभाग के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले मुशी फ़ारसी विभाग से वापिस छुला लिए।<sup>१</sup>

कैप्टेन मोअट चाहते थे कि प्रधान मुशी शेर अली उनके यहाँ, और फिर नियत समय पर कॉलेज में, उपस्थित हों। किन्तु शेर अली से ऐसा न हो सका। इसलिए मोअट ने कौसिल से उनके कर्सेंब्य-पालन न करने और सुस्ती की शिकायत और उनके स्थान पर मीर काज़िम अली की सिफारिश की। किन्तु कौसिल का निर्णय शेर अली के पक्ष में हुआ, अर्थात् शेर अली से सुबह नौ बजे गार्डन छाउस पहुँचने की आशा नहीं की जा सकती थी। जो मुशी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते थे उनके पहुँचने का स्थान कॉलेज हॉल था जहाँ २३ सितंबर के नियमानुसार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुनिवार को हिंदुस्तानी पर व्याख्यान दिए जाते थे।

४ जूल, १८०६ की बैठक में कौसिल ने मुशी मीर अम्मन को उनकी इच्छानुसार चार महीने का वेतन देकर कॉलेज से अलग कर दिया। इसी बैठक में कौसिल ने फ़ारसी और हिंदुस्तानी दोनों भाषाएँ न पढ़ा सकने वाले अस्थायी या स्थायी विभाग के मुशीयों को कम वेतन देने का निश्चय किया।

गिलकाइस्ट के बाद कॉलेज लगभग दो वर्ष तक, कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त,

पहले की तरह चलता रहा : किंतु १८०६ में कालेज के जीवन की गति फिर बदली डाइरेक्टरों के २ सितंबर, १८०३ के पत्र का उत्तर भेज दिया गया था। कॉलेज की आवोजना में प्रस्तावित कमियों पर इस पत्र में विचार किया गया था। २१ मई, १८०६ के पत्र में डाइरेक्टरों ने लिखा था—“इस सम्बन्ध में आपकी बातों पर सूझम रूप से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह सोच-विचार कर लेने के बाद ही हमने ऐसे देश (इंगलैण्ड) में एक बड़ी संस्था स्थापित करने का निश्चय किया है। कंपनी के जो कर्मचारी भारतवर्ष भेजे जाएँगे, उन्हे पूर्वीय साहित्य और यूरोपीय शान की शिक्षा देने का पहले यहाँ भरसक प्रयत्न किया जायगा। किंतु यदि वे पूर्वीय साहित्य की समुचित शिक्षा यहाँ प्राप्त न कर सकेंगे तब उनके लिए भारतवर्ष में एक संस्था की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉलेज बनाए रखवा जा सकता है। और हमारा यह निर्णय है कि कलाकृते का कॉलेज केवल इसी उद्देश्य-पूर्ति का साधन रहेगा। इस सीमित उपयोगिता की दृष्टि से उस पर अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु साथ ही हमारी यह भी हार्दिक इच्छा है कि पूर्वीय साहित्य के देशी विद्वानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाय, उनका कॉलेज के साथ संबंध बनाए रखवा जाय, और विद्यार्थियों को पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए उनकी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया जाय। हमारी इच्छा यह है कि यहाँ की संस्था में शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी (राइटर) केवल पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलाकृते के कॉलेज में एक वर्ष और व्यतीत करे। इसलिए आपने अपने ५ जून के पत्र में जो कमियाँ निर्दिष्ट की हैं, कॉलेज को उससे भी अधिक छोटा रूप दिया जा सकता है। हमारा सिद्धान्त ध्यान में रखते हुए प्रोबोस्ट और वाइस-प्रोबोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुशासन की देखरेख प्रोफेसर लोग ही अथवा कमी-कमी गवर्नर-जनरल या उनकी परिषद् के सदस्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाने से मुशियों की सख्ती में भी कमी की जा सकती है। सदायक प्रोफेसर की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इनके साथ-साथ पुरस्कार-वितरण, मकान-किराया, रसोईघर आदि के व्यय में काफी कमी की जाने की गुंजायश है। हमारी सम्मति में प्रोफेसरों और मुशियों की निम्नलिखित व्यवस्था ठीक रहेगी :

आरवी और फ़ारसी के प्रोफेसर का वेतन,

मकान-किराया आदि—

सि० रु०

१८,०००- वार्षिक

हिन्दुस्तानी	,,	१२,०००-	,,
बँगला और संस्कृत का अध्यापक	,,	१२,०००	,,
मुंशी, सुलेखक आदि	,,	३३,०००	,,

प्रधान मुशियों और पंडितों का वेतन आजकल की भाँति दो सौ रुपए मासिक ही रहेगा। यदि विद्यार्थियों के लिए मकान-किराया, पुरस्कार, छपाई आदि में कमी करके कुल व्यय जोड़ा जाय तो निसदेह कॉलेज का कुल व्यय एक लाख पचास हजार रुपिंय के अंदर रखा जा सकता है। इसने अपने विचारों की केवल रूपरेखा मात्र

आपके सामने रखती है उचित स्थलों पर की गई और मी कमियों का इम स्वागत करेगे और यहाँ की संस्था में पूर्वी ज्ञान की आवश्यकतावश आप एक फ़ारसी और एक हिंदुस्तानी मुंशी तीन या उससे अधिक वर्षों के लिए भेज दीजिए। किकायत का ख्याल रखते हुए आप ही उनका वेतन और राह-खर्च तैयार कर दें। हमारे विचार से अनुशासन की देखरेख करने वाली कमेटी के लिए अरबी और फ़ारसी के प्रोफ़ेसर के साथ-साथ हारिंगटन और कोलड्रुक उपयुक्त व्यक्ति होंगे। उनके बाद भी कमनी के कर्मचारियों में से उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन न होगा। अबूतालिब नामक एक मुंशी पहले यहाँ इंगलैड में थे। हमने उनकी विद्वत्ता के संबंध में अच्छी सूचना प्राप्त की है। यदि वे बंगाल में हो और यहाँ के कॉलेज में नौकरी करना चाहें तो हम उन्हे लेना पसन्द करेगे।”

प्रधान सरकारी मंत्री, टॉमस ब्राउन, ने ४ दिसंबर, १८०६ को डाइरेक्टरी का पत्र कौसिल के पास विचारार्थ भेजा। २४ दिसंबर, १८०६ को कौसिल के सदस्यों ने उस पर विचार किया। टॉमस ब्राउन ने अपने पत्र में सपरिषद् गवर्नर-जनरल की इस इच्छा का सकेत दे दिया था कि कॉलेज की प्रस्तावित कमी ३१ दिसंबर, १८०६ से कार्य रूप में परिणत हो जानी चाहिए और नए परिवर्तनों के अनुसार नए नियम बनाए जायें। सपरिषद् गवर्नर-जनरल के आदेशानुसार और सब पहलुओं पर विचार करते हुए कौसिल ने आयोजना में जो कमियाँ की उनका विवरण इस प्रकार हैं :

### दिसंबर, १८०६ की व्यवस्था

फ़ारसी विभाग	..	११६० रु०
अरबी „	„	४५० „—१६१० रु०
हिंदुस्तानी „	„	स्थायी १४८० „ अस्थायी ८७० „—२३५० „
बंगाल इत्यादि का विभाग		स्थायी ८०० „ अस्थायी ३३० „—११३० „
फ़ारसी पुस्तकालय	„	२० „
सुलेखक	„	४०० „
नौकर	„	१०७ „ <hr/> ५६१७ रु०

### प्रस्तावित कमियाँ

#### स्थायी विभाग—

अरबी विभाग—एक मुंशी हटाने पर	„	२५० रु०
फ़ारसी ” —एक मुंशी, ८० रु० माह, और		
एक मुंशी, ६० रु० माह, को		
हटाने पर	„	१४० „
हिंदुस्तानी ” — „ „ „ १४० „		
दो अनुवादक हटाने पर	„ „	१६० „—३०० रु०
तीन सुलेखक	„ „ „	१५० „ <hr/> ८४० रु०

# फ्रोटे विविधम काल्पन

**पायी विभाग—**

**फ़ारसी और हिंदुस्तानी दोनों**

विभागो में एक विद्यार्थी के लिए

एक ही सुशी की नियुक्ति

करने पर ... २७० रु० का अंतर (अब से)

विद्यार्थियों की सख्त्या कम

होने पर	...	२४०,,	<u>५१० रु०</u>	<u>३७० रु०</u>
---------	-----	-------	----------------	----------------

देशी कर्मचारियों की सख्त्या

कम होने पर	...	८२६७ रु०
------------	-----	----------

नई व्यवस्था

देशी कर्मचारियों की सख्त्या

कम होने पर—८२६७ रु० मा०	...	५१,२०४ वार्षिक
-------------------------	-----	----------------

मकान-किराया—६०० रु० मा०	...	७२०० "
-------------------------	-----	--------

पदक और पुरस्कार के लिए पुस्तके	....	५००० "
--------------------------------	------	--------

छपाइ, देशी लेखकों को पुरस्कार

आदि विशेष अवसरों के लिए	...	२०००० "
-------------------------	-----	---------

आरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर—१५०० रु० मा० ..	...	१८००० "
--	-----	---------

हिंदुस्तानी का प्रोफेसर—१००० रु० मा० ..	....	१२००० "
---	------	---------

बँगला आदि का प्रोफेसर—१००० रु० मा० ..	....	१२००० "
---------------------------------------	------	---------

मंत्री और पुस्तकाध्यक्ष	...	१२००० "
-------------------------	-----	---------

दो परीक्षक, ग्रन्तिको ५०० रु० मा०	...	१२००० "
-----------------------------------	-----	---------

१,४८,४०४ रु०

कॉलेज की यह नई आयोजना २४ दिसंबर, १८०६ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल के इस मेज दी गई। कौसिल की सम्मति में एक लाख पचास हजार से कम में संस्था का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता था, ईंगलैंड के कॉलेज में पहले से शिक्षा ऐने पर भी। मंत्री, पुस्तकाध्यक्ष और दो परीक्षकों का वेतन उन्होंने कार्य की अधिकता देख कर बढ़ा दिया था। नई आयोजना के साथ-साथ कौसिल ने २३ दिसंबर, १८०६

का 'ए० डी० १८०६ रेग्यूलेशन' भी सपरिषद् गवर्नर-जनरल की कॉलेज के विधान का स्वीकृति के लिए मेजा दिया।<sup>१</sup> इस रेग्यूलेशन के अंतर्गत फ्रोटे द्वितीय परिषद् विलियम कॉलेज के विधान का द्वितीय परिच्छेद ३१ जनवरी, १८०७

को सपरिषद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए मेजा गया। १२ फरवरी, १८०७ को गवर्नर-जनरल ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। पहला परिच्छेद १० अप्रैल, १८०१ को स्वेच्छा हुआ था ३

गवर्नर-जनरल ने ३१ दिसंबर, १८०६ को ऊपर की आयोजना पर अपनी वीक्षणि दे दी। कौसिल ने ग्रोवोस्ट का पद बनाए रखने की सिफारिश की थी। केन्द्र कोर्ट के डाइरेक्टरों की आशा के सामने वे इस संबंध में कुछ करने के लिए असमर्थ रहे। नई व्यवस्था गवर्नर-जनरल की आशानुसार ३१ दिसंबर, १८०६ को कार्यान्वित हो दी। १ जनवरी, १८०७ को कोलकाता कॉलेज कौसिल के समाप्ति नियुक्त हुए।

१ जनवरी, १८०७ से हिंदुस्तानी विभाग की व्यवस्था

कैप्टेन मोश्ट, हिंदुस्तानी के प्रोफेसर ... १००० रु० मा०

प्रवान सुंशी ... ... २०० , , "

द्वितीय सुंशी ... ... १०० , , "

१ सुंशी ... ... ८० , , "

१ सुंशी ... ... ६० , , "

१२ सुंशी, प्रत्येक को ४० रु० मा० ... ४८० , , "

२ अनुबादक, प्रत्येक को ८० रु० मा० ... १६० , , "

१ 'भास्त्र'-सुंशी ... ... ५० , , "

१ नामरी सुलेखक ... ... ५० , , "

---

२१८० रु०

आवश्यकता न रहने पर दोनों अनुबादक अलग कर दिए जा सकते थे। इस नई व्यवस्था का विवरण कौसिल ने गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया। सभ्य-सभ्य पर और भी छोटे-छोटे परिवर्तन होते थे। मिर्ज़ा अबू तालिब के अतिरिक्त हिंदुस्तानी और फ़ारसी पढ़ाने के लिए मीर अब्दुल अली छः सौ पौंड वार्षिक वेतन और राह-खर्च पर हट्टफ़र्ड कॉलेज भेजे गए। इसी प्रकार बाद को मिर्ज़ा ख़लील भी भेजे गए थे। ये अरबी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी जानते थे।

गिलकाइस्ट के बाद २० सितंबर, १८०४ को क्लोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों द्वारा रचित पुस्तकों की सूची कौसिल के सामने पेश हुई। इस सूची में उन पुस्तकों का उल्लेख है जो गत वर्ष प्रकाशित हो चुकी थीं या होने वाली थीं।<sup>१</sup> इसी सूची के साथ फ़ारसी, अरबी, बँगला, मराठी, उड़िया, तामिल और मलय भाषाओं में रचित अथवा रची जाने वाली पुस्तकों की सूची भी दी गई थी। इसी वर्ष विद्यार्थियों

द्वारा वार्षिकोत्सवों पर पठित फ़ारसी, हिंदुस्तानी, अरबी और रचनाएँ तथा टाइप बँगला की थीसिमों का संग्रह प्रकाशित हुआ। अरबी और

संस्कृत के प्रशानाध्यापकों के अरबी और संस्कृत में भाषण भी संग्रह में दे दिए गए थे। टाइप में भी अनेक सुधार हुए। किल्किन्स द्वारा निर्मित

<sup>१</sup> पही, प० २२२ २५०

<sup>२</sup> दे०, परिकल्पना छो

स्तालीक टाइप में विराम-चिन्ह बनाए गए। साथ ही श्रवणी और कारसी छवियाँ प्रकट हरने वाले नागरी अङ्गरी और नागरी टाइप में भी विराम-चिन्हों का निर्माण हुआ। मिलकाइस्ट ने श्रवणी, कारसी और नागरी अङ्गरी के लिए रोमन लिपि अपनाई थी। इन उच्च मुद्दाओं में गिलकाइस्ट का काफ़ी हाथ था। विलियम कैरे ने संस्कृत और वैगला के टाइप तैयार किए। इस संबंध में ये तथा इनके पूर्ववर्ती विडाल् भारतीय भाषाओं के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।<sup>१</sup>

२१ फरवरी, १८०५ को विलियम हॉटर (डॉ०) ने सरकारी प्रधान मंत्री, लम्बडन, को ग्रस्तानित 'हिंदुस्तानी-हँगलिश-डिक्शनरी' की आयोजना से परिचिन कराया। (पञ्जिक डिपार्टमेंट के) सरकारी मंत्री, टॉम्स ब्राउन, ने उसे कौसिल के सम्मत्यर्थ में जा। कौसिल ने हॉटर की आयोजना की अत्यंत प्रशंसा की और उसे स्वीकार कर लिया।

२० मई, १८०५ की बैठक में कौसिल ने विलियम हॉटर के १३ मई, १८०५ के पत्रानुसार 'हिंदुस्तन बच्चीसी' को सोलह रुपए की प्रति के हिसाब से सौ प्रतियाँ खरीदने का निश्चय किया।<sup>२</sup>

इसी समय कौसिल ने विलियम हॉटर के १५ मई, १८०५ के पत्रानुसार 'फौर गौस्पेलस' (चार मुसमाचार) का हिंदुस्तानी में अनुवाद करने पर मिर्ज़ा फ़ितरत को पाँच सौ रुपए देना निश्चित किया। स्वर्य विलियम हैखाई सुखमाचार हॉटर ने इन अनुवादों की तुलना अँगरेजी, लैटिन और फ्रेंच संस्करणों से की थी।

'अख्लाक़-इ-जलाली' का हिंदुस्तानी अनुवाद प्रस्तृत करने पर श्रमान्तुल्लाह को दो सौ रुपए पुरस्कार-स्वरूप दिए गए।

३० सितंबर, १८०५ की बैठक में कैप्टन मोअट का २७ सितंबर, १८०५ का 'बैताल पच्चीसी' लिखा हुआ पत्र कौसिल के सामने पेश हुआ। यह पत्र कौसिल कौसिल के मंत्री के नाम था: "उच्च कक्षाओं के लिए नागरी अङ्गरी में लिखी गई एक पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता होने से मैं सादर 'बैताल पच्चीसी' को विकारिश करता हूँ।..." पुस्तक छापने आदि का व्यय दिखाने के लिए उन्होंने विलियम हॉटर नथा हिंदुस्तानी प्रेस के अन्दर प्रीपाइटरों का अपने नाम लिखा गया पत्र प्रेषित कर दिया था। विलियम हॉटर के पत्रानुसार हिंदुस्तानी प्रेस ने 'बैताल पच्चीसी' छापना शुरू भी कर दिया था। मोअट उस पाठ्य-पुस्तक के रूप में लेकार कर चुके थे। इसलिए उसकी सं प्रतियो के लिए हॉटर आर्थिक सहायता चाहते थे। पुस्तक लगभग दो सौ पृष्ठों में समाप्त होने वाली थी। साढ़े छः रुपए प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से एक प्रति का मूल्य तेरह रुपए होता था। किंतु कौसिल ने छः रुपए प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से

<sup>१</sup> को० वि०, २६ अप्रैल, १८०१—४ सितंबर, १८०५, द्व०, मि०, दि० १, १० द१००८५४, ८० २० डि०

<sup>२</sup> को०, १० १००८५४

सौ प्रा । लिए अनुमति दी । ६ नवंबरी, १८०६ की बैठक में कौसिल ने उसकी सौ प्रतियों के लिए बारह सौ रुपए की स्वीकृति दी ।<sup>३</sup>

‘रामायण’ की प्रतिलिपि करने के सम्बन्ध में कौसिल ने १८ नवंबर, १८०६ की बैठक में सदल मिश्र पडित को छब्बीस रुपए आठ आने दिए ।<sup>४</sup> और २७ मई, १८०६ की बैठक में कौसिल ने सत्कृत की ‘आध्यात्म रामायण’ का खड़ी-सदल मिश्र का कार्य बोली में अनुवाद करने पर उन्हें तीन सौ रुपए देने का प्रस्ताव स्वीकार किया ।<sup>५</sup> सदल मिश्र की यह रचना दुर्भाग्यवश अभी तक अग्राय है ।

१० फरवरी, १८०६ को कौसिल ने ‘आइटिल्स ऑव हिन्दी गौस्पेल्स’ के लिए हटर के प्रेस को साढ़े बारह रुपये दिए । कोर्ट का २८ फरवरी, १८०६ का लिखा हुआ एक पत्र कौसिल की ३० जुलाई, १८०६ की बैठक में पेश हुआ । इस पत्र में कोर्ट ने विद्यार्थियों द्वारा रचित विभिन्न थीसिसों की निदा की और उन्हें ‘बाल-प्रग्राम’ कहा । उसकी सम्मति में ऐसी थीसिसें कॉलेज की स्थापना न होने पर भी लिखी जा सकती थीं । १२ नवंबर, १८०६ की कौसिल ने गुलाम हैदर कुन ‘गुल-ओ हुम्ज़’ के अनुवाद की बारह रुपए फ्री प्रति के हिसाब से सौ प्रतियों लेने और उसे दिल्ली नी विभाग के प्रधान मुश्ही के निरीक्षणार्थ भेजने का निश्चय किया ।

अथ-रचना की दृष्टि से मोश्वर का समय अविक महत्वपूर्ण नहीं है । अनेक ग्रंथों की रचना पहले से होती आ रही थी । मोश्वर के समय में वे केवल पूर्ण हुए । दूसरे शब्दों में, कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो ३१ दिसंबर, १८०६ से पहले पूर्ण न हो सके थे । उन पर पुरस्कार देने के लिए सरकार बचन-बद्र हो चुकी थी । किन्तु इस पुरस्कार संबंधी व्यय का उल्लेख नई व्यवस्था के अंतर्गत कही भी न हुआ था । इसनिए कौसिल के मंत्री ने इस सबध में सरकारी मंत्री के नाम एक पत्र लिखा । कौसिल छः रुपए प्रति सौ चौपेंजी पृष्ठ के हिसाब से ‘हिंदुस्तानी-इंगलिश-डिक्शनरी’ की सौ प्रतियों एन का बचन दे चुकी थी । इस कोष के चार सौ पृष्ठ भी चुके थे । कुल अनुमान लोलाह सौ चौपेंजी पृष्ठों का था । इस प्रकार एक प्रति का मूल्य एक सौ चार रुपया और कुल प्रतियों का मूल्य दस हजार चार सौ रुपया होता था । शीघ्र ही आधा मूल्य देना भी था । किन्तु ५ फरवरी, १८०७ को सरकार ने यह अतिरिक्त व्यय स्वीकार कर निशा ।

कौसिल ने हैदरबखश को ‘बहार दानिश’ का हिंदुस्तानी अनुवाद करने पर तीन सौ रुपए और खलल खाँ को ‘किस्स-इ-रज़वॉ’ और ‘हंतखाब-ह-सुलतानी’ का हिंदुस्तानी अनुवाद करने पर सत्तर रुपए पुरस्कार-स्वरूप दिए ।

<sup>३</sup> को० चि०, १६ दिसंबर, १८०५—२७ नवंबरी, १८०६, श०० चि०, चि० ३, प०० ६३-६४, द०० र०० ५०

<sup>४</sup> चही, प० ८६

<sup>५</sup> चही, प० ८०

<sup>६</sup> चही, प० ११५

इधर गिलक्राइस्ट के ईगलैंड चले जाने से कुछ हिंदुस्तानी रचनाएँ अधूरी रह गई थीं। ये रचनाएँ गिलक्राइस्ट की सपत्ति थीं। पूर्ण न हो सकने के कारण गिलक्राइस्ट को काफ़ी आर्थिक हानि हुई थी। अपूर्ण ग्रंथों पर वे रूपया तो लगा गेलक्राइस्ट के पूर्जों त्रुके थे, किन्तु बदले में उन्हें कुछ भी न मिल सका था। इसलिए तो आर्थिक सहायता ७ फरवरी, १८०७ को गिलक्राइस्ट के एजेंट मेसर्स माकिन्टोश एंड कंपनी याचना कुल्टन ने सरकारी मंत्री को पत्र लिखते हुए गवर्नर-जनरल से आर्थिक

हानि पूरी करने की प्रार्थना की। प्रारम्भ में कौसिल कौसिल ने आठ रुपए प्रति सौ चौपेशी या दो सौ अठपेशी पृष्ठ के हिसाब से प्रत्येक पूर्वीय साहित्य-संबंधी रचना की सौ प्रतियों लेकर लेखकों को प्रोत्साहन देने का वचन दिया था। लेकिन बाद को उसने हिंदुस्तानी रचनाओं के लिए केवल पाँच हजार वार्षिक व्यय सीमित कर दिया था। गिलक्राइस्ट के चले जाने के बाद एजेंट ने ३० अगस्त, १८०४ को रेवरेंड डॉ॰ ब्यूकैनैन के नाम इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र के आधार पर कौसिल ने यह निश्चित किया था कि १८०४ में गिलक्राइस्ट के जितने ग्रथ छप चुके थे या छपने को थे उनके लिए पाँच हजार रुपए दे दिए जायें। एजेंटों के विचार में यह रकम गिलक्राइस्ट की आशाओं से बहुत कम थी। डॉ॰ ब्यूकैनैन के नाम लिखे गए पत्र के साथ उन्होंने दो चिट्ठे (Memorandum) भेजे थे।<sup>१</sup> इन चिट्ठों का विस्तार सहित विवरण एजेंटों ने अपने पत्र में दिया।<sup>२</sup> कौसिल की १४ मार्च, १८०७ की बैठक में उनका पत्र पेश हुआ। चिट्ठा नं० १ की अतिम पाँच पुस्तकों (पाँच हजार रुपया) और चिट्ठा नं० २ में सम्मिलित प्रत्येक पुस्तक की सौ-सौ प्रतियों के लिए उन्होंने चौदह हजार रुपया (चार हजार रुपया अधिक) भाँगा। उनकी सम्मति में गिलक्राइस्ट का परिश्रम देखते हुए चार हजार रुपए की रकम अधिक नहीं थी। २६ फरवरी, १८०७ को सरकारी मंत्री ने एजेंटों का पत्र कौसिल के पास विचारार्थ भेज दिया।

१४ मार्च, १८०७ के कौसिल के उत्तर के अनुसार छः रुपए प्रति सौ चौपेशी पृष्ठ के हिसाब से 'अयार दानिश', 'हातिमताई' और 'प्रेमसागर' की सौ-सौ प्रतियों के लिए आर्थिक सहायता देना उचित होता। 'प्रेमसागर' किंतु गिलक्राइस्ट के यूरोप चले जाने से वे ग्रथ अपूर्ण रह गए थे। इसलिए कौसिल ने प्रत्येक ग्रंथ के छपे हुए अंश मिला कर एक विविध संग्रह तैयार करा देने की युक्ति सोची। इससे हिंदुस्तानी रचना की विविध शैलियों का एक ही संग्रह में प्रदर्शन हो जाता था। कौसिल ऐसे संग्रह की सौ प्रतियाँ लेने के लिए प्रस्तुत थी। इनमें से उन्होंने चालीस प्रतियाँ हर्टफ़र्ड भेजने की सिफारिश की। एजेंटों के अनुसार इस संग्रह की पृष्ठ-संख्या तीन सौ

<sup>१</sup>दो, परिशिष्ट और

<sup>२</sup>फ्रॉन्ट विं, १६ बिलियन, १८०४—१७ फरवरी, १८०६, हो०, वि०, वि० ३० १८०८-१९०९, १० र० वि०

वापन होती थी और मूल्य दो हजार दो सौ अडार्से सिक्का रुपए होता था कौसिल तना रुपया दे देन के पक्ष में थी। अन्य ग्रथों के संबंध में कौसिल मौन वारण किए रही। केवल 'कुरान' का प्रकाशन उसने अनविकृत बताया। १६ मार्च, १८०७ को मरकार ने कौसिल का मत स्वीकार कर लिया।<sup>१</sup>

'भासा'-मुंशी लल्लूलाल कवि ने अपने चार वर्ष पूर्व प्रकाशित ग्रंथों<sup>(१)</sup> के लिए कुछ आधिक सहायता या पुरस्कार माँगा, किन्तु २३ मई, १८०७ की बैठक में कौसिल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार न की।<sup>२</sup>

कोलकाता ने अपनी १५ अगस्त, १८०७ और १७ सितंबर, १८०७ की मिनिट्स में बवई लिटरेरी सोसायटी (बवई की साहित्यिक सभा) के सभापति सर जेम्स माकिन् थोश के प्रस्तावानुसार भारतीय भाषाओं के शब्दों की एक तुलनात्मक सूची तैयार करने की आयोजना निर्मित की जिसे कॉलेज कौसिल ने स्वीकार किया। कोलकाता ने नागरी और फारसी लिपियों में ग्लैडूविन की शब्दावली के आधार पर हिंदी और फ़ारसी तथा बङ्गला और मस्कूत की सूची तैयार कर सर जेम्स माकिन्थोश की आयोजना में कुछ मुधार पेश किए थे। कौसिल ने भारतवर्ष के विभिन्न भाषाओं से शब्द इकट्ठा करने आरडा० फ़ासिस थ्यूकैनैन से सहायता लेने का निश्चय किया। फ़ारसी और हिंदुस्तानी शब्द-सूची की प्रतियों हिंदुस्तानी प्रैस छापने के लिए तैयार था। साथ ही सस्कृत और बङ्गला की थब्द-सूची प्रकाशित करने की आयोजना निश्चित की गई। सौ चौपेशी पृष्ठों के अनुमान से एक सेट का मूल्य चार सौ पचास रुपए रखवा रखा।

प्रधान मुंशी मोर शेर अली कृत 'खुलासतुल हृद' के आधार पर भारतीय हिंतहास तैयार हो जाने पर कौसिल ने तेरह रुपए फ़ी प्रति के हिसाब से सांप्रतियों लेने का निश्चय किया। हिंदुस्तानी प्रैस के प्रोप्राइटरों को 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी', जिल्द १, के चार हजार पॉन्च सौ सिक्का रुपए दिए गए और उसकी चालीस प्रतियों हर्टफ़ल्ड मेंजी गई।

२४ अगस्त, १८०७ को कौसिल के मत्री ने कैप्टेन मोर्चाट का निम्नलिखित कथन कौसिल के सामने रखवा :

"हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर, गिलक्राइस्ट, के फ़रवरी, १८०४ में चले जाने पर उनके कार्य का भार प्रथम सहायक (Senior Assistant) की हैसियत से मेरे

ऊपर पड़ा। यह कार्य में बिना वेतन बढ़वाए १ जनवरी, १८०६ सोम्याट का स्वाम-पत्र तक करता रहा। १ जनवरी, १८०६ को में प्रोफ़ेसर नियुक्त हुआ। ऐसी ही परिस्थिति में जब अरबी और फ़ारसी के प्रोफ़ेसर कार्यवश बाहर चले गए थे तो उस विभाग के प्रथम सहायक को प्रोफ़ेसर का वेतन मिला था। मुझे इस प्रकार का कोई वेतन नहीं मिला। मैंने लॉर्ड वेलेजली का ध्यान इस और आकृष्ट किया था, किन्तु अन्य महस्सपूर्ण कायों में व्यस्त रहने के कारण

सु पर विचार न कर सके थे। प्रोफेसर नियुक्त होने पर मुझसे यह कहा गया था कि मेरी पहली आर्थिक हानि पूरी कर दी जायगी। यह बढ़ा हुआ वेतन मुझे केवल बध मर ही मिल पाया था कि कोर्ट की आज्ञानुसार हिंदुस्तानी प्रोफेसर का वेतन बढ़ा कर पहले के प्रथम सहायक के वेतन के बराबर कर दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मेरा पुराना बाड़ा पूरा हो जाना चाहिए। दूसरे, अन्य विभागों की अपेक्षा हिंदुस्तानी विभाग में विद्यार्थियों की सख्त्य भी दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से भी मेरी बात पर विचार होना चाहिए।”

२६ सितंबर, १८०७ की बैठक में कौसिल ने कैप्टेन मोअट का प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। कोर्ट और सरकारी आज्ञान्त्रों के सामने वह कुछ न कर सकती थी। हाँ, इतना उसने अवश्य कहा कि मोअट यदि चाहे तो सरकार के पास एक प्रार्थना-पत्र मेज सकते हैं, कौसिल उस पर अपनी सिफारिश कर देगी।<sup>१</sup>

किन्तु संभवतः उनकी इच्छा पूर्ण न हुई। अतः ३ फरवरी, १८०८ को कैप्टेन मोअट ने कौसिल के मंत्री, विलियम हट्टर, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्वास्थ खराब हो जाने के कारण तुरत ही यूरोप लौट जाने की इच्छा प्रकट की। उनका विचार ‘लडी कैसिलरी’ (Lady Castlereagh) जहाज की रवानगी के अवसर पर हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पद से त्याग-पत्र देने का था। अपनी सेवाओं के संबंध में कौसिल से उन्होंने एक प्रमाण-पत्र पाने की प्रार्थना की।

५ फरवरी, १८०८ को कौसिल की आशा से मंत्री ने प्रधान सरकारी मंत्री, टी० ब्राउन, के माथ्यम द्वारा सपरिषद् गवर्नर-जनरल के पास मोअट का पत्र मेज दिया और उनकी सेवाओं की प्रशंसा की। उसी दिन ब्राउन ने मोअट के पत्र का प्राप्ति स्वीकार की और उनकी सेवाओं के संबंध में अच्छा प्रमाण-पत्र दिया।<sup>२</sup>

२० फरवरी, १८०८ को कैप्टेन मोअट ने ‘एच० सी० शिप लैडी कैसिलरी’ से यूरोप जाने के प्रमाण में जहाज के सचालक, शार्ट्लैट, के लर्टिफिकेट के साथ अपना त्याग-पत्र कौसिल के मंत्री, विलियम हट्टर, के पास मेज दिया। उन्होंने उसे २४ फरवरी, १८०८ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया।<sup>३</sup>

<sup>१</sup> वही, पृ० ११२-११३

<sup>२</sup> वही, पृ० १००-१०१

<sup>३</sup> वही, पृ० ११४-११५

## जॉन विलियम टेलर<sup>१</sup>

( करवरी, १८०८—मई, १८२३ )

फ्रांकर्वरी, १८०८ में कैप्टेन मोअट का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया था। उनके बाद २२ फ्रांकर्वरी, १८०८ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने कैप्टेन जॉन विलियम टेलर को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का ग्रोक्सर देखर नियुक्त किया।<sup>२</sup>

फोर्ट विलियम कॉलेज में नागरी और हिंदी भाषा (आधुनिक अर्थ में) को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, वह दूसरी बात है। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारी भारतीय शासन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी और नागरी को दौर्द और भारतीय का महत्व अवश्य जानते थे। २ मार्च, १८०८ को कोर्ट के डाइरेक्टरों ने सपरिषद् गवर्नर-जनरल से कुछ ऐसी सामग्री माँगी थी जो हर्टफर्ट कॉलेज में विद्यार्थियों के भारतीय शासन-पद्धति में दब होने और उसका अध्ययन करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। फारसी, हिंदुस्तानी और बङ्गला में लिखे गए अनेक विचारों से सबध रखने वाले काश्मीर, पत्र, प्रार्थना-पत्र, सनद, हिसाब के रजिस्टर आदि उन्होंने माँगी थे। इनमें से वे ही हिंदुस्तानी पत्र माँगे थे जो नागरी में लिखे हुए थे। वयोंकि विहार तथा उत्तरी प्रांतों (Upper Provinces) में पत्र-व्यवहार और व्यावसायिक कार्य साधारणतः नागरी अच्छरों में ही होता था। इतना ही नहीं हिंदुस्तानी वा उदू के स्थान पर हिटवी का प्रचार अधिक होने के कारण हिटवी भाषा की सामग्री उन्होंने सबसे अधिक माँगी थी। मूल सामग्री सुलभ न होने पर प्रतिलिपियों से भी उनका कार्य सिद्ध हो सकता था।<sup>३</sup> प्रवान सरकारी मंत्री, टी० ब्राउन, ने कोर्ट का यह पत्र कौसिल के पास भेज दिया जो उसकी २६ नवंबर, १८०८ की बैठक में पेश हुआ। इससे पहले कौसिल के मंत्री, विलियम हंटर, ने सदर दीवानी अदालत और निजामत अदालत के रजिस्ट्रार, डब्ल्यू० बी० बेली, और बोर्ड ऑफ ट्रैड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आदि को पत्र लिखे थे। किंतु उनमें से किसी ने भी मंत्री के पत्रों का उत्तर न दिया। कौसिल की आशा से मंत्री ने फिर सबके पास

<sup>१</sup>John William Taylor

<sup>२</sup>फ्र० ७० वि०, १६ सितंबर, १८०९—२७ अगस्ती, १८०९, हो०, जि० २, प० ८४५, ६० रे० डि०

<sup>३</sup>कमी, प० ८११

अ में १० दिसंबर, १८०८ और उसके बाद तक सब भाषाओं सङ्कलित हो पाई गयी अन्तिमत वह कोर्ट के पास मजदी गई।<sup>१</sup>

इसी प्रकार २२ मई, १८११ के पत्र में कोर्ट ने कपनी के कर्मचारियों के लिए उस्कृत का ज्ञान आवश्यक बताया। क्योंकि स्कृत भाषा के माध्यम द्वारा ही वे हिंदुओं के आचार-विचार, रीति-रस्मों आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकते थे और साथ ही इससे उन्हें हिंदुओं में प्रचलित विभिन्न आवश्यकता बोलियों आसानी से सीखने और समझने में सहायता मिल सकती थी। संस्कृत की छोटी-बड़ी सब प्रकार की पुस्तकों पर सरकारी धन खर्च होने पर भी विद्यार्थी उसके अध्ययन की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे, यह एक चित्तनीय विषय था। कोर्ट ने सुझाया कि विद्यार्थियों को विल्किन्स कृत व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए और सरकारी जीवन शुरू करने और कॉलेज छोड़ने से पहला संस्कृत में ज्ञान-प्राप्ति अनिवार्य मानी जाए। साथ ही एक संस्कृत और रज्जी कोष प्रकाशित करने और योग्यता-प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार देने की कोर्ट ने आज्ञा दी।<sup>२</sup>

वास्तव में विद्यार्थियों को संस्कृत-शिक्षा देने की व्यवस्था थी अवश्य, किंतु अरबी और संस्कृत के अध्ययन में सब अधिक लगने से 'विद्यार्थी' प्राप्त: बँगला, हिंदुस्तानी और फ़ारसी की ओर अधिक आकृष्ट होते थे।

हिंदी प्रदेश में ज्योतिरों कंपनी के राज्य की सीमा का विस्तार होता गया, त्यो-त्या सरकारी कर्मचारियों को वहाँ के निवासियों के आचार-विचार समझने तथा राजकीय कार्य

कंपनी का राज्य-विस्तार स्थानों की बोलियों जानने की आवश्यकता पड़ी। हिंदुस्तानी का प्रचार ने केवल उच्च श्रेणी के लोगों और अफ़सरों तक ही सीमित था। सामान्य लिखा-पढ़ी के लिए हिंदुस्तानी के स्थान पर विभिन्न प्रदेशों की स्थानीय बोलियों का ही प्रयोग होता था।

उन्हीं बोलियों का व्यवहार वहाँ के निवासी अपनी बोलचाल में भी करते थे। कोर्ट भी इस परिस्थिति के अनुकूल था। १ अक्टूबर, १८१३ को गवर्नर जनरल ने ये ही विचार जनरल विभाग के अधिवेशन में प्रकट किए थे। उन्होंने ७ अक्टूबर, १८१३ को कौसिल से इस प्रकार के अध्ययन का प्रबंध करने के लिए कहा। अतिरिक्त व्यव फ़ौजी हिसाब में डाल दिया गया। गवर्नर-जनरल ने फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, बँगला और हिंदुस्तानी तथा अन्य भाषाओं में सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्त करने का निश्चय किया। उनका विचार चार-चार सौ रुपया मासिक वेतन पर दो सहायक प्रोफ़ेसर रखने का था। साथ ही उन्होंने तीस-तीस रुपया मासिक वेतन पर बीस सुंसरी रखने और

<sup>१</sup> वही, छ० ४३३-४३४, ४३०-४३३

<sup>२</sup> को० वि०, १४ सितंबर १८११ १२ अक्टूबर, १८१४, हो० मि०, वि० १, १० द३-प०, १० रे० वि०

विद्यार्थियों को पुरस्कार-वितरण की आयोजना तैयार की । कौन्जी विद्यार्थियों की संख्या की वृद्धि के लिए गुंजायश रखती गई—वैसे भी यह सब कुछ सैनिक दृष्टि से ही हो रहा था । गवर्नर-जनरल की अनुमति से कैप्टेन वेस्टन अरबी आर फ़ारसी के और लेप्टिनेंट प्राइस मस्क्यूट, बैंगला आर हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए । चार सौ रुपए मासिक के अतिरिक्त फोर्जी भत्ता उन्हे बराबर मिलता था । किंतु ३० अक्टूबर, १८१३ को टेलर ने कौसिल के मंत्री, कैप्टेन लॉकेट, से अपने विभाग के लिए एक अलग सहायक प्रोफेसर मॉगा, क्योंकि हर्टफ़र्ड से जो विद्यार्थी आते थे वे हिंदुस्तानी के टेलर का मत प्राथमिक सिद्धांतों से भी अनभिश रहते थे । इसलिए टेलर को उन्हें सब बाते शुरू से बतानो पड़ती थीं । वे इस कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने कर्तव्य का पूर्णरूप में पालन करने का अवकाश उन्हे नहीं मिल पाता था । यहाँ तक कि उन्हे हिंदुस्तानी भाषा की एक शाखा, या कहिए उसकी मूल, शुद्ध हिंदी को जो थोड़े-थोड़े भट के साथ तत्कालीन विहार, अवध, इलाहाबाद, छुंदेलखण्ड आदि प्रदेशों में तथा समस्त देशी मेना में बोली जाती थी, पढ़ाने का अवसर ही नहीं मिलता था । शुद्ध हिंदी का अध्यापन कार्य फिर से शुरू करने के लिए वे कौसिल के सम्मुख प्रार्थीय, विशेषतः जब कि उसका ज्ञान प्रधान रूप से सैनिक विद्यार्थियों के लिए हितकर था । कौसिल ने अपनी सिङ्गारिश लिख कर सरकारी मंत्री, रिक्टर्स, के पास भेज दी । सरकारी मंत्री के १८ नवंबर, १८१३ के पत्रानुसार सातवीं रेजिमेंट, नेटिव इक्सैट्री, के लेप्टिनेंट आर० मार्टिन हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए । इन चात की सूचना टेलर के पास भी भेज दी गई ।

गण रोएबक, द्विनीय परीक्षक और हिंदुस्तानी के एवज़ी सहायक प्रोफेसर, ने भी इस सितंबर १८१८ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अधिकारियों का हर्टफर्ड से आने वाले विद्यार्थियों की हिंदुस्तानी भाषा के प्राथमिक सिद्धांतों से रोपणक का मत अनभिज्ञता की ओर ध्यान आकृष्ण किया। विद्यार्थियों का फ़ारसी और बंगला का शान अवश्य अच्छा होता था। लेकिन बंगला भाषा राजमहल से आगे बोली या समझी नहीं जाती थी। राजमहल से आगे कपनी की तत्कालीन राज्य-सीमा के ग्रन्त तक हिंदुस्तानी या उसकी बोलियाँ जो ब्रजभाषा और पूर्वी भाषा के नाम से पुकारी जाती थीं, सब जगह बोली या समझी जाती थी और जहाँ कपनी के अधिकांश सैनिक और दूसरे प्रकार के कर्मचारी काम कर रहे थे। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज और हर्टफर्ड दोनों स्थानों पर ऐसे प्रवंध की आवश्यकता थी जिससे भविष्य में न केवल हिंदुस्तानी का ही और अधिक अव्ययन हो, वरन् उन बोलियों का भी जिन्हें ब्रजभाषा और पूर्वी भाषा कहते थे। अकेली पूर्वी भाषा ही बंगला प्रातः से अधिक विस्तृत भूभि-भाग में शोली जाती थी। रोएबक की सम्मति में जो स्थान फ्रेच का यूरोप में था वही स्थान भारत में हिंदुस्तानी का था। उस समय तक प्रचलित विचारों

गैर २५ जुलाई, १८१५ के स्थानापन्न (ऐविंग) विजिटर के भाषण के अनुसार वह रस्परिक सम्पर्क और पत्र-व्यवहार का बहुत बड़ा साधन थी। देश के एक विस्तृत भाग में उसका प्रयोग होता था और साम्राज्य-शासन की प्रत्येक शाखा से उसका वर्णन उसके प्रभावों का अध्ययन लेफ्टिनेंट प्राइस की अध्यक्षता में १८१५ से अनेक फौजी विद्यार्थियाँ द्वारा सफलतापूर्वक हो रहा था। स्थानापन्न विजिटर ने भी अपने भाषण में इस तथ्य का उल्लेख किया था। ब्रजभाषा के और भी व्यापक अध्ययन की आवश्यकता थी।

संस्कृत हिंदू की और अरबी-फ़ारसी उर्दू के अध्ययन की कुजियाँ थीं। किंतु कॉलेज के पाठ्यक्रम की यह विशेषता थी कि उसमें आधुनिक प्रचलित भाषाओं के सामने संस्कृत और अरबी को अधिक प्रधानता नहीं दी गई। पहले तो बँगला और हिंदुस्तानी में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता समझी गई। संस्कृत और अरबी का अध्ययन हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, पूर्वी भाषा, बँगला और फ़ारसी के स्थान पर कभी नहीं रखखा गया था। बगाल अहते के अन्तर्गत हिंदुस्तानी तथा अन्य भाषाएँ ही उपयोगी ठहरती थीं। बँगला, हिंदुस्तानी ना फ़ारसी का अच्छा विद्वान् होने के लिए संस्कृत और अरबी की आवश्यकता थी। तो भी यह आवश्यक नहीं था कि संस्कृत और अरबी का अच्छा विद्वान् बँगला, हिंदुस्तानी और फ़ारसी का भी अच्छा विद्वान् हो। रोएवक के अनुसार देशी लोगों को देखकर इसका उल्टा ठीक भी हो सकता था। वास्तव में स्थिति तो यह थी कि बगाल या हिंदुस्तान के बड़े-बड़े संस्कृतश पड़िन अपनी मातृभाषा बँगला या हिंदी में एक पत्र भी उतनी अच्छी तरह नहीं लिख सकते थे जितनी अच्छी तरह एक कायस्थ लिख सकता था। इसो प्रकार एक आलिम मौलवी भी, जो अरबी को छोड़ कर अन्य प्रत्येक भाषा से वृणा करता था, एक सुंशी की भाषा सुदर फ़ारसी-पत्र लिखने में असमर्थ रहता था। इसलिए आधुनिक प्रचलित भाषाओं में दक्षता प्राप्त किए विना संस्कृत और अरबी में पुरस्कार-वितरण के रोएवक विच्छ थे।<sup>१</sup>

विलियम प्राइस ने ब्रजभाषा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। बगाल के उत्तर-पश्चिमी भूमि-भाग में ब्रजभाषा का प्रचार ही उन्होंने अधिक बताया। देशी विलियम प्राइस का अन्त में फौजी विद्यार्थी रहे, उन्हें ब्रजभाषा पढ़ाना प्राइस का मुख्य कर्तव्य था। किंतु उन विद्यार्थियों के चले जाने से ब्रजभाषा के अध्ययन का कार्य रुक गया था। १८१८ के लगभग अत में तो उसके अध्ययन को और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ब्रजभाषा का स्थान एक महत्वापूर्ण स्थान था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उपेक्षा के योग्य नहीं थी। जिस समय ब्रजभाषा पढ़ाई जाती थी उस समय निम्नलिखित ग्रथों से सहायता ली जाती थी :

<sup>१</sup>फो० वि०, ४ मई, १८१८ ६ दिसंबर १८१८, दो०, मि०, वि० • पृ० १०६ २११, द० रे० डि०

—प्रेमसागर—हिंदूवी या खड़ाबोली में एक अनुवाद।  
 ‘राजनीति’—ब्रजभाषा से।  
 ‘सभा विलास’—”। और  
 दुलसी कृत रामायण।

उस समय कॉलेज के स्थायी विभाग में केवल लल्लूलाल ही ब्रजभाषा-भुशी थे। प्राइस के लिए वे बहुत ही काम के व्यक्ति थे। विद्यार्थियों ने उनके हिंदू आर ब्रजभाषा क अर्थों से भरपूर लाभ उठाया। प्राइस को दुःख इस बात का था कि इतने वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कंपनी ने हिंदू जनता की भाषाओं और उसके साहित्य के प्रति इतना कम ध्यान दिया।<sup>१</sup> ६ सितंबर, १८१६ की प्राइस की रिपोर्ट के अनुसार उस समय इक्कादुक्का फौजी विद्यार्थी ही ब्रजभाषा को शिक्षा प्रदान करता था।<sup>२</sup>

वास्तव में सच तो यह है कि कॉलेज में प्रधानतः हिंदुस्तान, उर्दू या ‘हिंदी’ का अध्ययन होता था। उन्हें जब हिंदू (आधुनिक अर्थ में हिंदू) के अध्ययन की आवश्यकता होती थी, आर आवश्यकता होती अवश्य निष्कर्ष की तो उसके के लिए विशेष प्रबन्ध लिया जाता था। इसी विशेष प्रबन्ध के अतर्गत लल्लूलाल आर उनके उत्तराधिकारियों को कॉलेज में नाकरी मिली थी और इसी विशेष प्रबन्ध के अतर्गत ‘प्रेमसागर’ तथा अन्य (हिंदी के—आधुनिक अर्थ में) ग्रन्थों की रचना हुई। यह विशेष प्रबन्ध धोर-धीर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगता था। आवश्यकता पड़ने पर फिर उसके पुनरुद्धार की चिता होती थी। गिलकाहस्ट द्वारा स्थापित भ्रमपूरण आर अशुद्ध परपरा ताड़न का साहस किसी का न होता था, क्योंकि इसमें परिवर्तन को अथवा हिंदूवी के पूर्व और यूरें ज्ञान की आवश्यकता थी। हिंदूवी के दूर्व ज्ञान और परिवर्तन के अभाव में उसके अध्ययन का प्रधानता देने का मतलब अपनी नाकरी खो देना था—प्रधानाध्यापकों आर अध्यापकों दोनों के लिए। प्राइस न यह भ्रमपूरण परपरा ताड़न का साहस किया, क्योंकि उन्हें ‘हिंदूवी’ का पूर्व ज्ञान था। किन्तु ग्रथ-रचना के सबध में वे भी गिलकाहस्टी परपरा ताड़न में असमर्थ रहे। प्राइस के विचार आर कार्य के संबंध में आग उल्लेख किया जायगा।

जहाँ तक कॉलेज की व्यवस्था तथा अन्य विषयों से संबंध है टेलर के समय में दूर्वपूरण परिवर्तन न हुआ। केवल व्यय, विद्यार्थियों के अनुशासन आदि की दृष्टि से कॉलेज के विधान में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे। कॉलेज की व्यवस्था जिस वर्ष टेलर ने अपना पद प्रदान किया था उसी वर्ष हिसाव-में परिवर्तन ने आकस्मिक व्यय बीस हजार से सात सौ सतहजार छः आना (सि० ८०) अधिक व्यय होने पर आपत्ति की थी। इंगलैण्ड में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर को पॉच सौ पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। भारतवर्ष से उसकी सहायता के लिए जो दो मंशी भेजे गए थे उनका वार्षिक वेतन

क्लॉड़ ने पौड़ होता था। कोर्ट ने इस पर आपत्ति की और अपने ७ सितंबर, १८०८ के पत्र में भविष्य के लिए भारतीय सरकार को चेतावनी दी तथा एक सुंशी और माँगा। १८०६ में १८०७ वाले स्वीकृत विधान के परीक्षा-संवधी कॉलेज के विधान नियमों में फिर परिवर्तन हुए।<sup>१</sup> १६ जून, १८०६ को कौसिल के का सूतोथ परिच्छेद मंत्री, विलियम हंटर, ने सरकारी मंत्री, डुकर ('Fucker'), के नाम लिख गए पत्र में २६ मई के सरकारी पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए नए परिवर्तनों की दृष्टि से कौसिल द्वारा निर्मित विधान के तृतीय परिच्छेद को भी सपरिणद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए भेजा। इन परिच्छेद में १२ फ़रवरी, १८०७ के पिछले विधान से बाद के परीक्षा तथा अनुशासन वंबधी नए नियमों का समावेश किया गया था। १६ जून, १८०६ को लॉर्ड मिटो ने उस पर अपनी स्वीकृति दी और १८०७ वाला विधान रद्द कर दिया गया।<sup>२</sup>

लगभग इसी समय हिंदुस्तानी चिभाग के अध्यक्ष, जै० डब्ल्यू० टेलर, का स्वास्थ्य खराब हो गया। चिकित्सकों के परामर्श से वे थोड़े दिनों के लिए समुद्र-यात्रा के लिए चले गए। उनके स्थान पर लेप्टिनेट लॉकेट स्थानापन्न प्रोफेसर नियुक्त हुए। लॉकेट की अस्थायी नियुक्ति १४ अगस्त, १८०६ के सरकारी पत्र द्वारा हुई।

२१ दिसंबर, १८०६ को टेलर की सिफारिश के साथ मिर्जा काजिम अली ने मीर मुंशी होने की प्रार्थना की, क्योंकि मीर शेर अली की उस समय मृत्यु हो चुकी थी।

किन्तु कौसिल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार न की। मीर मुंशी के पढ़ के मीर शेर अली की लिए मिर्जा काजिम अली से उच्चतर पद पर स्थित व्यक्ति की तरकी मृत्यु और तारिखी हो सकती थी। मीर शेर अली की मृत्यु १६ दिसंबर, १८०६ को हुई। अरण की मीर मुंशी २१ दिसंबर, १८०६ से तारिखीचरण उनके स्थान पर हेड या के पद पर नियुक्त मीर मुंशी नियुक्त हुए। तारिखीचरण के स्थान पर मिर्जा काजिम अली को सेकेन्ड मुंशी का पद मिला। इसी समय मुहम्मद वाजिद की अस्सी हथया मासिक वेतन पर, मुर्तज़ा खाँ की साठ हथया मासिक वेतन पर और मीर सैयद अली दी चालीस हथया मासिक वेतन पर नियुक्तियाँ हुईं।

कैप्टेन टेलर वापिस तो आ गए थे, किन्तु अब भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। इसलिए उन्होंने कौसिल से प्रार्थना की कि हिंदुस्तानी की प्रारम्भिक कत्ताएँ लॉकेट ले लिया करें। १४ फ़रवरी, १८१० को वह बात सरकार के सामने रखकी गई। सरकार ने उसी दिन उसे स्वीकार कर लिया।

कॉलेज का खर्च पन्द्रह हजार में चल रहा था, इसलिए कोर्ट ने ६ सितंबर, १८०६ को सराहना लिख भेजी जिसकी सूचना कौसिल को दे दी गई।

<sup>१</sup> को० वि०, २५ मार्च, १८०६—१० जुलाई, १८११, हो०, मि०, जि० ३, य० ६५-१००, ई० ८० डि०

<sup>२</sup> पही, प० १०६ ११५

कुछ महीने बाद ऐब्राहम लॉकेट ने अरबी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन करने की हड्डि से अरब जाने की अनुमति माँगी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था—“कॉलेज की स्थापना का ध्येय पूर्वीय साहित्य और भाषाओं तथा ज्ञान-भगवार का यूरोप ने प्रचार करना है, न कि केवल देश की भाषाएँ सिखाने के लिए एक सेमिनरी मात्र बना रहना। पूर्वीय साहित्य के लिए यूरोप के लोग कॉलेज का महं ताकत है। इसके लिए सरकारी सरकार और देशी विद्वानों की सहायता आवश्यक है। हिंदुस्तानी और फारसी भाषाओं में तो अब कुछ करने को वाकी नहीं रह गया। गिलकाइस्ट और उनके उत्तराधिकारियों ने हिंदुस्तानी व्याकरण को शास्त्रीय रूप दे दिया है। शेष कायं डॉ० हंटर अपने को पढ़ारा कर रहे हैं।”<sup>११</sup> सरकार ने लॉकेट को अरब जाने की आज्ञा दे दी।

अस्वस्थ रहने के कारण टेलर ने फ़िर ३० अगस्त, १८११ को कौसिल के एवजी मत्री, कैटेन गैलोवे, को वर्पा अृतु के प्रारंभ में अपने ज्वर-ग्रस्त हो जाने और स्वास्थ खराब रहने के संबंध में लिखा। उनका पत्र सरकार के पास भेज दिया गया और ६ नवंबर, १८११ को उन्हें सरकारी स्वीकृति मिल गई। टेलर एक महीने के लिए सैडहैंड्स चले गए।

१ नवंबर, १८११ को कौसिल के मंत्री, डॉ० विनियम हट्टर, ने अन्ना त्यार-पत्र दे दिया था। ३० मई, १८१२ को उनके स्थान पर ऐब्राहैम लॉकेट कौसिल के मंत्री आर परीक्षक नियुक्त हुए। अरब से लौटने के समय तक ४० गैलोवे की नियुक्ति लॉकेट के स्थान पर और लैफिटनेट रोएवक की नियुक्ति (सहायक मत्री और परीक्षक की हैसियत से) गैलोवे के स्थान पर हुई। नियुक्तियों १ नवंबर, १८११ से ही मानी गईं। जुलाई, १८१२ में लॉकेट के अरब से लौट आने पर रोएवक की कोई आवश्यकता न रही।

इधर कुछ दिनों से कॉलेज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। विद्यार्थियों में अनुशासन भंग करने की प्रवृत्ति के साथ-साथ शिक्षा का भी दिन-पर-दिन हास होता जा रहा था। इस संबंध में १४ फ़रवरी, १८१२ को कोर्ट ने गवर्नर-कॉलेज में शिक्षा का जनरल के नाम एक पत्र लिखा। गवर्नर-जनरल ने १ अगस्त, १८१२ हास : विभिन्न पद- ( ? ) को न्याय-विभाग में व्यक्त किए गए अपने विचारों के आधार विकारियों के मत पर कौसिल को लिखा। कौसिल ने कॉलेज के परीक्षकों और प्रोफेसरों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी और शिक्षा-सुधार के सबव्य में मत प्रकट करने के लिए लिखा। फ़ारसी के प्रोफेसर लम्सडन ने अपने पत्र में फ़ारसी-शिक्षा का हास स्वीकार किया। किन्तु टेलर और कैरे ने क्रमशः हिंदुस्तानी और

बँगला-शिक्षा का हास स्वीकार न किया। परीक्षा का मापदण्ड केवल लम्सडन, टेलर और कैरे के मत पढ़ना, लिखना और ब्रैगरेजी से पठित भाषा में अनुवाद करना था। इस हड्डि से टेलर और कैरे के विचार ठीक थे। शासन की हड्डि से इससे अधिक हास की आवश्यकता भी न थी। वास्तव में कोर्ट के डाइरेक्टरों ने कोर्ट विलियम कॉलेज को उपयोगिता कभी स्वीकार न की थी। इस संबंध

मेरे उन्हें सदैव संदेह बना रहता था। कॉलेज को वे केवल एक प्रयोग मात्र समझते थे और अपनी हजार नुसार उसकी निष्ठा या प्रशसा करने लगते थे। शुरू मेरी ही उन्होंने उसकी आयोजना में बड़ी भारी कमी कर दी थी। आर्थिक दृष्टि से उन्होंने उसे सदैव एक बोझ समझा। बहुत-से लोगों का तो इदृश विश्वास था कि कोर्ट का अंतिम ध्येय कॉलेज तोड़ देना है। उनके इस प्रकार के विचारों से अनुशासन पर बड़ा बातक प्रभाव पड़ता था। व्येकिंग लोग यही समझते थे कि न जाने कॉलेज कब दूट जाय और इस भावना से अनुशासन मे शिथिता आ जाना अनिवार्य था।

किन्तु कॉलिल की आज्ञानुसार टेलर ने जो रिपोर्ट दी थी वह यहाँ पर 'हिन्दी'-हिंदुस्तानी की व्याख्या या रूप की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कॉलेज-टेलर की रिपोर्ट सबीं उपलब्ध सामग्री मे टेलर की रिपोर्ट मे संभवतः 'हिन्दी' 'हिन्दी' शब्द का शब्द का आधुनिक अर्थ मे सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। उनका आधुनिक अर्थ मे कहना है :

**प्रयोग** "आपने कॉलेज मे शिक्षा के हास का जो कारण पूछा है उस सबध मे सविनय निवेदन है कि मेरे इदृश विश्वास के अनुसार स्वतन्त्र रूप से विचार करते हुए हिंदुस्तानी-शिक्षा मे कोई हाल नहीं हुआ। किन्तु मेरे सविनय आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरे केवल हिंदुस्तानी या 'रेखत' का जिकर कर रहा हूँ जो फ़ारसी लिपि मे लिखी जाती है और जिसे पढ़ाने का मुझे ध्रेय है। मैं हिन्दी का जिकर नहीं कर रहा जिसमे अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर-पश्चिम प्रात की भाषा थी और जिसका वहाँ के मूल-निवासी हिंदुओं मे अब तक प्रयोग होता है। उस विस्तृत प्रदेश मे, जहाँ यह अब तक बोली जाती है, इसके दोष कालान अस्तित्व का विशेष महत्व है। मन इस भाषा के ज्ञान के प्रचार का कॉलेज मे भरसक प्रयत्न किया, किन्तु अत म इस प्रयत्न के कारण मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया। मैंने बड़ी-बड़ी दिक्कतों और रुकावटों का सामना भी किया। आखिर मैंने इस बात का अनुभव किया कि मुझे अपने सीमित साधनों और कक्षा मे विद्यार्थियों की सख्त्या अधिक होने से केवल हिंदुस्तानी के पठन-पाठन तक ही रहना चाहिए। हिन्दी और हिंदुस्तानी मे से हिंदुस्तानी का ही महत्व अधिक है, इस दृष्टि से शिक्षा का हास अवश्य हुआ है।"

रिपोर्ट के ब्रिंत मे टेलर ने हर्टफ़र्ड मे दी जाने वाली हिंदुस्तानी-शिक्षा की त्रुटिया की ओर संकेत किया। साथ ही यह भी कहा कि हिंदुस्तानी को जो इस (बंगाल) अहाते के अतर्गत प्रायः सभी प्रातों मे सभी श्रेणी के लोगों की साधारण बोलचाल की प्रधान भाषा है गौण समझना हर्टफ़र्ड के अधिकारियों की गलत धारणा है। वहाँ से भारत

गाने वाले विद्यार्थियों का फ़ारसी-ज्ञान भी अपरिपक्व रहता था। टेलर के मतानुसार : 'हिंदुस्तानी और फ़ारसी का पारस्परिक संबंध है' ।<sup>१</sup>

ए० लॉकेट ने भी परीक्षक की हैसियत से अपनी रिपोर्ट दी थी।<sup>२</sup> ग्री० रोएबक ने भी परीक्षक की हैसियत से अपनी रिपोर्ट १६ नवंबर, १८१२ को दी। उसमें उन्होंने माषा-संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं :

"यह कह देना मेरा कर्तव्य है कि हिंदुस्तानी भाषा की बोली (Dialect) उर्दू के ज्ञान में कोई हास नहीं हुआ, प्रत्युत उसकी उच्चति ही हुई है। मैंने तो यह देखा कि

वह बोली (Dialect) जिसे खड़ीबोली या ठेठ हिंदी कहते हैं,

**रोएबक का भत्ता** अथवा हिंदुस्तानी की वह बोली (Dialect) जिसका प्रयोग बहुसंख्यक हिंदू समस्त हिंदुस्तान में करते हैं, विशेष रूप से दिल्ली और आगरा शहरों में, पहले की भाँति कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। उस समय हिंदुस्तानी प्रोफेसर के दो सहायक होने थे और विद्यार्थियों के लिए वैमासिक और वार्षिक परीक्षा-संबंधी अभ्यास फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों में छापे जाते थे।

अब केवल फ़ारसी लिपि में छापे जाते हैं। इस हष्टि से हास अवश्य हुआ है। मैं इस हास के कारण ये समझता हूँ: १. कॉलेज में जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें हिंदुस्तानी के प्राथमिक सिद्धांतों का भी ज्ञान नहीं होता, हालांकि वैगला और सस्कृत का उन्हें कुछ ज्ञान होता भी है। प्रोफेसरों की रिपोर्टों से यह बात साध है। २. विद्यार्थियों की सख्ता अन्य सब विभागों के विद्यार्थियों से अधिक है। प्रोफेसर की सहायता के लिए कोई दूसरा अध्यापक भी नहीं। इसलिए वे हिंदुस्तानी की केवल वह बोली पढ़ाते हैं जो महत्व की है, यद्यपि वे दूसरी बोली भी पढ़ाने योग्य हैं..."। रोएबक के विचार में कभी भी कॉलेज दूट जाने की धारणा से अनुशासन में शिथिलता आ जाती थी।<sup>३</sup>

प्रोफेसरों और परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर कौसिल ने लॉर्ड मिंटो को २६ दिसंबर, १८१२ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने प्रोफेसरों और परीक्षकों के निष्कर्ष का समर्थन किया। सबने हिंदुस्तान की भाषा के ज्ञान के लिए हॉर्टफ़र्ड

**सरकारी समर्थन** अनुपयुक्त स्थान समझा और कॉलेज के महत्व की ओर संकेत किया। कौसिल ने अनुशासन के सबव ए कोई विशेष शिथिलता न पाई। वास्तव में जब से हॉर्टफ़र्ड कॉलेज की स्थापना हुई थी तब से कोर्ट के डाइरेक्टरों और भारतीय सरकार में काफी संबंध चल रहा था। लॉर्ड मिंटो वेलेजली के घ्येय के समर्थक थे।<sup>४</sup>

कैरे, लस्टडन और टेलर के मतानुसार कौसिल ने क्रौजी विद्यार्थियों के दाखिला के संबंध में विशेष नियम बनाए।

<sup>१</sup> बही

<sup>२</sup> बही, पृ० २७७-२८८

<sup>३</sup> बही पृ० २८८ २८९

<sup>४</sup> बही, पृ० २११ २१८

कुछ कारणों से अवकाश न मिलने पर गवर्नर-जनरल २६ दिसंबर, १८१७ की रिपोर्ट पर विचार न कर सके थे। कौसिल की भाँति वे भी भारतीय भाषाओं के लिए कॉलेज का महत्व अच्छी तरह समझते थे। किंतु कॉलेज के काले विधान का अनुशासन, परीक्षा-नियम, फौजी विद्यार्थियों के दाखिला तथा चतुर्थ परिच्छेद कौसिल की १२ जनवरी, १८१४ की रिपोर्ट आदि नई-नई समस्याओं की हाली से गवर्नर-जनरल ने कॉलेज के लिए नए विधान की आवश्यकता समझी। इसलिए इस संबंध में सरकारी मंत्री, साठे एम० रिकेट्स, ने कौसिल के नाम पत्र लिखा। समुचित परामर्श के बाद कौसिल ने पुरानो नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर नए नियम बनाए और ३ जून, १८१४ को लॉर्ड मिंगे ने, जो कॉलेज के विजिटर थे, अपनी स्वीकृति दे दी। १ जुलाई, १८१४ को कौसिल ने गवर्नर-जनरल के निर्देश से फोर्ट विलियम कॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद जारी किया।<sup>१</sup>

लॉकेट और लम्सडन स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण १८१५ की जनवरी के प्रथम सप्ताह में छुट्टी पर चले गए। मंजर वेस्टन अरबी और फ़ारसी के तथा लॉकट के स्थान पर रोएबक और रोएबक के स्थान पर जेम्स ऐट्रिक्सन की नियुक्ति हुई। किंतु ऐट्रिक्सन ने, जो मिट में काम करते थे, अपना नया पद अस्वीकार किया। कौसिल ने ट्रेस अपनी अवश्य समझ उनसे जबाब नलब किया। अंत में उन्हें पद स्वीकार करना रड़ा।

१४ जनवरी, १८१५ को ट्री० रोएबक ने एवजी सरकारी मंत्री, ए० ट्रॉटर, को आध्यापक के रूप में लिखा—“कॉलेज कौसिल के आवेश से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप (सरकारी) परिषद् के माननीय उप-सभापति को इस बात की सूचना प्राइस की सहायता दें कि कॉलेज में लष्टिनेंट प्राइस की अध्यक्षता में ‘बजभास्ता’ और के लिए पूँछ पंडित की आवश्यकता है। परीक्षक का कहना है कि सस्था में ऐसा कोई पंडित नहीं है जो इन बोलियों में अभ्यास

तैयार करने और उनकी परीक्षा लेने में सहायता दे सके। इसलिए चालीस रुपया मासिक वेतन पर ‘बजभास्ता’, पूर्वी और सस्कृत से भली भाँति परिचित एक उत्तरी प्रांतों (Upper Provinces) का निवासी पंडित रखने की कौसिल प्रार्थना करती है।” २० जनवरी, १८१५ को सरकार ने उसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी।<sup>२</sup>

५ सितंबर, १८१५ की बैठक में कौसिल ने यह नियम बनाया कि जो व्यक्ति फ़ारसी और हिंदुस्तानी का ज्ञान न रखता हो उसे कॉलेज में न लिया जाय। उसने फ़ारसी, हिंदुस्तानी और अरबी के स्थायी विभाग के मुंशियों का मासिक वेतन तीस रुपया और अस्थायी विभाग के पंडितों और मुंशियों के लिए मासिक वेतन बीस रुपया निर्धारित किया।

<sup>१</sup> को० वि०, १४ जून, १८१४—१२ फ़रवरी १८१५, हो०, मि०, बि० ४, पृ० ७६-१०३। इ० रे० डि०

<sup>२</sup> की ए० ३१२

१८ सितंबर, १८१४ के अनुसार ब्रजभाषा पढ़ाने वाले पंडितों के लिए बीस रुपया मासिक वेतन रखा गया।

अपने १६ जुलाई, १८१४ के पत्र में कोर्ट ने किर कॉर्टज के व्यव, अनुशासन आदि के संबंध में आपत्ति की। वास्तव में फ़ौजी विद्यार्थियों के दाखिले के कारण व्यव कोर्ट द्वारा स्वीकृत व्यव से अधिक हो रहा था। सहायक कौसिल का व्यव और प्रोफेसरों का खर्च भी कार्ट नहीं चाहता था। द जनवरी, १८१६ कोर्ट: आवश्यक परि- को सरकारी मन्त्री ने उन्हें हटाने के लिए एक पत्र भी लिखा। २६ वर्तमान। मञ्चहर अली जनवरी, १८१६ को कौसिल ने देशी अध्यापकों के रखने अथवा

की मृत्यु अलग कर देने के संबंध में फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, बङ्गाला, हिंदु-

स्तानी, मराठी आदि के प्रोफेसरों से परामर्श किया। देशी अध्यापकों में से कौसिल ने प्रोफेसरों का ध्यान विशेषतः ब्रजभाषा के अध्यापक लल्लूजाल जो पचास रुपया मासिक वेतन, हिंदुस्तानी विभाग के प्रधान मुंशी तारिखीचरण मित्र जो दो सौ रुपया मासिक वेतन, द्वितीय मुंशी मिर्ज़ा काज़िम अली जो सौ रुपया मासिक वेतन, तृतीय मुंशी मुहम्मद बाज़िद जो अस्सी रुपया मासिक वेतन, और चतुर्थ मुंशी मुर्तज़ा खाँ की ओर जो साठ रुपया मासिक वेतन पाते थे आकृष्ट किया। इन लागा का वेतन कम करने अथवा कम न करने के संबंध में भी प्रोफेसरों से मत लिया गया। वैसे, इन लोगों की सेवाओं को देखते हुए कौसिल वेतन कम करना नहीं चाहती थी। विचारों के आदान-प्रदान के पश्चात् कौसिल ने ३० जनवरी, १८१६ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल को पत्र लिखा। कोर्ट ने चाहे जिन कारणों से सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति स्वीकार न की हो, कौसिल को इस बात पर अत्यंत दुःख था। वास्तव में फ़ौजी विद्यार्थियों के कारण सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई थी। कोर्ट के ६ मई, १८१५ के पत्र में, जो कौसिल को द जनवरी, १८१६ को मिला, इन सहायक प्रोफेसरों को हटाने की आशा दी गई थी। लाफ़िर्नेट प्राइस ने अनेक फ़ौजी विद्यार्थियों को शिक्षा दी थी। उनकी शिक्षा से निश्चय ही सैनिक लाभ हुआ था। देशी लिपाहियों की बहुत बड़ी संख्या ब्रजभाषा बोलती थी। इसनिए कौसिल ने प्रार्थना की कि यह तो स्वयं गवर्नर-जनरल उनकी नियुक्ति के बारे में कुछ कहें अथवा जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय मालूम न हो जाय सैनिक विद्यार्थी दाखिल न किए जायें। सहायक प्रोफेसरों को अलग करना हा अंतिम सरकारी निश्चय हाने का अवस्था में कौसिल ने प्रार्थना की कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उस समय कार्य कर रहे सहायक प्रोफेसरों को ही लिया जाय, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी तत्परता, लगन और उत्साह के साथ काम किया था। उन्हे अपने परिश्रम का पुरस्कार मिलना नितात न्योथपूर्ण था। इन सब बातों के साथ-साथ कौसिल ने दोनों वर्ष के आय-व्यय का लक्षा भी गवर्नर-जनरल के पास भेजा। प्रोफेसरों की रिपोर्ट भी कौसिल को मिल गई थीं। कैरे ने लिखा कि लल्लूजाल का संबंध मेरे विभाग से नहीं है। उनके विषय में लेफ़िर्नेट प्राइस से पूछा जाय। लम्सडन और टेलर ने अपने-अपने विभाग के देशी अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक बताई। इस समय मञ्चहर अली की मृत्यु हो चुकी थी। प्रोफेसरों की रिपोर्ट पाकर कौसिल ने सागमग सभी देशी अध्यापकों की समझ कर उन्हें ज्ञा-कान्त्या रहने

प्रदया 'भास्त्रा' के समय तक स्थगित रखना।<sup>१</sup>

कौसिल की ३० जनवरी, १८१६ की रिपोर्ट पाकर २३ मार्च, १८१६ को सपरिपद गवर्नर-जनरल ने संतोष प्रटुट किया। फ़ौजी विद्यार्थियों के सबध में आवश्य उन्होंने अपना निर्णय दिया। १८१३ में सैनिक विद्यार्थियों की सख्ति बीस थी। फिर उनकी सख्ति तीस हुई। किंतु औसत सख्ति चींस से अधिक शायद ही कभी हुई थी। सपरिपद गवर्नर-जनरल ने सैनिक विद्यार्थियों की तल्कालीन सख्ति दस निश्चत की और उनका अध्ययन-काल एक वर्ष। सेना के लिए इस प्रकार यथेष्ट सख्ति में दुमाषिए मिल सकते थे। उनके लिए फ़ारसी, हिंदी या ब्रजभाषा का शान आवश्यक था। अरबी और संस्कृत के दुमाषियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही फ़ारसी और हिंदुस्तानी पढ़ाने के लिए एक ही सुशी काफ़ी समझा गया। इस प्रकार के प्रबंध से व्यय भी कम हो जाता था और आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती थी। अस्तु, सपरिपद गवर्नर-जनरल ने निम्नलिखित व्यय निश्चित किया :

१० सुंशी, प्रत्येक को ३० रु० मा०	३६०० वार्षिक
पदक इत्यादि	१४०० "
	५०००

इससे कोर्ट द्वारा स्वीकृत व्यय तक कॉलेज का व्यय होने पर उन्नीस हजार चार सौ उन्तालीस रुपए वार्षिक की बचत होती थी। फ़ौजी विद्यार्थियों के कारण कुल व्यय उन्नीस हजार चार सौ रुपए होने पर उन्तालीस रुपए वार्षिक की बचत थी। गवर्नर-जनरल की आनुसार आगामी जुलाई से इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था रही।<sup>२</sup>

१३ सितंबर, १८१५ के कोर्ट के पत्रानुसार कौसिल के मंत्री और परीक्षक-पद तोड़ देने की आशा हुई। इन दोनों पदों पर आठ सौ रुपए मासिक खर्च होते थे। सरकारी मंत्री, रिकेट्स, ने इसकी सूचना कौसिल को दी और १ मई, १८१६ से कोर्ट की आशा का पालन करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साहित्यिक ग्रंथों पर व्यय भी पहले की मांति बीस हजार रुपए वार्षिक तक सीमित कर दिया।<sup>३</sup>

१० मई, १८१६ को गवर्नर-जनरल के पास भेजे गए पत्र के अनुसार कॉलेज की व्यवस्था इस प्रकार थी :

यूरोपियन अध्यापक	१००० रु० मा०
कैप्टेन टेलर, हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर	१००० रु० मा०
कैप्टेन रोएबक, एवजी मंत्री और परीक्षक	१२०० रु० मा०

<sup>१</sup>फ़ॉ० वि०, १३ जून, १८१४—१२ फ़रवरी, १८१६, हो०, जि०, जि० ४, प० ४६४-५१६, ५६४-८६६, ८६७ ८६०, ८६८-८६९, ह०० रे० डि०

<sup>२</sup>फ़ॉ० वि०, २५ फ़रवरी, १८१६—२२ अप्रैल, १८१८, हो०, जि०, जि० ५, प० ४० ४० र०, ह०० रे० वि०

<sup>३</sup>वही, प० ४५-५६

देशी अध्यामक हिदुस्तानी विभाग

प्रधान मुशी	२०० रु० मा०
द्वितीय „	१०० „ „
तृतीय „	८० „ „
चतुर्थ „	६० „ „
१२ मुशी विद्यार्थियों के लिए,	
प्रत्येक को ४० रु० मा०	८० „ „
नागरी सुलेखक	५० „ „
२ अनुवादक, प्रत्येक को ८० रु० मा०	१६० „ „
अस्थायी विभाग	११३० रु० मा०
१४ मुशी, प्रत्येक को ३० रु० मा०	४२० „ „
६ पंडित, „ ३० „ „	१८० „ „
मिल्ले महीने में बीमार या	
छुट्टी पर गए मुशीयों की	
जगह काम करने वाले	७५ „ „ ६७५ रु० मा० <sup>१</sup>

कोर्ट ने कौसिल के मंत्री और परीक्षकों के पदों पर आपत्ति की थी। इस सबध में रोएबक ने एक पत्र कौसिल के नाम लिखा जिसके साथ उन्होंने कौसिल का एक पत्र भी नत्थी कर दिया था। किंतु इस संबंध में उस समय कोई विशेष निर्णय न हो सका। उसके बाद कॉलेज में केवल एक ही परीक्षक रह गया था। रोएबक के अतिरिक्त प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर भी परीक्षक का कार्य करते थे।

२ मार्च, १८१६ को सरकारी मंत्री, रिकेट्स, ने कोर्ट के १६ मई, १८१५ के पत्र का हवाला देते हुए पुस्तक-प्रकाशन-संबंधी चालीस हजार वार्षिक ब्यय पर आपत्ति की। उस समय तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं वे ही शिक्षा-कार्य के लिए बहुत समझी गईं। इसलिए कौसिल को यह आदेश दिया गया कि अत्यधिक साहित्यिक मूल्य की पुस्तक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पुस्तक पर ब्यय न किया जाय।<sup>२</sup> रोएबक ने २० जून, १८१६ के पत्र में कोर्ट की आज्ञा स्वीकार की। उसके बाद सरकारी मंत्री ने तत्कालीन ब्यवस्था ठीक बताई। सैनिक विद्यार्थियों के दाखिले की संभावना थी। विद्यार्थियों को पुरस्कार, पदक आदि का वितरण बंद हो गया था। प्रोफेसरों और सहायक (असिस्टेंट) प्रोफेसरों के बैतन तथा पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पुस्तक पर ब्यय न करना आदि बातों के संबंध में भी सरकारी मंत्री ने लिखा। उन्होंने कॉलेज की कटी-छूटी आयोजना पदद की और कौसिल से एक नया विधान प्रस्तुत करने के लिए कहा।<sup>३</sup>

<sup>१</sup> वही, पृ० १०७-१०८

<sup>२</sup> वही, पृ० १२६ १३०

<sup>३</sup> वही, पृ० १३८-१३९

नॉकेट वापिस आने पर मंत्री और परीक्षक नियुक्त हुए और रीएवक द्वितीय परीक्षक ।

सरकारी मंत्री के २२ जून, १८९६ के सरकारी पत्रानुसार कॉसिल के मंत्री लॉकेट ने २ नवंबर, १८९६ को नया विधान गवर्नर-जनरल के विचारार्थी भेजा ।

इस विधान में आर्थिक पुरस्कार स्थगित होने और ३० मई कॉलेज के विवाज और ४ जुलाई, १८९५ के त्रो में स्वीकृत सभी बातों को स्थान दिया गया । आगामा परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी इसलिए

उन्होंने नववर में नया विधान लागू करने की आशा माँगी । फोर्ट विलियम कॉलेज के चतुर्थ परिच्छेद ( ३ जून, १८९४ ) के स्थान पर १६ नववर, १८९६ को पाँचवें परिच्छेद पर सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुई । तत्पश्चात् कौसिल ने उसे ग्रेस भेज दिया ।<sup>१</sup>

टेलर और आर० मार्टिन द्वारा मीर बख्शीश अली तथा अन्य मुंशियों की फ़ारसी आर हिन्दुस्तानी में परीक्षा ली जाने पर मीर बख्शीश अली द्वितीय मुंशी नियुक्त हुए । भावध्य में मीर दृशी के पद के लिए भी वे योग्य हो गए थे । उनसे फ़ारसी के उद्घरणों का 'हिंदी और हिन्दुस्तानी' में अनुवाद कराया गया था । यहाँ 'हिंदी' और 'हिन्दुस्तानी' शब्द, पृथक अर्थों में, ध्यान देने योग्य हैं । अन्य परीक्षार्थी-मुंशी काजिम अली, अब्बास अली, सैयद अली यूसुफ अली और गंगा विष्णु थे । प्रत्येक को साठ रुपए मासिक मिलते थे ।<sup>२</sup>

एच० बुड़, हिसाब-निरीक्षक, के पास मंत्री, लॉकेट, ने १६ दिसंबर, १८९६ को कॉलेज का विवरण भेजा था । इस विवरण की विशेषता यह है कि प्रत्येक अध्यापक की तत्कालीन अवस्था इसमें दी गई है । इमारे विषय से संबंधित प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

सरकारी नौकरी अपने पढ़ पर व्यक्ति की ईसाई व्यक्ति देशी व्यक्ति मासिक पाने की मूल काम करने की वर्तमान का नाम का नाम वेतन
--

तिथि	मूल तिथि	अवस्था	मुंशी :
×	×	×	×
×	सितंबर, १८०१	४५ वर्ष	तारिखी चरण मित्र २००
×	५	५६ वर्ष	५०
×	फरवरी, १८०२	५५ वर्ष	महानंद ५०
×	फरवरी, १८०२	५५ वर्ष	श्री लाल कवि ५०
×	५	५	५
×	जनवरी, १८९५	४५ वर्ष	इंद्रेश्वर ४००

<sup>१</sup> वही, दृ० २५२-२५५

<sup>२</sup> वही, दृ० २६३-२६५

<sup>३</sup> वही, दृ० २६०-२६१

इस विवरण से लल्लूलाल की जन्म-तिथि १७४७ ठहरती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों से उनकी मृत्यु-तिथि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती। केवल अनुमान लगाया जा सकता है। जिस वर्ष उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ी संभवतः उसी वर्ष उनकी मृत्यु हुई, अथवा नौकरी करते हुए ही वे मृत्यु को प्राप्त हुए। कॉलेज में नौकरी करते हुए उन्हें अनेक वर्ष हो गए थे। यदि जीवित रहते तो उन्हें पेंशन अवश्य मिलती। किंतु कॉलेज के विवरणों में उनकी पेंशन का कहाँ भी उल्लेख नहीं मिलता।

हिदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर, रसेल मार्टिन, अस्वस्थ रहने के कारण १८ जनवरी, १८१७ को यूरोप लौट गए। उनके स्थान पर रोएबक की नियुक्ति हुई। कोर्ट की आशानुसार कौसिल के सहायक मंत्रि पद से वे हट ही चुके थे। सहायक की हैसियत से उन्हें दो सौ रुपया मासिक वेतन मिलता था। ऐट्रक्सन को भी हिदुस्तानी के परीक्षक होने से दो सौ रुपया मासिक वेतन मिलता था। २२ जून, १८१६ के पत्रानुसार प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर अपने विषय के परीक्षक नहीं बन सकते थे। किंतु रोएबक अपवाद-स्वरूप रखते थे।

वेलेज़ली के कहने से लखनऊ के रेजीडेंट, कर्नल स्कॉट, ने काज़िम अली जबॉ को लखनऊ से मेजा था। ३ जुलाई, १८१६ को उनका देहात हो गया। टेलर ने उनकी विघवा स्त्री और संतान के लिए पेशन की किंतु कौसिल ने उनका प्रस्ताव स्वीकार न किया।

एवज़ी हिसाब-निरीक्षक, डब्ल्यू० एच० ओक्सू, ने लॉकेट से कॉलेज का १ मई, १८१८ तक विवरण माँगा। लॉकेट के इस विवरण के अनुसार केवल लम्सडन और कैरे शैर-सरकारी कर्मचारी थे। कैरे की नियुक्ति अप्रैल, १८०१ में हुई थी। वे बँगला और संस्कृत के अध्यापक की हैसियत से एक हजार रुपया मासिक वेतन पाते थे। इसी विवरण के अनुसार 'भाखा' विभाग में लल्लूलाल (५० रु० मा०) मुंशी, इंद्रेश्वर (४० रु० मा०) पंडित और महानद (५० रु० मा०) नागरी सुलेखक थे।<sup>१</sup> १७ दिसंबर, १८१८ तक हिदुस्तानी विभाग के अध्यापकों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ। तारिखी-चरण मित्र की असाधारण प्रतिभा के लगभग सभी लोग कायल थे। उस समय एक कोष तैयार करने में वे रोएबक की सहायता कर रहे थे। १० सितंबर, १८१८ को वेस्टन ने अपनी नौकरी छोड़ दी।

सरकार ने विद्यार्थियों की योग्यता का मापदंड कम कर देने के संबंध में कौसिल से पत्र-व्यवहार किया। कौसिल के मंत्री ने ६ अप्रैल, १८१६ को (अब) मेजर जे० डब्ल्यू०

टेलर, लम्सडन, ऐट्रक्सन और रोएबक से मत माँगे। पिछली रिपोर्ट अब भाषा-शिक्षा और रोएबक की ब्रजभाषा के संबंध में रिपोर्ट पर गवर्नर-जनरल पूर्ण संतोष प्रकट कर ही चुके थे। केवल कुछ शासन-संबंधी विषयों पर मतभेद था। रोएबक के पत्रानुसार शिक्षा का मापदंड जितना कम होना चाहिए उतना

तो उसी समय था। हिंदुस्तानी के एवजी परीक्षक, ऐट्रिक्सन, के पत्रानुसार मापदंड कुछ कम कर देने से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति ही होती थी। क्योंकि विद्यार्थियों में हिंदुस्तानी से अँगरेजी में और अँगरेजी से हिंदुस्तानी में अनुवाद करने की यथेष्ट योग्यता थी। उनके पत्रानुसार कॉलेज का उद्देश्य विद्वान् उत्पन्न न कर विद्यार्थियों को शासन-सबधी साधारण कार्य करने योग्य बनाना था। इस से एक ही व्यक्ति ऐसा निकलता था जो साधारण से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक रहता था। जिसे अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहती थी उसके लिए उपयुक्त साधन उपस्थित थे। प्राइस के अनुसार व्रजभाषा की शिक्षा बहुत थोड़े सैनिक विद्यार्थियों को दी जाती थी। किंतु इस समय सरकार किसी अंतिम निर्णय पर न पहुँची सकी और शिक्षा का मापदंड पहले की भाँति बना रहा।

कॉलेज संत्री के १ मई, १८१६ के विवरणानुसार अध्यापक-वर्ग गत वर्ष की भाँति था। किंतु इस विवरण का महत्व प्रत्येक अध्यापक के स्थायी होने की तिथि की दृष्टि से अवश्य है। उनमें से कुछ की तिथियाँ इस प्रकार हैं :

स्थायी होने की तिथि

१ जनवरी, १८०७ श्री लाल कवि	१८०२
२० जनवरी, १८१५ इद्रेश्वर	१८१५
मेजर जै० डब्ल्यू० टेलर	१८०८
कैट्टेन लॉकेट	१८०८
कैट्टेन रोएक्ट ( द्वितीय परीक्षक के रूप में )	१८११
लेफ्टिनेंट विलियम प्राइस	१८१३
कैट्टेन रोएक्ट ( हिंदुस्तानी के एवजी सहायक प्रोफेसर के रूप में )	१८१६
ऐट्रिक्सन ( हिंदुस्तानी के एवजी परीक्षक )	१८१६

प्रोफेसर लम्सडन कुछ अवकाश लेना चाहते थे, इसलिए लेफ्टिनेंट ब्राइस उनके स्थान पर नियुक्त हुए। कुछ महीने बाद कैट्टेन रोएक्ट की मृत्यु हो गई। प्राइस, डी० रडैल (Ruddell) और लेफ्टिनेंट जै० बेकेट (Beckett) ने उनके स्थान पर हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त होने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे। लेफ्टिनेंट ए० फैल (Fall) ने भी अपना प्रार्थना-पत्र भेजा। किंतु २५ जनवरी, १८२० को रडैल हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। अस्तु, निम्नलिखित परिवर्तनों के अतिरिक्त, १ मई, १८२० को अध्यापक-वर्ग लगभग पहले की भाँति था :

१६ नवंबर, १८१३ लेफ्टिनेंट डब्ल्यू० प्राइस [ १८१३ ], बैंगला और संस्कृत के सहायक प्रोफेसर, ४०० रु० मा०

२१ जनवरी, १८१७ ऐट्रिक्सन, हिंदुस्तानी के एवजी परीक्षक, २०० रु० मा०

२५ जनवरी, १८२० लेफ्टिनेंट रडैल [ १८२० ], हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर, ४०० रु० मा०

१ जनवरी १८०७ श्री लाल कवि [ १८०२ ] मुशी, ५० रु० मा०

२० जनवरी, १८१५, नरसिंह [१८१८], पंडित, ४० द० मा०<sup>१</sup>

२८ जून, १८२० को कोर्ट ने फिर एक पत्र भारतीय सरकार के नाम लिखा जिसमें उसने सैनिक विद्यार्थियों के कारण बढ़े हुए व्यय, सहायक प्रोफेसरों के पद तथा अन्य आर्थिक समस्याओं पर आपत्ति की २१ मई, १८०६ में स्वीकृत प्रदृश हजार वार्षिक व्यय

से कोर्ट कदापि आगे बढ़ना नहीं चाहता था। साथ ही उसने अपने कॉलेज के व्यय वर्तने कोर्ट की छिप आपत्ति और आवश्यकता न समझी और निधान के पाँचवें परिच्छेद में और आवश्यक परिवर्तन करने की आशा दी। अतएव गवर्नर-जनरल ने

कौसिल से परीक्षा, विद्यार्थियों की कॉलेज में अध्ययन की अवधि, व्यय आदि के संबंध में सम्मति माँगी और २६ जनवरी, १८२१ को

सरकारी मंत्री, लाशिंगटन, ने उसे इस संबंध में एक पत्र लिखा।<sup>२</sup>

कौसिल ने अपनी रिपोर्ट ३ मार्च, १८२१ को गवर्नर-जनरल के विचारार्थ मेज दी। कौसिल ने कोर्ट की इच्छा-पूर्ति करने का बचन दिया। वह सहायक प्रोफेसर का पद तोड़ने, केवल दो परीक्षक रखने, मंत्रि-पद को परीक्षक-पद से अलग रखने—वह भी अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा, एवं जी परीक्षक हटाने, और कॉलेज के भारतीय अध्यापकों की संख्या कम करने के लिए तैयार थी। सैनिक विद्यार्थियों के संबंध में उसने अपना मत भेद प्रकट किया। उसका नया प्रस्ताव फ़ारसी और हिंदुस्तानी विभागों में क्रमशः छः-छः मुंशी, बँगला विभाग में चार पंडित और एक हिंदुस्तानी अनुवादक रखने का था। इससे तीस हजार नौ सौ चवालीस रुपए वार्षिक की बचत होती थी। परीक्षक का मासिक वेतन पाँच सौ रुपया रखवा गया और संख्या दो। मासिक वेतन के अतिरिक्त फौजी भत्ता एक सौ चौरानवे, यदि लेफिटनेट हो तो कुछ व्याधिक, रखने का विचार हुआ। इससे सोलह हजार छः सौ छप्पन रुपए वार्षिक बढ़ने की आशंका थी। किन्तु तीस हजार नौ सौ चवालीस में से घटाने पर फिर भी चौदह हजार दो सौ अठासी की बचत होती थी। फिर प्रोफेसरों की अनुपस्थिति में परीक्षकों के पढ़ाने का सुझाव पेश किया गया और गुजायश होने पर भारतीय अध्यापकों की संख्या और कम करने की सूचना दी। पुरस्कार, पदक-वितरण आदि के संबंध में पहले की भाँति प्रतिबंध रखें गए।<sup>३</sup>

२३ मार्च, १८२१ को सरकारी मंत्री, लाशिंगटन, ने गवर्नर-जनरल के विचारों का आशय देते हुए कौसिल को पत्र लिखा। गवर्नर-जनरल ने सैनिक विद्यार्थियों का दाखिला बंद कर दिया। लेकिन चूँकि असैनिक विद्यार्थी कॉलेज से वर्ष में दो बार निकलते थे, इसलिए, सहायक प्रोफेसर हटाने पर भी, सैनिक विद्यार्थियों का सीमित संख्या

<sup>१</sup> को० वि०, १३ विसंवर, १८१६—६ मई, १८२०, हो., मि० जि० द, पू० १११-११६, इं० रे० डि०। कोषकों में स्थायी होने की तिथियाँ हैं।

<sup>२</sup> यही, पू० १२६ इ१४

<sup>३</sup> यही, पू० १५३ इ१६

में दाखिला किया जा सकता था। संभवतः कोर्ट का ध्यान इस और नहीं गया था। व्यवहार कोर्ट की इच्छा से भी अधिक कम कर दिया गया था। सैनिक विद्यार्थियों की सीमित सख्त्य की शिक्षा उन्होंने अधिक लाभदायक समझी। इस संबंध में उन्हें आशा थी कि कोर्ट अपना पिछला आज्ञापत्र वापिस ले लेगा। किंतु कोर्ट की आज्ञा प्राप्त होने तक उन्होंने सैनिक विद्यार्थियों का दाखिला विलकूल बद कर दिया और उस समय जो सैनिक विद्यार्थी थे उन्हें अपना पाठ्य-क्रम पूर्ण करने की आज्ञा दी। सहायक प्रोफेसर हटाने के लिए उन्होंने अगले महीने की पहली तारीख निश्चित की। इन बातों के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल ने कौसिल की रिपोर्ट पर पूर्ण संतोष प्रकट किया।<sup>१</sup>

दो परीक्षकों की प्रस्तावित जगहों के लिए (अब) कैप्टेन प्राइस, लेफ्टिनेंट डी. रडैल और लेफ्टिनेंट जेम्स ऐलैक्जेंडर एटन (Ayton) ने प्रार्थना-पत्र भेजे।<sup>२</sup> गवर्नर-जनरल ने प्राइस और रडैल को परीक्षक नियुक्त किया।<sup>३</sup>

१ मई, १८२१ के विवरण के अनुसार हिंदुस्तानी विभाग के दस सुंशियों में से तारिखी चरण मित्र प्रधान मुंशी और महानद नागरी सुलेखक थे। 'भाखा' विभाग में लल्लूलाल मुंशी और नरसिंह (१८१८) पंडित थे। कोर्ट ने अपने ४ जुलाई, १८२१ के पत्र में कॉलेज की नई व्यवस्था पर पूर्ण संतोष प्रकट किया। गवर्नर-जनरल के विचारों से वह पूर्णतया सहमत था। इस बात की सूचना कौसिल को दे दी गई।<sup>४</sup>

स्थायी विभाग के नरसिंह 'भाखा'-पंडित ने १२ मार्च, १८२१ से चार महीने की छुट्टी ली थी। अपने एवज़ में वे एक दूसरा व्यक्ति रख गए थे। नरसिंह पंडित किंतु छुट्टियाँ समाप्त होने पर भी वे वापिस न आए। इसलिए कॉलेज से अवगत कौसिल ने अपनी २१ दिसंबर, १८२१ की बैठक में ३१ दिसंबर, १८२१ से उन्हे स्थायी विभाग से अलग कर दिया।<sup>५</sup> लम्बडन के लौट आने पर लेफ्टिनेंट ब्राइस कॉलेज से अलग कर दिए गए।

विद्यार्थियों की शिक्षा के मापदंड का ऊपर उल्लेख हो चुका है। उस समय सरकार किसी निर्णय पर न पहुँच सकी थी। १८२२ के प्रारंभ में सरकार ने विद्यार्थियों के अनुशासन, परीक्षा-क्रम, नौकरी के लिए योग्यता का मापदंड आदि समस्याओं के संबंध में फिर एक नई रिपोर्ट माँगी। कौसिल के मंत्री ने २५ फरवरी, १८२२ को विभिन्न मिनिट्स सरकार के सामने रखकर। जहाँ तक हो सकता था वे जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों का शिक्षा-काल समाप्त कर देना चाहते थे।<sup>६</sup>

<sup>१</sup> वही, पृ० ३७६-३८०

<sup>२</sup> वही, पृ० ३६६-३६८

<sup>३</sup> वही, पृ० ३७६-३८०

<sup>४</sup> वही, पृ० ५११-५१४

<sup>५</sup> वही, पृ० ४२४

<sup>६</sup> वही, पृ० ३६८-३८०

सरकार ने इस संबंध में रिपोर्ट मार्गी। १३ अप्रैल, १८२२ को मंत्री, लॉकेट कॉलेज के विधान का छाता गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेजा। उससे एक दिन पहले कौंसिल के सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसी तिथि अर्थात् १२ अप्रैल, १८२२ से नए काढ़ा परिच्छेद विधान का छाता परिच्छेद लागू हुआ माना गया। चौथे परिच्छेद में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर यह नया परिच्छेद बनाया गया था।<sup>१</sup> ३ मई, १८२२ को सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी।<sup>२</sup>

१ मई, १८२२ का कॉलेज-विवरण लगभग पहले विवरण की भाँति है। 'भाखा' विभाग में केवल लल्लूलाल का ही उल्लेख है, अन्य किसी का नहीं।<sup>३</sup> १ मई, १८२३ के विवरण में भी केवल लल्लूलाल का उल्लेख मिलता है।<sup>४</sup> लल्लूखाल का कॉलेज के विवरणों में उनका यह अतिम उल्लेख है। सभवतः १ अंडिम उल्लेख मई, १८२४ से पहले ही उनका देहात हो गया था। यदि नियमित रूप से वे आवकाश प्रदण करते तो उन्हें पेशन मिलती। किंतु उनकी पेशन का उल्लेख कहीं नहीं मिलता।

लल्लूलाल के बाद कॉलेज को एक ब्रजभाषा-अध्यापक की आवश्यकता थी। अत में विलियम प्राइस को एक कान्पकुञ्ज ब्राह्मण मिले जो पिछले छः वर्ष से श्रीरामपुर मिशनरियों के थहाँ कनौजी बोली में ईसाई धर्म-पुस्तक के नए कॉलेज के लिए ब्रज-भाषा-अध्यापक की आवश्यकता और गंगा प्रसाद की नियुक्ति नियम (New Testament) का अनुवाद कर रहे थे। अनुवाद कार्य समाप्त हो जाने और लल्लूलाल की जगह खाली हो जाने से कैरे ने उन्हें प्राइस के पास भेज दिया। शुक्रवार और स्त्री शनिवार की दोपहर को प्राइस ने उनकी संस्कृत और हिंदी की बोलियां (Hindoo dialects) में परीक्षा ली। पूर्ण सतुष्ट हो जाने पर प्राइस ने २३ सितंबर, १८२३ को उन्हें रख लेने के लिए कौंसिल से सिफारिश की—विशेष रूप से उस समय जब कि वे तारिखीवरण मित्र के संग्रह-ग्रन्थ की आयोजना के अंतर्गत 'प्रेसागर' के नए संस्करण के प्रूफ डीक करने और प्राइस कृत शब्दकोप का संशोधित और परिवर्धित संस्करण तैयार करने में सहाय्य किए हो सकते थे। इन नए 'भाखा'-पंडित का नाम गंगाप्रमाद शुक्ल था।<sup>५</sup>

ग्रंथ-प्रकाशन की दृष्टि से टेलर का समय, गिलकाइस्ट के बाद, विशेष महत्वपूर्ण

<sup>१</sup> वही, पृ० ५६७-६००

<sup>२</sup> फो० वि०, १७ जून, १८२२—१५ दिसंबर, १८२४, हो०, मि०, जि० ३, पृ० ६७, ह० ३० दि०

<sup>३</sup> वही, पृ० ६०८-६११

<sup>४</sup> वही, पृ० २१४-२१८

<sup>५</sup> फो० वि०, २६ मर्च १८०६—१० जुलाई १८११, हो० मि०, जि० ३, पृ० १ ३० दि०

उनके समय में माकिनटोश के शब्दकोष (१८०८) की चार सौ अस्ती और मीर शेर अली छुत ऐतिहासिक ग्रथ के द्वितीय भाग (१८०८) की सौ प्रतियाँ ग्रंथ-प्रकाशन (सौ चौपेजी पृष्ठ, साढ़े छः रुपया फ्री प्रति के हिसाब से) कौसिल ने मोल लीं। कौसिल की २५ मार्च, १८०८ की बैठक में हिंदुस्तानी प्रोफेसर का १८ दिसंबर, १८०८ का लिखा हुआ पत्र पढ़ा गया। इस पत्र के आनुसार लल्लू जी लाल कवि ने एक प्रार्थना-पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने 'प्रेमसागर' के शेषाश और 'राजनीति' की छपाई के सर्वध में लिखा था। टेलर के 'प्रेमसागर' और मतानुसार ये दोनों ग्रथ हिंदुस्तानी भाषा के परिपक्ष ज्ञान के लिए अत्यत महायक थे। 'भाखा' में गद्य-ग्रथों की कमी और इन दोनों ग्रथों की भाषा शुद्ध और ठीक-ठीक होने के कारण कौसिल के सरकार के द्वे उपयुक्त थे। शुद्ध और ठीक-ठीक 'भाखा'-गद्य लिखने वालों में, टेलर के मतानुसार, लल्लूलाल से अधिक योग्य और कोई पंडित नहीं था। इसके अतिरिक्त टेलर ने पचीस-पचीस रुपया मालिक वेतन के आधार पर दो कातिब और सब्रह-सत्रह रुपया मासिक वेतन के आधार पर दो लेखक, जिनमें से एक नागरी-लेखक, माँगे, क्याकि मजदूरी के हिसाब से रखने जाने वाले लेखकों का ज्ञान अच्छा न था।<sup>१</sup> कौसिल के मन्त्री, विलियम हंटर, ने टेलर के इस पत्र का द्वाला देते हुए ३१ जनवरी, १८०८ को स्थानापन्न सरकारी मन्त्री, जॉर्ज दुकर, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने टेलर द्वारा निर्दिष्ट ग्रथों की उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक ग्रथ की सौ-सौ प्रतियाँ लेने की आशा माँगी। 'प्रेमसागर' में दो सौ चौपेजी पृष्ठ थे और अब तक दी जाने वाली दर के हिसाब से एक प्रति का मूल्य तेरह रुपया होता था। 'राजनीति' में दो सौ बीस अठपेजी पृष्ठ थे और एक प्रति का मूल्य सात रुपया पड़ता था। छुप जाने पर हिसाब से कुछ बढ़-बढ़ हो जाने की सभावना थी। ३ फरवरी, १८०८ को सरकार ने अपनी स्वीकृति दी दी।<sup>२</sup> डॉ० हरर द्वारा प्रकाशित 'हिंदुस्तानी डिक्षनरी' की पचास-पचास प्रतियाँ बारासन, बर्बई और मद्रास के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए भेजी गईं।

२२ फरवरी, १८०८ को गिलक्राइस्ट के एजेंट, मेसर्स माकिनटोश फुल्टन ऐड कपनी, ने गिलक्राइस्ट के फुटकर ग्रंथों के लिए छः सौ छः सिक्का रुपए माँगे। ये ग्रथ कॉलेज को दे दिए गए थे। २ मार्च, १८०८ को उन्हे सरकारी उत्तर मिला। 'इंडियन गाइड' की नईस प्रतियो के लिए उन्हें केवल एक सौ चौरासी रुपए दिए गए। 'शकुतला नाटक' का मूल्य पिछले पाँच हजार में शामिल था।

संस्कृत प्रेत के प्रोग्राइटर (मालिक) बाबूराम पंडित ने 'विहारी सतमई' प्रकाशित की थी। 'पुरानी हिंदी वा ब्रजभाषा' का एक महस्वपूर्ण ग्रंथ होने की दृष्टि से कौसिल के ३ मई, १८०८ के पत्रोत्तर में ५ मई, १८०८ को सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुई। दो रुपए छः आने छः पाई (सिक्का रुपया)

<sup>१</sup> वही

<sup>२</sup> वही, पृ० २० २३

फो प्रति के हिसाब से सो प्रतियों का मूल्य दो सौ चालीस रुपया दस आना (सिक्का सदल मिश्र कृत हिंदी<sup>१</sup> कारसी-धब्द-सूची<sup>२</sup> सूची का अनुवाद करने पर सदल मिश्र को पचास रुपए दिए।

लल्लूलाल कृत 'राजनीति' की सौ प्रतियों कॉलेज के पुस्तकालय में आ गई थी, इसलिए कॉसिल के मंत्री, विलियम हंटर, ने २६ मई, १८०६ को सरकारी मंत्री, डुकर, के

नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पुस्तक के मूल्य के बिल पर सर कारी स्वीकृति चाही। पिछली ३ फरवरी को सरकार ग्रंथ के लिए स्वीकृति दे दुकी थी। किन्तु उस समय ग्रंथ के दो सौ बीस अठपेजी पृष्ठा ने भमास होने की मंभावना थी और जिसका पूल्य साढ़े सात रुपए फी प्रति होता था। किन्तु छपने पर उसकी पृष्ठ-मध्या दो सौ सत्तावन हुई, इसलिए फी प्रति का बढ़ा हुआ मूल्य साढ़े आठ रुपए हुआ अर्थवा कुल प्रतियों का मूल्य आठ सौ साढ़े सैतीस सिक्का रुपया होता था। इस पर सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने २८ जुलाई (१), १८०६ को अपनी स्वीकृति दी।<sup>३</sup>

'विहारी सतसई' के बाद संस्कृत प्रेस के प्रोप्राइटर बाबूराम पडित ने तुलसी कृत 'रामायण' प्रकाशित करने को सोची। 'पूर्वी बोली (Dialect) में, अरथवा उस बोली में जो बनारस, अवध इत्यादि के साथ-साथ दिल्ली से पूर्व के सदा

'रामायण'

में बोली जाती थी' 'रामायण' का विशेष स्थान था। इसलिए १३ जनवरी, १८१० को विलियम हटर ने सरकारी मंत्री, डुकर, के नाम पत्र लिखा और ग्रंथ के लिए सिक्कारिश की। बंगला और संस्कृत के प्रोफेसर केरे के मतानुसार यह वह बोली थी जो संस्कृत से निकली थी और हिंदुओं में जिसका अत्यधिक प्रचार था। हिंदुस्तान में हिंदू जाति ही सबसे बड़ी थी। अतएव सरकार का इस ग्रंथ के प्रकाशन की ओर ध्यान जाना अनिवार्य था। केरे के मतानुसार, और वैसे भी, भारत-वर्ष की समस्त बोलियों के ग्रंथ प्रकाशित करना उपयोगी कार्य था। 'रामायण' की इस प्रति में बाबूराम पडित पाँच सौ पृष्ठ रखना चाहते थे। चार रुपए प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से उन्होंने बीस रुपए फी प्रति मूल्य निर्धारित किया। १६ जनवरी, १८१० के पत्र में परिपद् के उप-सभापति ने कॉसिल का ग्रस्ताव स्वीकार किया।<sup>४</sup>

२४ जनवरी, १८१० को डेलर ने कॉसिल के मंत्री, विलियम हटर, के नाम

एक पत्र लिखा जिसके साथ उन्होंने 'हिंदी सुंशी' लल्लू जी लाल की रचनाओं, 'नक्लियात-इ-हिंदी' और ब्रजभाषा-व्याकरण, के संबंध में दिया गया प्रार्थना-पत्र भेजा था। हिंदुस्तानी के ज्ञान के लिए ये रचनाएँ आवश्यक समझी गई थीं। लल्लू जी लाल का प्रार्थना-पत्र फ्रांसी भाषा और लिपि में इस प्रकार है :

<sup>१</sup> वही, पृ० ६३-६४

<sup>२</sup> वही, पृ० १२१-१४२

<sup>३</sup> वही, पृ० १८०-१८१

बाबूराम कृत  
'नक्लियात-इ-हिंदी'  
या 'ज्ञातायफ़-इ-हिंदी'  
और ब्रजभाषा-व्याकरण

‘सुदावदान-इ- नैमत दामा इक्काल अहुम

नक्लियात-इ-हिंदी तसनीफ़-इ-फ़िल्डवी बजुबान-इ-रेखता मुतज़म्मिन अक्सर जरखुल  
मसाल व दोहा व लतायफ़ औ नश्रात नक्लियात-इ-मरकूमुस्सदर वर आबुर्दा व तर्जुमा  
ग्रन्द-इ-जॉन विलियम टेलर व इब्राहिम लॉकेट साहेब बजुबान-इ-अँगरेजी हस्खुल हुक्म  
पाहिंब-इ-मुदरिस जह ते साहबान-इ-मुताल्लमीन मुबतदी मुन्तवह (?) मीगर्दद व नक्लियात  
मज़्कुरा तबकात-इ-हर्दो (?) तख्मीनन से सद चक्का खवाहद शुद फ़ी सद व नक्लियात  
हिसाब स: रुपया व चहार आना हम गी (?) कीमत यक जिल्द तमाम मय लुगत नौ रुपया  
द्वाज़द: आना व कायदा-इ-सर्फ़ जबान ब्रज कि बमूजिब-इ-फ़रमाइश-इ-साहिबान-इ-ममदूहीन  
फ़िल्डवी तालीफ़ कदी मए तर्जुमा-इ-श्रौं बजुबान-इ-अँगरेजी कमोबेश हफ्ताद वो पंज सफ़ा  
मज़्कुरा चहार रुपया चहारद: आना मीशवद लिहाज़ा उम्मीदवार-इ-तफ़ज़ुला (?) अस्त  
कि यक यक सद जिल्द अज़हर किताब मर्कूम-इ-सदर व कुतुबखाना सर्कार-इ-दौलत  
मदार कंपनी बहादुर अदामा इक्काल अहुम खरीद शब्द याजिब बूद अर्ज़ नमूद

ज्याद: अफ़क़ताब-इ-दौलत ताबौं व दरखशाँबाद

अरज़ी

फ़िल्डवी श्री लाल कवि’<sup>१</sup>

(फ़ारसी लिपि से)

टेलर के पत्र का इवाला देते हुए कौसिल के मंत्री ने २५ जनवरी, १८१० को  
सरकारी मंत्री, दुकर, के नाम पत्र लिखा जिसमे उन्होंने परिषद् के उप-सभापति से प्रार्थना  
की कि हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर ने हिंदुस्तानी विभाग के ‘भाखा’-मुशी लल्लूलाल कवि के  
दो ग्रंथों की जो सिफ़ारिश की है उसे स्वीकार किया जाय। पहला ग्रथ अर्थात् ‘नक्लियात-  
इ-हिंदी’ कहावतों से यूर्ष तथा बामुहावरा हिंदुस्तानी और हिंदुई की कहानियों का मग्नह  
था। साथ मे दुर्वाध और असाधारण शब्दों की अर्थ-सहित सूची भी कैप्टेन टेलर और  
लेफिटेनेंट लॉकेट ने जोड़ दी थी। दूसरे ग्रंथ में ब्रजभाषा-व्याकरण के सिद्धांतों का ब्रज-  
भाषा और अँगरेजी में सक्षित विवरण था। पहले ग्रथ की पृष्ठ-संख्या तीन सौ अठपेज़ी  
और दूसरे की पचहत्तर चौपेज़ी रक्खी गई। कौलेज के प्रचलित दर से पहले ग्रथ का  
मूल्य नौ रुपया वारह आना फ़ी प्रति और दूसरे ग्रंथ का मूल्य चार रुपया चौदह आना  
फ़ी प्रति रक्खा गया। कौसिल के मंत्री ने प्रत्येक ग्रथ की सौ-सी प्रतियाँ लेने की प्रार्थना  
की। दोनों का कुल मूल्य एक हजार चार सौ बाल्ठ रुपया आठ आना होता था।  
२६ जनवरी, १८१० को उन्होंने सरकारी स्वाक्षरि त मिल गई।<sup>२</sup>

‘युलबकावली’ और ‘हफ्त पैकर’ का हिंदुस्तानी पद्म में अनुवाद करने पर कमश़:  
मुशी रुक्नुहीन और ईदरबख्श को दो-दो सौ रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसी समय  
कौसिल ने कोलब्रुक कृत ‘भृथ देश’ तथा भारतवर्ष की अन्य भाषाओं की शब्द-सूचियों

<sup>१</sup> वही, पृ० १८२

<sup>२</sup> वही, पृ० १८३ १८४

को प्रतिलिपि कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया। कैप्टेन टेलर के कहने से 'इंतखाब मीर सोज़' की तीन रूपया बारह आना चार पाई फी प्रति के हिसाब से सौ प्रतियाँ खरीदी गई।

विज्ञियम हंटर द्वारा १० फरवरी, १८१० को कॉसिल के समाप्ति हारिगढ़न और अन्य सदस्यों के नाम लिखे गए पत्र से पता चलता है कि 'हिदुस्तानी डिवशनरी' की रचना में उन्हें लल्लूलाल और तारिखीचरण मित्र की सहायता मिल रही थी। किंतु कार्य अधिक होने से उन्हें और भी देशी विद्रानों की आवश्यकता थी। उन्हें चालीस रुपए मासिक वेतन पर एक मुंशी और तीस रुपए मासिक वेतन पर एक पंडित मिल भी गया था। १ फरवरी, १८०८ से अब तक का व्यय भी वे चाहते थे। कॉसिल ने सरकार से उनकी सिफारिश की और १६ फरवरी, १८१० को उन्हें सत्तर रुपए मासिक व्यव का सरकारी स्वीकृति मिल गई।<sup>१</sup>

टेलर ने सौदा की रचनाएँ प्रकाशित करने के लिए आज्ञा मांगी। किंतु कॉसिल ने ६ अप्रैल, १८१० को उनकी प्रार्थना अस्वीकार की। ४ अप्रैल, १८१० को कॉलेज ने निम्नलिखित हिदुस्तानी ग्रथ एशियाटिक सोसायटी को भैंश-स्वरूप दिए:

'प्रेमसागर', 'हिदुस्तानी और हॅगलिश डिक्शनरी' २ जिल्द, 'आरायश-ह-महफिल', 'आरॉरिटल लिब्रिस्ट', 'बिहारी-सनसाइ', 'राजनीति', 'तोता-कहानी', और 'दीवान मीर सोज़'। इनके साथ बैगला, फारमी, मराठी आदि की पुस्तकें भी दी गई थी। २२ मई, १८१० को 'अकबरनामा' का अनुवाद करने पर खलील खाँ और 'गुलशन अखलाक़' के अनुवाद के लिए भी रैम्यद अली को कमशः दो सौ और बीस रुपए का पुरस्कार दिया गया। हिदुस्तानी पाठ्य-पुस्तकों का अभाव देखकर टेलर ने अरबी रचना 'इख्वानुससफ़ा' का अनुवाद रेखता में कराना चाहा। इस संबंध में उन्होंने कॉसिल के रैम्नी, हटर, के नाम पत्र लिखा। अनुवाद-कार्य लॉकेट के सुशी तूराब अली ने, जो लखनऊ के निवासी और हिदुस्तानी भाषा के पूर्ण पंडित थे, अपने ऊपर ले लिया था। अन्य भारतीय विद्रानों ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया था। ग्रथ पूर्ण होने पर तीन सौ पचास अठपेज़ी पृष्ठ हुए। फी प्रति का मूल्य बारह रुपया रखवा गया। सरकार द्वारा सहायता मिलने पर उसकी पॉच सौ प्रतियाँ छप सकती थी। इन ग्रथ की भाषा को टेलर रेखता का खर्चोत्तम उदाहरण समझते थे। अनुवाद भी टेलर और लॉकेट के निरीक्षण में हुआ था। कॉसिल की सिफारिश से २६ जून, १८१० को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात् तारिखीचरण मित्र, हेड मुंशी, तथा अन्य भारतीय विद्रानों ने भी तकी की समस्त हिदुस्तानी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव कॉसिल के सामने रखा। कॉसिल ने सरकार से इस प्रस्ताव की सिफारिश की। प्रस्तावकों का अनुमान ग्रथ में लगभग एक हजार पृष्ठ-संख्या रखने का था। प्रति मौ चौपेज़ी पृष्ठों का मूल्य छः रुपए के स्थान पर पॉच रुपए रखवा गया और सरकार से सौ प्रतियाँ मोल लेने की प्रार्थना की गई। साथ ही बीस प्रतियाँ कॉलेज के लिए अलग मोल लेने की

प्रार्थना की गई। ६ जुलाई, १८१० को सरकार ने केवल सौ प्रतियों के लिए अपनी स्वीकृति दी। 'इख्वानुस्सफ़ा' के आशिक अनुवाद के लिए तूराब अली को सौ रुपए पुरस्कार-स्वरूप मिले। तारिखीचरण मित्र को उनके 'खुलासदुल-हिसाब' के लिए एक हजार दो सौ पैसों स्वरूप की स्वीकृति मिली ( ७ नवंबर, १८१० ) ।

२ अक्टूबर, १८१० को कौसिल के मन्त्री, विलियम हंटर, ने सरकारी मन्त्री, जॉर्ज टुकर, को लल्लूलाल कृत 'प्रेमसागर' के संबंध में एक पत्र लिखा। लल्लूलाल को हिन्दू-स्तानी विभाग का 'भाला'-सुंशी कहा गया है। पत्र के साथ मन्त्री ने 'प्रेमसागर' सौ प्रतियों के लिए एक हजार नौ सौ पैसों रुपए का विल मेजा था। इस ग्रंथ का लगभग आधा भाग गिलकाइस्ट द्वारा प्रकाशित हुआ था और छः रुपए प्रति सौ चौपेंजी पृष्ठों के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य उन्हें मिल भी चुका था। ३१ जनवरी, १८०८ को ग्रंथकार ने ग्रंथ पूरा करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र मेजा था। और उसी वर्ष ३ फरवरी को उसी पुराने दर से मूल्य मिलने की सरकारी स्वीकृति उसे मिल गई थी। किंतु लल्लूलाल ने विना मरकारी आज्ञा लिए अथवा विना अपनी इच्छा प्रकट किए फिर शुरू में पूरा ग्रंथ छाप डाला था। अतएव कौसिल निश्चित दर के आधार पर उस अश की सिफारिश नहीं कर सकती थी जिसके लिए उन्हें पहल नपथ्य मिल चुका था। शेष भाग के दो सौ चौपेंजी पृष्ठ के अनुमान से तेरह सौ रुपए मूल्य होता था। किंतु पुष्ट-संख्या ढाई सौ हो जाने से शेष भाग का मूल्य एक हजार छः सौ पचीस रुपए होता था। ग्रंथ-प्रकाशन-व्यय, ग्रंथकार की दिक्कतों की दृष्टि से तथा अब अथ की पूर्ण प्रतियों रखने की इच्छा से ( उसके भाग रखने के स्थान पर ) कौसिल छः रुपए प्रति सौ चौपेंजी पृष्ठ के स्थान पर चार रुपए प्रति सौ चौपेंजी पृष्ठ के हिसाब से अवश्य पूर्ण ग्रंथ लेना चाहती थी। इस हिसाब से कुल मूल्य एक हजार छः सौ पचीस के स्थान पर एक हजार नौ सौ पैसों होता था। जब लल्लूउलाल ने कौसिल का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उन्होंने सरकारी स्वीकृति के लिए प्रार्थना की। ५ अक्टूबर, १८१० को सपरिपद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति सरकारी मन्त्री, टुकर, ने कौसिल के मन्त्री, विलियम हंटर, के पास भेज दी।<sup>१</sup>

'बहार-इ-इश्क' के हिन्दूस्तानी अनुवाद के लिए नूरअली को पचास रुपए पुरस्कार-स्वरूप मिले। विलियम हंटर के पत्रानुसार बाबूराम पंडित को तुलसी कृत 'रामायण' प्रकाशित करने पर १६ जनवरी, १८१० के पत्र में स्वीकृत घन के स्थान पर दो हजार पॉन्च सौ छिह्नतर रुपए मिले। 'रामायण' की चालीस प्रति हॉफर्ड, चालीस फोर्ट-सेट जॉर्ज, चालीस चौबाई भेजी गईं और बीस प्रतियों फोर्ट विलियम कॉलेज में रक्खी गईं। १८ जनवरी, १८११ के सरकारी पत्रानुसार टॉमस रोएवक को 'सामुद्रिक शब्दावली' (Marine Vocabulary) प्रस्तुत करने की आज्ञा मिली। विलियम हंटर को अरबी, फारसी, हिन्दूस्तानी और पंजाबी कहावतों का सम्रह करने की सरकारी आज्ञा मिली। मिर्ज़ा जॉन तपिश (Jaun Taupish) को हिन्दूस्तानी में 'बहार दानिश' का अनुवाद करने पर

पाँच सौ रुपए मिले। १६ नवंबर, १८१० को मज़हर खाँ विला ने अपना दीवान कॉलेज को भैंट-स्वरूप दिया। कॉलेज ने सधन्यवाद उसे स्वीकार किया। १२ अगस्त, १८१६ को टेलर ने मज़हर अली की मृत्यु की सूचना दी।

विलियम हटर बाहर जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने ७ मार्च, १८११ के पत्र में 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' के निरीक्षण के लिए टॉमस रोएबक को नियुक्त किया। इस समय में उन्होंने कौसिल से तारिखीचरण मित्र और लल्लूलाल की सेवाएँ बनाए रखने की प्रार्थना की। तारिखीचरण मित्र का कार्य वे अनिवार्य समझते थे। लल्लूलाल से तो कभी-कभी सहायता ली जाती थी। इससे उनके अपने प्रोफेसर-वाले कार्य में कोई विप्र नहीं पड़ता था। अर्थवा यदि किसी विद्यार्थी<sup>१</sup> या मुश्ति को 'भाला'-जान उपलब्ध करने में उनकी आवश्यकता प्रतीत होती थी तब भी 'डिक्शनरी' का कार्य कोई रुकावट पैदा नहीं करता था। किंतु कुछ दिन बाद लल्लूउला भी छुट्टी पर जाने वाले थे, इसलिए हटर ने अपने पत्र में लोचनराम पंडित का नाम कौसिल के सामने पेश किया। लोचनराम पंडित दोआब के रहने वाले थे। ब्रजभाषा और खड़ीबोली पर उनका पूर्ण अधिकार था। कुछ समय पूर्व स्थायी नौकरी पाने के विचार से उन्होंने अपनी कुछ खड़ीबोली रचनाएँ हटर के पास भेजी थीं। किंतु आवश्यकता न होने से उस समय हंटर ने उन पर कुछ ध्यान न दिया था। सभवतः इसी पत्र के साथ उन्होंने उन ग्रंथों की सूची भी भेजी जिनसे वे 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' तथा उसके परिशिष्ट भाग की रचना करने में सहायता ले रहे थे। 'डिक्शनरी' के शब्द-समूह और फलतः हिंदुस्तानी भाषा के रूप की दृष्टि से सूची दिलचस्प है।<sup>२</sup>

कोप समाप्त होने तक कौसिल ने तारिखीचरण मित्र और लल्लूउला को बनाए रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया। १६ फरवरी, १८१० के अनुसार बारह महीने तक सत्तर रुपए मासिक व्यव भी कौसिल देती रही।

२६ जनवरी, १८१० को सरकार ने मुश्ति लल्लूउला कुत 'दि ग्रैमैटिकल प्रिसीपिलस ऑव ब्रूजभाला'<sup>३</sup> के लिए आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया था। छप

जाने पर लल्लूउला ने सौ प्रतियो के मूल्य छः सौ चार रुपए आठ लल्लूउला कुत ब्रूज-आने का बिल बना कर कौसिल के मंत्री, ए० गैलोवे, के पास भेजा। भाषा व्याकरण कौसिल की सिफारिश पर सरकारी मंत्री, सी० एम० रिकेट्स, ने २ अगस्त, १८११ को सरकारी स्वीकृति भेज दी।<sup>४</sup>

लगभग इसी समय बाबूराम पंडित ने 'मितान्नरा' (सं०) प्रकाशित किया। ५ दिसंबर, १८११ की बैठक में कौसिल को 'हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश नैवल डिक्शनरी' पूर्ण होने की सूचना मिली। रोएबक के १४ जनवरी, १८१२ के पत्र रोएबक की रचनाएँ से यह जात होता है कि १८०६ से १८१० तक उन्होंने एडिनबरा में गिलकाइस्ट के साथ काम किया था। इसी आधार पर उन्होंने

<sup>१</sup> द०, परिशिष्ट ल

<sup>२</sup> प० २४ वि० २४ सितंबर, १८११—१२ जनवरी, १८१३, हो०, मि०, वि० ४, प० २०-२१ द० रे० डि०

अपनी रचनाओं के लिए आर्थिक सहायता माँगी। पत्र के अनुसार उनकी अधि सूची इस प्रकार है :

१. 'ब्रिटिश इंडियन मौनीटर', २ जिल्द, एडिन ०, १८०६
२. 'हिंदुस्तानी ऐड इंग्लिश डायलौज़', एडिन ०, १८०६
३. 'ऐन् इंग्लिश ऐड हिंदुस्तानी डिक्षनरी विथ् ए ग्रमर प्रिफ़िक्स्ड', एडिन ०, २० फरवरी, १८०६
४. " " दूसरी जिल्द, २० फरवरी, १८०६
५. 'ब्रिटिश इंडियन मौनीटर,' तीसरी जिल्द, (डॉ० गिलकाहस्ट को सहकारिता में सामग्री संकलित की)

कोर्ट उन्हें पाँच सौ गिनी दे चुका था। इसलिए कौसिल ने तदनुसार उन्हें सूचित कर दिया।<sup>१</sup>

'तारीख नादिरी' के हिंदुस्तानी अनुवाद के लिए हैदरबख्श को और मिर्ज़ा जॉन तपिश को उनकी पदात्मक रचना (१) के लिए कौसिल ने क्रमशः तीन सौ और चार सौ रुपए पुरस्कार-स्वरूप दिए। इसी समय मिर्ज़ा काज़िम अली को 'बारहमासा' या 'दस्तर-उल्-हिद' की सौ प्रतियो के लिए चार सौ पचास रुपए, 'हिंदी स्टोरी टैलर', दो जिल्द, का पंजाबी में अनुवाद करने पर सुशी काशीराज को सौ रुपए, और 'चार गुलशन' का उदूँ में अनुवाद करने पर बेनी नारायण को साठ रुपए पुरस्कार-स्वरूप दिए गए।

४५ अप्रैल, १८१२ की सरकारी सूचना के अनुसार कौसिल ने यह घोषित किया कि चूंकि हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने लिए ग्रंथ-संग्रह्य पर्याप्त हो चुकी है, इसलिए भविष्य में बिना पूर्व सरकारी आज्ञा के हिंदुस्तानी अनुवाद-ग्रंथों पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जायगा।<sup>२</sup> कौसिल ने यह घोषणा ३० मई, १८१२ को प्रकाशित की।

हंटर की 'डिक्षनरी' का कार्य रोपेक के निरीक्षण में बराबर हो रहा था। बावूराम पठित को 'मितान्द्रिरा' की छेद सौ प्रतियो के लिए तीन हजार रुपए मिले। इसके बाद उन्होंने 'मनुस्मृति' प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। 'बारहमासा' की सौ प्रतियो के लिए मिर्ज़ा काज़िम अली को तीन सौ सतहत्तर रुपए मिले। १६ फरवरी, १८१३ को निम्नलिखित पुस्तकों फोर्ट सेंट जॉर्ज के विद्यार्थियों के लाभार्थ में जी गई :

'प्रेमसागर'—१० प्रतियो—१६ रु० फ्री प्रति—१६० रु०

'शामायण' (त्र०)— " २० रु० " २०० रु०

'वैताल पञ्चीसी' " १८ रु० " १८० रु०

'सिंहासन बच्चीसी' " २२ रु० " २२० रु०

'एनसाइक्लोपीडिया हिंदुस्तानिका' ६. १२ रु० " ६७. ८ रु०

साथ ही 'बागो बहार'या 'चहार दरवेश' के नए संस्करण के लिए कौसिल ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया।

<sup>१</sup> अद्दी, पृ० ११५ ११६

<sup>२</sup> अद्दी, पृ० १६४

१७ जनवरी, १८१२ के पत्र में सरकार ने कौसिल से पूर्णीय साहित्य की उन सभी पुस्तकों का पूर्ण विवरण माँगा जो कॉलेज की स्थापना के समय से १७ जनवरी तक सरकारी व्यव से अथवा सरकारी प्रांताधन के कारण—आरे वे सरकारी कागजों के कारण क्या थे—छपी थी। कॉलेज के मंत्री, ए० लॉकेट, ने सरकारी मंत्री, सी० एम० रिकेट्स, के पास ६ मार्च, १८१३ को वह विवरण प्रकाशित समझौते में भेज दिया। कुछ पुस्तकों की छपाई का व्यव इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि वे कॉलेज की स्थापना के समय के व्यव थे और इकट्ठा दे देने के कारण उनके संबंध में ठीक-ठीक पता नहीं चल सका था।<sup>१</sup>

कोष पूर्ण होने से पहले ही डॉ० हंटर का देहात हो गया। इसलिए टेलर ने हंटर द्वारा संकलित सामग्री सार्वजनिक संपत्ति समझ कर कॉलेज के मंत्री, लॉकेट, से माँगी। किंतु उस समय मंत्री ने उस कार्य के स्थगित होने की अन्य अंश सूचना दी। इसी बीच में रोएब्रक, जो स्वास्थ्य-मुदार के लिए बाहर गए हुए थे, वापिस आ गए। उन्होंने भी हंटर की सामग्री माँगी और प्रमाण में हिंदुस्तानी की अपनी सेवाओं और गिलकोइस्ट के साथ कार्य करने की बात का उल्लेख किया। किंतु कॉलेज कौसिल उस समय कोई निर्णय न कर सकी।

तारिखीचरण मित्र संस्कृत-प्रथ 'पुरुष परीक्षा' का हिंदुस्तानी अनुवाद प्रस्तुत करना चाहते थे। इस संबंध में टेलर ने एक पत्र कौसिल के मंत्री के नाम लिखा। उनकी सम्मति में हिंदुस्तानी कक्षा के लिए एक पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता भी थी। तीन रूपया चार आना प्रति सौ अठपेंजी पुष्टों के हिसाब से उसका मूल्य चार सौ अठपेंजी पुष्टों के अनुमान से फ़ी प्रति का मूल्य तंरह रुपए रख देगा। सरकार ने २५ जून, १८१३ को तारिखीचरण मित्र के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी।

डॉ० हंटर के कोष के संबंध में रोएब्रक और सरकार में पत्र-व्यवहार शुरू हुआ। सरकार उसे स्वयं लेकर फिर चाहे जिसे दे देना चाहती थी। किंतु कौसिल ने रोएब्रक का पक्ष लिया। हंटर की वसीयत के प्रबंधकर्ता और रोएब्रक में समझौता हो गया था और फिर प्रबंधकर्ता ने सरकार के पत्रोत्तर में जिस अश की ओर सकेत किया था वह हंटर कृत कोष के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित होने के लिए नहीं था।

'बाज़ोबहार' (१८ मार्च, १८१३) की सौ प्रतियों के लिए कौसिल ने एक हजार सात सौ सोलह रुपए की सरकारी त्वीकृति माँगी। यह स्वीकृति उसे भिल गई। टेलर क कहने से बेनी नारायण को उनके हिंदुस्तानी विविध-संग्रह (Miscellany) के लिए असी रुपए मिले। गुलाम अकबर द्वारा 'गुलबकावली' और कैप्टेन रोएब्रक द्वारा 'अयार दानिश' के अनुवाद 'खिर्द अफ्फ्रोज' के प्रकाशन के लिए भी उसने आज्ञा भोगी।

बुराम पहित और विद्याकर मिश्र को १७ सितंबर, १८१४ को 'किरातार्जुन' प्रकाशित रने की आज्ञा दी गई। साथ ही 'खिर्द अफ़्रोज़' के प्रकाशन के लिए भी कौतिल ने प्रपनी स्वीकृति दी। इस ग्रंथ की रचना अकबर की आज्ञा से अबुलफ़ज़ल ने फारसी में दी थी। इसका हिंदुस्तानी अनुवाद सबसे पहले मौलवी हफ़ीज़ुद्दीन ने किया था। १८१५ के लगभग लेफिनेट डब्ल्यू० आर० पौम्सन ने 'इकौनौमी अर्ड्व शूमैन लाइफ़' हिंदुस्तानी में अनुवाद किया और टेलर ने इसके संबंध में अच्छी सम्मति दी।

१६ जनवरी, १८१५ को रोएबक ने, जो आब कोसिल के मंत्री थे, ब्रजभाषा के एवज़ी प्रोफेसर लेफिनेट प्राइस को लल्लूलाल द्वारा सपादित 'सभाविलास' के प्रकाशन की सूचना दी और ग्रंथ की उपादेयता के संबंध में उनकी सम्मति

ब्रजसुखाख द्वारा माँगी। ब्रजभाषा में काव्य-ग्रंथ की आवश्यकता थी इसलिए संघर्षित 'सभाविलास' प्राइस ने उसी दिन लिखा—“संग्रहकर्ता ने मेरे कहने से ही आपसे ग्राहना की है। ब्रजभाषा की अधिकाश कविता अश्लील होने के कारण विद्यार्थियों के पढ़ाने योग्य नहीं है। इस ग्रंथ में केवल अनुमोदित अवतरणों का संग्रह है। अश्लील कविताएँ इसमें नहीं रखी गईं। इसलिए पाठ्य-पुस्तक के रूप में यह उपादेय ग्रंथ है।” अस्तु, २३ जनवरी, १८१५ को रोएबक ने एवज़ी सरकारी मंत्री, ट्रैटर, को उसके प्रकाशन के लिए लिङ्गारिश की। ग्रंथ में सैंतोंस अठपेजी पृष्ठ थे और ढाई रुपए की प्रति के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य ढाई सौ रुपए होता था। सरकार के सौ प्रतियों न लेने पर उसका मूल्य चार रुपए की प्रति रखा गया। अनेक सैनिक विद्यार्थी ब्रजभाषा का अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए प्राइस ने उस पर व्याख्यान देने शुरू भी कर दिए थे। इस प्रकार ग्रंथ की आवश्यकता देख कर २५ जनवरी, १८१५ को सरकार ने उसे प्रकाशित करने की स्वीकृति दे दी।<sup>१</sup>

१ फरवरी, १८१५ को प्राइस ने कौसिल के मंत्री, रोएबक, के नाम निम्नलिखित पत्र लिखा :

“कॉलेज के विद्यार्थियों को ब्रजभाषा तथा पूर्व की अन्य बोलियों का ज्ञान सरकारी हितों के लिए आवश्यक समझा जाने और ब्रजभाषा विभाग में भेरी नियुक्ति हो जाने पर मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि जब तक अन्य रचनाएँ प्रकाशित न हो जायें मैं इस भाषा का ज्ञान उपलब्ध करने में प्रेस के माध्यम से शीघ्र ही सहायता पहुँचाऊँ।

“समस्त बोलियों में मूल रचनाएँ पढ़ने से पहले विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं से भली भाँति परिचित होना आवश्यक है ताकि वे इन बोलियों को रचनाओं में निरंतर आने वाले सदर्भ या कथात्मक अशा समझने में सफल हो सकें। कुछ वर्ष हुए 'प्रेमसागर' या कृष्ण देवता की कथा का कॉलेज के भाषा मुंशी ने खड़ीबोली में अनुवाद किया था। जितने ग्रंथों से मैं परिचित हूँ उनमें से इसे छोड़ कर अन्य कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो

इस विषय की शिक्षा दे सके। यद्यपि इस ग्रंथ के अनेक शब्द मेसर्म टेलर और हटर पुरा संग्रहीत कोष में सम्मिलित कर लिए गए हैं, तो भी मैं इस ग्रंथ के अध्ययन की सहायता के लिए एक कोष की आवश्यकता समझता हूँ। टेलर-हंटर कृत कोष की फ़ारसी लिपि में शब्द इतने छिप गए हैं कि विद्यार्थियों को शब्द ढूँढने में बड़ी दिक्कत पड़ती है और इसीलिए उनके परिश्रम का कोई परिणाम नहीं निकलता। यह कठिनाई दूर करने के लिए मैंने इस ग्रंथ के सभी प्रमुख-प्रमुख शब्द संकलित कर संस्कृत वर्णानुक्रम से रखने हैं ताकि विद्यार्थियों को शब्द ढूँढने में कोई कठिनाई न हो। नमूना मैं इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। निरीक्षण के पश्चात् यदि कौसिल इसे प्रोत्साहन देने वोग्य समझे तो मेरी प्रार्थना है कि वह सरकार से इसकी सिफारिश करे। मेरा अनुमान है कि इस प्रकाशन में एक सौ चार चौपेंची पृष्ठ होंगे। हिंदुस्तानी प्रेस में छपाने से पाँच सौ प्रतियो का व्यय आठ सौ चार हिंदुस्तानी रुपए के लगभग होगा। आइकॉं तथा अन्य सज्जनों के लिए मैं फ़ी प्रति बारह रुपए मूल्य रखना चाहता हूँ।

“अंत में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस ग्रंथ से शब्द ढूँडने गए हैं उसी के अध्ययन के लिए नहीं, बरन् भाखा की अन्य रचनाओं के अध्ययन के लिए भी कोष सहायक सिद्ध होगा; अन्य रचनाओं में ऐसे अनेक शब्दों का निरंतर प्रयोग होता है। भविष्य में एक संपूर्ण ब्रजभाखा कोष तैयार करने का कार्य भी मेरी रचना से अल्पतर सरल हो जायगा।”<sup>१</sup>

‘सभा विलास’ (२६ जनवरी, १८१५) की प्रतियाँ आ जाने पर रोएबक ने १० फरवरी, १८१५ को ढाई सौ रुपए का ब्रिल सरकारी स्वीकृति के लिए भेजा। १४ फरवरी, १८१५ को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर उन्होंने ने प्राइस द्वारा प्रस्तावित कोष की बारह रुपए फ़ी प्रति के हिसाब से सौ प्रतियों की सिफारिश की और उन्हें उसके लिए सरकारी स्वीकृति मिल गई।<sup>२</sup> रोएबक ने अपनी ‘हिंदुस्तानी-इंग्लिश डिक्शनरी’ के लिए भी कौसिल से आर्थिक सहायता माँगी। कौसिल के लिखने पर इस सबघ में उन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो गई। किंतु बाद को कौसिल ने उनकी ‘डिक्शनरी’ के लिए दो साल तक के लिए और आर्थिक सहायता माँगी। १८१६ के लगभग आई० ऐलेजैडर एटन (Ayton), दूसरी बटालियन, १७ वीं रेजीमेंट, नेटिव इंफैट्री, ने ‘अखलाक-इ-हिंदी’ का कुमार्यूनी में अनुवाद किया।

१८ मार्च, १८१६ को रोएबक ने विज्ञानों के भाषणों, कॉलेज द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों, विद्यार्थियों की सूची आदि के सहित कॉलेज के इतिहास (Annals) के संबंध में एक ग्रंथ प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। चार सौ छाप्यन अठपेंच रोपुलक कृत ‘ऐनव्स’ पृष्ठों में ग्रंथ समाप्त करने का उन्होंने अनुमान लगाया और तीन तथा अन्य ग्रंथ रुपया चार आना प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से सौ प्रतियो का मूल्य एक हजार चार सौ ब्यासी होता था। उनकी इच्छा सर्वोत्तम पठना

<sup>१</sup> यही पृ० ३२४ इ२५

<sup>२</sup> यही पृ० ३२५

कागज पर ग्रंथ छपाने की थी। कॉलेज के लिए डॅगलिश पेपर पर छपाने से तौ प्रतियो मे एक भी तीस का अंतर पड़ता था। सोलह रुपए मूल्य रखने की डिष्ट्रिक्ट से वे पाँच सो प्रतियाँ प्रकाशित करना चाहते थे। भी प्रतियाँ लेने के लिए उन्होंने कौसिल से प्रार्थना की। कॉलेज के सहायक मंत्री, ऐट्रिक्सन, ने मरकारी मंत्री, रिकेट्स, के नाम पर लिखा, किन्तु कोर्ट के कारण सरकार ग्रंथ-प्रकाशन के लिए स्वीकृति न दे सकी।<sup>१</sup>

कॉलेज की शासन-व्यवस्था के मंबंध मे रोप्ट्रक ने १० मई, १८१६ को कौसिल के नाम एक पत्र लिखा था और उसके माथ कौसिल की सूचना के लिए अपनी रचनाओं की एक सूची भी भेज दी थी। रोप्ट्रक कुत्रु प्रथ-सूची पहले दी जा चुकी है। निम्नलिखित भूनी अधिक विस्तृत है:—

“१. ‘ब्रिटिश इंडियन मौनीटर’, ( एडिन्बरा, १८०८ )

२. ‘इंगलिश एंड हिंदुस्तानी डायलौग्ज़’, ( एडिन०, १८०६ )

३. ‘टि इंगलिश एंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी, विश् ए ग्रेमर प्रिफिक्समृड़’, ( एडिन०, १८१० )

—‘व्याकरण’, कॉलेज मे पढ़ाया जाता है और, टेलर के मतानुसार, यह सर्वोत्तम व्याकरण है।

४. ‘इंगलिश एंड हिंदुस्तानी नैवल डिक्शनरी आॅव टेक्नीकल वर्ड्स एंड फ्रेज़ेज़’ ( १८११ )

५. ‘इंगलिश एंड हिंदुस्तानी एक्सर्साइज़ेज़’, दो भाग ( १८१२ )

६. ‘बाशो बहार’ के नए संस्करण का सपाठन—इस समय विद्यार्थियों को यही संस्करण पढ़ाया जाता है ( १८१३ )

७. अबुलफ़जल कुत्रु ‘अयार दानिश’ का हिंदुस्तानी अनुवाद—‘खिर्द अफ़रोज़’, दो जिल्द ( १८१५ )

८. विद्यार्थियों के लाभार्थ ‘गुलबकावली’ के नए संस्करण का संपादन ( १८१५ )—इस समय विद्यार्थियों को यही संस्करण पढ़ाया जाता है।

९. ‘कलेक्शन आॅव आॅरिएंटल प्रौवृत्ति’ ( अभी अप्रकाशित )

१०. ‘ए कर्म्मीट हिंदुस्तानी एंड इंगलिश डिक्शनरी’ ( छपने को है )

११. ‘ए पश्यन डिक्शनरी—बरहान-इ-कातिन’ (?) ( छपने को है )<sup>२</sup>

इसके अतिरिक्त रोप्ट्रक के निरीक्षण में निम्नलिखित ग्रंथों की रचना हुई था हो रही थी :

“१. ‘दीवान-इ-जहाँ’, लेखक, बेनी नारायण—विभिन्न शैलियो के हिंदुस्तानी कवियों की सूची ( १८१२ )

२. ‘कसीरल कवायद’ था हिंदुस्तानी, फ़ारसी और पंजाबी विभक्तियाँ ( १८१२ )

३. काशीराज कुत्रु पंजाबी भाषा में ‘शुलिस्ताँ’ ( १८१३ )

४. ‘विद्या दर्पण’—यह हिंदी की उस अजीब बोली में लिखी गई है जिसे देशी सेना के सिपाही बोलते हैं। इसमें राम-कथा के अतिरिक्त हिंटओं की प्रायः सभी कलाओं और विज्ञान का सार दिया गया है और इस भाषा में सबसे अधिक मूल्यवान और अनुरूप

रचना समझी जाती है। लेखक, मिर्जा बेग। यह ग्रंथ अभी-आभी समाप्त हुआ है और कॉलेज कौसिल की आशा से हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के पास निरीक्षणार्थ भेजा गया है।

५. 'ए पंजाबी डिक्शनरी', गुरुमुखी लिपि में, प्रत्येक शब्द का उच्चारण देवनागरी में दिया गया है, फ़ारसी में अनूदित, ग्रंथकार, काशीराज, १८१३, में कॉलेज के पुस्तकालय को ग्रंथ भेट दिया गया।<sup>११</sup>

७ मार्च, १८१५ को स्वीकृत और प्राइस द्वारा सपादित खड़ीबोली और हँगलिश शब्द कोष की सौ प्रतियों कॉलेज के पुस्तकालय में आई। रोएवक ने प्राइस के बारह पौ रुपए के बिल के लिए सरकारी स्वीकृति माँगी जो उन्हें उसी दिन मिल गई।<sup>१२</sup> कौसिल ने 'पुरुष परीक्षा' की सौ प्रतियो के लिए आठ सौ नब्बे रुपए आठ आने का बिल स्वीकार किया। रोएवक ने 'चरहान-इ-क्षातिन', (<sup>१३</sup>) प्रकाशित करने की आशा माँगी। सरकार ने रोएवक कुत 'ऐनल्स' ( इतिहास ) के लिए स्वीकृति न दी थी। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः चाद को उन्हें स्वीकृति मिल गई थी। यद्यपि कॉलेज के विवरणों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो भी रोएवक के ही एक पत्र के अनुसार उन्हें स्वीकृति मिल गई थी क्योंकि इस पत्र में उन्होंने लगभग तीन भास में ग्रंथ समाप्त करने की आशा प्रकट की है।<sup>१४</sup> उनका पत्र कौसिल की बैठक में पेश हुआ। १ जनवरी, १८१६ को रोएवक ने कौसिल के मंत्री, लॉकेट, को 'दि ऐनल्स ऑव दि कॉलेज ऑव फ़ोर्ट विलियम' के पूर्ण होने की सूचना दी। उसमें सात सौ चबालीस रॉयल अठपेजी पृष्ठ थे। एक प्रति का मूल्य वे बत्तीस रुपए से कम न रख सके थे। तीन रुपया चार आना प्रति सौ साधारण अठपेजी पृष्ठ के हिसाब से सौ प्रतियाँ उन्होंने कॉलेज को दीं। इस हिसाब से कुल मूल्य दो हजार चार सौ अठारह रुपया बारह आना होता था अर्थात् एक प्रति का मूल्य चौबीस रुपया तीन आना। कौसिल के मंत्री ने एक सिक्कारिशी पत्र लिखा जिस पर उन्हें सरकारी स्वीकृति मिल गई। लॉकेट ने 'ऐनल्स' की सौ प्रतियाँ कॉलेज में आ जाने की सूचना सरकारी मंत्री, लशिंगठन, को दी और साथ में बिल इत्यादि भी भेजे।<sup>१५</sup> ६ अक्टूबर, १८१८ की कॉलेज ने राममोहन राय कृत 'वेदात दर्शन' की इस प्रतियो खरीदी। २७ नवंबर, १८२० के पत्र में टेलर ने हंटर की 'डिक्शनरी' पूर्ण करने का इरादा प्रकट किया।

३० अप्रैल, १८२३ को लेफ्टिनेंट कर्नल जे० मार्ले ( Marley ) ने निम्नलिखित पुस्तकों कॉलेज से माँगी थी :

<sup>१</sup> फ़ॉ० बि०, २७ फ़ूदवरी, १८१६—२२ अप्रैल, १८१८, हो०, मि०, बि० ६, पृ० १०६-१२४, इ० ऐ० बि०

<sup>२</sup> बही, पृ० १२६-१२७

<sup>३</sup> बही, पृ० ४८८

<sup>४</sup> फ़ॉ० बि०, ४ मई, १८१८—६ दिसंबर, १८१९, हो०, मि०, बि० ०, पृ० २८६ २८८ ३४६ ह० रे बि०

उद्द बोली और फारसी लिपि बाज़ो बहार'  
नागरी लिपि—'बैताल पचीसी'  
हिंदवी या खड़ीबोली—'प्रेमसागर', प्राइस  
कृत कोष सहित ।

सभं 'बैताल पचीसी' और 'प्रेमसागर' का भाषा-संबंधी उल्लेख ध्यान देने योग्य है ।<sup>१</sup>

इस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा सरकारी दफ्तरों में दुभाषिए कॉलेज के विद्यार्थियों में से ही छाँटे जाते थे । इसलिए १८२३ में सरकार ने दुभाषियों की आवश्यक योग्यता निर्धारित करने की हड्डि से एक क्रमेटी बनाई जिसमें जे० दुभाषियों के बिषु डब्ल्यू० टेलर, थी० मैकन (Macon) और चार्ल्स पाटन (Paton) थे । २२ अप्रैल, १८२३ को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें एक दुभाषिये के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक बताई गई :

१. व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों से भली भाँति परिचय ।
२. उदू की सुधरी हुई फारसी लिपि और खड़ीबोली की देवनागरी लिपि सरलतापूर्वक पढ़ना ।

३. बोलचाल की उदू और हिंदूइ का इतना ज्ञान कि कोई बात आलानी से समझ सकें या इन बोलियों में आज्ञा देते समय, या रिपोर्टें और पत्रों का परिचय देते समय सरलतापूर्वक बोलियों से अँगरेजी अनुवाद कर सकें ।

दुभाषियों की परीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए :—

१. व्याकरण की जटिलताओं के स्थान पर सामान्यतः प्रधान मिहांतों पर प्रश्न ।
२. परीक्षकों के साथ मौखिक वार्तालाप करना ।
३. ऊने हुए आज्ञापत्रों, या नियमों और विधानों का हिंदुस्तानी की दोनों लिपियों में लिखित अनुवाद करना ।

४. हिंदुस्तानी में 'बाज़ोबहार', खड़ीबोली में 'प्रेमसागर', और फारसी में 'अनवर सुहेली' पढ़ना और अनुवाद करना ।<sup>२</sup>

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर १ जुलाई, १८२३ को तारिखीचरण मित्र ने एक प्रार्थनापत्र कॉसिल के पास भेजा और तीन ग्रंथों के लिए उसका और सरकार का सरदार चाहा । कमेटी की २२ अप्रैल की रिपोर्ट के बाद २७ मई, १८२३ को सरकार ने भी सेनाविभाग में कैप्टेन से नीचे दर्जे के कमीशन-प्राप्त अफसरों (Sub-alterns) के लिए एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता समझी जो फारसी और हिंदुस्तानी की स्वतंत्र रूप से शिक्षा दे सकता हो । इसलिए तारिखीचरण मित्र ने हिंदुस्तानी में दो भंगह-ग्रंथ तैयार करने की आयोजना प्रस्तुत की । उनके प्रस्तावित ग्रंथों की आयोजना इस प्रकार है :

<sup>१</sup> क्रो० वि०, १० जून, १८२२—१६ दिसंबर, १८२३, हो०, जि० १८० २१४-२१५ इ० २० डि०

<sup>२</sup> वर्षी, पृ० २२२ २१०

- पहले ग्रथ में नामरी लिपि म, प्रथानत हिंदी-उद्दरण, निम्नलिखित रूप में होगे
१. एक संक्षिप्त व्यवहारोपयोगी ब्रजभाषा और हिंदुस्तानी व्याकरण
  २. हिंदुस्तानी गिनती, भिन्नात्मक अशा, आदि
  ३. सप्ताह के दिन
  ४. हिंदू और मुसलमान महाने
  ५. सियाहियों द्वारा प्रयुक्त सैनिक शब्दावली अपनि
  ६. विभिन्न नैनिक विषयों पर बातालाप
  ७. 'वेताल पचीसी' से जुने हुए अंशों का सम्रह
  ८. 'सिहासन बत्तीसी'
  ९. 'नाधोनल' का एक अंश
  १०. 'शकुन्तला' नाटक का एक अंश
  ११. ठेठ हिंदी कहानिया का संकलन

दूसरे ग्रथ में उदूँ बोली से फ़ारसी लिपि में निम्नलिखित रूप में सकलन होगा :

१. 'बाझो बहार' से उद्दरण
२. 'गुलबकावली' से उद्दरण
३. 'आरायश-इ-महफिल' और 'इख्वानुसफा' से उद्दरण
४. गिलकाइस्ट कृत 'आर्टिकिलम् ऑव बॉर' का अनुवाद—फ़ारसी और अंगरेजी लिपि में
५. विभिन्न विषयों पर उदूँ में बातचीत
६. तालिकाएँ, कहानियाँ और मनोहर चुटकुले
७. सौदा, जुरत, मीर तक्की तथा अन्य कवियों की रचनाओं से जुने हुए व्यवहारों-पर्योगी उद्दरण
८. कुछ लोकप्रिय मुसलमानी गाने

और चूंकि सरकार फौजी अफसरों की नामरी लिपि में लिखित 'प्रेमसागर' के आधार पर भी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए तारिखीवरण मित्र ने उसका एक नया सस्करण प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा। इसी के साथ वे उसके समस्त शब्दों की अर्थ-सहित सूची और एक अँग्रेजी अनुवाद भी दे देना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कोई हिंदुस्तानी कोष उपलब्ध नहीं था जिसमें 'प्रेमसागर' के सभी ठेठ शब्द मिल सकते थे। उनकी इस आयोजना के अनुसार 'प्रेमसागर' का अध्ययन करते समय अन्य किसी कोप की आवश्यकता न रह जाती थी।

इन प्रत्येक पाठ्य-पुस्तकों में से प्रत्येक में वे लगभग चार सौ चौपेंजी पृष्ठ रखना और प्रत्येक की पॉच सौ प्रतियाँ छपाना चाहते थे। साढ़े छः रुपए प्रति सौ चौपेंजी पृष्ठ की सरकारी दर से एक प्रति का मूल्य छब्बीस रुपए और सौ प्रतियाँ का मूल्य छब्बीस सौ रुपए होता था। छपाई का कुल व्यय पचहत्तर सौ रुपए पड़ता था। वे सरकार से छपाई का व्यय माँगते थे और सरकार के तीनों पुस्तकों की पॉच-पॉच सौ प्रतियाँ पर केवल चौबीस सौ रुपए का मुनाफ़ा देना स्वीकार कर लेने पर वे दुरंत ही प्रस्तावित ग्रंथों की एक-से काशक पर पन्द्रह सौ प्रतियाँ छपाने के लिए तैयार थे वे उस नए फ़ारसी टाइप क

प्रयोग करना चाहते थे जिसे उस समय हिदुस्तानी प्रेस के प्रोप्राइटर बना रहे थे। सरकार द्वारा अपना प्रस्ताव स्वीकृत होने जाने पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की उष्टि से तारिखी-चरण मित्र ने चार हजार रुपया पेशगी भाँगा और अपने नमूने भी निरीक्षणार्थ भेजे। इस सवध में कौशिल के मत्री, लाईट, ने सपरिप्रद् गवर्नर-जनरल के ६ मई, १८२३ के पत्र का हवाला देते हुए तारिखीचरण मित्र की अर्जी २७ अगस्त, १८२३ को भेजते हुए छुत्तीस सौ रुपए पेशगी देने की सिफारिश की। २८ अगस्त, १८२३ को लशिगठन ने सरकारी स्वीकृति भेज दी और तारिखीचरण मित्र तदनुसार सूचित कर दिए गए। उन्होंने शीघ्र ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया।<sup>१</sup>

२३ मई, १८२३ के सरकारी आजापत्रानुसार टेलर के लेफ्टिनेट कर्नल हो

जाने से और फलतः कार्य अधिक हो जाने के फलस्वरूप उन्हें

**देखाए का अक्काश-** हिदुस्तानी के प्रोफेसर की हैसियत से कार्य करने का अक्काश नहीं

**अहम** मिल पाता था। इसलिए सपरिप्रद् गवर्नर-जनरल ने कैथेन विलि-

यम प्राइस को उनके स्थान पर प्रोफेसर नियुक्त किया।

## विलियम प्राइस

( नवंबर, १८२३—मई, १८३० )

२३ मई, १८२३ के सरकारी आज्ञापत्र के अनुसार टेलर लेफ्टिनेंट-कर्नल हो गए थे। इससे उनका सैनिक कार्य और भी बढ़ गया था। त्रिवकाश न मिलने के कारण

वे कॉलेज का कार्य सम्भाल सकने थे न रह गए थे। अतएव प्रधानाध्यापक के पद सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने कैप्टेन विलियम प्राइस को, जो उस समय

पर प्राइस की नियुक्ति परीक्षक और नेटिव इफैट्री के बीचवें रेजीमेंट में थे, टेलर के स्थान पर और लेफ्टिनेंट जॉन डब्ल्यू० जॉन आउड्ले को, जो नेटिव इफैट्री

के चौदहवें रेजीमेंट के थे, प्राइस के स्थान पर नियुक्त किया। २० नवंबर, १८२३ के सरकारी पत्रानुसार प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से कॉलेज में कार्य करने लगे।<sup>१</sup> उन्हें घटा हुआ वेतन, आठ सौ रुपया मासिक, मिला। प्राइस ने एक हजार रुपया मासिक वेतन माँगा और अपना प्रार्थना-पत्र लॉर्ड ऐम्हर्स्ट के पास भेजा। किंतु कोर्ट के २८ नवंबर, १८२१ के पत्रानुसार प्राइस की प्रार्थना स्वीकृत न हो सकी। वे आठ सौ रुपया मासिक पर ही कार्य करते रहे।

इसी बीच में लॉकेट महोदय रेजीडेंट होकर लखनऊ चले गए। उनके स्थान पर थोड़े दिन तक आउड्ले ने कार्य किया। किंतु १ जून, १८२४ से कैप्टेन रड्डेल ( Ruddell ) आठ सौ रुपया मासिक वेतन पर मन्त्री और पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए।

१ मई, १८२४ को प्राइस, आउड्ले और रड्डेल के अतिरिक्त कॉलेज का संक्षिप्त विवरण गत वर्षी की भाँति ही था। हिंदुस्तानी विभाग में ग्यारह मुश्ती थे। ‘भाखा’-विभाग के मुश्ती गंगाप्रसाद शुक्र थे। इनकी नियुक्ति पचास रुपया मासिक वेतन पर १८२३ में हुई थी।

प्राइस को पहले से ही बजभापा और सकृत की ओर रुचि थी। कॉलेज में वे ये भाषाएँ पढ़ाते थीं थे। प्रधानाध्यापक नियुक्त होने पर रड्डेल ने प्राइस का हस्तलिखित भाषाएँ उनके निरीक्षण के लिए हिंदी का एक हस्तलिखित ग्रंथ भेजा था। ग्रंथों के संबंध में पछ प्राइस ने जून, १८२४ को रड्डेल के नाम पत्र लिखते हुए कहा :

“आपकी प्रार्थना के अनुसार मैं कॉलेज कौसिल के सूचनार्थ हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ का विवरण भेज रहा हूँ। यह ग्रंथ इदौर के रेजीडेंट श्री वेलेजली ने डॉ. ऐट्किसन द्वारा कॉलेज के पुस्तकालय में सुरक्षित रखने के लिए भेजा है।

“कथा में गोरा और बादल नामक दो राजपूत उरदारों की वीरता का वर्णन है। इन्होने चित्तौड़ के कुमार ( राणा ) रत्नसेन को अलाउद्दीन के पंजे से छुड़ाया था।

१२०५ ई० में अलाउद्दीन दिल्ली में राज्य करता था। हिंदुस्तानी में विख्यात अनेक घटनाओं में से यह एक घटना है और जिसका वर्णन विभिन्न रूपों में मिलता है। रनसेन की रानी पद्मिनी या पद्मावती अपने सौन्दर्य के लिए जगत्-प्रसिद्ध थी। अलाउद्दीन ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की थी। इसी घटना से कथा का जन्म हुआ है। डाउ (Dow) और अबुलफ़ज़ल कृत 'आईने अकबरी' (जिल्द २, पृष्ठ ८२) में इसका उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है जिसमें अनेक संस्कृत शब्द तथा अन्य अनेक ऐसे शब्द हैं जो दूसरे प्रदेशों में प्रचलित नहीं हैं। इसीलिए हिंदी के अनेक रूपों से इसका रूप भिन्न है। हिंदुस्तानी अनुवाद की भाषा भी उद्भूत भाषा से भिन्न है। किन्तु सब बाते सरलतापूर्वक समझ में आ जाती हैं। लेख शुद्ध नहीं है। पोथी में अनेक अशुद्धियाँ हैं। इससे अनेक स्थलों पर पढ़ने और समझने में कठिनाई पड़ती है। जब कभी भी कॉलेज में हिंदी का अध्ययन होगा, निस्सदैह यह ग्रंथ पाठ्य-पुस्तक के रूप में उपादेय सिद्ध होगा। इस समय तो कोई भी विद्यार्थी इस बोली को नहीं समझ सका।

“मुझे इस बात की आशा है कि भविष्य में श्री वेलेज़ली संस्कृत और हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ उपत्यक करने में सफल हो सकेंगे। ऐसे ग्रंथों का संग्रह अत्यंत आवश्यक है। कदाचित् उनसे उनके आसपास के प्रदेशों में प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों की एक सूची भेज देने की प्रार्थना करना उचित होगा। क्योंकि उन प्रदेशों के ग्रंथों के सबध में हमें कोई जानकारी नहीं है। वहाँ अनेक अनसोल चरित्र विखरे पड़े हैं। कहा जाता है कि इन चरित्रों की रचना उदयपुर के एक राणा की आशा से हुई थी और उनमें मुसलमानी आक्रमण से पूर्व उनके वंश का इतिहास मिलता है। एक चरित्र का खंड भाग स्वर्गीय कर्नल बैकेनज़ी के संग्रह में है जिसका नाम 'पृथ्वीराय चरित्र' या पृथ्वी राय या पिथौरा का इतिहास है। किंतु उसका साधारण हिंदी में रूपातर कराना आवश्यक है, क्योंकि जिस बोली में यह तथा अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, वह मारवाड़ी है और उसे समझने वाला कोई व्यक्ति कलकत्ते में नहीं है। हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त करने के लिए श्री विल्सन ने कैप्टेन कौब (Cobbe) को लिखा है, किंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। यदि श्री वेलेज़ली स्वयं इन ग्रंथों को प्राप्त करने में असमर्थ हों तो वे कैप्टेन कौब से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

“इंदौर में प्राप्त संस्कृत ग्रंथों की सूची भी कुछ कम महत्वपूर्ण सिद्ध न होगी। इंदौर जैसे अन्य अनेक स्थान हैं, किन्तु यह जानना एक प्रकार से असमव है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा इंदौर में कौन-कौन से ग्रंथ आसानी से मिल सकते हैं। और चैकि वेदों और पुराणों की शुद्ध प्रतियों का अत्यन्त अभाव है और भिन्न-भिन्न प्राप्त प्रतियों में विषयात्मक भी मिलता है, इसलिए उनकी पारस्परिक तुलना के लिए भारत के विभिन्न भागों से प्रतियाँ प्राप्त करना बाछनीय है। श्री वेलेज़ली वेदों, वेद-भाष्यों और पुराणों की प्रतियाँ तुरंत भेज सकते हैं। प्रति एक हजार श्लोकों के लिए एक रुपए से तीन रुपए तक मूल्य उचित होगा। कुछ नाटक भी सूची में सम्मिलित किए जा सकते हैं।”<sup>1</sup>

इस पत्र से प्राइस की हिंदी और संस्कृत के प्रति रुचि का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। प्राइस के पूर्ववर्ती प्रधानाध्यापकों की अथवा उनके समय में अन्य किसी व्यक्ति की इस विषय में तनिक रुचि का भी पता नहीं चलता। उनका उत्साह देख कर ही कौसिल के मंत्री, रड्डैल, ने एक पत्र इंटौर के रेजीडेंट श्री बेलेजली को लिखा था। प्रधानाध्यापक की हैसियत से उनकी उपस्थिति के कारण ही कॉलेज के शिक्षा-क्रम में परिवर्तन हुआ जो गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित नीति के देखते हुए अभूतपूर्व था।

कुछ दिनों से कॉलेज में बँगला के अध्ययन की उपेक्षा हो चली थी। फ़ारसी के अतिरिक्त विद्यार्थियों को एक दूसरी भाषा और लेनी पड़ती थी। बँगला लेने पर उनको फ़ारसी से एक बिल्कुल ही भिन्न भाषा का अध्ययन करने से कठिनाई कॉलेज में बँगला का अनुभव होता था। अतएव परिश्रम बचाने की हाइ से विद्यार्थी फ़ारसी के बाद हिंदुस्तानी की ओर कुकते थे। फ़ारसी का प्रचार तो उस समय राजकीय हाइ से था ही आंर लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को उसका अध्ययन करना पड़ता था। गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित हिंदुस्तानी के रूप का अध्ययन करते समय उन्हें फ़ारसी शब्दावली की सहायता मिल जाती थी। इससे उनका भार अत्यधिक हल्का हो जाता था। फलतः बँगला के स्थान पर फ़ारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। समय-समय पर बनने वाले कॉलेज के नियमों का इसमें बहुत-कुछ हाथ था, जैसे चौथे परिच्छेद का उच्चीसवाँ नियम। कोर्ट का ध्यान भी हिंदुस्तानी की ओर ही अधिक रहता था। अस्तु, २४ सितंबर, १८२४ को रड्डैल ने सामान्य (जनरल) विभाग के सरकारी मंत्री, सी० लशिगटन, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भाषा-संबंधी अव्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बँगला के अध्ययन के अधिकाधिक प्रचार के उपायों पर तो विचार किया ही है, जिससे हमारा अधिक संबंध नहीं है, किन्तु हिंदी-हिंदुस्तानी भाषाओं के सबध में भी अपना मत प्रकट किया है और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना है :

“हिंदुस्तानी, जिस रूप में यह कॉलेज में पढ़ाई जाती है और जिसे उदू०, दिल्ली-जगत आदि या दिल्ली-दरबार की भाषा के नाम से भी पुकारा जाता है, समस्त मारतवर्ष के उच्च श्रेणी के लोगों, और विशेष रूप से मुसलमानों, में बोलचाल के लिए काम में लाई जाती है। किन्तु क्योंकि इसे मुगलों ने चलाया था और अरबी, फ़ारसी तथा अन्य उत्तर-पश्चिमी भाषाएँ इसका मूल स्रोत हैं, इसलिए अधिकांश में अब भी यह एक विदेशी भाषा समझी जाती है।

“फ़ारसी और अरबी से बनिष्ठ संबंध होने के कारण यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी कॉलेज में रहने की अवधि अधिक से अधिक कम करने की हाइ से फ़ारसी और हिंदुस्तानी की ओर ही कुकते हैं, क्योंकि फ़ारसी के साधारण ज्ञान से वह हिंदुस्तानी में आवश्यक योग्यता प्राप्त करने योग्य हो जाता है। किन्तु इन दोनों भाषाओं में आवश्यक योग्यता प्राप्त करने पर भी भारत की कम-से कम तीन-चौथाई जनसंख्या के लिए इसकी अरबी-फ़ारसी शब्दावली दुर्लभ सिद्ध होती है—उतनी ही दुर्लभ जितनी स्वयं उसके (विद्यार्थी के) लिए संस्कृत से संबंध रखने वाले मुहावरे या भाषा और जो हिंदुओं में प्रचलित समस्त बोलियों की जननी है।

“साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि हिंदुओं में जिन विभिन्न बोलियों का चार है संस्कृत का एक अच्छा विद्वान् उनके प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत से सिद्ध कर सकता है। बैंगला और उड़िया लिपियों ने तो अपनी अलग ही नियमित और शुद्ध वर्ण-विन्यास-कला बनाए रखी है। नहीं तो प्रायः सभी हिंदुओं की लिपि नागरी है और शब्दों में विभक्ति-चिन्ह लगाने के व्याकरण-संबंधी प्रमुख नियम लगभग समान हैं। उल्लिख अन्य भाषाओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा संस्कृत-ज्ञान-प्राप्त व्यक्ति संस्कृत से निकली हुई भाषाओं पर अधिक अधिकार प्राप्त कर सकता है।

“कॉलेज में रहने की साधारण अवधि में संस्कृत जैसी कठिन भाषा चौथे परिच्छेद के उच्चीसवें नियम से आगे—‘जो कुछ हिंदुस्तानी और बैंगला के व्याकरणानुमोदित और शुद्ध ज्ञान के लिए आवश्यक है’—निर्धारित पाठ्य-क्रम का अंग नहीं बनाई जा सकती। किंतु संस्कृत से निकली किसी भी देशी भाषा का, जिसका फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के अतर्गत प्रदेशों में प्रचार है, व्याकरणानुमोदित और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने में लाभ है, क्योंकि इससे एक ही उद्घाम से निकली हुई बोलियों का ज्ञान प्राप्त करने में उतनी ही सरलता होगी जितनी कि स्वयं संस्कृत के प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में।

“ऐसा विश्वास किया जाता है कि बैंगला और उड़िया अपने मूल उद्घाम के अत्यधिक समीप हैं। किंतु खड़ीबोली, ठेठ हिंदी, हिंदुई आदि विभिन्न नामों से प्रचलित ‘ब्रजभाषा’ का सामान्यतः समस्त भारतवर्ष में प्रचार है, विशेषतः जयपुर, उदयपुर और कोटा की राजपूत जातियों में। इसके अतिरिक्त यह उन सभी श्रेणियों के हिंदुओं की बोली है जिनसे हमारी और देशी नरेशों की सेना के सैनिक आते हैं।”<sup>१</sup>

अस्तु, कौसिल ने उपरिपद् गवर्नर-जनरल से चौथे परिच्छेद के उच्चीसवें नियम में सुधार करने की प्रार्थना की ताकि उसके बाद के भर्ती हुए विद्यार्थियों से फ़ारसी-ज्ञान के अतिरिक्त हिंदुस्तानी भाषा के स्थान पर बैंगला या ब्रजभाषा के, जिसे हिंदी और हिंदुई भी कहते थे, पर्याप्त ज्ञान की आशा की जा सकती। बैंगला के अतिरिक्त स्वयं प्राइस पहले से ब्रजभाषा की शिक्षा देते थे। किंतु इस शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं था। विद्यार्थियों को बोलचाल की बैंगला और ब्रजभाषा का जैसा ज्ञान होना चाहिए था। नहीं था। देशी लोगों के संपर्क में आने से बैंगला और ब्रजभाषा का ज्ञान और भी परिपक्व होकर कर्मचारियों को राजकीय कार्यों में सुविधाजनक सिद्ध हो सकता था। इस विधि से बैंगला की उपेक्षा भी न हो सकती थी। प्राइस के ब्रजभाषा-विशेषज्ञ होने से इस नई व्यवस्था के सफल होने की ओर भी अधिक आशा थी। राजनीतिक तथा शासन के व्यवहारेयोगी दृष्टिकोणों से दोनों भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता थी। परीक्षा-क्रम तथा अन्य प्रयोजनों से कौसिल ने चौथे परिच्छेद के बीसवें और इक्कीसवें नियमों में सुधार को प्रार्थना भी की।<sup>२</sup>

<sup>१</sup> यही, पृ० ४१६-४६०

<sup>२</sup> यही, पृ० ४३०-४००

तदनुसार लशिगठन ने ३० सितंबर, १८२४ के पत्र द्वारा गवर्नर-जनरल की स्वीकृति भेज दी। परीक्षा संबंधी समस्या पर भी गवर्नर-जनरल ने अपने विचार प्रकट किए।<sup>१</sup> आज्ञा प्राप्त कर कौंसिल ने विधान का सातवाँ परिच्छेद कॉलेज के विधान तैयार कर २० अक्टूबर, १८२४ को सपरियद् गवर्नर-जनरल की का सातवाँ परिच्छेद स्वीकृति के लिए भेज दिया। २८ अक्टूबर, १८२४ को उन्होंने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी और कौंसिल की प्रार्थना के अनुसार नागरी लिपि, बङ्गला और हिंदी की प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कोर्ट को लिखने का भी वचन दिया।<sup>२</sup>

विधान के सातवें परिच्छेद के साथ कौंसिल ने प्राइस का एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने (प्राइस ने) भाषा-संबंधी समस्या और ब्रजभाषा, खड़ीबोली, हिंदवी या हिंदुई, ठेठ हिंदी आदि के स्थान पर केवल 'हिंदी' नाम चुनने के कारणों पर विचार किया है। यह पत्र ११ अक्टूबर, १८२४ को कौंसिल के संबंधी एवं मन्त्री, रडैल, के नाम लिखा गया था। इसमें प्राइस ने अपने को 'हिंदी प्रोफेसर' लिखा है, न कि 'हिंदुस्तानी प्रोफेसर', यद्यपि सरकारी पत्र-व्यवहार में 'हिंदी' और 'हिंदुस्तानी', मुख्यतः 'हिंदुस्तानी', शब्द का अनिश्चित प्रयोग मिलता है। कॉलेज के, और सभवतः अँगरेज़ी राज्य के, इतिहास में कदाचित् टेलर के बाद 'हिंदी' शब्द का आधुनिक अर्थ में निश्चित और लगातार प्रयोग—क्योंकि १८२४ से पहले भी एकाध बार 'हिंदी' का आधुनिक अर्थ में प्रयोग मिल जाता है<sup>३</sup>—प्राइस के इसी पत्र में मिलता है। प्राइस का वह महत्वपूर्ण पत्र निम्नलिखित है :

"कॉलेज से उदू॑ के स्थान पर हिंदी का अध्ययन जारी करने के कई कारण हैं। यह विषय कदाचित् ठीक-ठीक समझा नहीं गया। इसलिए आपके पत्र के उच्चर में मैं कुछ विस्तार से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

"उत्तरी प्रांतों (Upper Provinces) की भाषाओं को हिंदुस्तानी और आपस में एक दूसरी से भिन्न तथा एक मूल रूप के विभिन्न रूप न समझी जाने के कारण उनके संबंध में बड़ी उल्लंघन पैदा हो गई है। उन सबका निर्माण ता एक-सा है, चाहे शब्दावली भले ही भिन्न हो।

"गंगा की घाटी के हिंदुस्तान की बोलचाल की भाषा कभी संस्कृत रही थी या नहीं, यदि इस संबंध में सोच-विचार करने का समय नहीं रहा तो यह विचारणीय है कि देशी माधाश्रों का निजी व्याकरण किस समय बना। यह एक तथ्य है जिसके कारण संस्कृत और हिंदी के विभिन्न रूपों में लाक्षणिक अतर है। यद्यपि कुछ शब्दों का स्तोषजनक संस्कृत रूप मालूम नहीं किया जा सकता, तो भी ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है। यदि

<sup>१</sup> बही, पृ० ४००-४०१

<sup>२</sup> बही, पृ० ४०१-४०२

<sup>३</sup> जैसे, जै० रामर ने अपने २० सितंबर, १८०४ के दस्ते में हिंदी और हिंदी" का समान अर्थ में प्रयोग किया है

गवेषणा की जाय तो उनकी संख्या और भी कम रह जायगी, यह निस्तुन्देह है। इतने पर भी सहायक किया 'होना' की व्युत्पत्ति सस्कृत धातु 'भू' से सोचना कठिन है।

"साथ ही यदि किया सस्कृत है, तो किया के सामान्य रूपों को छोड़ कर विभक्ति-चिन्ह संस्कृत से नहीं मिलते। कियाओं के रूपों और कालों का अंत भी सामान्यतः विल्कुल अजीब है। वर्तमान काल और भूत कुदातों के साथ सहायक किया का प्रयोग और प्रत्यय लगा कर संज्ञाओं के कारक बनाना सस्कृत भाषा की प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। अस्तु, मूल रूप चाहे जो कुछ रहा हो, अब एक हिंदी-व्याकरण है जिसका स्वतंत्र रूप से निर्माण हुआ है। यह एक और तो पूर्ण वस्तु के मूल स्रोत से भिन्न है और दूसरी ओर उन भाषाओं से भिन्न है जो संस्कृत से निकली बताई जाती हैं, जैसे, भराठी और बंगला। इसलिए वह भाषा स्वतंत्र समझे जाने योग्य है जिसे हम 'हिंदी' नाम से सरलतापूर्वक अभिहित कर सकते हैं—यद्यपि 'हिंदू', अपभंश 'हिंदवी', अधिक उपर्युक्त शब्द होता।

"विदेशी शब्दों के अत्यधिक प्रभाव ने हिंदी का ऐसा रूप-परिवर्तन कर दिया है कि उसकी कुछ बोलियाँ विल्कुल ही उससे भिन्न प्रतीत होती हैं। उदू' के बड़े-बड़े विद्वान् ब्रजभाषा का एक वाक्य भी नहीं पढ़ सकते। प्राचीन और परिवर्तनशील ग्रान्तीय विशेषताओं और विभिन्न अंशों में पड़ित या मुश्टी, सुखलमान शहजादा या हिन्दू जमीदार की बोलियों के पारस्परिक सम्मिश्रण ने ये परिवर्तन और बढ़ा दिए हैं। इससे हिंदी भाषा के अनेक रूप हो गए हैं। किन्तु इन विभिन्न रूपों का व्याकरण अपरिवर्तित रहा है। वह अब भी प्रधानतः एक ही है। कठिन से कठिन उदू' और सरल से सरल भाषा में एक ही अथवा लगभग एक ही रचना-पद्धति, योगात्मक और पदान्तक शब्दों का प्रयोग होता है। 'का', 'के', 'की' और 'कौ', 'के', 'की' क्रमशः उदू' और भाषा के सबधकारक चिन्हों में कोई बहुत अविक अंतर नहीं है। भाषा का 'मैं भारथी जातु हूँ' उदू' के 'मैं भारा जाता हूँ' के लगभग समान है।

"ब्रजभाषा और उदू' का थोड़ा सा अतर, जो श्रमी दिखाया जा चुका है, प्रादेशिकता मात्र है। अन्य स्थलों पर ऐसी और भी प्रादेशिकताएँ हो सकती हैं, किन्तु वे कम स्थिर और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन अन्य बोलियों का प्रयोग कम होता है। अत्यधिक प्रचलित होने के कारण हिंदी का रूप ही अधिक अपेक्षित है, जैसा कि हिंदुस्तानी कही जाने वाली भाषा के सबध से ज्ञात होता है। खड़ीबोली के विषय में भी यही कहा जा सकता है। खड़ीबोली ही अब तक हिंदुस्तानी और उसके व्याकरण का आधार है, न कि ब्रजभाषा, यद्यपि डॉ. गिलक्राइस्ट ने ब्रजभाषा को ही उसका आधार माना है।

"तो प्रादेशिकताओं को छोड़ कर, जिनकी ओर तुलनात्मक दृष्टि से विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, उन भाषाओं के व्याकरण में, जो कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, परिवर्तन करने योग्य कोई बात नहीं है किन्तु एक दूसरा दृष्टि से कुपरिवर्तन

“हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं और हिंदुस्तानी के अधिकाश शब्द अरबी और फ़ारसी के। डॉ० गिलक्राइस्ट के ‘पौलीग्लौट फैब्यूलिस्ट’ से एक साधारण उदाहरण लेकर हम संतोष कर सकते हैं :

“हिंदुस्तानी—‘एक बार, किसी शहर में, वूँ शुहरत हुई, कि उसके नज़दीक के पहाड़ को जनने का दर्द उठा।’”

“हिन्दी—‘एक समय, किसी नगर में, चर्चा फैली, कि उसके पड़ौस के पहाड़ को प्रसूत की पीर हुई।’”

“दोनों के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दोनों में से एक के भी रूप की विशेषता नष्ट किए बिना अतर और भी अधिक हो सकता था।

“हिंदी की विशेषता के लिए एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वह नागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। संस्कृत-प्रधान रचना जब फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है तो ऐसे शब्द बनते हैं जो समझ ही में नहीं आते। कॉलेज के पुस्तकालय में ‘पश्चावत’ नामक हिन्दी-काव्य की दो प्रतियाँ हैं। उसके पढ़ने में मेरा और भाषा मुश्शी का सतत परिश्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ है।

“नई लिपि और नए शब्द सीखना विद्यार्थियों के लिए बड़े परिश्रम की बात होगी। किंतु इससे उनके ज्ञान की वास्तविक बूँदि होगी। अपना फ़ारसी ज्ञान नए रूप में रखने के सिवाय उनका हिंदुस्तानी-ज्ञान और कुछ नहीं है। वह उनका परिचय न तो भाषा के साथ और न देशी लोगों के विचारों के साथ ही बढ़ाता है। हिंदी के अध्ययन ने भी इससे कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु हिंदी के साथ-साथ फ़ारसी का ज्ञान विद्यार्थी को हिंदुस्तानी रचनाएँ सरलतापूर्वक पढ़ने में सहायता पहुँचाएगा और वार्तालाप के उपयोगी माध्यम द्वारा हिंदुओं के चरित्र और विचारों के साथ परिचित कराएगा।”<sup>१</sup>

किंतु प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के सफल होने में एक बड़ी बाधा थी। उस समय तक अध्यापन-कार्य करने वाले कॉलेज के मुश्शी न तो नागरी लिपि जानते थे और हिंदी को प्रधानकां : नहीं थीं। अतः सरकारी इष्टिकोण से प्रस्तावित परिवर्तन में उनसे व्यवस्था के अनुसार नई सहायता मिलने की आशा व्यर्थ थी। थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी वे विद्यार्थियों को अध्ययन के उचित मार्ग पर लगाने के बजाय भुलावे में डाल सकते थे। जिस समय कॉलेज में फ़ौजी विद्यार्थियों का दाखिला हुआ था उस समय काम के कई हिंदू थे। किंतु अब वे कॉलेज में नहीं थे। क्योंकि नैपाल-युद्ध के छिङते ही फ़ौजी विद्यार्थियों को हथा कर सैनिक-कार्य

के मिए मेज देने से वे काम के हिंदू व्यक्ति मी श्रलग कर दिए गए थे उनके स्थान पर तुरत ही सुयोग्य देशी अध्यापकों का यथेष्ट संख्या में मिलना कठिन था।

ज्यों-ज्यो हिंदू जातियों पर अँगरेजी राज्य स्थापित होता गया, त्यों-त्यों सरकार को उनसे घनिष्ठ सबध स्थापित कर शासन-व्यवस्था सुचाद रूप से चलाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। इसलिए विवान के नवीन अर्थात् सातवें परिच्छेद में अधिकारियों ने यह नियम रखा कि भविष्य में प्रत्येक विद्यार्थी फ़ारसी के साथ बँगला या हिंदी लेगा, न कि हिंदुस्तानी—जैसा अब तक था। कौसिल को यह भी शंका थी कि कदाचित् विद्यार्थी बँगला की ओर अधिक झुकें और हिंदी को कठिन समझ कर उसकी ओर उनकी रुचि न हो। अतएव उन्होंने दोनों भाषाओं में ऐसी नई पाठ्य-पुस्तके तैयार कराने का विचार किया जो जहाँ तक हो सके, लिपि और व्याकरण का मैद छोड़ कर, विषय, शैली और भाव-अंजना की दृष्टि से समान हो। बँगला लिपि की कठिनाई बँगला पुस्तकों को नामरी लिपि में छाप कर दूर की जा सकती थी। कॉलेज के परीक्षा-काल की प्रत्येक अवधि के अंत में विद्यार्थियों से ये नई पुस्तके पढ़वाने और इन्हीं में से प्रश्न पूछने की आशा की गई। इस परीक्षा में सफल होने पर ही उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती थी। हर्टफर्ड के अधिकारियों को भी यह लिखा गया कि विद्यार्थियों में बँगला और हिंदी दोनों को नामरी लिपि में पढ़ने की ज़मता उत्तम की जाय। साथ ही कौसिल ने बँगला और हिंदी दोनों भाषाओं के ज्ञानने वाले अध्यापक नियुक्त करने की चेष्टा की। २६ अक्तूबर, १८२४ को उसने डॉ० विलियम प्राइस को अपने-अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखा।

विलियम प्राइस ने १ नवंबर, १८२४ को उत्तर देते हुए लिखा : हिंदी (हिंदू माषा) के पठन-पाठन के लिए नए अध्यापक और नई पुस्तकों की आवश्यकता होगी।

कॉलेज के मुंशी देवनागरी लिपि, हिंदी के अधिकाश शब्दों और अध्यापक और ग्रन्थ ; हिंदुओं के आचार-विचारों से परिचित नहीं हैं। उनकी आवश्यकता, प्राइस का मत अभ्यास और संस्कार ने उन्हें नए प्रकार के उग्रुक्त शिक्षक बनने योग्य नहीं छोड़ा। जितने भी पंडित हैं वे लगभग सभी बंगाल के

रहने वाले और हिंदी अथवा हिंदुस्तानी व्याकरण से मुंशियों से भी कम परिचित हैं। साथ ही वे अपने प्रातीय उच्चारण का हिंदी में प्रयोग करेंगे जिससे विद्यार्थी एक ऐसा उच्चारण सीख जाएंगे जो उत्तरी प्रांतों के निवासियों की समझ में न आ सकेगा। अस्तु, कॉलेज के न तो हिंदुस्तानी विभाग के मुंशी और न बँगला विभाग के पंडित हिंदी पढ़ाने योग्य हैं। हिंदी पढ़ाने के लिए उत्तरी प्रांतों से पंडित बुलाने पड़े गे। कितने पंडित बुलाने होंगे, इस बात का निश्चय कौसिल स्वयं करे। हाँ, संस्कृत के साथ-साथ हिंदी की योग्यता भी उनमें होनी चाहिए। इस योग्यता के कारण वे उच्च कोटि के अध्यापक ही नहीं समझे जाएँगे, वरन् संस्कृत-विभाग में स्थान रिक्त होने पर वे सरलता-पूर्वक वहाँ भी कार्य कर सकेंगे। बँगला क़ज़ाओं के लिए आवश्यक अध्यापकों की संख्या से उनकी संख्या अवश्य अधिक होनी चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों की दृष्टि से 'बैताल पञ्चीसी', 'सिहासन बत्तीसी' और 'प्रेमसागर' के नए संस्करण तैयार कराना भी आवश्यक होगा क्योंकि ये पुस्तकें इस समा यथेष्ट सख्त में प्राप्त नहीं हैं 'हिंदोरेग' का

भी एक हिंदी अनुवाद हो रहा है जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ये ग्रंथ पाठ्य-पुस्तकों का काम भली भाँति दे सकेंगे। इनमें योग्यता प्राप्त करना पर्याप्त ज्ञान का प्रमाण समझा जायगा। किन्तु इन ग्रंथों के छपने में समय लगेगा। मैं कौसिल के इस विचार से सहमत नहीं कि विषय और भाव-व्यंजना के साम्य से बँगला और हिंदी पुस्तकों को नागरी लिपि में छापने से लाभ पहुँच सकता है। बँगला को आसान समझना शालत धारणा है। हर्टफर्ड से बँगला में कुशल विद्यार्थियों के बाने से बँगला कहा के अधिक बढ़ जाने का डर है। बँगला कहापि हिंदी से आसान नहीं है। हर्टफर्ड में हिंदी की अपेक्षा हिंदू साहिल्य, विशेषणः सस्कृत साहित्य, के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान देने से हिंदी का अध्ययन पिछ़ह सकता है। यूरोप में सस्कृत का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने से बँगला और हिंदी की ज्ञान-प्राप्ति में अधिक सह वता प्राप्त होगी। किन्तु जब तक वहाँ यह प्रबंध न हो जाय तब तक बँगला के विद्यार्थी भी सख्ता कुल विद्यार्थियों की संख्या के तु के बराबर सीमित कर दी जाय।<sup>१</sup>

इस पत्र के साथ ही प्राइस ने ११ अक्टूबर के पत्रका उल्लेख भी किया। प्राइस की आयोजना से यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देने पर भी वे हिंदी के समुचित अध्ययन के लिए, जैसा कि आगे ज्ञान होगा, न तो नए प्राइस का अधिकचरा अध्यापकों की ओर न नए ग्रन्थ-ग्रंथों के निर्माण की ही व्यवस्था कर प्रयत्न सके। वे लल्लूलाल के ग्रंथों पर झी निर्भर रहे। संभवतः वे कोई की आर्थिक नीति के कारण विवश थे।

डॉ० विलियम कैरे ने अपने १६ नवंबर, १८२४ के उत्तर में बँगला और हिंदी की समान पुस्तकों के प्रस्ताव की लिखा है कि विषय मौलिक तथा इतिहास, विज्ञान और नीति-संबंधी हो। यूरोप में अधिकतर कैरे का मत साहियिक ग्रंथों के आधार ऐसे ही थिषय थे। ऐसे ग्रंथ ही जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकते थे। मौलिक ग्रंथों के अभाव में वे ग्रंगरेज़ी से अचूहित ग्रंथों के दब्लू में थे। उनकी सम्मति में कॉलेज को पाठ्य-पुस्तकों में दी गई कहानियाँ पूर्वी आचार-विचार पर प्रकाश डालने वाली थीं। और यदि नीति भी लचर हुई तो कहानियाँ साधारण और अखंकिर प्रतीत होती थीं। उनकी लेखन-प्रणाली और शैली भी नीरस, साधारण और तचियत उत्तर देने वाली थी। डॉ० मार्शमैन ने इतिहास, विज्ञान, भूगोल, और सौर-विज्ञान-मंबंधी पुस्तकों का बँगला में अनुवाद किया था। कैरे उन्हें कॉलेज की पाठ्य-पुस्तकों के रूप में चाहते थे। बँगला के लिए नागरी उन्हें भी अस्वाभाविक ज़र्ची। नागरी लिपि के ज्ञान के लिए एक छोटो-सी पुस्तक से काम निकल सकता था। लेकिन दोनों भाषाओं के लिए एक ही सुलेखक रखना जा सकता था।<sup>२</sup>

<sup>१</sup> वही, पृ० ४०८-४१०

<sup>२</sup> वही, पृ० ४१०-४११

नागरी लिपि का कितना प्रचार था हस बात के उदाहरण में यह कहा जा सकता है कि वैरकपुर के देशी सिपाहियों के ४७वें रेजीमेंट ने जब विद्रोह किया तो सैनिक पत्रों की हिंदुस्तानी और नागरी लिपि में रचना हुई थी। लेफ्टिनेट कर्नल नई व्यवस्था के अंत- विलियम केस्मेट ने ४ नवंबर, १८२४ को कौसिल के नाम पत्र पांच कॉलेज द्वारा लिखा था। सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा से प्राइस ने उन प्रयुक्त हिंदी का रूप आज्ञापत्रों का अनुवाद किया था। यह अनुवाद १० नवंबर को केस्मेट के पास पहुँच गया था। प्राइस द्वारा अनूदित ये आज्ञापत्र अभी उपलब्ध नहीं हो सके।

किन्तु एक अन्य उदाहरण से प्राइस की भाषा-नीति के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्त्वावधान में डॉ० गिलकाइस्ट के हिंदुस्तानी-संबंधी विचारों और जिस हिंदुस्तानी भाषा की नींव उन्होंने डाली, उनके सबध में अन्यत्र विचार किया जा चुका है।<sup>१</sup> प्राइस के समय में भाषा को जो रूप मिला वह ध्यान देने योग्य है। किसी ग्रंथ के प्रकाशन के समय लेखक अथवा प्रकाशक को किन-किन बातों का उल्लेख करना चाहिए, इस संबंध में कौसिल के १५ जनवरी, १८२५ के अधिवेशन में कुछ नियम बनाए गए थे। कौसिल की आज्ञा से मंत्री, रडैल, ने ये नियम फ़ारसी, हिंदी, बङ्गला और अँगरेजी में प्रकाशित किए थे। वह इश्तदार, जिसमें नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार है:

‘इस्तदार यह दिया जाता है कि जो कोई पोथी छपाने के लिये कालिज कौनसल से सहाय चाहता हो उह अपनी दरखास्त में यह लिखे १. कि पोथी में केत्ता पत्रा औ पत्रों में कित्ती औ पंति कित्ती लंबी २. कितनी पोथियां छापेगा औ कागद कैसा तिस लिये अक्षर औ कागद का नमूना लावेगा ३. औ किस छापेखाना में छापेगा औ सब छप जाने में कित्ता खरच लगेगा ४. तथार हुए पर पोथी किसे दाम को बेचेगा’<sup>२</sup> यह भाषा गिलकाइस्ट के भाषा-संबंधी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। यद्यपि भाषा अव्यवस्थित और बाक्य असंगठित हैं, किन्तु यह हिंदी है। इसी हिंदी का साधारण जनता में प्रचार था। जिस समय राजव्य-भाषा फ़ारसी थी और फ़ारसीमय खड़ीबोली का भी यथेष्ट प्रचार था, उस समय सरकारी इश्तदार में ऐसी सरल और जन-साधारण में सभभी जाने वाली हिंदी का प्रयोग करना वास्तव में असाधारण बात थी।

अस्तु, २६ जनवरी, १८२५ को मंत्री, रडैल, ने डॉ० कैरे को सूचित किया कि बिना परीक्षा लिए बङ्गला और संस्कृत का कोई अध्यापक कॉलेज में न रखना जाय। और क्योंकि कौसिल एक पृथक हिंदी विभाग स्थापित करना नहीं चाहती सुनियों को हिंदी थी (आर्थिक कारणों से) इसलिए उन्हीं अध्यापकों को रखने का पढ़ाने के लिए सीता- और आदेश दिया गया जो बङ्गला और संस्कृत के साथ-साथ हिंदी राम पंडित की नियुक्ति भी जानते थे। व्यय और कठिनाइयों बचाने के लिए कौसिल ने

<sup>१</sup> दै०, ‘हिंदुस्तानी’ (अक्तूबर, १८१०) में ‘गिलकाइस्ट और हिंदी’ शीर्षक लेख।

<sup>२</sup> फ्रॉ० वि०, १५ जनवरी, १८२५—२६ दिसंबर १८२६ है०, छि०, छि० १०, पू० ११, १० रे० वि०

परिचयमी प्रातो के निवासी सीताराम पंडित को रख लिया था ताकि जिन लोगों की सचि हो वे उनकी उपस्थिति से लाभ उठा सकें। फलतः कॉलेज की स्थायी और अस्थायी व्यवस्था के छब्बीस मुश्ही सीताराम पंडित की सहायता से हिंदी ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। किन्तु ये मुश्ही अपने धर्म, आचार-विचार, कानून और संस्कार के कारण सख्त से संवधित भाषाएँ सीखने में कठिनाई का अनुभव करते थे। इसलिए कुछ हिंदू, जैसे, राममोहन तर्कवागीश, ही कॉसिल के इस उद्देश्य में हाथ बैठा सकते थे।

नेटिव इफैट्री के कंपनी कमांडर को यह आशा मिली कि भविष्य में अनुपस्थिति के सबध में अजियाँ नागरी और फ़ारसी में ली जायें।<sup>१</sup>

मौलवी बख्शीश अली ने 'सैर नमुताख्दूरीन' का हिंदुस्तानी में अनुवाद किया था। रडैल ने उसे प्राइस के पास निरीक्षणार्थ मेजा। २५ मार्च, १८२५ को रिपोर्ट भेजते हुए उन्होंने लिखा: '...यदि हिंदुस्तानी के उदूँ रूप का अध्ययन जारी रहता तो मीर बख्शीश अली का अनुवाद बहुत उपयोगी सिद्ध होता। लेकिन हाल ही में मेरे विभाग में उदूँ के स्थान पर हिंदी का अध्ययन प्रारंभ हो जाने से इस प्रकार के अनुवादों की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ग्रंथों के बजाय नए प्रकार के ग्रंथों की आवश्यकता होगी।'<sup>२</sup>

नए प्रकार के ग्रंथों की आवश्यकता अवश्य थी, किन्तु उनकी रचना हुई नहीं। इसी प्रकार नए अध्यापकों की आवश्यकता थी। इस संबंध में भी जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। पुरानों को ही ठोक-पीट कर वैद्यराज बनाया जा रहा था। इससे हिंदी की उन्नति की कोई आशा नहीं थी।

मुशियों और पंडितों (बंगाली) को हिंदी-शिक्षा देने के लिए सीताराम पंडित रखके गए थे। वे विछुले नवंबर से उन्हें 'प्रेमसागर', 'राजनीति' आदि ग्रथ पढ़ाते थे। थोड़े ही

दिन बाद मुशियों और पंडितों ने परीक्षा में बैठने की इच्छा प्रकट की। मुशियों की हिंदी-इसलिए मत्री, रडैल, ने १८ मई, १८२५ को प्राइस को सूचित किया परीक्षा और फल कि २४ मई, १८२५ के बाद जिस दिन भी उन्हें सुविधा हो वे अध्यापकों की हिंदी-परीक्षा ले। लेफ्टिनेंट ए० डी० गॉर्डन उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए गए। जिन मुशियों और पंडितों की परीक्षा होने वाली थी उनके नाम ये हैं—कुर्बान अली, बाकिर अली, सादुद्दीन, मीर सैयद अली, मुहम्मद वसी, अब्दुस्सुमद, गुलाम फरीद, मज्जहरलाह, मौला बख्श, फ़खुज़ज्जमन, मीर तसदूक हुसैन, मिर्ज़ा इसन अली, बाजिबुद्दीन, गुलाम हैदर, अब्दुल्ला, मुहम्मद मुस्तकिम, दलीलुद्दीन, अलताफ़हुसैन, हाफिज मुजफ्फर अली, गुलाम हैदर, बदनुद्दीन, मुजफ्फर हुसैन, अब्दुल अहम, नज़रलाह, रामनारायण, कालीप्रसाद, नरोचम, रामचन्द्र, मधुसूदन, पद्मलोचन और राममोहन।

६ जून, १८२५ को प्राइस और गॉर्डन ने अपनी रिपोर्ट भेज दी। इस रिपोर्ट के

<sup>१</sup> पृष्ठ, पृ० ४५

<sup>२</sup> पृष्ठ, पृ० ८४-८५

अनुसार मुशियों में से अधिकतर 'प्रेमसागर' और 'राजनीति' का फ़ैसली अच्छी तरह पढ़ लेते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त थे। किंतु उनमें से बहुत कम नागरी अच्चर लिख सकते थे। उनमें से कुछ फ़ारसी से हिंदी में अनुवाद करने योग्य भी हो गए थे। नागरी अच्चर लिखने की क्षमता रखने वाले वडे भडे अच्चर लिखते थे। इसलिए परीक्षकों ने उन्हें नागरी सुलेखक के पास भेजने का विचार प्रकट किया, क्योंकि नागरी पढ़ाने वालों को नागरी अच्चर लिखने की क्षमता होना परमावश्यक था।

उन्होंने मुशियों और 'भास्त्र'-अध्यापक सीताराम के परिश्रम की सराइना की। मुशी पढ़ाने योग्य हो अवश्य गए थे, किंतु अध्ययन की केवल प्रारम्भिक अवस्था तक के लिए। सब कुछ होने पर भी उनका हिंदी-ज्ञान अपरिपक्व और केवल 'प्रेमसागर' और 'राजनीति' तक ही सीमित था। अधिकतर अध्यापकों ने तो ये दोनों पुस्तकें रट ली थीं। केवल पढ़ाने का अभ्यास करते रहने पर ही वे उन्हे स्मरण रख सकते थे। कुछ समय तक अध्यापन कार्य न मिलने पर उनके सब कुछ भूल जाने और तत्पश्चात् पढ़ाने के लिए और भी अयोग्य हो जाने का भय था। विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ-साथ अपना अध्ययन भी वे जारी रख सकते तो कहीं अच्छा होता।

पड़ित तो और भी अयोग्य निकले और परीक्षकों की सम्मति में उनसे कोई आशा नहीं थी। किंतु उनको हिंदी के अधिक ज्ञान की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि शायद ही कोई विद्यार्थी हिंदी और बँगला का एक साथ अध्ययन करता था। इसलिए दोनों भाषाएँ पढ़ाने की क्षमता होना पंडितों के लिए आवश्यक न समझा गया।<sup>1</sup>

कॉलेज में हिंदी के पठन-पाठन के लिए अवैज्ञानिक साधनों और अधकचरे प्रयासों का अवलंबन ग्रहण करने पर भी इसमें संदेह नहीं कि हिंदी की महत्ता सबको स्पष्ट ज्ञात हो गई थी। यह वह समय था जब कि अँगरेजों का हिंदी एडमॉन्सटन के भाषा-जनता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका था और सुचारू संबंधी विचार शासन-व्यवस्था, राजनीति तथा जनता के रीति-रसम और आचार-विचार समझने की उन्हें आवश्यकता हुई। २५ जुलाई, १८१५ को कॉलेज के वार्षिक अधिवेशन के समय भाषण देते हुए ऑन० एन० बी० एडमॉन्सटन, स्थानापन विजिटर, ने कहा था :

'लेप्टिनेंट प्राइस की अध्यक्षता में कई सैनिक विद्यार्थियों को ब्रजभाषा का अध्ययन करते देख अत्यंत संतोष होता है। हिंदी का हिंदुस्तानी के साथ वही संबंध है जो यारहवीं या दारहवीं शताब्दी की लैक्सन का आधुनिक अँगरेजी से है। ब्रजभाषा अथवा प्राचीन ब्रज प्रदेश की भाषा इसी हिंदी की एक बोली है। इस समय भारत की अधिकाश जन-सख्य की भाषा हिंदी है जो विविध रूप धारण करने और अरवी-फ़ारसी-शब्दों के सम्मिश्रण के बाद उस शिष्ट और परिमार्जित भाषा का रूप धारण कर लेती है जिसे उदूँ अथवा हिंदुस्तान की दरबारी भाषा कहते हैं।'

‘इसलिए हिंदी का अध्ययन यद्यपि ऑगरेजी के पूर्ण ज्ञान के लिए ऐंग्लो-सैक्सन के अध्ययन की अपेक्षा यथार्थतः उदू<sup>१</sup> कही जाने वाली भाषा के बनिष्ठ और आलोचनात्मक ज्ञान के लिए अधिक आवश्यक है, तो भी भारतीय जनसमाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक सर्वर्ग और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने वालों के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक भी है। कंपनी के सैनिक अफसरों के लिए तो वह ज्ञान विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि बगाल क्षेत्र के अधिकतर सिंहासी था तो ब्रजभाषा का व्यवहार करते हैं अथवा ऐसी बोली का जिसका प्रधान अग हिंदी है। इसलिए यह अत्यत बाँछनीय है कि ऐसी भाषा कॉलेज में सभी के अध्ययन का विषय बने।’<sup>२</sup>

किंतु उस समय अर्थात् १८१५ में व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी के लिए कुछ भी न किया जा सका था। शिलक्काइस्ट की भाषा-नीति का ही प्रधान रूप से अनुसरण होता रहा। यद्यपि विलियम प्राइस हमें कोई नया गद्य-ग्रन्थ न दे सके लॉड ऐम्हरस्ट के और न सुयोग्य अध्यापक वर्ग ही उन्होंने रखा, तो भी कॉलेज भाषा-संबंधी विचार : के शिक्षा-क्रम में हिंदी को उसका उच्च स्थान दिलाने का भाषा-समस्या का श्रेय उन्हीं को है। कॉलेज के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर वैज्ञानिक विशेषण आकृष्ट हुआ और उन्होंने हिंदी का महत्व पहिचाना। जुलाई,

१८२५ के वार्षिक अधिवेशन के समय भाषण देते हुए भारत में विद्यश साम्राज्य के गवर्नर-जनरल और फ्लोर्ट विलियम कॉलेज के विजियर, राइट ऑनरेबुल विलियम पिट, लॉड ऐम्हरस्ट, ने कहा था :

‘नए विधान के स्वीकृत होने से गत वर्ष कॉलेज के पाठ्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ है जिसके अत्यंत प्रत्येक विद्यार्थी को सरकारी नौकरी पाने के लिए फ़ारसी के अतिरिक्त हिंदी या बँगला भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

‘हिंदी और बँगला भाषाओं की अब तक उपेक्षा होती रही थी। प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर इस आसन से उनके अध्ययन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता था, किंतु उसका कोई प्रभाव न हुआ। अब नए विधान के अनुसार उनका अध्ययन कॉलेज के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अग बन गया है। ‘हिंदी’ शब्द के सामान्य अर्थ के अन्तर्गत वे बोलियाँ आती हैं जो थोड़े-से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार तथा समर्पित और विजित प्रातों के अधिकांश हिंदू जनसमूह द्वारा व्यवहृत होती हैं।

‘इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा मुझे इस संबंध में जो कुछ भी ज्ञात हुआ है उसके आधार पर मैं बड़े ज़ोरों से आपका इन भाषाओं की ओर, जिन्हे मैं इस देश की भाषाएँ कहता हूँ, ज़ोरों के साथ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

‘पिछले समय में जब अल्पसंख्यक ऑगरेज़ों को नागरिक शासन की सब बातों के सचालक उच्च श्रेणी के या प्रभावशाली देशी व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना

पड़ता था तो सरकारी काशकों की भाषा फ़ारसी और उच्च वर्ग के पारस्परिक व्यवहार को भाषा हिंदुस्तानी का ज्ञान उस कार्य के करने में यथेष्ट रूप से सहायक सिद्ध हो सकता था जिसे मामूली तौर से कपनी के कर्मचारी किया करते थे।

‘किंतु वह परिस्थिति अब नहीं है। अब आपको लगातार छोटे-से-छोटे व्यक्ति के साथ न्याय करना पड़ता है और नीची से नीची श्रेणी के व्यक्तियों के अधिकारों, हिंसा और उनकी स्थानों की रक्षा करनी पड़ती है। ये लोग वास्तव में वे हैं जो अत्याचार से पीड़ित हैं पर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करेगे। उनको सुखी बनाना आपके देश के लिए सब से अधिक गौरव की बात होगी और वही भारतीय साम्राज्य का पछी जड़ होगी। हम जिस दुर्ग में एक किसान की झोपड़ी की रक्षा करते हैं वह किसी हालत में उस दुर्ग से कमज़ोर नहीं है जो सर्वोच्च और अति धनिक वर्ग की सम्पदा की रक्षा करता है। और यदि उनके छोटे होने से हम उनके तुच्छ किंतु अत्यंत मूल्यवान अधिकारों की अवहेलना करें, तो क्या सबसे अधिक सरक्षण चाहने वालों की साधारण से अधिक रूप में सहायता करने के हृदय के भार की उपेक्षा भी आप कर सकते हैं। तो भी उनके वर्ग की संख्या और महत्व—वास्तव में वे इस देश के किसान हैं—हमें यथेष्ट रूप से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने योग्य हैं।

‘किंतु यदि आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते—फ़ारसी और उद्दूँ उनके लिए उतनी ही विदेशी हैं जितनी अँगरेज़ी—तो अच्छे से अच्छा सरकारी कानून एक भज्जाक ही रहेगा; आपके बड़े से बड़े उदारतापूर्ण निश्चयों का अत निराशा में रहेगा; जनता का वास्तविक गँवरपन और अज्ञान और भी बढ़ेगा; लोग आपको मूर्ख मालूम होंगे क्योंकि वे आपको अपनी बात नहीं समझा सकेंगे; आप चाहे जितनी अच्छी नीयत से कोई काम करें तो भी वे आपको अत्याचारी नहीं तो समकी अवश्य समझेंगे क्योंकि आप अपने कार्यों का प्रभाव जानने में असमर्थ रहेंगे। संक्षेप में, आप जनता के लिए और जनता आपके लिए अजनबी बनी रहेंगे। इस अजनबीपन में स्वार्थी लोगों की करतूतों से यह कठिनाई असह्य उत्पात के रूप में परिवर्तित हो सकती है।

‘इसलिए मैं पश्चिमी प्रांतों में जाने वाले कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे हिंदी पर अधिकार प्राप्त करें। जिन्हें बंगाल में रह कर ही शासन-भार प्रहण करना है उनके लिए बँगला का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

‘इस प्रकार की जड़ जमाए हुए व्यक्तियों के लिए शिष्टाचार्य वार्तालाप में परिमार्जन लाना कठिन न होगा। वस्तुतः आपको किसी देशी सज्जन से ऐसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए जिससे वह स्वयं लजिज्जत हो जाय। किंतु जनता के अधिकार भाग को समझना और स्वयं उनसे समझा जाना तो आपका निश्चित कर्तव्य है जिसकी आप अपने को अपमानित, सरकार के प्रति विश्वासघात, अपने देश की बदनामी और इस देश के प्रति अन्याय किए बिना उपेक्षा नहीं कर सकते।’<sup>१</sup>

ब्रेंगरेजी राज्य के इतिहास में यदि भाषा-संबंधी समस्या का कोई भी सतोपजनक विश्लेषण मिलता है तो वह यही है। २३ सितंबर, १८८६ को प्राइस ने मंत्री, रडैल, के नाम पत्र लिखते हुए कहा था कि 'फ्लॉट' विलियम कॉलेज में ही नहीं, हर्टफर्ड कॉलेज में भी हिंदी के पठन-पाठन का प्रबन्ध नहीं किया गया। वहाँ से आए हुए विद्यार्थियों का हिंदी-ज्ञान तो और भी कम था। प्राइस के इस मत का अनुमोदन परीक्षकों ने अपनी ३० अक्टूबर, १८८६ की रिपोर्ट में भी किया।<sup>१</sup>

प्राइस अब अपने को प्रायः 'हिंदी प्रोफेसर' लिखा करते थे, किन्तु मंत्री तथा कॉलेज के अन्य पदाधिकारी उन्हें 'हिंदुस्तानी प्रोफेसर' ही लिखा करते थे।

अक्टूबर, १८८७ में हिंदी अध्यापक होने के लिए फिर चालीस मुंशियों की परीक्षा ली गई। निम्नलिखित परीक्षा-फल से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी के पठन-पाठन के लिए कॉलेज के पदाधिकारी जिन व्यक्तियों का आश्रय ले रहे थे उनसे कहाँ तक हिंदी की उच्चति में सहायता मिल सकती थी :

सफल	असफल	अनुपस्थित	सफल होने की संभावना
४	१८	१५	१
जिनके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता			

हाँ, हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या पहले की अपेक्षा अब बढ़ती जा रही थी। लेकिन साथ ही सरकार यह चाहती थी कि जूनियर सिविल कर्मचारियों की भाषा-संबंधी शिक्षा-अवधि और मापदण्ड कम कर दिया जाय। स्थानापन्थ सरकारी मंत्री, ई० मौलौनी, ने १७ जनवरी, १८८८ को इस आशय का पत्र लिखा भी था। किन्तु कॉलेज के अधिकारियों ने उत्तर में लिखा कि कॉलेज में शिक्षा-अवधि और मापदण्ड वैसे ही कम है, और कम कर देने से विद्यार्थी कुछ न सीख पायेंगे।<sup>२</sup>

इस उत्तर से सरकार की इच्छा पूर्ण न हुई। परंतु हर्टफर्ड कॉलेज के अतिरिक्त कोर्ट के डाइरेक्टर सिविलियन कर्मचारियों की शिक्षा के लिए अन्य किसी संस्था पर खर्च करना भी नहीं चाहते थे। अतएव इस समय कॉलेज में जो परिवर्तन हुए उनसे कॉलेज का व्यय कम हुआ और साथ ही, अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीय सरकार की इच्छा भी पूर्ण हुई। कॉलेज के अंतिम समय का सूचपात्र यहीं से समझना चाहिए। एक इस कारण से भी प्राइस द्वारा हिंदी के पठन-पाठन के लिए जिस प्रकार और जिन अनुपयुक्त साधनों का आश्रय ग्रहण कर गया उसका कोई ठोस परिणाम न निकल सका।

लम्पड़न के अवकाश ग्रहण कर लेने पर जून, १८८५ में अष्टाइसवी रेजीमेंट,

<sup>१</sup> फॉ० वि०, १८ जनवरी, १८८६—१६ दिसंबर, १८८६, हो०, मि०, चि० १०, पू० ४८८, द३००-४६३, ई० २० रि०

<sup>२</sup> क्रो० वि०, ३० जून १८८०—१, १८८८ हो०, मि०, चि० ११ पू० ४६७ ४४३, द३६३, ई० २० चि०

नेपिव हफ्टेंरी के लप्पिनैंग बे० डब्ल्यू जे० आउज्जूले आठ सौ रुपया मासिक वेतन पर अरबी-फ्रारसी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए।

लगभग इसी समय विद्यार्थियों पर बढ़ता हुआ कर्ज देख कर अकाउटेंट-जनरल, बुड़, ने सरकार को कॉलेज तोड़ देने की सलाह दी थी। उनकी रिपोर्ट के साथ कौसिल की मिनिट्स भी भेजी गई। किन्तु गवर्नर-जनरल ने कॉलेज तोड़ने के स्थान पर विद्यार्थियों की कर्ज लेने की कुप्रवृत्ति रोकने का प्रयत्न करना अधिक अच्छा समझा। इस सबव ि में कैरे, प्राइस, आउज्जूले से भी परामर्श किया गया था।<sup>१</sup>

जून, १८२५ को आउज्जूले के अतिरिक्त अध्यापक-वर्ग गत वर्ष ही की भाँति था। ए० डी गॉड्सन (१८२४) और एच० गॉड (१८२५) परीक्षक थे। फौजी भत्ता मिला कर (पाँच सौ और एक सौ चौरानवे) उन दोनों में से प्रत्येक को छः सौ चौरानवे रुपया मासिक वेतन मिलता था। 'भालो'-विभाग में जनवरी, १८०७ में स्वीकृत को गई जगह पर गगाप्रसाद शुक्ल १८२३ से पचास रुपया मासिक वेतन पर कार्य कर रहे थे।<sup>२</sup>

विद्यार्थियों के अनुशासन तथा अन्य विषयों के संबंध में सपरिपद् गवर्नर-जनरल की आशा से सरकारी मंत्री, लिशिगटन, ने कौसिल के नाम एक पत्र लिखा जिसमें कौसिल के सदस्यों से कॉलेज-विधान का एक नया परिच्छेद प्रस्तुत कोंबेज के विधान का करने की आशा की गई थी। तदनुसार कौसिल ने द अगस्त, आठवाँ परिच्छेद १८२५ को एक नया परिच्छेद तैयार कर सपरिपद् गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया। कॉलेज-विधान का यह आठवाँ परिच्छेद था। अ० विलियम पिट, लॉर्ड ऐम्हर्स्ट, ने १८ अगस्त, १८२५ को अपने हस्ताक्षर कर उसे कानून में परिणत कर दिया। कौसिल ने उसकी घोषणा प्रकाशित की और पहले के परिच्छेद रद्द समझे गए।<sup>३</sup> कोर्ट की इच्छानुसार कॉलेज का पुस्तकालय भी सर्वसाधारण के लिए खोल दिया गया। किन्तु अत में गवर्नर-जनरल ने उसे केवल साहित्यिक व्यक्तियों के उपयोग तक ही सीमित रखा। १ मई, १८२६ को कॉलेज का अध्यापक-मण्डल पिछले वर्ष की ही भाँति था। कॉलेज के वाषिक व्यय में भी अभी कोई परिवर्तन न हुआ था।<sup>४</sup> परन्तु २४ जनवरी, १८२८ को स्थानापन्न सरकारी मंत्री, ई० मौलौनी, ने कौसिल को वाषिक व्यय कम करने के लिए लिखा—विशेष रूप से आकस्मिक व्यय।<sup>५</sup> फिर एच० टी० प्रिसेप

<sup>१</sup> को० बि०, १८ जनवरी, १८२५—२६ विसंवर, १८२६, हो०, मि० बि० १०, पू० ६५-१२२ इम०-१११, ह०० रे० बि०

<sup>२</sup> बही पू० १८२५-१८२६

<sup>३</sup> बही, पू० २४६ १७१

ने कॉसिल के सभापति और सदस्यों का ध्यान कोर्ट के १६ दिसंबर, १८८७ के सरकारी सामान्य पत्र की ओर आकृष्ट किया। इस सामान्य पत्र में शिक्षा की दृष्टि से कॉलेज और कॉलेज के विभिन्न पदाधिकारियों की अभीष्टता तथा योग्यता अध्यवा अपन्यय आदि के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे। जूनियर सिविल कर्मचारियों के विषय में भी उनकी सम्मति माँगी गई थी। क्या वे कॉलेज तोड़ना चाहते थे या बम्बई और मद्रास की संस्थाओं की तरह कोर्ट की इच्छानुसार कॉलेज की व्यवस्था में कमी करना चाहते थे? कॉलेज में दो प्रकार की पढ़ाई होती थी—१. निजी ढंग से सुशिखियों के माध्यम द्वारा और २. सरकारी ढंग से कॉलेज में जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक दिन एक घटे का समय निर्धारित था। इन दोनों प्रकार का पढ़ाइयो में से किस प्रकार की पढ़ाई वे अच्छी समझते थे। इसी प्रकार और भी कई प्रश्न थे जो कॉलेज की तत्कालीन व्यवस्था से संबंध रखते थे। कॉलेज के मंत्री, रडैल, ने आउड्लैं, प्राइस, कैरे, टॉड और टी० प्रॉब्लर को २४ जून, १८८८ को उनकी सम्मतियों के लिए एक-एक पत्र लिखा।

१२ जून, १८८८ के पत्रोत्तर में ७ अगस्त, १८८८ को कॉलेज कॉसिल ने लॉर्ड विलियम कबेर्डिश् बैटिक को अपनी मिनिट्स तथा उर्युक्त अफसरों की सम्मतियों भेजते हुए लिखा : कॉलेज एक उपयोगी संस्था है और उसे तोड़ना साम्राज्य के लिए किसी भी हालत में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में अनुशासन का अत्यधिक अभाव नहीं है और न उसका कोई धातक परिणाम ही हष्ठिगोचर हुआ है। कॉलेज की वर्तमान आयोजना अभीष्ट फलदायक है। उसके विधान में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों में जो कुछ अनुशासन का अभाव है भी उसे दूर करने के लिए आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। हिंदी की पढ़ाई भी समुचित ढंग से हो रही है। विद्यार्थी लगभग छः महीने तक के अध्ययन में काफ़ी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।

मिनिट्स के साथ-साथ कॉसिल ने कॉलेज की स्थापना-तिथि से अब तक क्या-वा काम हुआ, कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई और कितनी भाषाएँ कितनी योग्यता के साथ पढ़ाई गईं, इन सब बातों का विवरण भी भेजा।<sup>१</sup>

सरकारी मंत्री, एच० टी० प्रिसेप, ने १८ सितंबर, १८८८ को कॉसिल के सभापति तथा सदस्यों के नाम पत्र लिखते हुए कहा कि सरकार अभी किसी अनिम निर्णय पर नहीं पहुँच सकी। किन्तु एक और तो कौसिल के सभापति कॉलेज की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सुधार चाहते थे, दूसरी ओर कोर्ट ऐसे सुधार अव्यावहारिक समझता था। ऐसी हालत में भारतीय सरकार के लिए किसी अतिम निर्णय पर पहुँचना कठिन ही था। इसीलिए प्रिसेप ने अपने पत्र में सपरिपद् गवर्नर-जनरल की आशा से कॉसिल के सभापति से सुधार-संबंधी सुझाव माँगे।

इस पर सभापति, सदस्यों तथा आउड्ज़ले, प्राइस, कैरे आदि ने अपने-अपने विचार प्रकट कर तरह-तरह के सुझाव पेश किए और २० फरवरी, १८८६ को सब काश्चाज्ञात सरकारी मंत्री के पास भेज दिए।<sup>१</sup>

२ जून, १८८६ को सरकारी मंत्री, प्रिसेप, ने कौसिल के सभापति, शेक्सपियर, तथा सदस्यों को पत्र लिखते हुए कोर्ट के पत्र के तेईसवे और चौबीसवें अनुच्छेदों द्वारा दिए गए इच्छाधिकार के अन्तर्गत कॉलेज को उसी स्थिति में जारी रखने की सरकारी आज्ञा प्रदान की। किन्तु विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता तथा अन्य दोष दूर करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई और साथ ही उसे गवर्नर-जनरल के मातइत रखने का विचार हुआ। ऐसा एक अधिकारी व्यक्ति कॉलेज का मंत्री बनाया भी गया। वह कलकत्ता तथा कलकत्ते से बाहर रहने वाले सभी विद्यार्थियों की देखभाल करने लगा। अपराधी विद्यार्थियों को दण्ड देने का उसे अधिकार था। न सुधर सकने वाले विद्यार्थी या तो इंगलैड वापस भेज दिए जाते थे अथवा उन्हें कड़े फौजी अनुशासन में रखा जाता था।<sup>२</sup>

रडैल के २८ अगस्त, १८८६ के पत्रानुसार कॉलेज की व्यवस्था का विवरण निम्नलिखित है और बैटिक सरकार ने इसे बनाए रखना उचित समझा था :

नाम	नियुक्ति की तिथि	सालिक वेतन	कॉलेज में काम करने के दिन	काम
डॉ० कैरे कैप्टेन प्राइस	अप्रैल, १८०१ अक्टूबर, १८१३	१००० ८००	मंगल और शुक्र बुव और शनि	हिंदी के प्रोफेसर, इनके विशेष कार्यों के लिए १६ अगस्त, १८८६ का पत्र देखिए। अपने पदानुसार फौजी मत्ता पाते हैं।
कैप्टेन डॉ० रडैल जनवरी, १८२० कैप्टेन जै० डब्ल्यू० नवंबर, १८२३ जै० आउड्ज़ले	८०० ८००	...	मंत्री और पुस्तकाध्यक्ष	
लेफ्टिनेंट एच० टॉड मार्च, १८२५	८००	सोमवार और मंगल	अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर	
रेव० टी० प्रॉफेटर जनवरी, १८२५	२५०		अरबी और फ़ारसी के सरकारी परीक्षक	
			फ़ारसी के स्थानापन सरकारी परीक्षक	

अध्यापकों में से हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक निम्नलिखित थे :

<sup>१</sup> पट्टी, प० ८०८-१०४

<sup>२</sup> पट्टी, प० ८०४ ८०५

नाम	नियुक्ति की तिथि	वेतन	
तारिणीचरण मित्र	मई, १८०१	२००	
मीर बखशीश अली	नवबर, १८०३	१००	
मुत्ज़ा ख़ौ	मई, १८०१	८०	
मौला बखश	सितंबर, १८०२	४०	
दलीलुद्दीन	अक्टूबर, १८०१	४०	
मीर तसदुक हुसैन	नवबर, १८०२	४०	
मुहम्मद वसी	जनवरी, १८०५	४०	
			हिंदो के प्रोफेसर का १६ अगस्त, १८२६ का पत्र देखिए।
वाजिबुद्दीन	नवबर, १८०८	४०	
फ़खुरुज़मन	अगस्त, १८१२	४०	
गंगानारायण	दिसंबर, १८२४	५०	
नागरी और बँगला			विद्यार्थियों को फ़ारसी और हिंदी भाषाओं की शिक्षा देते हैं और पुस्तकालय में काम करते हैं।
सुलेखक			
ख्यालीराम	जनवरी, १८२७	५०	
‘भाखा-मुशी’			विद्यार्थियों को फ़ारसी और हिंदी भाषाओं की शिक्षा देते हैं। बँगला सुलेख की शिक्षा देने के लिए गंगानारायण उत्ती प्रकार है जिस प्रकार फ़ारसी और अरबी विभागों में मुहम्मद ताहा है। <sup>१</sup>

जुलाई, १८२६ को गंगाप्रसाद ‘भाखा’-पंडित अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए छुट्टी लेकर उत्तरी प्रांत (Upper Provinces, जो बाद को उत्तर-पश्चिम प्रदेश कहलाया) गए थे। किन्तु कुछ ही महीनों बाद सुर्खिदाचाद में वा ख्यालीराम पंडित वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ही उनका देहांत हो गया। १५ जनवरी, १८२७ को प्राइस ने कॉलेज के मत्री, रडैल, को स्थानापन्न ‘भाखा’-पंडित की नियुक्ति के लिए लिखा। उसी दिन कौसिल ने ख्यालीराम को हिंदुस्तानी विभाग में ‘भाखा’-पंडित नियुक्त किया।<sup>२</sup>

हिंदो के प्रोफेसर, विलियम प्राइस, का १६ अगस्त, १८२६ वाला पत्र इस प्रकार है :

‘मैं सप्ताह में दो दिन हिंदो के प्रोफेसर की हैसियत से कॉलेज में काम करता हूँ। मेरे साथ जो विद्यार्थी हैं वे शेष दिनों में जो कुछ अध्ययन करते हैं उसे इन दो दिनों में मैं उन्हें पढ़ाता और अर्थ समझाता अथवा व्याख्या करता हूँ। उनके अध्ययन के संबंध में

<sup>१</sup> बहौ, पृ० ४८६-४६३।

<sup>२</sup> फ़ो० वि०, ३० जूलूस १८२७—१, १८३८, फ़ो०. मि०, जि० ११, पृ० ३८, ६० रे० दि०

मैं उन्हें और भी उपयोगी बातें बताता हूँ। इन दो दिनों में वे जो पाठाभ्यास लिख कर लाते हैं उन्हें शेष दिनों में पढ़ कर मैं ठीक करता हूँ। हिंदी के प्रोफ़ेसर की हैसियत से मैं विद्यार्थियों की सरकारी तथा निजी तौर से परीक्षाएँ लेता हूँ। फौजी दुभाषियों की परीक्षा भी मैं ही लेता हूँ। कुछ दिनों से मैं बँगला भाषा का स्थानापन्न परीक्षक भी हूँ।

‘मेरी अध्यक्षता में इस समय निम्नलिखित देशी अध्यापक हैं :

तारिखीचरण मित्र

हिंदी और हिंदुस्तानी विभाग

मासिक वेतन

में हेड सुशी २०० सि० रु०

मीर बख्शीश अली

हिंदुस्तानी मुशी

१०० "

ख्यालीराम

‘भाखा’-पंडित

५० "

गदाधर

बगाली पंडित

१०० "

‘मेरे बँगला भाषा के स्थानापन्न परीक्षक होने के कारण अंतिम पंडित मेरे साथ हैं। ये लोग पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने तथा अध्ययन में और अभ्यासों के देखने तथा तैयार करने में मेरी सहायता करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अनुवाद भी ये ही लोग देखते हैं। ‘भाखा’-पंडित विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों को हिंदी पढ़ाते हैं।

‘ऊपर के सुधियों में से सबसे पहले बहुत काम के हैं। कॉलेज की स्थापना के समय से वे यहाँ हैं। उनका वेतन कम करने के पक्ष में भी नहीं हूँ। हाँ, उनके उत्तराधिकारी को सौ रुपए मासिक दिए जा सकते हैं।

‘कॉलेज में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी हो जाने से बख्शीश अली का लगभग साधारण काम रह गया है। किन्तु तारिखीचरण की भाँति वे भी शुरू से ही यहाँ हैं, इसलिए उन्हें निकाल देना या उनका वेतन कम कर देना शायद ही न्याय-संगत हो। उनकी मृत्यु हो जाने अथवा उनके अवकाश ग्रहण कर लेने पर उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

‘भाखा’-पंडित को तो वैसे ही कम वेतन मिल रहा है। उनसे अधिक योग्य व्यक्ति इस पद को न तो ग्रहण ही करेगा और न यहाँ अधिक दिन ठहर ही सकेगा। वर्तमान पंडित के बाद जो पंडित आएँ उन्हें सौ रुपया मासिक वेतन देने की मेरी राय है।

‘बगाली पंडित के विषय में तो कहना ही व्यर्थ है।

‘इसलिए हिंदी विभाग में सौ-सौ रुपया मासिक वेतन पर दो सुंशी रखें जा सकते हैं, जिससे डेढ़ सौ रुपए मासिक बचेंगे।’

अन्य विभागों के अध्यक्षों ने भी इस प्रकार के विवरण भेजे थे।

बाद को परीक्षा सबंधी व्यवस्था भी यह कर दी गई कि जब विद्यार्थी अपने को योग्य समझे उसी समय उसके कहने से उसकी परीक्षा ली जाय। सरकारी नौकरी की दृष्टि से ही ऐसा किया गया था।

२३ फरवरी, १८३० को स्थानापन्न सरकारी मंत्री, एच० एम० पार्कर, ने कौसिल के सभापति, शेवसपियर, तथा सदस्यों को एक पत्र लिखते हुए कहा : अर्थ-समिति ने

फ्लोर्ट विलियम कॉलेज और फ्लोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज में सरकारी

प्रधानाध्यापक चाहा खर्च करने को हित से कुछ सुकाव पेश किए हैं। सपरिषद्

पद तोड़ने की सह-गवर्नर-जनरल ने विपय की महत्ता और वर्तमान आर्थिक स्थिति

कारी आज्ञा तथा को सोचते हुए उसे सरकारों हितों के जिए आवश्यक समझ कर

अन्य कमियों : पेशन भविष्य के लिए कॉलेज का परिवर्तित रूप उपस्थित किया है।

की व्यवस्था नुभे आपको यह सूचित करने की आज्ञा मिली है कि सरकार ने

प्रोफेसरों के सहायक मुशियों आर पंडितों के साथ-साथ प्रोफेसरों के

पद तोड़ देने का निश्चय किया है और भविष्य में कॉलेज की व्यवस्था एक मंत्री, दो

परीक्षकों और विद्यार्थियों को बद्धाने के लिए मंत्री की अधिकता में पड़ितों और मुशियों

की आवश्यक संख्या तक ही सीमित रखने का निश्चय किया है।<sup>१</sup>

ऐसा करने में सपरिषद् गवर्नर-जनरल को दुःख आवश्य हुआ था, क्योंकि इस निर्णय से कई पदाधिकारियों को नुकसान पहुँचता था। किन्तु इस आयोजना को व्यवहार में लाने से पूर्व सरकार ने कौसिल के सभापति आर सदस्यों से इस सब्रध में परामर्श किया कि चूंकि प्रोफेसर लोग बहुत दिनों से कॉलेज में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रोफेसर के पद पर न रख कर परीक्षक नियुक्त करना कैसा रहेगा। दूसरे शब्दों में, क्या प्रोफेसर और परीक्षकों को एक ही ऐश्वर्य में रखना और क्या अपेक्षाकृत नए पदाधिकारियों को हटा कर केवल पुराने पदाधिकारियों को रखना उचित न हागा। उनके पदानुसार ही सरकार ने उन्हें वेतन देने की बात सोची।

११ मार्च, १८३० को कॉलेज के मंत्री, रडैल, ने कैर, प्राइस, आउड्ज़ले, टॉड, और प्रॉक्टर को उनकी सम्मति मांगने के लिए एक-एक पत्र लिखा। २३ मार्च, १८३० को सरकारी मंत्री, एच० टी० पिंसेप, के नाम लिखे गए पत्र में, विभिन्न पदाधिकारियों के उच्चरों के साथ-साथ, निम्नलिखित परामर्श लिख कर भेजे गए :

‘डॉ० कैरे को पेशन दी जाय — जितनी सरकार चाहे।

‘विलियम प्राइस के मेजर हो जाने और अपने सैनिक पद पर चले जाने के समय तक उन्हे अतिरिक्त परीक्षक के रूप में रखा जाय।

‘कैट्टन आउड्ज़ले और लंकिटेनेट टॉड को नियमित रूप से परीक्षक नियुक्त किया जाय। आउड्ज़ले हिंदी और बैंगला का अध्ययन कर रहे हैं।

‘प्राइस के चले जाने पर अथवा कोई जगह खाली होने पर रेव० टी० प्रॉक्टर को अतिरिक्त परीक्षक के रूप में रखा जाय।

‘क्योंकि नई आयोजना के अनुसार परीक्षकों का काम बहुत बढ़ जायगा, इसलिए उनमें से हर एक को एक-एक मौलवी, पड़ित या मुंशी दिया जाय। बाकी देशी

<sup>१</sup> क्ल० वि०, १८ फरवरी, १८३०—२६ अक्टूबर, १८३१. हो०. मि०, जि० ३३, प० ११ १०, ६० रे० वि०

प्रध्यापकों को पेशन या पुरस्कार देकर, जैसा सरकार उचित समझे, बिदा किया जाय।<sup>१</sup>

ऊपर विभिन्न पदाधिकारियों के उत्तरो का ज़िक्र आया है। आउलूले ने १३ मार्च, १८८०, प्रॉइस ने २३ मार्च, १८८०, कैरे ने २३ मार्च, १८८०, एच० टॉड ने २२ मार्च, १८८०, टी० प्रॉक्टर ने १८ मार्च, १८८० को अपने अलग-अलग उत्तर कॉलेज के मन्त्री के पास भेजे। केवल प्राइस ने प्रोफ़ेसर का पद बनाए रखने के पक्ष में सम्मति दी। वास्तव में अब वे कोई और काम न कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने बारे में अनुकूल घटि से विचार किए जाने की प्रार्थना की। वे बहुत दिनों से कॉलेज में कार्य कर रहे थे। यदि उन्हे ऐसा मालूम होता तो सभवतः वे कभी कॉलेज में नौकरी करने न आते। कैरे ने अपने पत्र में अधिक दिन जीवित न रहने की आशका प्रकट की थी। वे उनहत्तर वर्ष के हो चुके थे। इसलिए उन्होंने पूरी तनख्याह या पेशन माँगी। बाक़ा ने परीक्षक नियुक्त होने के लिए अपने-अपने हक पेश किए।<sup>२</sup>

रडैल ने समस्त प्रोफ़ेसरों का कार्य, कॉलेज के प्रति की गई उनकी सेवाओं आदि जातों का विवरण कौसिल के पास भेज दिया। अब स्थायी विभाग के लिए चालीस रुपया मासिक बेतन पर चाहे जितने भारतीय अध्यापक रखें जा सकते थे, शर्त केवल वही थी कि नियुक्त किए गए अध्यापक को कई भाषाएँ जानना चाहिए। अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, और हिंदी पढ़ाने के लिए मुसलमान और बँगला, संस्कृत, हिंदी और यहाँ तक कि हिंदुस्तानी भी पढ़ाने के लिए हिंदू मिल सकते थे। कॉलेज में इस समय भारतीय अध्यापकों की सख्त्या इस प्रकार थी :

#### फारसी—६

हिंदी—मुत्तूजा खाँ, भौला बख्श, दलालुहीन, मीर तसहूँ क हुसैन, मुहम्मद वसी, बाजिबुद्दून, और फ़खुज़्जमन।

#### बँगला—४

कौसिल मंत्री के २३ मार्च, १८८० के पत्रोंतर में सरकारी मन्त्री, एच० टी० प्रिसेप, ने १३ अप्रैल, १८८० को एक पत्र लिखते हुए यह पूछा था कि अंतिम निर्णय करने से पूर्व सरकार यह जानना चाहती है कि सुशियो तथा पंडितों और बँगला तथा संस्कृत के प्रोफ़ेसरों को कितनी-कितनी पेशन मिलनी चाहिए और क्या कौसिल तीसरा परीक्षक वर्तमान बेतन पर ही रखना चाहती है। साथ ही सरकार ने कौसिल सं बचत का विवरण माँगा, क्योंकि अर्थ समिति की गणना के अनुसार बचत अधिक हो सकती थी। २६ अप्रैल, १८८० को रडैल ने, उक्ते प्रेषण में, इस प्रकार उत्तर दिया :

<sup>१</sup>वही, पृ० १८-१९

<sup>२</sup>वही, पृ० २० १८

कैरे—५०० रु० मा० पेशन	
प्राइस को अस्थायी रूप से ५०० रु० मा० दिया जाय	
तारिखीचरण—१०० रु० मा० पेशन	
पेशनों के लिए स्वीकृत धन	१०६३. ५. ० (भारतीय पदाधिकारियों को ४६३. ५. ०)
कौसिल के अनुसार बचत—	२२२२ रु० मा०
अर्थ समिति के अनुसार बचत	१७८१. ३. "
अंतर	१५६३. ३. "

समिति के मतानुसार दो परीक्षक रखना अनिवार्य था। इधर कुछ दिनों से खर्च कुछ और कम हो रहा था। 'माला' या हिंदी-पंडित के स्थान पर कोई नया व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ था जिससे पचास रुपए मासिक की बचत हाती थी। इसी प्रकार कुछ आर बातों में भी बचत हो जाती थी। कुल मिला कर तीन सो रुपए मासिक, अर्थवा, कौसिल के अनुसार तीन हजार नौ सो रुपए वार्षिक की बचत और होती थी। रडेल ने मौलवियों, मुशियों और पंडितों को दी जाने वाली पेशन का हवाला भी दिया।<sup>१</sup>

अन्त में सरकारी मंत्री, प्रिसेप, ने ४ मई, १८३० को एक पत्र लिखा जिसके साथ उन्होंने सामान्य (General) विभाग के उसी तिथि के सरकारी प्रस्तावों का प्रति कौसिल के पास भेजी और परिवर्तित आयोजना के अनुसार व्यवस्था निश्चित करने का आदेश दिया।<sup>२</sup> सरकारी प्रस्ताव निम्नलिखित है :

सामान्य (General) विभाग, ४ मई, १८३०

'प्रस्ताव—

'सपरिष्ट् गवर्नर-जनरल यह निश्चित करते हैं कि अगले महीने की १ तारीख से फ्रॉर्ट विलियम कॉलेज के तीनों प्रोफेसर पद तोड़ दिए जायें और विद्यार्थियों के लिए निर्धारित व्याख्यान बंद कर दिए जायें।

'निश्चित हुआ कि उसी तारीख से डॉ० कैरे को पाँच सौ रुपया मासिक पेशन सरकारी खजाने से दो जाय।

'निश्चित हुआ कि कॉलेज में तीसरा परीक्षक पाँच सौ रुपया मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाय और निम्नलिखित तीन परीक्षक हों :

'कैप्टेन प्राइस, लेफ्टिनेंट आउड्ले और लेफ्टिनेंट टॉड।

'निश्चित हुआ कि प्रोफेसरों के साथ काम करने वाले निम्नलिखित देशी अध्यापक अलग कर दिए जायें और ऊपर वाली तारीख से ही उनके नाम के आगे लिखी हुई पेशन दी जाय

फ्रारसी विभाग

करम हुसैन	१००	रु० मा०	
श्रद्धरहीम	३३. ५. ०	" "	
नज़रुल्लाह	५०	" "	
बदर अली	४०	" "	
			२२३. ५. ०

<sup>१</sup> वही, पृ० ४०४४

<sup>२</sup> वही, पृ० ४२

## हिंदी विभाग

तारिणा चरण	१००	८०	मा०
मीर बखशीश अली	५०	”	”
सुतूजा खाँ	४०	”	१६० ० ०

## बगला विभाग

रामकुमार	१००	८०	मा०
गदाधर	५०	”	”
			१५० ० ० ५६३ ० ५

‘आज्ञा दी गई कि इस प्रस्ताव की प्रति कौसिल के पास सूचनार्थ और मार्ग-प्रदर्शन के लिए मेज दी जाय और कौसिल को यह आदेश दिया जाय कि वह नई आयोजना के अत्तर्गत परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार समुचित प्रवंध करे और पेशन वाले लोगों की हुलिया का विवरण सरकार के पास भेजे।

‘आज्ञा दी गई कि उप-कोपाध्यक्ष और हिसाब-निरीक्षक के पास आवश्यक सूचना भेजी जाय।

‘आज्ञा दी गई कि कौलेज कौसिल के मन्त्री के पत्र और इस प्रस्ताव की प्रतियों प्रादेशिक अर्थ-विभाग के पास सूचनार्थ भेजे दी जाय।’<sup>१</sup>

१६ मई, १८३० को रडैल ने कैरे, आउज़ले, प्राइस, टॉड और प्रॉफिटर को यथाविधि सूचित कर दिया।<sup>२</sup> सरकारी प्रस्ताव के सबध में केवल प्राइस को आपत्ति थी। अपने २२ मार्च, १८३० के पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने २० मई, १८३० को रडैल के नाम एक पत्र लिखा। चूंकि कैरे के बाद वे कालज के सबसे पुराने कर्मचारी थे, इसलिए वे प्रोफेसर का वेतन चाहते थे। उस पत्र में उन्होंने परीक्षकों के साथ भारतीय अध्यापक रखने का विचार प्रकट किया था। सरकारी प्रस्ताव में इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया था, इस बात पर उन्हें अत्यन्त आश्चर्य था। भारतीय अध्यापकों की सहायता न मिलने पर परीक्षकों का वेतन चार सौ रुपए मासिक ही ठहरता था, जो उनके लिए पूरा हर्जाना नहीं था। किन्तु रडैल के २१ मई, १८३० के पत्रानुसार सपरिषद् गवर्नर-जनरल के निर्णय के विरुद्ध प्राइस का पत्र भेजना शिष्ट व्यवहार नहीं था। इसलिए कौसिल ने उनका पत्र वहीं रोक दिया।<sup>३</sup>

इसके बाद रडैल ने पेंशन पाने वाले भारतीय अध्यापकों की हुलिया का विवरण, प्रोफेसरों द्वारा मैग्न कर ऐकाउटेंट-जनरल, सी० मॉले, और उप-कोपाध्यक्ष, जे० आर० बार्नेल, के पास भेजा। प्राइस ने अपने विभाग के अध्यापकों का विवरण इस प्रकार भेजा था :

<sup>१</sup>बही, पृ० ४३-४४

<sup>२</sup>बही, पृ० ४५

<sup>३</sup>बही, पृ० ४५-४६

‘तारिखीचरण मित्र—लौ रुपया पेशन, अडावन वर्ष की अवस्था, छोटा कद, दूर की चीज़ नहीं देख सकते, थोड़ा कुक कर चलते हैं, ऊपर के ओंठ पर एक तिल है।

‘मीर बख्शीश अली—एचासु रुपया पेशन, अडालीस वर्ष की अवस्था, चीच का कद, रंग कुछ गोग, दाएँ गाल पर एक चेचक का सा दाश है।

‘मुर्तज़ा खाँ—चार्लीस रुपया पेशन, लगभग पैसठ वर्ष की अवस्था, दूर की चीज़ नहीं देख सकते, रंग कुछ गोरा, मोटी और तोतली आवाज़, लंबे और हृष्ट-पुष्ट हैं।’

२४ मई, १८३० को रडैल ने सरकारी आज्ञा-पालन करने की सूचना एच० टी० प्रिसेप को दी। कुछ अध्यापक कलकत्ते से बाहर के रहने वाले थे, इसलिए उन्हे उनके स्थानों पर ही पेशन मिलने के प्रबंध की सूचना भी सरकारी मंत्री को दे दी गई। साथ ही उन जगहों के कलक्टरो, खजानों आदि को भी आवश्यक सूचनाएँ भेज दी गई।<sup>१</sup>

नई व्यवस्था के अनुसार पंद्रह दिन में से एक दिन सब विद्यार्थी अपने-अपने परीक्षाको के पास इकट्ठे होकर भौतिक और जिजित अभ्यास करते थे। परीक्षक वहाँ उनके लिखित अंकों को शलतियॉ ठंक करते थे। नियतकालिक परीक्षाओं की रिपोर्ट देना परीक्षाको का कर्तव्य था। अपने-अपने अध्यापक रखने के लिए विद्यार्थियों को जो भत्ता मिलता था वह बद कर दिया गया। बारह महीने की अवधि उन विद्यार्थियों के लिए थी जो हर्टफर्ड (हलीबरी) कॉलेज में पढ़ कर आते थे। अठारह महीने की अवधि उन विद्यार्थियों के लिए थी जो वहाँ शिक्षा प्राप्त न कर सके थे।<sup>२</sup> विद्यार्थियों की सहायता के लिए तीस रुपए मासिक पर कुछ सर्टिफिकेट मुश्ति अवश्य रखते गए। जो विद्यार्थी बारह महीने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता था उस कोटि की आज्ञानुसार तीन महीने और दिए जाते थे। यदि तब भी वह सक्षम नहीं होता था तो उसे सरकारी नौकरी के अयोग्य समझ कर हँगलैड बापस भेज दिया जाता था।<sup>३</sup> इधर कुछ दिनों से लेफ्टिनेंट टॉड कॉलेज के स्थानापन मंत्री थे।

ख्यालीराम हिंदी-पंडित को उनके असंगत व्यवहार पर कॉलेज से निकाल दिया गया था और सितंबर, १८२८ से हिंदी-पंडित को जगह खाली पड़ी हुई थी। इसी समय

पश्चिमी प्रांतों के ब्रह्म सच्चिदानन्द कॉलेज की ख्याति सुनकर कलकत्ते ब्रह्म सच्चिदानन्द आए। वे दस्कृत और हिंदी में पूर्ण दक्ष थे। पाणिनि के व्याकरण, विभिन्न माध्यों सहित वेदांत, धर्मशास्त्र, साहित्य, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि के बे पंडित थे। उन्होंने कलकत्ते आकर कैप्टेन रडैल के पास अपना प्रार्थना-पत्र भेजा। ब्रह्म सच्चिदानन्द को स्थानी विभाग में नियुक्त करने की सिफारिश करते हुए रडैल ने स्थानापन सरकारी मंत्री, ज० बुशबाई, को एक पत्र लिखा। रडैल के सिफारिश करने

<sup>१</sup> वहाँ, पृ० ३७०-८२

<sup>२</sup> वहाँ, पृ० १४८-१६५

<sup>३</sup> वहाँ स्थानापन सरकारी मंत्री ज० प० बुशबाई का राजनीति कॉलेज मंत्री, लेफ्टिनेंट टॉड, का नाम पत्र, १ मार्च, १८३१ पृ० ४६३-४६४

का कारण यह था कि सरकार स्थायी विभाग के लिए चालीस रुपए मासिक और अस्थायी विभाग के लिए तो सरपंच मासिक की व्यवस्था कर चुकी थी। १८३० में अर्थ-समिति के हाइकोरेशन से जो कमियाँ की गई थीं, वे केवल चालीस रुपए मासिक से अधिक बेनन पाने वाले लोगों के संबंध में थीं। उसके बाद केवल पॉन्च मुशी और एक सुलेखक फ़ारसी, छः मुशी हिंदी और हिंदुस्तानी, और चार पड़ित बँगला और एक सुलेखक हिंदी और बँगला के स्थायी विभागों में रह गए थे। उन्हें हटाने के लिए सरकार ने कोई आज्ञा नहीं दी थी। उनकी संख्या सुयोग्य व्यक्ति न मिलने के कारण ही कम थी। जब से हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का अध्ययन जारी हुआ था, तब से अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तानी में अपनी योग्यता सिद्ध करने वाले मुशियों और बँगला, संस्कृत, हिंदी और हिंदुस्तानी में अपनी योग्यता सिद्ध करने वाला पड़ितों को ही तरफ़की मिलती थी। उस समय कटक के स्टार्कबेल को हिंदी पढ़ाने के लिए केवल एक पड़ित रामसोहन तकंबागीश थे। शेष देशी अध्यापकों में हिंदी जानने वाले बहुत कम थे। रडैल ने मतानुसार उन्हें हिंदी सीख लेनी चाहिए थी। संस्कृत की परंपरा में हीने तथा अन्य कारणों से मुशियों को हिंदी सीखने में कठिनाई पड़ती थी। किन्तु जब यूरोपियन लोग हिंदी सीख सकते थे, तो देशी मूसलभान तो उसे और भी आसानी से सीख सकते थे। प्रोत्साहन और सहायता मिलने पर वे भी अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। बहुत कम मुंशी हिंदी की भाठ्य-पुस्तके अच्छी तरह पढ़ कर उन्हें समझ सकने की क्षमता रखते थे। ड्रगरेजी से हिंदी में अनुशाद करने वाला भी कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था। विद्यार्थी बहुत थोड़े काल तक कॉलेज में रहते थे। उस थोड़े काल में उन्हें सब प्रकार की सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया जाता था। यूरोपियन प्रोफ़ेसरों के पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता था। इसलिए असाधारण योग्यता के भारतीय अध्यापकों का रहना अनिवार्य था। कई भाषाओं का अध्ययन भौतिक उपयोगी सिद्ध होता है। भारतीय अध्यापकों को सुयोग्य बनने के लिए प्रोत्साहन को आवश्यकता थी। रडैल का विचार था कि फ़ारसी, नागरी और बँगला के दो सुलेखकों और हिंदी-पड़ित के अतिरिक्त फ़ारसी के स्थायी विभाग में छः सुंशी होने चाहिए और उतने ही हिंदी तथा हिंदुस्तानी और बँगला विभागों में। फ़ारसी और हिंदी के अध्यापकों में समान योग्यता का होना आवश्यक था। अतः इव होशियारा के साथ अध्यापक चुनने से ही आयोजना उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। उस समय केवल सुंशी अब्दुल्ला ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तानी में कभी-कभी शिक्षा देते थे। रडैल ने उन्हें चालीस रुपए मासिक पर स्थायी विभाग में रखने की सिफारिश की थी। परीक्षकों और मंत्री की सहायता के लिए भी भारतीय अध्यापकों का रहना आवश्यक था। फ़ारसी, अरबी और हिंदुस्तानी के लिए मौलिकी काजिम अली सहायक थे। बँगला, संस्कृत और हिंदी के लिए उस समय कोई नहीं था। वास्तव में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उस समय कोई समुचित प्रबंध नहीं था। इसलिए, रडैल के मतानुसार, ब्रह्म सचिदानंद से अधिक उपयुक्त और कोई नहीं मिल सकता था। संस्कृत और हिंदी के इस्तलिखित ग्रंथों की अशुद्धियाँ दीक करने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं था। इस कार्य के सिए ब्रह्म सचिदानंद उपयुक्त व्यक्ति सिं

हो सकते थे, मुशी लोग भी ऐसे विद्वान् से हिंदी सीख सकते थे, क्योंकि वे सख्त और हिंदी दानों भाषाएँ जानते थे। इन सब वातों को सोचते हुए रडैल ने उन्हें पूर्ववर्तीं पड़ती और फ़ारसी, बँगला और नागरी के सुलेखकों की भाँति पश्च लघुग्राम पासिक वेतन पर रखने की सिफारिश की। पाठ्य-क्रम के संबंध में भी रडैल का अपना मत था : वे कुछ भिन्न प्रकार की पुस्तकें चाहते थे। वे प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक के साथ व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने वाले व्यष्ट अस्यासों के साथ सभ्य और मौजूद व्याकरण रखना पसंद करते थे। फ़ारसी-पाठ्य पुस्तकों में ‘गुलिस्ताँ’, ‘आनवर-सुहेली’ आदि से अवतरण, हिंदी-पाठ्य-पुस्तकों में ‘ग्वार्ड अफ़्रोज़’, ‘दामो बहार’ आदि से हिंदूलानी अवतरणों का बहु सचिदानन्द की सहायता से हिंदी-अनुवाद, ‘प्रेमसागर’ का कुछ अंश और फ़ारसी की भाँति प्रथम पूरा करने के लिए उसके साथ व्याकरण के व्यष्ट नियम, रूप, उदाहरण आदि, और बँगला-पाठ्य-पुस्तकों के लिए इतिहास, पर्चीसी, हितोपदेश आदि से अवतरण रखना रडैल विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी समझते थे। प्रत्येक पुस्तक की उन्हें लगभग पाँच सौ चौपेंची पृष्ठ-सख्ती ठीक समझी। इन सब वातों के साथ-साथ जून, १८३० में जितने अध्यापक थे उन सब का विवरण भी रडैल ने गरकार के गास भेजा दिया था। वह विवरण इस प्रकार है :—

### फ़ारसी विभाग

नाम	वेतन	
कुर्बान अली	८० ४०	कॉलेज में है।
हिशामुदीन	, ४०	१२ अप्रैल, १८३१ को मृत्यु। कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ।
मीर सैयद अली	, ४०	कॉलेज में है।
अब्दुल अहमद	, ४०	१ दिसंबर, १८३१ को त्याग-पत्र। कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ।
मुलाम फ़रीद	, ४०	कॉलेज में है।
मुहम्मद ताहा—सुलेखक	, ५०	

### हिंदी विभाग

मौला बख्श	८० ४०	कॉलेज में है।
दलीलुद्दीन	, ४०	"
मीर तसहँक हुसैन	, ४०	१२ दिसंबर, १८३१ को त्याग-पत्र।
मुहम्मद वसी	, ४०	२८ अक्टूबर, १८३० को त्यागपत्र। कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ।
वाजिबुद्दीन	" ४०	कॉलेज में है।
फ़खरुज़ज़मन	" ४०	"
रामा नारायण	, ५०	"
नागरी और बँगला सुलेखक		

## बंगला विभाग

द्वालोचन	रु० ४०	कॉलेज में है ।
नरोत्तम बोस	, ४०	,
रामचंद्र रौय	, ४०	,
राम मोहन	, ४०	२६ सितंबर, १९३१ को ल्याग- पत्र । कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ ।

रडैल की इन सब बातों का उत्तर स्थानान्तर सरकारी मंत्री, जी० ए० बुश्वार्ड, ने २० दिसंबर, १९३१ के पत्र में दिया । १ जनवरी, १९३२ से ब्रह्म सचिवानंद की नियुक्ति स्वीकृत हुई । साथ ही कॉलेज के स्थायी विभाग में प्रत्येक विभिन्न विभागों के चालीस रुपए मासिक वेतन के आधार पर एक फारसी मुश्ही की मई व्यवस्था और दो बगाली पंडित रखने की ग्रन्तिमति भी कॉलेज मंत्री को प्राप्त हुई । इससे पिछले हिसाब में एक सौ बीस रुपए मासिक और बड़े संक्षेप में, सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्था रखी :

	मासिक
१ हिंदी-पंडित	५० रुपया वेतन पर
६ फ़ारसी मुश्ही, प्रत्येक को	४० रुपया
१ फ़ारसी सुलेखक	५० रुपया वेतन पर
६ हिंदी-हिंदुस्तानी मुश्ही, प्रत्येक को ४० रुपया	५० रुपया
६ बंगाली पंडित, प्रत्येक को	४० रुपया
१ नागरी और बंगला सुलेखक	५० रुपया वेतन पर

सि० रु० ८०८० मासिक

१ जनवरी, १९३२ से अबुल्ला की नियुक्ति भी सरकार ने स्वीकार की । रडैल के अन्य विचारों से भी सरकार पूर्णतः सहमत थी ।<sup>१</sup>

रडैल ११ जनवरी, १९३२ को त्याग पत्र देकर यूरोप चले गए । १ जनवरी, १९३२ से उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट टॉड की नियुक्ति हुई ।<sup>२</sup> किन्तु २० मार्च, १९३२ की रात को टॉड की अचानक मृत्यु हो जाने से आउज़्ले कॉलेज के एवज़ी मंत्री नियुक्त हुए । २७ अप्रैल, १९३२ को वे स्थायी बिना दिए गए । एक सप्ताह बाद वे एवज़ी परीक्षक भी नियुक्त हुए ।<sup>३</sup>

<sup>१</sup> फो० वि०, २६ अक्टूबर, १९३१—१६ अगस्त, १९३२, रु० ००, मि०, जि० १४, पू० ४२०४०, दू० ०० रे० ५०

<sup>२</sup> वही, पू० ६३-६४

<sup>३</sup> वही, पू० १८८ १९०

उरियोन्नीचरण मित्र किसी ग्रावश्यक दाय से बन रख बाने तो इतर्जना उन्होंने बहा पेशन गाने की प्रार्थना भी आउजले ने उनका पार्थना पत्र सरकार के गान भेज दिया। १७ अप्रैल, १८८२ के सरकारी पत्रानुसार उनकी प्रार्थना स्वीकार हर ली गई। आउजले ने उनके बारे में सभी ग्रावश्यक बातों की दूचना बनारस के कलकत्ता के पास भेज दी। तारियोन्नीचरण उस समय साठ वर्ष के थे। उनी समय कैप्टन जी० ग्रै० मार्शल स्थानापन्न परीक्षक नियुक्त हुए। आवश्यकता पड़ने पर आउजले के सहायता भी ली जा सकती थी।<sup>१</sup>

विलियम प्राइस ने कॉलेज के आउजले क्रम में हिंदी को स्थान दिलाने का प्रयत्न तो किया, किन्तु जहाँ तक नवीन ग्रन्थ-ग्रन्थों की रचना ग्रथवा वार्मिक एवं विशुद्ध साहित्यिक

ग्रन्थों के अतिरिक्त वैज्ञानिक ग्रथवा अन्य आधुनिक विषय-सबधी प्राइस के समय में ग्रन्थों की रचना से सबव इन्हें वे कोई महत्वपूर्ण कार्य न कर सके। नवीन मझस्वपूर्ण ग्रन्थ-हिंदी के पठन-पाठन के लिए जिस प्रकार के श्रव्यान्त्रों तथा अन्य रचना का अभाव साधनों का अभाव लिया गया तब, वास्तव में, हिंदी ग्रन्थ की उच्चात्

एवं विकास में कभी भी सहायक सिद्ध नहीं हो सकता था। यही कारण है कि वे गिलकाइस्ट के तत्त्वावधान में रखे गए ग्रन्थों पर ही निर्भर रहे। जो कार्य स्वयं गिलकाइस्ट ने उर्दू या हिंदुस्तानी ग्रन्थ के लिए किया, वा जो काय डॉ० विलियम कैरे तथा उनके सहयोगियों ने बैंगला ग्रन्थ के लिए किया, वह कार्य हिंदी के लिए न तो विलियम प्राइस और न उनके पूर्ववर्ती प्रधानाध्यापक नहर सके। प्राइस के समय में ही जनवरी, १८८५ में नागरी सुलेखक महानड पडित सृन्दु १७ जूल, १८८५) का सत्तर वर्ष का अवस्था में, जिखने-गढ़ने योग्य न रह जाने के कारण, पञ्चास रूपए मासिक पेशन की सरकारी स्वीकृति मिली थी। उनके बाद कुछ दिन तक ता नागरी सुलेखक का पद खाली रहा। फिर फ़ारसी सुलेखक और अत में बगला सुलेखक, गंगा नारायण उ दिसवर, १८८५ को नियुक्त हुए थे, ही नागरी सुलेखक का कार्य करते रहे। 'माखा' या हिंदी-पडित की नियुक्ति के सबध में ही काफी अनिश्चितता रहती थी। हिंदी-पडित आज है तो कल नहीं है। शार जब नहीं है तो एक अनिश्चित समय के लिए नहीं है। जब हिंदी-पडित के बिना काम हो चलता दिलाई नहीं पड़ता था तभी उसके लिए पदाधिकारी मौग करते थे। हिंदुस्तानी या उर्दू के ज्ञान के लिए उसके आधार हिंदी के ज्ञान की आवहेलना करना कोई सरल कार्य न था। सब लल्लू लाल और उनके अधिकतर ग्रन्थों की रचना इसीलिए हुई थी। गिलकाइस्ट ने बिना इस आधार के कटिनाई का अनुभव किया था। उनके बाद के प्रधानाध्यापक अपने पिछले ग्रन्थों की सहायता पर निर्भर रहना चाहते थे। परंतु विदेशियों का इतने ही सं काम नहीं चल सकता था। उन्हें हिंदी भाषा के किसी जानकारी की आवश्यकता पड़ना अनिवार्य था। यही कारण है कि थोड़े दिन बिना हिंदी ग्रथापक के कार्य चलने के बाद उन्हें उसकी आवश्यकता पड़ती थी। किन्तु ग्रन्थों सब वही पुराने रहते थे। इन सब बातों के

देखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्या प्राइस और क्या किसी अन्य प्रधानाधिकारके हाथों हिंदी गद्द कोई हित साधन न हो सका। बास्तव में हिंदी गद्द तो फ्रोट विलियम कॉलेज से बाहर नवयुगीन परिस्थितियों के प्रभावातर्गत बतत्र रूप विकसित हो रहा था।

कलकत्ते से बाहर भी यदि हिंदी ग्रंथों की आवश्यकता होती थी तो लल्लूलाल के ग्रंथ ही भेज दिए जाते थे। सदून मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' का विवाद एक सूची के और कही उल्लेख ही नहीं मिलता। न तो कॉलेज के पाठ्यक्रम में उसका जिक्र है और न कही बाहर मेजी जाने वाली पुस्तकों में। जून, १८२५ में आगरा और दिल्ली की सरकारी पाठ्यालाओं को मेजी जाने वाली पुस्तकों में 'प्रेमसागर', 'वैताल पचीसी', 'सिंहासन चत्तीसी', 'माधोनल' आदि पुस्तकों के नाम तो हैं, किंतु 'नासिकेतोपाख्यान' का कहाँ नाम नहीं है। बाद को आर भी कई बार पुस्तकें बढ़ाई और मद्रास की संस्थाओं को मेजी गई। 'नासिकेतोपाख्यान' को यह सौमाग्र कभी प्राप्त न हुआ। कॉलेज तोड़ देने के बाद बोर्ड ऑफ ऐज्यामिनस ने जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया (जिसका उल्लेख आगे किया जायगा) उसमें भी 'नासिकेतोपाख्यान' को कोई स्थान न मिला। हाँ, फ्रोट विलियम कॉलेज और उसकी स्थापना से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विज्ञापन-विभाग न नागरी याहों का निर्माण किया, विराम-चिन्हों का प्रयोग किया और कोप तथा अनेक पुस्तकें छापेखाने में छाप कर प्रस्तुत कीं, और इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रेस जैसे वैज्ञानिक साधन का गद्द के साथ सर्वथ स्थापित कर, उन्होंने उसके विकास का एक प्रमुख कारण ला उपस्थित किया और हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण निर्मित किया, वह भी अंगरेजी व्याकरण के श्रनुकरण पर। इस सब के लिए हिंदी-भाषा-भाषी उनके आभारी रहेंगे। बुलसीदास जी के ग्रथ भी समवतः सबसे पहले फ्रोट विलियम कॉलेज के सरकार में ही मुद्रित हुए थे।

प्राइस के समय में उन्होंने द्वारा रचित 'प्रेमसागर', उसकी शब्दावली सहित' सेट एंड्रूज़ लाइब्रेरी में विक्री के लिए रखी गई थी। इस सबध में २४ मई, १८२५ को

विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसका मूल्य बीस रुपया फ़ी प्रति था।

**'प्रेमसागर, शब्दावली सहित'** अलग-अलग रचनाओं का मूल्य क्रमशः बारह और आठ था। १८२५ में ही देवनागरी वर्णमाला की पचास मुद्रित प्रतियाँ कौसिल के पास मेजी गई थीं। ४ मार्च, १८२६ को तारिखीचरण मित्र से स्वीकृत किए गए ग्रथ शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिए कहा गया। १८२६ में कैप्टेन पीयर्स (मुद्रक और प्रकाशक) ने 'भारत'-पंडित गंगाप्रसाद शुक्ल गंगाप्रसाद शुक्ल कृत द्वारा संपादित 'हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी' प्रकाशित करने की 'हिंदी एंड इंग्लिश आज्ञा प्राइस से माँगी। प्राइस ने इस आयोजना की अत्यत सराहना किक्षणरी' की। स्वयं उन्होंने 'प्रेमसागर' की शब्दावली का संपादन किया था और वह प्रकाशित हो भी लुकी थी। हिंदी का ऐसा; और कोई प्रकाशित न हुआ था। किंतु विद्यार्थियों और देशी छोज के अंगरेज अफसरों को ऐसे ग्रन्ती की यी पीयर्स के प्रस्ताव के सबध में कौसिल के मत्री, रडैल, ने सरकारी मत्री

लशिगटन, को लिखते हुए बारह सप्त फ़ी प्रति के हिसाब से डेढ़ सौ प्रतिवर्ष लेने की सेफ़ारिश की । अफ़सरों में बैंगने के विचार से ही उन्होंने इतनी प्रतिवर्ष लना चाहा था । भगवान्साद के इस कोष को 'हिंदूई डिक्शनरी' मी कहा गया है । प्राइस के निरीक्षण कर लेने के बाद प्रस्तावित कोष के लिए सरकारी स्वीकृति मिल गई और तारिखीकरण मित्र को भी अपने ग्रंथ में पचास पृष्ठ बढ़ाने की आज्ञा मिली ।

लाल्लूलल कृत 'राजनीति' के अप्राप्य हो जाने के कारण प्राइस उसे ऐज्यूकेशन प्रेस में, अँगरेजी कागज पर और अँगरेजी विराम-चिन्हों के साथ, प्रकाशित करना चाहते थे । ११ सितंबर, १८२६ को उन्होंने रडैल मन्त्री के पास पत्र भेजा

बख्लूख़ कृत और ढाई रुपया फ़ी प्रति के हिसाब से कॉलेज की सौ प्रतियों का मूल्य 'राजनीति' का नया ढाई सौ रुक्खा । उन्होंने 'हिंदुस्तानी बोली' ('Hindustanie dialect') में रचित 'राजनीति' को अँगरेजों के भारतीय सम्भाज के लिए अत्यंत उम्योगी बताया है । कौमिल ने सरकारी मन्त्री, लशिगटन, को लिख कर सरकारी स्वीकृति प्राप्त की और तदनुसार प्राइस को सूचना भेज दी ।<sup>१</sup>

१८२६ ( संभवतः अक्टूबर वा नवंबर ) में नागरी में लंसार का गोलाकार नक्शा भी बनाया गया था ।

७ मार्च, १८२७ को 'राजनीति' के द्वितीय संस्करण की सौ प्रतियाँ और तारिखी चरण मित्र कृत 'हिंदी-हिंदुस्तानी-संग्रह' की प्रतिरौं छुर कर कॉलेज की लाइब्रेरी में आई ।

जुलाई, १८२७ में पीयर्स ने रेव० डब्ल्यू० येट्र० कृत 'ऐन इंट्रोडक्शन डु दि हिंदुस्तानो लैंग्वेज' के लिए कौमिल से आर्थिक सहायता चाही । १३ जुलाई, १८२७ को रडैल ने सरकारी मन्त्री, लशिगटन, को लिखने हुए कहा था :

'जूनियर सिविल कर्मचारियों के लिए हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन कॉलेज के पाठ्य-क्रम का भाग मात्र रह जाने के कारण इस संघर्ष में एक और रचना खरीद कर कॉलेज की लाइब्रेरी में रखना अनावश्यक प्रतीत होता हो, किंतु क्योंकि इसके प्रधान सिद्धांत हिंदी बोली से ही निकलते हैं, इसलिए यह स्वरूप है कि वे समान रूप से दोनों पर लागू हो सकते हैं, कम-से-कम जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है और जिसका प्रयोग कपनी की हिंदू या मुसलमान प्रजा भारत के लगभग प्रत्येक भाग में करती है, और फलतः एक का अध्ययन बहुत कुछ दूसरे के अध्ययन में सहायक होगा ।'<sup>२</sup>

<sup>१</sup> पीयर्स का पत्र प्राइस के नाम २६ मई, १८२६ । प्राइस का पत्र रडैल के नाम १० जून, १८२६, और १४ जून, १८२६ ।

<sup>२</sup> फो० विं०, १४ जनवरी, १८२५ -२६ दिसंबर, १८२६, हो०, मि०, जि० १०, पृ० २४३-२४४, इ० २० रि०

<sup>३</sup> फो० विं०, १० जून, १८२७ -?, १८२८, हो०, मि०, जि०, ११, पृ० २२७, इ० २० रि०

सात रुग्या की प्रति के हिसाब से इस ग्रथ की दो सौ प्रतियाँ कौमिल द्वारा स्वीकृत हुईं।<sup>१</sup>

कलकत्ता स्कूल बुक शोपायरी के एवज़ी मंची, डॉल्टू० एच० पीयर्स, ने रडेल के नाम एक पत्र लिखा कि सोसायटी डिफ़स्टानी तथा अन्य चालिया में कुछ पाठ्य-पुस्तकों प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त पुस्तकों के नाम जानना चाहती है। ५ फरवरी, १८८८ के ५ बजे में रडेल ने 'प्रेमसागर', 'हिंदुस्तानी सेलकशन्स' २ जिल्द, 'नागरी वर्णमाला', 'सभा विलास', 'राजनीति' इत्यादि के नाम उन्हें बताए।<sup>२</sup> अन्तः २५ अक्टूबर, १८८८ और ४ फरवरी, १८८९ के बीच हिंदी-हिंदुस्तानी की निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुईं:

१. प्रेमसागर और उसका शब्दकोष

२. नागरी वर्णमाला

३. हिंदुस्तानी सेलकशन्स ( नारियोंचरण द्वारा संपादित ), २ जिल्द

४. येट्स कृत 'हिंदुस्तानी ग्रामर'<sup>३</sup>

५. सितंबर, १८८८ को प्राइस ने मत्रा, रडेल, को लिखा कि सभा विलास की जो प्रतियाँ पुस्तकालय में शेष रह गई हैं उनसे अब नाम नहीं निकलता। इसलिए अब

वे उसका सशोधित रास्करण प्रकाशित करना चाहते थे। किन्तु 'सभा विलास' का क्योंकि पुस्तकालय में ज्ञाईस प्रतियाँ था, इसलिए रडेल ने २८ नवं नवा संस्करण सितंबर, १८८८ का सौ प्रतियों के स्थान पर दो रुपए प्रति के हिसाब से केवल ५० प्रतियों के लिए लिखने की इच्छा प्रकट की।<sup>४</sup>

\*                   \*

\*

\*

अंत में, कैप्टेन ( अब मेजर, बीसवीं रेजीमेंट, नेटिव इफेंट्री ) विलियम प्राइस ने यूरोप जाने की सोची। कॉलेज में नौकरी करते हुए उन्हे अठारह वर्ष से अधिक हो गए थे। स्कूल, बैंगला और हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर की

प्राइस का अवकाश- हैतियत से अक्टूबर, १८८१ में उनकी नियुक्ति हुई थी। अप्रैल, अप्रैल

अप्रैल

१८८१ में फ़ारसी तथा अन्य माध्यांग्रेआं के परीक्षक और नवबर, १८८३ में हिंदी-हिंदुस्तानी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। कॉलेज के पदाधिकारी तथा सरकार उनके कार्य से संतुष्ट थी। २१ दिसंबर, १८८१ को उन्हाने रडेल से सरकारी प्रभार्य-पत्र (स्टिफ़िकेट) माँगा। रडेल ने उनका पत्र उसी दिन स्थानापन्न

<sup>१</sup> पीयर्स का पत्र रडेल के लाभ से जुलाई १८८७। जश्निंगटन का पत्र रडेल के लाभ १६ जुलाई, १८८७। रडेल का पत्र पीयर्स के लाभ २४ जुलाई, १८८७। रडेल का पत्र २०० प्रतियों की प्राप्ति के संबंध में ६ सितंबर, १८८७। बौद्ध सौ रुपए के लिए स्वीकृत।

<sup>२</sup> फ़ो० वि०, ३० जून, १८८७ ?, १८८८, ३००, मि०, जि०, ११, पू० ४१६-४२८, इ० रे० डि०

<sup>३</sup> बही, पू० ४६६

<sup>४</sup> फ़ो० वि०, ७ अगस्त १८८८—२५ फरवरी १८८०, ३००, मि०, डि० १२, पू० ११५ १६४, ४० रे० डि०

सरकारी मंत्री जी० बुश्वारै के पास भेज दिया। २७ दिसंबर, १८३१ को सरकार ने उन्हें प्रभाण्य-पत्र देना स्वीकार किया। इस बात की सूचना रडैल ने उन्हें ३० दिसंबर, १८३१ को दी और सूचना के साथ, इसी तिथि के श्रांतर्गत, अपने इस्ताक्खर कर प्रभाण्य-पत्र भी दे दिया।<sup>१</sup>

---

<sup>१</sup> क्ल० ० दि०, २६ अक्टूबर, १८३१ - १६ अगस्त, १८३३, हो०, मि०, जि० १४  
५० ८४ ८१, ५० ८० दि०

## कॉलेज के अंतिम दिन<sup>१</sup>

आउड्ज़्यले, जो अब तक कॉलेज ने कार्य कर रहे थे, १८१३ इयाया मासिक पर मैसूर ने राजकुमारों के अभिभावक नियुक्त होकर चल गए। उनके स्थान पर २० जून, १८३८ को कैटेन जी० टी० मार्शल १००० रुपया मासिक वेतन पर कॉलेज के मंत्री और परीक्षक नियुक्त हुए।

३१ अगस्त, १८३८ को जी० टी० मार्शल ने एच० टी० प्रिसेप सरकारी मन्त्री को पत्र लिखते हुए 'भाषा' विभाग के पंडित ब्रह्म सच्चिदानन्द के स्थान पर मधुसूदन तर्कालंकार की

पचास रुपया मासिक वेतन पर नियुक्ति और उन्हे बैंगला विभाग के मधुसूदन तर्कालंकार सरिश्तेदार पुकारे जाने की सिफारिश की। ब्रह्म सच्चिदानन्द कॉलेज में

बहुत कम आते थे क्योंकि वे एक साहूकार के कार्य में लगे रहने से छोटी-छोटी अदालतों में ही अपना अपना अधिक व्यतीत करते थे। इस बात की शिकायत किसी अलेक्जैडर नामक व्यक्ति ने आउड्ज़्यले से की और आउड्ज़्यले ने इस बात का उल्लेख मार्शल से किया। वैसे भी हिंदी पढ़ाने का कार्य अब अधिकांश में हिंदुस्तानी मुश्ही ही करने लगे थे। हिंदुस्तानी विभाग के सरिश्तेदार मौलाबख्श के निरीक्षण में कार्य भी अच्छा हो रहा था। इसलिए वहाँ एक और व्यक्ति रखना चार्य था। किंतु बैंगला विभाग में, और वैसे भी सामान्यतः, एक सहायक व्यक्ति की आवश्यकता समझ कर ही मधुसूदन तर्कालंकार की सिफारिश की गई थी। मधुसूदन के पास सकृत साहित्य, अंगरेजी तथा अन्य प्रकार के सामान्य ज्ञान के लिए सकृत कॉलेज, हिंदू लॉ कमेटी, सकृत कॉलेज के अंगरेजी के अन्यायक तुलस्टन, ट्रैयर और आई० सी० सी० सदरलैंड और हिंदी-ज्ञान के लिए फ्रोर्ड विलियम कॉलेज के परीक्षकों से मिले सन्तोषजनक प्रमाण-पत्र थे। अस्तु, ५ सितंबर, १८३८ के सरकारी पत्रानुसार ब्रह्म सच्चिदानन्द कॉलेज से अलग कर दिए गए और उनके स्थान पर मधुसूदन तर्कालंकार की बैंगला विभाग के सरिश्तेदार के रूप में नियुक्त हुई।<sup>२</sup>

अब कॉलेज के मुशियों और पंडिसों की आर्थिक दशा शोचनीय होती जा रही

<sup>१</sup> १८३६ से १८४७ तक की कॉलेज की प्रोसीडिंग्स अप्राप्त हैं। इसलिए इस कार के संबंध में जिक्रियत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कॉलेज का स्थायी विभाग ३-जुलाई, १८३८ तक अवश्य था—आउड्ज़्यले का एक प्रिसेप को, जी० सी० नं० ५४, २ जुलाई, १८३८, होम डिपार्टमेंट, पछिक

<sup>२</sup> फ्रौ० जी०, १८ जून, १८३७—३० अक्टूबर, १८४१, हो०, मि०, जी० १ पू० १२६ १२४ ह० र० कि

यी उन्हें कम वेतन मिलने के कारण आगाम निवार गा कठिन 'तात हो रहा था। इसलिए कॉलेज के अधिकारियों के पास उन्होंने इस आशय का कॉलेज को व्यवहार प्रार्थना-पत्र भेजा कि आगे चल कर उन्हें मुसिक्क, सठर आमान आदि बना दिया जाय। मार्शल ने उनका प्रार्थना-पत्र प्रिमप के पास भेजा। प्रिमप ने लिखा कि बगाल के डिप्टी गवर्नर इस प्रकार का कोइ बचन नहीं दे सकते, क्योंकि सरकारी नौकरियों को ही मिल सकती है।

और वधों की २०५८ ई० फॉशर (Flower) ने कॉलेज के मत्री से १ मई, १८४० का कॉलेज का संक्षिप्त विवरण माँगा। मार्शल ने जो विवरण भेजा उससे ज्ञान होता है कि अब कॉलेज म कोई प्राक्तेलर न रह गया था। हिंदुस्तानी तथा अन्य विभागों में भी प्रतिभाशाली अध्यापक न रह गए थे। कॉलेज का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

नामान्य (जनरल) विभाग, नियुक्ति सरकार द्वारा पद-नियुक्ति और स्थापना की तिथि	व्यक्ति की नियुक्ति की नियुक्ति १ जनवरी, १८०७	व्यक्ति की नाम नौकरी कैप्टेन मंत्री १००० रु १००० रु १८३२ जी० टी० और २५ सितंबर, मार्शल परी- १८३२ द्वक वर्तमान पद पर नियुक्ति ४ जुलाई, १८३८	किस तरह वेतन जोड़
	X	X	X
	X	X	X
			१.

### हिंदुस्तानी विभाग

१ जनवरी, १८०७	सितंबर, १८०२	मौलाबख्श सरिश्तेदार	रु ० आ० पा०
"	अक्टूबर, १८०१	दलिलुद्दीन मुश्तो	४१. १२. १०
"	६ अगस्त, १८१२	फ़लूद्दीन	४१. १२. १०
"	१ अगस्त, १८१२	मुज़ाफ़कर हुसैन	४१. १२. १०
"	७ दिसंबर, १८२४	गंगा नारायण	४२. ४. ०

( हिंदी और बङ्गला सुलेखक )

### बङ्गला विभाग

४ सितंबर, १८३८	४ सितंबर, १८३८	मधुसूदन सरिश्तेदार	रु०. ०. ०
		तर्कालंकार	

अस्तु, अब कॉलेज में कोई 'भाला' पंडित अथवा हिन्दी-पंडित न रह गया था। ६ नवंबर, १८४१ को मधुसूदन की भी, जो अहमदपुर जिला वर्द्धान के रहने हैंवदर्थंद्र विद्यालय वाले थे, मृत्यु हो गई। इसलिए कॉलेज के मत्री, मार्शल, ने २७ दिसंबर, १८४१ को बङ्गल के सरकारी मंत्री बुश्नाई, को एक पत्र

लखा जिसम उन्होने मधुसूदन के स्थान पर ईश्वरचद्र विद्यासागर की सिफ्टारिश की मधुसूदन की भाति उनम सभी वोग्यताए थीं और सस्कृत कालेज हिन्दू ला कमेटी, क्लोर्ट विलियम कॉलेज के परीक्षको आदि स प्राप्त अच्छे-अच्छे प्रमाण-पत्र भी उनके पास थे। केसी अदालत में कानूनी परिषिद्धत का कार्य भी वे भली भाँति कर सकते थे। २६ दिसंबर, १८४१ को उनके लिए सरकारी स्वीकृति मिल गई।<sup>१</sup> किन्तु ईश्वरचद्र विद्यासागर ने ग्रस्तव में इस पद पर कार्य किया था नहीं, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

१४ मई, १८४४ से दिसंबर, १८४६ तक का कॉलेज का सरकारी विवरण अप्राप्य है। १ मई, १८४७ के संक्षिप्त विवरण में मार्शल का पहले की भाँति उल्लेख है। अन्य घटकियों में ईश्वरचद्र विद्यासागर का उल्लेख नहीं है:

### हिन्दुस्तानी विभाग

६ जून, १८४४	१ मई, १८४४	मुलाम हैदर	सरिश्तेदार	४० रु०
”	”	तफ़ज्जुल हुसैन मुशी		४०. ”
१ जनवरी, १८५०	१ दिसंबर, १८४४	गगा नारायण	नागरी और बंगला सुलेखक	*२, रु. ०

×	×	×	×
४ अप्रैल, १८४६	४ अप्रैल, १८५०	दीनबंधु	बंगला के

(१, १८४६) सरिश्तेदार

मौलाबख्श को तेतालीस वर्ष की नौकरी के बाद देशन मिली और पचास रुपया मासिक वेतन के स्थान पर चालीस रुपया मासिक वेतन पर मौजवी गुलाम हैदर फ़ारसी और हिन्दुस्तानी के सरिश्तेदार नियुक्त हुए। २ मई, १८५० को हिन्दुस्तानी विभाग में मुदम्मद इस्माईल, ताज मुहम्मद और तफ़ज्जुल हुसैन थे। १ मई, १८५१ को गगा नारायण के अतिरिक्त स्थायी विभाग में कोई न रह गया।<sup>२</sup>

इधर कुछ दिनों से कॉलेज में हिंदी-शिक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं रह गया था। किन्तु उत्तर-पश्चिम प्रांतों में भेजे गए सिविलियन कर्मचारियों के लिए हिंदी का कॉलेज में हिंदी की समुचित शिक्षा के प्रबंध का अभावः शेष शास्त्री की नियुक्ति ज्ञान अत्यत आवश्यक था। देशी फ़ौजों के अधिकाश सिपाही हिन्दू थे। ये हिन्दू सिपाही हिंदी अथवा इसके अन्तर्गत किसी बोली का प्रयोग करते थे। इसीलिए कॉलेज के शिक्षा-क्रम में हिंदी को ऊंचा स्थान दिया गया था। किन्तु कई वधों से कॉलेज में एक हिंदी पडित के अभाव का अनुभव किया जा रहा था। ६ मार्च,

<sup>१</sup> फ़ो० वि०, १ नवंबर, १८४१—१३ मई, १८४४, हो०, मि०, जि० १७, नं० १८३३, रु० २२-३३, हु० १० रे० डि०

<sup>२</sup> फ़ो० वि०, ७ अक्टूबर, १८४७—२० दिसंबर, १८४६, हो०, मि०, जि० १८, रु० ७५-७७ हु० १० रे० डि०

<sup>३</sup> बेत्र झुक, बनस्ती, १८५०—सितंबर, १८५१ डि० १६ रु० १० रे० डि०

१८५२ के सरकारी आज्ञापत्र<sup>१</sup> के अनुसार कुछ नियम के अतिरिक्त दो भाषाओं में सफल होने वाले सैनिक अफसर का एक सहभ्य रुपए का पुरस्कार वापिस किया गया था। इसके जारी हो जाने से आर साथ ही परीक्षा में सहायता देने के लिए एक विद्यान पदित की आवश्यकता थी। जी० टी० मार्शल ने जब ३ अप्रैल ५ अप्रैल, १८५२ का एनसाइन एस० डी० हाइट, ब्यालीसवॉ रेजिमेंट नेटिव लाइट इन्फैटी, की परीक्षा नी तो उन्हें बाजार में एक पडित बुलवाना पड़ा था। उनकी सहायता से मार्शल ने परीक्षार्थी की मौखिक और लिखित जगह ली थी। ऐसी अनिश्चित व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने उनरी ५.०० के निवासी एक विद्यान और आठरणी छिटो-पंडित को पचास रुपया मासिक बेतन पर रखना चाहा। इस सर्वथ में उन्होंने बगाल के सरकारी मन्त्री को एक पत्र<sup>२</sup> लिखा। उत्तर में कॉलेज के सरकारी उपमंत्री, डेल्रिम्पिल्, ने कॉलेज के मंत्री को लिखा कि हिन्दी-पडित रखने के लिए कॉलेज के अन्य किसी विभाग में काई कमी की जा सकती है या नहीं<sup>३</sup>। सपरिषद् गवर्नर-जनरल के अर्थ-विभाग का २१ मई, १८५२<sup>४</sup> की कार्रवाई का अंश भा उद्धृत कर कॉलेज के मन्त्री के पास भेजा गया। होम डिपार्टमेंट ने पचास रुपया मासिक बेतन पर कॉलेज के लिए एक पडित की आवश्यकता बताके हुए एक पत्र<sup>५</sup> भेजा जो अर्थ-विभाग के अधिवेशन में पढ़ा गया। पत्रश्वात्, कॉलेज के मन्त्री के प्रानुसार, सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने हिन्दी-पडित के लिए स्वीकृति दी दी। किन्तु साथ ही उन्होंने बगाल सरकार से इस बात की आर्थना की यदि समझ हो सके तो कॉलेज के और व्यय में से छायालीस रुपए मासिक बचाए जायें। उन्होंने इस प्रस्ताव को सूचना होम डिपार्टमेंट को देने की आज्ञा दी ताकि बह बगाल की सरकार को व्यविधि सूचना दे सके और उन्हीं की आज्ञा से कॉलेज के मन्त्री का पत्र<sup>६</sup> और बगाल को सरकार के होम डिपार्टमेंट का पत्र<sup>७</sup> वापिस कर दिया गया। अन्य सरकारी अफसरों को भी सूचित कर देना उन्होंने आवश्यक समझा। मार्शल ने बंगाल के सरकारी उपमन्त्री को एक पत्र<sup>८</sup> लिखा जिसमें उन्होंने दूसरे काइज़ा के साथ बंगाल सरकार को लिखे हुए पत्र<sup>९</sup> जी प्राप्त स्वीकार की ओर नाथ ही पडित शेष शास्त्री को हिन्दी-पडित नियुक्त करने की सिफारिश की। उनकी यह माँग सपरिषद् गवर्नर-जनरल के अर्थ-विभाग के २१ मई, १८५२ के प्रानुसार थी। १० जून,

<sup>१</sup> नं० १८५४

<sup>२</sup> २१ अप्रैल, १८५२, नं० १६६

<sup>३</sup> ३ जून, १८५२, नं० ८६५

<sup>४</sup> नं० १०५४

<sup>५</sup> ५ मई, १८५२, नं० ३५५ तथा २६ अप्रैल, १८५२, नं० १८६

<sup>६</sup> २१ अप्रैल, १८५२, नं० १६६

<sup>७</sup> २१ अप्रैल, १८५२, नं० १६६

<sup>८</sup> ८ जून १८५२ नं० २६८

<sup>९</sup> ८ जून १८५२ नं० ८६५

१८४२ को बंगाल के सरकारी उपमंत्री, डैलरिम्पिल्, ने मार्शल के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने के बाद शेष शासनी को हिंदी-परिंडत नियुक्त करने के संबंध में भरकारी आशा भेज दी।<sup>१</sup>

कॉलेज के विधान में नमय पर परिवर्तन हुआ करते थे। परिवर्तन करते समय व्यावहारिक तथा राजनीतिक हाइ में शिक्षा-कम तथा व्यवहार करने को हाइ से विभिन्न विभागों में कमियों हुआ करती थी। २३ जून, १८४१ को कॉलेज की व्यवस्था में बंगाल के गवर्नर तथा कॉलेज के विजिटर लॉर्ड ऑक्लैड, ने विधान फिर परिवर्तन और के आठवें पारच्छेद के स्थान पर नए नियम स्वीकार किए।<sup>२</sup> इनके आठवें परिच्छेद के अनुसार कॉलेज के शासन में अनेक परिवर्तन हुए। किन्तु दसवें स्थान पर नए नियम नियम के अनुसार फारसी को अनिवार्य भाषा बनाने के कारण पठन-पाठन-कम में कठिनाई पड़ रही थी। इसलिए २० जुलाई, १८४२ को बंगाल के सरकारी उपमंत्री, एच० वी० बेली, ने कॉलेज के मर्त्ता, मार्शल, को फारसी के अनिवार्य नियम के स्थान पर फारसी और हिंदी या बंगाल भथवा उद्द और बंगला का नियम जारी करने के लिए लिखा। उ होने के बाल इस बात पर अधिक ध्यान रखता कि विद्यार्थी जिस प्रदेश में भेजा जाय वह वहाँ की भाषा भली भाँति जानता हो।<sup>३</sup>

जपर इस बात की ओर मंकेत किया जा चुका है कि अब कॉलेज में कोई प्रधानाध्यापक या प्रोफेसर न रह गया था। कॉलेज के मंत्री, मार्शल, ने भारतीय भाषाओं के प्रधानाध्यापकों के पदों पर दूरोपीय अफसरों की नियुक्ति के लिए बंगाल सरकार को लिखा।<sup>४</sup> बंगाल की सरकार ने भारतीय सरकार के होम डिवार्टमेंट को लिखा।<sup>५</sup> भारतीय सरकार इस संबंध में कोई निर्णय न लिया रित न कर सकी। कोर्ट कॉलेज पर अधिक व्यव नहीं करना चाहता था। अतएव भारतीय सरकार ने कोर्ट के डाइरेक्टरों को लिखा।<sup>६</sup> कोर्ट ने यह प्रस्ताव अस्वीकृत ठहराया।<sup>७</sup> तत्पश्चात् यह विपय फिर

<sup>१</sup> ल० द०, सितंबर, १८५१—जनवरी, १८४४, जि० २०, न० ६०४, पृ० ८०१-८०३, इ० ८० रे० ४० डि०

<sup>२</sup> साथ ही द०, प्रिलिक कैसलेशन, १८४२ नवंबर, १८४२, न० ७

<sup>३</sup> को० वि०, १ नवंबर, १८४१—१९ मई, १८४४, द००, जि० १७, न० ६६३, पू० १८८, इ० ८० रे० ४०

<sup>४</sup> होम डिवार्टमेंट, प्रिलिक प्रोसीडिंग्स, जुलाई-सितंबर, १८४३, २६ सितंबर, १८४३, (२३ जुलाई, १८४६), ओ० सी० न० २, पू० १, इ० ८० रे० ४०

<sup>५</sup> वही, २६ अगस्त, १८४६, न० २११७, ओ० सी० न० १, पू० १, इ० ८० रे० ४०

<sup>६</sup> वही, २६ सितंबर, १८४६, न० २२ पू० १, इ० ८० रे० ४०

<sup>७</sup> वही, २ जून, १८४७, न० १८, पू० १६१ १६२ (१), इ० ८० रे० ४०

केसी ने न उठाया जब कोई ने बोरे धीरे कालेज तोड़ने का निश्चय ही कर लिया था तो फिर प्रधानाध्यापकों की कोई आवश्यकता भी नहीं थी।

इतना ही नहीं आगे चल कर कॉलेज की व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अधिकारियों ने वह नियम बना दिया था कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से प्रपना अध्यापक तुन कर विभिन्न भाषाओं का अध्ययन कर सकता है। इसलिए अब स्थायी रूप से रखके नए सुशियों वी कोई आवश्यकता न समझी गई। वास्तव में सरकार तो स्थायी अध्यापक अस्थायी किसी प्रकार के अध्यापक-वर्ग पर व्यवहार नहीं चाहती थी। बगाल के सरकारी मंत्री, ज० ए० ग्र० ग्रांट, ने इन तर्वर में कॉलेज के मंत्री, मार्शल, को लिखा।<sup>१</sup> मार्शल ने पूरा विवरण सरकारी मंत्री के पास भेज दिया।<sup>२</sup> सरकार ने अंत में यही निश्चय किया। के कॉलेज के छः स्थायी अध्यापकों को अलग कर उन्हे पेशन दे दी जाय और भविष्य में प्रत्येक अध्यापक 'पे सर्टिफिकेट' के आधार पर रखा जाय, किन्तु किसी भी अध्यापक को चार 'पे सर्टिफिकेट' से अधिक न मिले। बगाल की सरकार के इस कार्य से कोई पूर्णतः सहमत था।<sup>३</sup>

कॉलेज के पुराने क्रमानुसार ग्रंथ-संचाना भी होता रही, किन्तु नवोन प्रधों का निर्माण बहुत कम हुआ। दिनदी गद्य-अथ की रचना तो लल्लूलाल और सदल मिश्र के बाद फिर हुई ही नहीं। केवल प्राचीन ग्रंथ ही बार-बार छपते रहे।

१८३७ और १८४१ के बीच जॉन टॉमस टॉम्पसन कृत उद्भूतोष प्रकाशित हुआ। नियमानुसार कॉलेज ने उसका कुछ प्रतियाँ ली। १४ अगस्त, १८३८ के सरकारी सामान्य पत्र<sup>४</sup> के अनुसार कॉलेज की सभी यूरोपीय पुस्तकों कलकत्ते के सार्वजनिक पुस्तकालय के अध्यक्ष को और पूर्वीय ग्रंथ तथा इस्तलिखत पोथियों एवं शास्त्रिक सोसायटी को दे देने की आदेश हुई। २० जुलाई, १८४१ का कॉलेज के मंत्री, ज० ए० मार्शल, ने बगाल के सरकारी मंत्री, ज० ए० बुश्वाइ, के पास एवरनमेंट संस्कृत कॉलेज के पंडित

योगध्यान मिश्र का एक प्राथमा-पत्र भेजा जिसमें मिश्र जी ने योगध्यान मिश्र द्वारा 'प्रेमसागर' का एक नया संस्करण प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा संवादत 'प्रेमसागर' था। वे छः रुपया प्रति कि हिसाब से हो सौ प्रतियों के लिए का संस्करण तथा सरकारी संस्करण चाहते थे। 'प्रेमसागर' अतेनिक (सिविल) और

अन्य इच्छाएँ सेनिक (मिलिटरी) परीक्षाओं के लिए एक हिंदी-पाठ्य-पुस्तक थी।

उसकी प्रात्यर्थी समाप्त हो चुकी थी और अब वह मिलती नहीं थी। मार्शल ने मिश्र जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। मिश्र जी का प्राथमा-पत्र निम्नलिखित है जो कॉलेज की पारबोति भाषा-नीति पर प्रकाश डालता है :

<sup>१</sup> ज० ब० ब०, अनवरी, १८५०—सितंबर, १८४३, जि० १६, २५ मई, १८५०, न० ८२३, ब० ८७..., इ० ८० डि०

<sup>२</sup> बही, ७ जूल, १८५०, न० १५३, ब० ३५-४०, इ० ८० डि०

<sup>३</sup> बही, पत्र ८ मार्च, १८५१, न० १६, ब० १८१-१८८, इ० ८० डि०

<sup>४</sup> न० ८८

‘स्वस्ति श्रीयुत फ्लोट उसियम कॉलेज के नायक सफलगुरुनिधान मागवान कपतान श्री मार्शल साहब के निकट मुज दीन की प्रार्थना

मैंने मुना कि कॉलेज में प्रेमसागर की अल्पता है इस कारण मैं छपवाने को इच्छा करता हूँ और मेरे यहा छापे का यत्र और उत्तम अक्षर नपे (१ नये) ढाले प्रस्तुत हैं इस लिये मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आपकी अक्षर होय तो मैं वही पुस्तक उत्तम विलायती कागज पर अच्छी रथाही से आपकी अनुमति के अनुसार छपवा दूँ परन्तु वह पुस्तक चारपेची फरमें से अनुमान २६० दो सौ साठ पृष्ठ होगी जो ६) छः रुपैयो के लेखे २०० दो सौ पुस्तक आप लेवें तो छापे के व्यय का निर्वाह हो सके ॥ ॥ ॥ किमधिक ॥ ता० १ जुलाई सं० १८४१

श्री योगद्यान मिश्रः ॥ ” १

स्वयं लखलाल को अपने अन्य दो ग्रन्थों के लिए प्रार्थना-पत्र फ्लारसी में लिखना पड़ा था । २८ जुलाई, १८४१ के पत्र में सरकारी अनुमति प्राप्त होने पर मार्शल ने योगद्यान मिश्र के पास यथाविधि सूचना भेज दी । ३ ‘प्रेमसागर’ के छुप कर आ जाने पर मार्शल ने बारह सौ कंपनी रुपयों के लिए सरकारी स्वीकृति प्राप्त की । ३

२६ जुलाई, १८४६ को एक ‘हिंदी-इंग्लिश-डिक्षनरी’ के लिए सरकार ने स्वीकृति दी थी । अब वह पूर्ण हो गई थी और मध्यसूदन तर्कालंकार उसे प्रकाशित करना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा भी था । कॉलेज के मत्री, मार्शल, ने बगाल के सरकारी मंत्री, बुश्वार्ड, के माध्यम द्वारा बारह रुपए रुपी प्रति के हिसाब से डेढ़ लंग प्रतियों के लिए सिफारिश की । सरकारी मंत्री ने उत्तर में लिखा कि इस पुस्तक की डेढ़ सौ प्रतियों खरीदने के लिए सरकार बचन नहीं दे सकती । पुस्तक अच्छी हुई तो विद्यार्थी तथा अन्य विद्या-प्रेमी सज्जन स्वयं खरीदें लेंगे ।

मार्शल ने सुशी देवीप्रसाद राय कृत ‘पौलीग्लॉट मुंशी’ के लिए भी सरकारी स्वीकृति माँगी । १३ अप्रैल, १८४२ को उन्हें यह स्वीकृति मिल गई । किन्तु उनकी दूसरी कृति, ‘पौलीग्लॉट डिक्षनरी’, को, अत्यधिक अनुद्विधाँ होने के कारण, सरकारी सरक्षण न मिल सका ।

१ नवंबर, १८४१ के पत्र में राजकृष्ण बनर्जी ने ‘हैताल पचीसी’ का एक नया सस्करण प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की । इस संवंध में मार्शल ने बगाल के सरकारी मंत्री, जै० पी० ग्राट, को लिखा । १७ नवंबर, १८४१ को उन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो गई । ४ अधिकारियों ने ढाई रुपया रुपी प्रति के हिसाब से सौ प्रतियों खरीदने का बचन

दिया। पुस्तक वास्तव में छोप कर कॉलेज में आई या नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

नवंबर, १८६१ में छोप रूपया फ्री प्रति के हिसाब ने 'प्रेमसागर' की वीस प्रतियाँ फिर खरीदी गईं। हिदो पढ़ने वाले सिविलियन कम्चारियों के लिए तो 'प्रेमसागर' ही उनके याची जीवन का आधार था।

जनवरी, १८६० से जनवरी, १८६४ तक कॉलेज के अंतिम दिन थे। इस वीच में कॉलेज किसी नवीन ग्रंथ की रचना प्रोक्षणाहित न कर सका हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

फ्लोर्ट विलियन कॉलेज के पिछ्ले विवरण से यह स्पष्ट है कि दिन-पर-दिन सस्था की अवनति होती जा रही थी। श्राथक और ज्ञानोपलब्धि दोनों ही दृष्टियों से उसका प्राचीन वैभव होश हो रहा था। पिछ्ले कुछ वर्ष से उसकी और भी अवनति शोचनोय अवस्था ही गड़ थी। सुविधाओं के रहत हुए भी परीक्षा-फल अवनति तथा विद्यार्थियों की उच्चति अत्यन्त निराशाजनक होने लगी थी।<sup>१</sup>

किसी ऐसे साधन की आवश्यकता थी जिससे शीघ्र ही अभीष्ट फल का प्राप्ति हो सकती। कारसी का अविक प्रचार न रह जाने के कारण उसकी परीक्षा के मापदण्ड में भी कमी करने की आवश्यकता थी। विद्यार्थियों से उसमें पन्द्रह महीने में योग्यता प्राप्त कर लेने की आशा की जाती थी, असफल होने पर, बिना कोई दण्ड दिए, उन्हें छोप महोने की अवधि और दी जाती थी। इनने पर मात्र असफल रहने से उन्हें इंगलैण्ड भेज दिया जाता था। इस बाच में दुबारा परीक्षा लिए जाने के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र अत्यधिकार नहीं किए जाते थे। पुराने नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को केवल पन्द्रह महोने का समय मिलता था, किन्तु अब उन्हें इनकास महोने का समय मिल जाता था। तब भी उनको उच्चति आशाजनक नहा रहती थी। बंगाल के डिप्टी गवर्नर की सम्मति में हर्टफर्ड कॉलेज से कुछ समय व्यतीत कर लेने पर विद्यार्थियों को छोप महोने का अतिरिक्त समय देना चाहिये था। किसी एक मासा में सफलता प्राप्त करने स पूर्व विद्यार्थी को दाइंस रूपया मासिक, सफलता प्राप्त कर लेने पर तीन लाख रूपया मासिक, कलकत्ते में रहने पर नकान का किराया अस्सी रूपया मासिक और शहर से बाहर रहने पर चालीस रूपया मासिक मिलता था। मुंशी के बेतन के लिए तीस रूपया मासिक और मिलता था। इसलिए बंगाल के डिप्टी गवर्नर की यह सम्मति थी कि विद्यार्थियों की कॉलेज में रहने की अवधि कम कर दी जाय और मासिक परीक्षाओं में अच्छा फल न दिखा सकने पर उन्हें कठोर ढंग दिया जाय। साथ ही उन्होंने मकान का किराया देकर अलग-अलग स्थानों पर रखने के

<sup>१</sup> कॉलेज मंत्री, जी० टी० साहौद, कल बंगाल के सरकारी मंत्री को १५ मार्च, १८६० का लिखा गया पत्र। होम डिपार्टमेंट, पडिलर प्रोटीडेंडर, अवंबर, १८६३, नं० ६८ औ० सी० न० ३, पृ० १६५, ३० रे० ५०

बजाय सब विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर रखने का विचार प्रकट किया।<sup>१</sup> इन सब महत्वपूर्ण विद्ययों की ओर गवर्नर-जनरल का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से डिप्टी गवर्नर ने उन्हें एक पत्र लिखना आवश्यक समझा।

बंगाल के सरकारी मंत्री, जे० पी० ग्रांट, ने २० अगस्त, १८५०<sup>२</sup> को एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने फ्लोर विलियम कॉलेज के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस नोट के अनुसार १८०१ की वेलेज़ली की मिनिट्स के बाद अब परिस्थिति बदल गई थी, विशेष रूप से १८०६ में हर्टफर्ड कॉलेज खुल जाने के बाद। अस्तु, कॉलेज की तत्कालीन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आवश्यक थे। उस समय कॉलेज में छः सुशी कार्य कर रहे थे। सरकारी मंत्री ने उनकी भी आवश्यकता न समझी और विभिन्न समयों पर किए गए सुधारों की ओर भारतीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।<sup>३</sup> साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय की एक तालिका बना कर भी भारतीय सरकार के पास भेजी।<sup>४</sup>

भारत के सरकारी मंत्री, एफ० जे० हैलीडे, ने भी २१ अगस्त, १८५० को एक नोट<sup>५</sup> तैयार किया जिसमें उन्होंने कॉलेज के इतिहास में किए गए उत्तेजनीय सुधारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सुधार के अन्य साधन सुझाए।

फिर २२ अक्टूबर, १८५३ को बंगाल के सरकारी उपमंत्री, डब्ल्यू० गॉर्डन यग, ने भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट के उपमंत्री, जी० कूपर, को लिखते हुए भारतीय सरकार के १६ अगस्त, १८५३ के पत्र का हवाला दिया और बंगाल सरकार की ११ अक्टूबर, १८५३ की मिनिट्स और सरकारी मंत्री का नोट भारतीय सरकार के पास भेज देने का उत्तेजित किया। भारतीय सरकार के उन मिनिट्स से सहमत होने पर बंगाल सरकार उसके अनुसार ही कॉलेज के अधिकारियों को आदेश देना चाहती थी।<sup>६</sup>

डलहौजी की ११ अक्टूबर, १८५३ की जिन मिनिट्स<sup>७</sup> की ओर ऊपर की पक्षियों द्वारा होनी की मिनिट्स में संकेत दिया गया है वे सचेष में इस प्रकार हैं :

‘कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था के अतर्गत विद्यार्थी प्रायः आलस्यपूर्ण जीवन अतीत करते हैं। शूण का भार उन पर लदा रहता है। कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था विलक्षुल दूषित है। उसके सुधार के लिए कई उपाय बताए गए हैं। कुछ सज्जन तो सुधारों के

<sup>१</sup> बंगाल के सरकारी मंत्री, जे० पी० ग्रांट, का भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट के मंत्री, एफ० जे० हैलीडे, को २७ मार्च, १८५० का लिखा गया पत्र। वही, नं० ४१३, ओ० सी० नं० १, पृ० १५६-१५७, ई० रे० डि०

<sup>२</sup> वही, ओ० सी० नं० ३, पृ० १५७-१५८

<sup>३</sup> वही

<sup>४</sup> होम डिपार्टमेंट, गवर्नर्मेंट ऑफ इंडिया, ओ० सी० नं० ४, पृ० १६०-१६१

<sup>५</sup> वही, ओ० सी० नं० ५, पृ० १६७-१६८

<sup>६</sup> वही, नं० १५३० ओ० सी० नं० ६, पृ० १५४

<sup>७</sup> वही नं० १५३० ओ० सी० नं० ५, पृ० १५४-१५५

साथ-साथ कॉलेज की पुनर्स्थापना चाहते हैं। कुछ सज्जन कॉलेज तोड़ देने के पहचाती हैं और कुछ सज्जन कॉलेज के नाम और अवशिष्ट चिह्नों की रक्षा करना चाहते हैं। किंतु इनमें से किसी भल से हमारे उद्देश्य का पूर्ति नहीं होती। तीसरा उपाय अच्छा है। इसी के संशोधित रूप में कॉलेज बनाए रखना अच्छा होगा। कॉलेज की पुनर्स्थापना करना अनावश्यक, अनुचित और लॉर्ड वेलेक्सली की विद्वत्ता में संदेह प्रकट करना होगा। जिस समय कॉलेज स्थापित किया गया था उस समय पंद्रह या सत्रह वर्ष के युवक विद्यार्थी भारतवर्ष आते थे। उस समय उन पर अंकुश रखा जा सकता था। इंगलैंड में उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। किंतु अब दूसरी परिस्थिति है। इस समय वीस से वाईस वर्ष तक के विद्यार्थी भारतवर्ष आते हैं। हर्टफर्ड कॉलेज में वे कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। वे न तो स्कूल के बच्चे रहते हैं और न विश्वविद्यालय के वयस्क विद्यार्थी। स्वभावतः वे फिर स्कूल जाना पसंद न करेंगे। ये सब बातें कॉलेज की पुनर्स्थापना के विरोध में हैं। कलकत्ते के पास किसी अन्य स्थान पर विद्यार्थियों को भेज देना ठीक नहीं है। कलकत्ते में थोड़े दिन रख कर मैं उन्हें कॉलेज में भर्ती करने का पहचाती हूँ। मैं मिं० हैलोडे और बंगाल के मंत्री, मिं० बीडन, के विचारों से सहमत हूँ। किंतु मेरो सम्मति में एक भिज्ज मार्ग का अवलोकन प्रदर्शा करना उचित होगा।

‘कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था एक धोखा और परिहास मात्र है। उससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होने के बजाय हँसी देने और भ्रम फैलने का डर है।

‘इस समय वास्तविक रूप में कोई कॉलेज नहीं है, पहले की भाँति विद्यार्थियों के लिए कमरे नहीं हैं, कोई प्रोबोस्ट नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है और न कोई लेक्चरर है। कॉलेज में कुछ परिषिक्त और सुझी हैं। सरकार उन्हें वेतन देती है। किंतु उनसे कोई कार्य नहीं लेता। कॉलेज का अस्तित्व न होने पर मी ‘कॉलेज’ का एक मन्त्री है। ये से जीवित अस्थि-पंजार की सहायता से किसी प्रकार का लाभ होना असम्भव है। लोगों की दृष्टि से यह जितना जल्दी हटा दिया जाय उतना ही अच्छा है।

‘अस्तु, मैं फ्लोर्ट विलियम कॉलेज का नाम पूर्णरूपेण और तुरंत मिथ्या देना चाहता हूँ। उसके स्थान पर मेरा एक दूसरी संस्था निर्मित करने का विचार है। सरकारी नौकरी मिलने से पहले प्रत्येक नवयुवक सिविलियन कर्मचारी के अनिवार्य परीक्षा-काल के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता होगी। उन सब की पूर्ति के लिए यह संस्था क्रियाशील और फलदायक रूप में समर्थ होगी।

‘परीक्षा-काल में विद्यार्थियों का अध्ययन और उनकी परीक्षा आवश्यक है। किंतु वर्तमान कॉलेज की अपेक्षा अन्य अनेक उत्तम साधन हैं जो अधिक संतोषजनक सिद्ध होंगे।

‘वर्तमान परीक्षक और मंत्री सुयोग्य व्यक्ति हैं। उन्हें एक न्यायालय (Tribunal) के सरदरण में रहना चाहिए, वह भी है; एक बोर्ड और ऐक्जामिनर (परीक्षा-समिति) की होनी चाहिए जो सरकारी नौकरी पाने से पूर्व जूनियर सिविल कर्मचारियों की परीक्षा का संचालन करे। वर्तमान कॉलेज तो कल्पना से अधिक

कुछ भी नहीं है। बोर्ड से हमारा कार्य सतोषजनक रूप में चलेगा और व्यय भी कुछ न देगा—बल्कि और बचत होगी। देशी अध्यापकों की उपस्थिति भी निरर्थक है। बोर्ड जो स्थापना हो जाने पर परीक्षा-विधि बदली और फलदायक होगी—जो इस समय नहीं है। विश्वास किया जाता है कि बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव कोर्ट द्वारा अस्वीकृत नहीं ठहराया जायगा। बंगाल के लेप्रिटर्नेंट गवर्नर के रहने से वह नई आयोजना और भी सुचारू रूप से कार्य करेगी।<sup>१</sup>

इसके अतिरिक्त डलहौजी ने नई संस्था के विधान तथा अन्य अनेक विषयों पर विचार किया। बंगाल के सरकारी मंत्री, बीडम, ने विद्यार्थियों की कॉलेज-अवधि पर विचार किया। उनके ये विचार बंगाल के सरकारी उपमंत्री के २८ अक्टूबर, अन्य सरकारी १८५३ वाले पत्र के साथ मेजे दिए गए।<sup>२</sup> सरकारी उपमंत्री के इसी पञ्च-चबूद्धार पत्र के साथ बीडम के बनाए हुए परीक्षा-नियम भी मेजे गए।<sup>३</sup> १० नवंबर, १८५३ को भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट के स्थानापन्न मंत्री, जो० झाउडम, ने कॉलेज की तरकासीन अवस्था में सुधारों तथा बोर्ड की स्थापना पर एक नोट लिख कर मेजते हुए गवर्नर ( डलहौजी ) की मिनिट्स की ओर संकेत किया।<sup>४</sup>

कॉलेज संबंधी ये सभी समस्याएं भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट की सप्रीम कौसिल के नवंबर, १८५३ के अधिवेशन के सामने रखी गईं। सुप्रीम कौसिल के इस अधिवेशन में डलहौजी भारत के गवर्नर-जनरल की हैसियत से उपस्थित थे।

भली भाँति विचार करने के पश्चात् १६ नवंबर, १८५३ को गवर्नर-जनरल ने मिनिट्स पर अपनी स्वीकृति देते समय केवल यही लिखा कि बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मैंने जो कुछ लिखा है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं लिखना और मुझे आशा है कि मेरे सहयोगी भी मुझसे सहमत होंगे।<sup>५</sup> उसी दिन आँन० जे० ए० डोरीन ने अपनी स्वीकृति देते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख किया।<sup>६</sup> १६ नवंबर, १८५३ को आँन० जे० ल० ने अपनी स्वीकृति तो दी, किन्तु छः महीने की अवधि के संबंध में उन्होंने अपने संदेह प्रकट किए।<sup>७</sup> आँन० बी० पीकॉक और प्रधान सेनापति, सर डब्ल्यू० एस० गोम, के० सी० बी० ( उत्तर-पश्चिम प्रांतों में होने के कारण ) अनुपस्थित थे। इसलिए ये दोनों सज्जन अपने विचार प्रकट न कर सके।

<sup>१</sup> बही, नं० १६१०, ओ० सी० नं० ८, पृ० १८०-१८१

<sup>२</sup> बही, नं० १६१०, ओ० सी० नं० ६, पृ० १८२-१८३

<sup>३</sup> बही, ओ० सी० नं० १०, पृ० १८३-१८४

<sup>४</sup> बही, ओ० सी० नं० ११, पृ० १८४

<sup>५</sup> बही, ओ० सी० नं० १२, पृ० १८४-१८५

<sup>६</sup> बही, ओ० सी० नं० १३, पृ० १८५

सरकारी आशा से स्थानापन्न सरकारी मंत्री, जी० स्टाडउन, ने २५ नवंबर, १८५३ को एक पत्र बगाल के सरकारी मंत्री, वर्डन, को लिखा जिसमें उन्होंने बंगाल के सरकारी उपमंत्री के २२ नवंबर, १८५३ के पत्र<sup>१</sup> की प्राप्ति स्वीकार की और गवर्नर-जनरल की बंगाल के गवर्नर की मिनिट्स पर स्वीकृति देने की सूचना मेजी। इसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि गवर्नर-जनरल की आशानुसार मिनिट्स को कार्ड-स्प ये परिणत करने के लिए एक आयोजना तैयार की जाय। इसकी सूचना भारतीय सरकार तथा कोर्ट के डाइरेक्टरों को देने का आदेश भी उन्हें दिया गया। अन्य अनेक बातों के अतिरिक्त उन्हें अदालती और माली कागजों के मिलान वे लिए एक आलग कमेटी और एक दूसरी ऐसी कमेटी बनाने के लिए लिखा गया जिसमें कॉलेज के नत्कालीन परीक्षक हों। सरकार का उन्हें एक बोर्ड के रूप में रखने का विचार था। इस संस्था के सदस्य लिविल सर्विस (Covenanted Members) के कर्मचारी भी हो सकते थे। उत्तर-पश्चिम प्रांत, फ्लोर्ट सेंट जॉर्ज और बंबई को सरकारी के पास भी मिनिट्स और इस पत्र को नकले मेजी गईं।<sup>२</sup> होम डिपार्टमेंट के २५ दिसंबर, १८५३<sup>३</sup> के प्रस्तावानुसार बगाल सरकार के २२ नवंबर के पत्र और गवर्नर की मिनिट्स तथा अन्य आवश्यक बातों के संबंध में किए गए निश्चय की उन सभी स्थानों को सूचना देवानी गई।<sup>४</sup>

उनमें से केवल बंगाल के गवर्नर का आज्ञा-पत्र और बोर्ड का विधान कॉलेज तोड़ देने की ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पत्रों में बोर्ड के सदस्यों को उन्हें दिए गए पदों की सूचना मात्र है। बंगाल के गवर्नर का आज्ञा-पत्र केवल एक पक्ष में है :

The College of Fort William is abolished.

अर्थात्

मैं फोर्ट विलियम कॉलेज तोड़ने की आज्ञा देता हूँ।

इसके स्थान पर गवर्नर ने बंगाल सिविल सर्विस के नए कर्मचारियों के लिए फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी ( अहाते ) में प्रचलित भाषाओं के परीक्षा-सबधी नियम बनाए। कॉलेज के मंत्री और परीक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षक सर्विस की स्थापना की गई जिसका कर्तव्य नौकरी पर भेजने से पूर्व सिविलियन कर्मचारियों की भाषा-सबधी योग्यता धारित करना था।

बोर्ड ऑफ ऐज्जामिनर्स में गवर्नर ने एक सभापति, अनिश्चित सख्ता में पदहेतुक अथवा अन्य सदस्य और एक मंत्री ( जो बोर्ड का सदस्य भी हा ) रखने की व्यवस्था की

और सभापति को उपलभिति निर्माण करने का अधिकार दिया। बोर्ड ऑफ ऐज्जामिनर्स उन्होंने बंगाल के प्रत्येक सिविलियन कर्मचारी को भारतागमन पर की स्थापना, उसका बोर्ड के मंत्री को सूचित करने और तत्कालीन बंगाल तथा बिहार विधान और चाल्यकाम ( Lower Provinces ) के लिए बैठका और उद्दू, तथा

उत्तर-पश्चिम प्रातों और पंजाब के लिए फ़ारसी और हिंदी में योग्यता प्राप्त करने का अनिवार्य नियम रखा। भारत आने पर इट्टफ़र्ड में प्राप्त भाषा-संबंधी शिक्षा की दुबारा परीक्षा लेने, प्रत्येक मास के प्रारम्भ में एक सामान्य परीक्षा तथा बीच-बीच में भी परीक्षा लेने, प्रारंभिक सामान्य परीक्षा के बाद त्रैमासिक परीक्षा के समय तक अथवा उससे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को एक भाषा की योग्यता-परीक्षा में सफल होने, पहली त्रैमासिक परीक्षा के तीन मास बाद दूसरी भाषा की परीक्षा में असफल रहने पर विद्यार्थी को देश के किसी भीतरी भाग के सरकारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में रहने और वहाँ पर भी उसे अपना अध्ययन जारी रखने का उन्होंने विधान रखा। किंतु प्रारंभिक परीक्षा के बाद अठारह महीने के अन्दर दोनों भाषाओं में योग्यता प्राप्त न कर सकने पर कर्मचारी को नौकरी से अलग कर दिया जा सकता था। उन्होंने ऑनर्स परीक्षा के संबंध में एक भाषा के लिए बारह महीने और दो या अधिक भाषाओं के लिए अठारह महीने की अवधि निश्चित की।

(४) डॉ० ए० हेंटर और रेब० क० एम० बनजी के बास पत्र, २४ जनवरी, १८५४, नं० क्रमांक: १२५, ३६।

(५) फोर्ट विलियम कॉलेज के मंत्री के बास पत्र, २४ जनवरी, १८५४ नं० १२२।

(६) उत्तर-पश्चिम प्रांतों के सरकारी मण्डी के बास पत्र, ८ जनवरी, १८५४,

किसी भी कर्मचारी के साठ महीने के अंदर एक भाषा में 'सार्टिकिलेट और हाई प्रौफीशैंसी' की उपाधि प्राप्त करने में असमर्थ रहने पर दूसरी भाषा में आँनस उपाधि प्राप्त करने को आज्ञा नहीं मिल सकती थी। आँनस के लिए उन्होंने पहली भाषा प्रदेश विशेष की भाषा रखती, जैसे, बंगाल के लिए बंगला और उत्तर-पश्चिम प्रांतों और फ़जाब के लिए हिंदी या उर्दू। निश्चित अवधि पूर्ण करने के बाद कर्मचारी किसी भी प्राचीन मूल अथवा जीवित भाषा का अध्ययन कर सकता था। विभिन्न भाषाओं में योग्यता प्राप्त करने की कसौटी इस प्रकार रखती गई :

१. निम्नलिखित पुस्तकों से लिए गए उद्धरणों का दुरंत और ठीक-ठीक अर्थ बताना :<sup>1</sup>

उर्दू—‘बासोबहार’ और ‘इख्वानुस्सफ़ा’

हिंदी—‘प्रेमसागर’

२. परीक्षा-पुस्तकों से न लिए गए किसी उद्धरण का ठीक-ठीक सरल विवरणात्मक ढंग से अँगरेजी में अनुवाद करना।

३. सरल विवरणात्मक ढंग से स्पष्ट और व्याकरण के नियमानुसार अँगरेजी पत्र का उस भाषा में अनुवाद करना जिसमें परीक्षा ही जा रही हो।

४. अँगरेजी वाक्यों का अनुवाद करना।

हाई प्रौफीशैंसी की परीक्षा के लिए निम्नलिखित क्रम रखता गया :

१. ( योग्यता परीक्षा के नं० १ के समान )

हिदुस्तानी या उर्दू—१. ‘बासोबहार’

२. ‘इख्वानुस्सफ़ा’

३. ‘गुल-इ-बकाबली’

४. ‘वैताली पञ्चीसी’

हिंदी—१. ‘राजनीति’

२. ‘प्रेमसागर’

३. ‘ब्रज ( १ सभा ) विलास’<sup>2</sup>

२. योग्यता परीक्षा की भाँति अँगरेजी से और अँगरेजी में अनुवाद करना, किन्तु अधिक कठिन पत्रों से और ठीक-ठीक मुहावरों और भाषा में।

आँनस की उपाधि के लिए निम्नलिखित क्रम रखता गया :

१. ( योग्यता परीक्षा के नं० १ के समान )

हिदुस्तानी या उर्दू—१. ‘बासो बहार’

२. ‘इख्वानुस्सफ़ा’

३. ‘खिर्द अफ़रोज़’

<sup>1</sup> फ़रसी, अंग्रेजी और स्कॉट के परीक्षा-क्रम का यही अन्तर नहीं लिया गया।

४. 'कुल्लियात-इ-सौदा'

५. 'प्रेमसागर'

हिंदी—१. 'प्रेमसागर'

२. 'सभा विलास'

३. तुलसी कृत 'रामायण'

४. 'बासोवहार'

२. पाठ्य-पुस्तक छोड़ कर अन्य किसी कठिन पुस्तक से गच्छ और पद्धति के चुने हुए दो अवतरणों का अँगरेजी में ठीक-ठीक अनुवाद करना।

३. अँगरेजी के किसी कठिन अवतरण का ठीक-ठीक, परिभार्जित और सुव्यवस्थित शैली में नितांत शुद्ध वाक्य-योजना सहित और व्याकरण के नियमानुसार अनुवाद करना।

४. देशी भाषाओं में ठीक-ठीक और धारा-प्रवाह बात करना।

डिग्री ऑफ ऑफिसर की परीक्षा का उद्देश्य परीक्षार्थियों के वास्तविक गुणों और उनको प्रतिभा से परिचय प्राप्त करना था। अतएव इस संबंध में उनसे सौखिक और लिखित परीक्षाओं में पूर्ण ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत करने की आशा की गई।

इन नियमों के अतिरिक्त बोर्ड के विधान में पुरस्कार, अनुशासन, पुस्तकालय आदि विषयक नियम भी रखे गए। 'विद्यार्थी' अपने अध्ययन की भाषा जानने वाला एक मुश्ती या पंडित रख सकता था। 'विद्यार्थी' से लिया हुआ प्रभाषण-पत्र दिखाने पर ही मुश्ती या पंडित को बोर्ड का मंत्री बैतन दे सकता था। किन्तु ये मुश्ती या पंडित वे ही लोग हो सकते थे जिनकी बोर्ड परीक्षा ले चुका हो और फलतः जिन्हें पहले बोर्ड की ओर से योग्यतासूचक प्रमाण-पत्र मिल चुका हो। चार विद्यार्थियों के लिए एक महीने में एक मुश्ती या एक पंडित से अधिक मुश्ती या पंडित रखने का नियम नहीं था। सुशियो और पंडितों के लिए अँगरेजी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। देश के भीतरी भागों में कलक्टर भी मुश्ती या पंडित चुन कर बोर्ड के मत्रा के नाम में बैतन दे सकता था।<sup>1</sup> निम्नलिखित व्यक्ति बोर्ड के पदाधिकारी नियुक्त किए गए:

सभापति—सर रॉबर्ट बालों, सदर अदालत के जज

सदस्य—ए० जे० एम० मिल्स (Milles)

एच० सिकेट्स

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य

पदहेतुक सदस्य—सी० बी० ट्रैवर

ए० ग्रोट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के व्यानापत्र मंत्री

पदहेतुक सदस्य—सी० टी० बक्लैड, सदर अदालत के रजिस्टर

पदहेतुक सदस्य—लेफ्टिनेंट इब्ल्यू० एन० लीज़ (Lees), ब्यालीसवाँ रेजीमेंट,  
नेटिव इन्फैट्री

अंग्रेज़ नज़ारे एवं लैप्पेंट, एम० डी०

मौनवी मुहम्मद वाजिब

ए० ईश्वरचन्द्र शर्मा, और

रन० कुल्युकुमार बनजी<sup>१</sup>

मंत्री—रोफिल्ड डब्ल्यू० एन० लीज, व्यालोसवाँ रेखीय, नेत्रिय इन्फैट्री<sup>२</sup> ।  
वगाल के सरकारी मंत्री, नो० शीडन, ने इन सर्वी सउन्नो तथा मिहिल आँडाश्र  
को २४ जनवरी, १८५४ को नियमानुसार सूचना भेज दी।<sup>३</sup> कॉर्टेज के मंत्री को लिखते  
समय उन्होंने उनके कुछ पत्रों का भी उल्लंघन कर दिया था।<sup>४</sup>

<sup>१</sup> चहोरी, पृ० २४४

<sup>२</sup> न० २३७

<sup>३</sup> चहोरी, पृ० २४५-२४६

पत्र न० ३३७, २३ अक्टूबर, १८५४

२०, १० अक्टूबर १८५४

१८५, १५ अगस्त १८५३

## उपसंहार

भारत में शैक्षणिक राज्य और आधुनिकता के प्रतीक-स्वरूप कॉर्ट विलियम कॉलेज का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी राज्य का नोबद्ध करने में तो उसने याग दिया है, किन्तु शिक्षा एवं साहित्य संबंधी ज्ञेन्मे मी भारतीय इतिहास ऐसा हुमागढ़ित आप कन्द्रीय रूप से का निर्माण भारत में पहला कभी न हुआ था। वेलंज़ली का मूल बृहत् अंगोजना के अनुसार ही यदि कॉलेज की स्थापना हो जाती तो निरसदैव बहु ससार की एक महान संस्था के रूप में स्मरण किया जाता। वेलंज़ली की आर्थिक नीति से असनुष्ठान कार्ट के डाइरेक्टरों ने उसे केवल बगाल संमिनर के रूप में रहने दिया किन्तु इस छोटे से रूप में उसने जो कार्य किया वह ही उसे गौरव प्रदान करने के लिए यथेष्ट है।

कॉलेज के आश्रय में रह कर अनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वानों ने चीनी तथा अन्य पूर्वीय भाषाओं में ही नहीं बरन् अरबी, फ़ारसी, आर सस्कृत, बंगला, मराठा, हिन्दुस्तानी, तामिल, पञ्जाबी आदि भारत की विभिन्न भाषाओं में कोष कॉलेज का भारतीय व्याकरण इतिहास, काव्य, धर्मशास्त्र, आईन, धर्म, अर्थशास्त्र, विज्ञान, साहित्यों के इतिहास राजनीति, आदि विविध विषय संबंधी मूल तथा सस्कृत, फ़ारसी और में महत्व आरबी से अनुवाद ग्रथ प्रस्तुत किए। प्राचीन कवियों की रचनाओं का अध्ययन और उनका सुधरे रूप में समादन भी कॉलेज के साहित्यिक जीवन का प्रधान अग्र था; मूल रचनाओं के द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं के मध्य और पूर्व साहित्य की अनेक नए-नए विषय, मावा और शब्दों के प्रचार से बृद्धि हुई। प्रेस का सहायता से इस नए साहित्य का—प्रवान रूप से मध्य साहित्य का—प्रचार आर भी तात्र गति से हुआ। कॉर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले भारतीय भाषाओं में प्रायः सरकारी नाटिक आर विज्ञान इ. अंग्रेजों पक्ष में प्रकाशित हुआ करत थ। कॉलेज में भारतीय साहित्य का प्रस से सबध स्थापित हुआ और आधुनिकता का जड़ जमी। पर आधुनिकता विभिन्न कोष, व्याकरण, आदि जैसी रचनाओं तथा तुलसी, विहारी और निवाज को रचनाओं के प्रकाशन के अतिरिक्त याइप और विराम-चिन्ह प्रस्तुत करने में भी है। इस दृष्टि से भा कॉलेज का भारत को आधुनिक भाषाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्हीं कारणों से भारत के कई साहित्यों के इतिहास-यथों में उसका उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है।

लक्ख्यलाल और सदल मंत्री की रचन आ के नारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन का ठेठ से क्य जा है उल्लेख करना आवश्यक मी है साथ ही कौन

विदेशी तथा उनके आधार पर भारतीय विद्वानों के कथनादुसार कॉलेज और हिंदी कॉलेज में आधुनिक हिंदी भाषा और गद्य का भी जन्म हुआ। यह साहित्य एक ऐसा कथन है जिसके आधार पर अब तक के इतिहास लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास में कॉलेज का अर्थत् महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित करते आए हैं, किंतु कॉलेज के इतिहास का अध्ययन कर लेने के बाद इस विषय पर अब फिर से विचार करने को आवश्यकता है।

फ्रोर्ड विलियम कॉलेज का हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में क्या महत्व है, इस संबंध में दो बातें प्रधान रूप से विचारणीय हैं, पहली बात गद्य-ग्रंथों की है, और दूसरी बात भाषा की। हिंदी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि उच्चीसवीं शताब्दी से पूर्व काव्य का एकाधिपत्य रहते हुए भाष्ट्रीय में समय-नमय पर गद्य लिखा जाता रहा है। ब्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ीबोली गद्य की एक क्षीण धारा सदैव हमारे साहित्य में विद्यमान रही है। ये गद्य रचनाएँ स्फुट रूप में ही नहीं बरन् स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में भी मिलती हैं। उच्चीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तथा उसके द्वासप्ताश विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण खड़ीबोली और उसके गद्य को प्राप्ताद्वय भला और ब्रजभाषा तथा राजस्थानी का हार ग्रारम हुआ। इसके उच्चीसवीं शताब्दी अथवा फ्रोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना से पूर्व हिंदी में गद्य-ग्रंथ विद्यमान थे। दूसरी बात यह कही जाती है कि लल्लूलाल और सदल मिश्र से पहले किसी ने खड़ीबोली में गद्य-रचना का निर्माण नहीं किया था। किंतु यह कथन भी निमूल है। लल्लूलाल और सदल मिश्र से पूर्व अनेक लखका के अतिरिक्त रामप्रसाद निरंजनी, दोलतराम और सदासुखलाल खड़ीबोली में ग्रथ-रचना कर चुके थे। इसलिए कॉलेज के सरक्षण में निर्मत हुए खड़ीबोली गद्य-ग्रंथों से पूर्व हिंदी में खड़ीबोली गद्य-ग्रंथ का रचना हो चुकी थी। इस सबध में कॉलेज ने हिंदी साहित्य में काई नवीनता उत्पन्न नहीं की।

ग्रंथों के सबध में विषय की वृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। लल्लूलाल द्वारा निर्मित ग्रंथों में हमें ‘शकुंतला’ (नाटक), ‘माधोनक्ष’, ‘चिह्नासन बत्त सी’, ‘चैताल पञ्चीसी’, ‘राजनीति’, ‘प्रेमसागर’, ‘समा विलास’, ‘नक्लियात या हिंदी गद्य-परपर में लतायक-इ-हिंदी’ और ब्रजभाषा व्याकरण का, और सदल मिश्र कृत लखलाल और सदल ग्रंथों में ‘नासिकेतोभर्ण्यान या चंद्रावती’ और ग्रध्यात्म रामायण मिश्र : विषय के खड़ीबोली अनुवाद का उल्लेख मिलता है। लल्लूलाल के पहले चार ग्रंथ उनकी स्वतंत्र रचनाएँ नहीं हैं। मञ्जहर अली खाँ विला और काजिम अली जवौ की सहकारिता ने उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। यद्यन मुसलमान मुशा ब्रजभाषा से पाराचर नहीं थे लल्लूलाल स्वयं रखता या उद्दृष्ट ग्रंथ दस रुप २३९८ दृश्य नुवड़वाय म दला अर जवौ की सहयता की

थी। चारण ग्रंथ हैं भी रेखता मे न कि हिंदी में। 'राजनीति' हितोपदेश का ब्रजभाषा अनुवाद है। 'प्रेमतांगर' मारावत के दशम स्कृप्त का खड़ीबोली अनुवाद है। 'नक्तियात' संग्रह ग्रंथ है। इसलिए यह ग्रंथ हमारे लिए अविक महत्व नहीं रखता। अस्तु, विषय की दृष्टि से लल्लूलाल कोई नवीन ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते अर्थात् राजप्रसाद निरंजनी, दौलतराम और सदासुखलाल की भाँति ही लल्लूलाल के ग्रंथ भी चिरपरिचित पौराणिक और संस्कृत साहित्य से अनूदित विषय लेकर ही हमारे सामने आते हैं। सदल मिश्र के खड़ीबोली ग्रंथों के सबध मे भी यही कहा जा सकता है। उनका विषय भी कोई नवान दृष्टिकोण उपस्थित नहीं करता। विषय की दृष्टि से तो इंशा का अविक महत्व है। चारण काल मे जो स्थान अमीर खुसरो का था, वही स्थान उन्नीसवीं शताब्दी मे गद्य साहित्य के इतिहास मे इंशा का सामना चाहिए। दोनों ही ने चिरपरिचित साहित्यिक रूपों से पृथक् अनोरजक साहित्य की दृष्टि की। विषय की दृष्टि से लल्लूलाल के ब्रजभाषा व्याकरण का महत्व अद्वय भाव्य है 'राजनीति' का तो भाषा की दृष्टि से भी कोई विशेष स्थान नहीं माना जा सकता। 'सभाविलास' के बल एक संग्रह ग्रंथ है।

तात्पर्य यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और लल्लूलाल तथा सदल मिश्र की रचनाओं से पहल हिंदी मे गद्य-ग्रंथ थे, खड़ीबोली मे गद्य-ग्रंथ थे, और विषय

'विद्या मृदुलियम मे 'शुकुंतला नाटक' और 'किस्सा माधोनज कामकद्वाला' की जो दृस्तद्विजित पोथियों सुरक्षित हैं उनमें भाषा का यह रूप है:

झुशा का नाम जे पहले झुशों पर

जदा किर दिल को अपने दास्तों पर

परी हो या हुंसान किसी को क्या जग जो हृसके शाहिद हुम्द  
ओ सना के हुस्न ओ जमान पर कर सके जिगाह कमान ..'

— 'शुकुंतला नाटक', फूरसी लिपि मे

'हम्द आ सना वे पायाज जायक उस अक्षरीदीवार के है कि ..'

— 'किस्सा माधोनज कामकद्वाला', फूरसी लिपि मे

ये होलों ग्रंथ नागरी लिपि मे भी प्रकाशित हुए थे, बिना नागरी संस्कृतों के सबध मे अभी निरचित रूप से छुक नहीं कहा जा सकता। सभवतः नागरी और फूरसी लिपियों मे प्रकाशित दोनों संस्कृतों की भाषा समान हो, जैसा का विभिन्न कथनों से अनुमान जगाया जा सकता है। फूरसीलियर (१७१३-१७१६) के षुक सेनापति फिला खाँ के पुत्र नूजे खाँ की आज्ञा से विजाज कबीश्वर ने कालिदास के ग्रंथ का ब्रजभाषा मे अनुवाद किया था। गिलक्राइस्ट की आज्ञा से उसी ग्रंथ का हिंदुस्तानी वा रेख्ता मे वाङ्मय अली 'जाँ' ने अनुवाद किया। जल्लूबाल की सहायता हे उन्होंने ग्रंथ का संशोधन किया था। मोतीराम कबीश्वर की ब्रजभाषा रचना 'मालवान-कामकद्वाला' का अनुवाद महाशूर अली खाँ 'विजा' वे लल्लूबाल की सहायता से हिन्दुस्ताना रेख्ता मे किया

भी वही थे इसलिए यह कहना कि फ्राँ चिलियम कॉलेज में ही खड़ीबोली हिंदी गद्य का सर्वप्रथम शिलान्यास हुआ युक्ति-सामन नहीं है।

भाषा के संबंध में दो बातें कही जाती हैं। एक तो यह है कि कॉलेज से पहले खड़ीबोली में कोई रचना नहीं थी, और दूसरे यह कि लल्लूलाल ने गिलकाइस्ट की आज्ञानुसार अरबी-फ़ारसी शब्द निकाल कर आधुनिक संस्कृत-गमित हिंदी को जन्म दिया अधिक वित्तार से न जाकर यहाँ इतना कह देना काफ़ी है कि रामगणाद निरजनी आर दोलतराम इन दोनों ही ग्रामियों का एक साथ निराकरण करते हैं। हाँ, लल्लूलाल के 'यामिनी भाषा छोड़ शब्दों ने आगे चल कर दो विचारधाराएँ उत्पन्न कीं और वे दोनों विचारधाराएँ घ्रमधूर्ण हैं। आधुनिक काल में 'हिंदुस्तानी' या अरबी-फ़ारसी शब्दावली से युक्त खड़ीबोली के

पूर्णांशुओं का यह कहना एक लल्लूलाल ही ने अरबी-फ़ारसी शब्दों का विहिष्कार कर आधुनिक संस्कृत गमित हिंदी को जन्म दिया, अन्यथा ऐसी हिंदी का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, और, दूसरी ओर, हिंदी लेखकों का यह विचार कि अरबी-फ़ारसी तथा अन्य आधुनिक विदेशी—प्रचलित अथवा अप्रचलित—शब्दों का विहिष्कार कर ही शुद्ध हिंदी लिखा जा सकती है, लल्लूलाल के शब्दों के कानून ही है। वास्तव में गिलकाइस्ट की आज्ञानुसार उन्होंने 'प्रेमसामर' की उस भाषा में रचना की जो मुसलमानी आक्रमण से पहल दिन जनता में प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत तत्व ही प्रधान था और जो 'हिंदुस्तानी' या उदूँ का प्रधान आधार था। इसीलिए प्रेमसामर भाषा पर 'भास्त्र' का भी इतना प्रभाव है, लल्लूलाल का यह ग्रथ न केवल विषय की हृषि से, (क्योंकि सदल मिश्र के ग्रंथ की अपेक्षा इससे विद्यार्थियों को हिंदू अचार-विचार का अच्छा परिचय मिल सकता था) वरन् भाषा का हृषि भी प्रधानसः कॉलेज के विद्यार्थियों के लाभार्थी था—दूसरे शब्दों में, उन्हे 'हिंदुस्तानी' पर उदूँ की आधार-स्वरूप भाषा का ज्ञान करने के लिए। इससे अधिक प्रेमसामर भाषा का कोई विशेष महत्व नहीं था। उसकी रचना एक विशेष हृषिकोण से हुई थी। उच्चीसंवी शाताव्दी उत्तरार्द्ध में भारतेन्दु ने हिंदी की जारीय शैलों का दिग्दर्शन कराया। किन्तु लल्लूलाल के शब्दों का प्रभाव अभी तक दूर नहीं हुआ।

प्रश्न यह है कि स्वयं कॉलेज ने खड़ीबोली के किस रूप को आश्रय दिया। इस सबध में विचार करने से पूर्व दो बातें तो निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए। एक

यह कि कॉलेज की स्थापना शासन-संबंधी और सैनिक हृषि से हुई कॉलेज में प्रयुक्त था। दूसरे यह कि कॉलेज में फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों किपि और भाषा : प्रहरण की गईं। फ़ारसी लिपि का तो उस समय प्रचार था ही।

किपि नागरी लिपि का व्यवहार नैपाल, कुमार्य, गढ़वाल, राजस्थान, बुद्धेलखण्ड, आदि के राजकीय कार्यों तथा देशी महाजनों के कारबार में होता था कैथी लिपि और नागरी लिपि में कोई विशेष अतर नहीं था स्वयं गिलकाइस्ट रामन किपि के पच्चाती ये और इस सबध में उन्होंने प्रयोग भी किए

फोटो विविधम कॉलेज में रचित ग्रंथों में से इटो भाषा एवं साहित्य की दृष्टि में लल्लूलाल और सदल मिश्र के ग्रंथों का भहतव है। कॉलेज के पठन-पाठन और उसकी

भाषा-नीति की दृष्टि से जॉन वोर्थविक गिलकाइस्ट के ग्रंथ ही

भाषा : भाषा के विचारणीय हैं, विश्वासी भाषा, टेलर, और प्राइस में से टेलर और अध्ययन की दृष्टि से प्राइस के कोपों के अतिरिक्त उनमी किसी ऐसी कृति का उल्लेख गिलकाइस्ट के ग्रंथों नहीं मिलता जो हमारे विषय के संबंध रखती हो। बास्तव में ग्रंथ का महत्व रचना की दृष्टि से गिलकाइस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रधाना ध्यापक का नाम उल्लेखनीय भी नहीं है।

लल्लूलाल और सदल मिश्र के ग्रंथों पर भाषा और विषय की दृष्टि से संक्षेप में विचार किया जा सकता है।

जिस समय गिलकाइस्ट भारतवर्ष आए उस समय कपनी फ़ारसी भाषा का प्रयोग करती थी। उच्च पदाधिकारियों की सुविधा के लिए दुधापिर रखते जाते थे। किन्तु गिल-

काइस्ट ने फ़ारसी के स्थान पर हिंदुस्तानी का चलन अधिक देखा।

इसलिए उन्होंने कपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी भाषा का प्रचा-करना आवश्यक समझा। सबसे हिंदुस्तानी का अध्ययन कर लेने के

बाद कर्मचारियों को सुविधा के लिए उन्होंने कई ग्रंथ बनाए। उनमा

सबसे पहला ग्रंथ 'ए डिपशनरी, हैंगलिश एंड हिंदुस्तानी' ( १७६७-१७६० ) है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में विस्तृत भूमिका है जिसमें उन्होंने कोष के निर्माण की कहानी दी है और भाषा-सबधी विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद हिंदुस्तानी शब्दों का अँगरेजी से अर्थ है। हिंदुस्तानी शब्द-संख्या का अधिकांश अरबी और फ़ारसी भाषा आ से लिया गया है, यद्यपि कहान-कहीं लेखक ने अरबी-फ़ारसी शब्दों के पर्यायवाची सरल 'हिंदवी' शब्द भी दे दिए हैं। कोप प फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। १७६८-१७६८ में गिलकाइस्ट कृत 'ए प्रेमर और्व दि हिंदुस्तानी लैग्वेज' नामक रचना प्रकाशित हुई। इस व्याकरण के सिद्धांत तो 'हिंदवी' पर आधारित हैं, किन्तु और सब बातें हिंदुस्तानी ( या उदू' ) की हैं। उदाहरण के लिए, छंद उन्होंने 'फ़ाइलुन', 'फ़ाइलानुन', 'मफ़ाइलुन', 'फ़ाइलात', आदि लिखे हैं। कारसी या अरबी लिपि के उन्होंने 'नस्तालीक़', 'नस्तू', 'शिकस्तआमेज़', 'शिकस्ता', 'शफ़ोअ' और 'शुल्स' भेदों का उल्लेख किया है। परि भाषिक शब्दावली अरबी-फ़ारसी या उदू' से प्रहरण का गई है। उद्धरण उदू' साहित्य से लिखा गया है और बल्ली, दर्द, ताबौ, मिस्कीन, अफ़ज़ल, जुरत, मीर, सोदा, वेदार, आदि की हिंदुस्तानी कवियों में प्रधान रूप से गया है। १७६८ में 'दि इडीमेट्स और दि हिंदुस्तानी टम' ( हिंदुस्तानी भाषा की मूल बातें ) नामक एक छोटा-सा ग्रंथ भी शामिल है। इसका अतिरिक्त साहचर्य के लिए हिंदुस्तानी में 'डायलौग्ज़' ( चातचीत ), 'मिलिट्री टम्प्स' ( फ़ौजी शब्दावली ), 'आर्टिकिल्स और वार' ( फ़ौजी कानून ), 'टेलस ऐड ऐनेकडोट्स' ( किसे कहानियाँ ) 'ओडस ( कविताएँ ), रेखता और राज्ञि के रूप में हिंदुस्तानी रसात के उदाहरण दिए गए हैं 'चौकैन्यूलरी इंग्लिश ऐड दिदस्त न ( अगरेक

हिंदुस्तानी शब्दावली, १९६८ आर १८०२ ताल नाम संस्करण में १८०२ के संस्करण में पारमापक शब्द, हिंदुस्तानी गणता, दिन, आदि कुछ नए विषय के अतिरिक्त कुछ नई कविताएँ आर कहानयाँ भी जोड़ दी गई हैं। उदाहरणों की भाषा में ‘सोमा’, ‘निर्बल’, ‘चतुर’, ‘कठिन’, ‘लगभग’, ‘लज्जाना’, ‘पात’, ‘नगर’, आदि शब्द अवश्य मिल जाते हैं, किंतु अधिकांश शब्द अरबी-फ़ारसी या उदू के हैं। क्रिस्से-कहानियों की भाषा में प्रयुक्त हान के कारण ये शब्द सरल अवश्य हैं, यद्यपि कठिन शब्दों का विलक्षण अभाव नहीं है। लाक्ष्य-विन्यास भी उदू का है। १८०२ के संस्करण में ऑगरेजी पारिभाषिक शब्दों का हिंदुस्तानी अनुवाद इस प्रकार किया गया है : Abbreviation = इंजिंटिसार, Abstract = खुलासा या इतिखाव, Accusative = मरूल, Adjective = सिफ़त, Adverb = इक्फ़ जर्फ़ या तमीज़, Adverb of time = ज़मान, Adverb of place = ज़फ़ौ मुकान, Allegory = मजाज़, Article = इफ़ या इस्म, Case = हालत, Compound = मुख्कक, Declinable = मुतसिरिक, Future = इस्तक्कबाल या मुस्तक्कबिल, Grammar = सक्त-ओ-नहीं या कायदा कवानीन, Hyperbole = मुवालसा, Plural = जमा, आदि। १८०२ से प्रकाशित, ‘दि स्ट्रे जर्स इस्ट इडियन गाइड’ हिंदुस्तानी व्याकरण है। इसी वर्ष प्रकाशित ‘दि हिंदी डाइरेक्टरी’ भी हिंदुस्तानी व्याकरण है, किंतु ‘गाइड’ से कुछ थोड़ा-सा अन्तर है। १८०२ में ही प्रकाशित ‘दि हिंदी मनुष्यल’ गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है, किंतु कॉलेज के हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के लिए प्रधानतः सरकारी आश्रय या ऐसे हिंदुस्तानी कवियों और मुशियों की रचनाओं के चुने हुए अशो का संग्रह है—मीर बहादुर अली कृत ‘अख्लाक़-इ-हिंदी’, मीर अब्दुल्ला कृत ‘भर्सिया’, जबौं और लल्लूलाल कृत ‘सिद्धामन बलीसी’, विला और लल्लूलाल कृत ‘माधोनल’, जबौं और लल्लूलाल कृत ‘शकुंतला नाटक’, निला और लल्लूलाल कृत ‘वैताल पञ्चीसो’, मीर इंदर बख्श कृत ‘दोता कहानी’, मीर अम्मन कृत ‘बाज़ोबहार’, मीर बहादुर अली कृत ‘नख-इ-बेनजीर’, और मीर शेर अली कृत ‘बाज़-इ-उदू’। इन रचनाओं को विभिन्न शंखियों का संग्रह गिलकाइस्ट ने विद्यार्थियों के लाभ के लिए किया था। १८०२-१८०३ में प्रकाशित ‘नक्कलियात-इन-हिंदी’ या ‘दि हिंदी स्टोरी ट्रेलर’, दो जिल्द, में गिलकाइस्ट ने बड़े मनोरजक ढंग से हिंदुस्तानी भाषा में लिखित विभिन्न कहानियों तथा अन्य रचनाओं के भाव्यम द्वारा रोमन, फ़ारसी और नागरी लिपियों का तुलनात्मक उपयोगिता प्रदर्शित की है। इस बंध की दूसरी जिल्द का द्वितीय संस्करण १८०६ में प्रकाशित हुआ। १८०३ में प्रकाशित ‘दि हिंदी मोरल प्रीसेप्टर’ या ‘अतालीक इ-हिंदी’ में फ़ारसी-विद्वान् के हिंदुस्तानी सीखने के लिए और हिंदुस्तानी जानने वाले के फ़ारसी सीखने के लिए सरल व्याकरण है। यह गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है। उनकी अथवाता में हिंदुस्तानी विभाग के देशों विद्वानों द्वारा अनुवाद, संग्रह, आदि के रूप में ग्रन्थ निर्मित हुआ था। इसी वर्ष प्रकाशित ‘दि ऑरिएटल फ़ैब्यूलिस्ट’ भी गिलकाइस्ट की मौलिक रचना नहीं है। यह विभिन्न देशी विद्वानों द्वारा हिंदुस्तानी, फ़ारसी अरबी, ब्रजभाषा, बंगला आर संकृत भाषाओं तथा रोमन लिपि म अनुदित इसपर उथा अगरेजी भाषा से ला हुह अन्य अनक पुराना कहानियों का

बिद्वार्थीयों के लापार्थ सम्रांश्य है। १८०४ में प्रकाशित 'दि हिंदी-रोमन और—थीपीयैक्सीकल अल्ट्रोमेटम' में शकुंतला की कहानी द्वारा गिलक्राइस्ट ने पूरी ओर रोमन लिपियों की दुलनात्मक उपयोगिता दिखाई है। १८८१ में गिलक्राइस्ट के लिपि-संवेदी प्रयास रोमन लिपि की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए थे। इन मुख्य-मुख्य ग्रंथों के अतिरिक्त लल्लूलाल कुत 'प्रेमपागर' की भाँति अन्य अनेक ग्रंथों को रचना गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में हुई जिससे हमारा कोई भवन नहीं है।

इन ग्रंथों में से 'डिक्शनरी', 'ग्रेमर', 'लिपिव्हस्ट', 'दि स्ट्रोन्ड ईस्ट इंडियन गाइड', 'दि हिंदी डाइरेक्टरी', नक्कालियात-इंहिंदी प्रा दि हिंदी स्ट्रीटरी टैलर' और 'दि हिंदी-रोमन और थीपीयैक्सीकल अल्ट्रोमेटम' ही गिलक्राइस्ट की मालिक रचनाएँ हैं, अन्य सभी सम्रांश्य हैं। गिलक्राइस्ट के विचारों की विष्णि से प्रथम तीन ग्रंथ तथा ऑरिएशन सेमिनरी का प्रथम 'जन्मल' (१७८६) सभमें आधिक महत्वपूर्ण हैं।

गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी विचारों तथा उनके दिए हुए उदाहरणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका हिंदुस्तानी से उस भाषा से नापर्य था। जिसके

व्याकरण के सिद्धात, क्रिया-रूप, आदि नो हलहैड द्वारा कही जाने

गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी वाली विशुद्ध या मालिक हिंदुस्तानी ('प्र्यंग और आंप्रिजनल हिंदुस्तानी'), और स्वयं उन्हीं की शब्दावालों में, 'हिंदी' ग

विचार 'बृजभाषा' के आधार पर स्थित थे, तकिन जिसमें अरबी-फारसी के संशो-शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग रहता था। यह भाषा केवल वे

हीं हिंदू और मुसलमान बोलते थे जो पढ़े लिखे थे, और जिनका संवंध राज-दरबारी तथा कच्छरियों से था, या जो सरकारी नौकर और उच्च श्रेणी के थे। लिखने में फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। हिंदुस्तानी का उन्होंने 'हिंदी', 'उट्टू', 'उर्दु' और 'रेखां' भी कहा है। इनमें से केवल 'हिंदी' शब्द ही ऐसा है जो साइंसियों के दिमाश में उल्लंघन पैदा कर सकता है। गिलक्राइस्ट ने 'हिंदी' का 'हिंद की' के अर्थ में प्रयोग किया है, जो बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तानी भी हिंद की भाषा थी। गिलक्राइस्ट ने 'हिंदी' शब्द का अपने विचारानुसार हिंदुस्तानी के अर्थ में ही प्रयोग किया है। प्राइस ने निश्चित रूप में 'हिंदी' शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया। किन्तु गिलक्राइस्ट ने 'हिंदी' के स्थान पर 'हिंदुस्तानी' शब्द इसलिए परांद किया ताकि 'हिंदी' 'हिंदु' (जिनका ठेठ हिंदी, 'पाला' और 'लहीबोली' अर्थ में प्रयोग होता था) और 'हिंदी' शब्दों से, जो बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, कोई गङ्गजङ्गी पैदा न हो सके। 'हिंदी' को वे केवल हिंदुओं का भाषा मानते थे। मुसलमानी आक्रमण से पहले यही भाषा उत्तरी भारत में प्रचलित थी, जो नागरी लिपि में लिखी जाती थी, जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता था, और जिसके आधार पर हिंदुस्तानी का भवन खड़ा हुआ था। इस प्रकार हिंदी और हिंदुस्तानी के मेद के बाद गिलक्राइस्ट ने तान प्रचलित शैलियाँ निर्धारित की—(१) दरबारी था फारसी शैली, (२) हिंदुस्तानी शैली, और (३) हिंदी शैली। फारसी शैली के दुसरे होने और सर्वसाधारण की समझ में न आ सकने के कारण उन्हें अग्राह्य थी हिंदी शैली की (जो जनसाधारण में सबसे

प्रधिक समझी जाती थी ) व गवारू कह कर पुकारते थे उन्हें सिफ़ै हिंदुस्तानी शैली पसद आई जो, उनके मतानुसार, हिंदुस्तान के महान् लोकमिय बोली ( द ग्रैड पाप्युलर स्पीच आव इंदुस्तान ) था। इस शैली में दब्ता प्राप्त करने लिए फ़ारसी भाषा और लिपि का ज्ञान अनिवार्य था (कॉलेज में फ़ारसी और हिंदुस्तानी का सदैव गठबंधन रहा)। वे स्वयं तो रोमन लिपि के कट्टर पद्धपाती थे, किन्तु फ़ारसी लिपि के वे अधिक विरोधी नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तानी ( या डर्दू ) के पुराने कवियों, जैसे, मीर, डर्द, सौदा, आदि ने इसी लिपि का प्रयोग किया था। अच्छी हिंदुस्तानी लिखने के लिए उन्होंने फ़ारसी शब्दों का मिश्रण आवश्यक समझा। अच्छी हिंदुस्तानी के नमूने या तो सोदा की रचनाओं में या स्वयं गिलक्राइस्ट द्वारा निर्मित ग्रथों में दिए गए हिंदुस्तानी भाषा के उदाहरणों में या आया, खानसामा और मुशी की भाषा में मिल सकते थे। कोई हिंदू भी अच्छी 'हिंदुस्तानी मुशी' बन मकता है, यह बात गिलक्राइस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का यह सूत्र दिया है :

$$\text{हिंदवी} + \text{अरबी} + \text{फ़ारसी} = \text{हिंदुस्तानी}$$

गिलक्राइस्ट की सहायता से प्रधान सेनापति के फ़ारसी भाषा के दुभाषिए, विलियम स्कॉट, ने १७६० में 'आर्टिकल्स ऑफ वार' का हिंदुस्तानी उदाहरण में अनुवाद किया था। 'लिंग्विस्ट' के दोनों संस्करणों में यह अनुवाद शामिल है। उसमें से एक अवतरण नीचे उद्घृत किया जाता है :

'पहली आईन आठवीं वाब की

'जिस बर्लू किसी ओहदेदार, या सियाही पर, बड़े गुनाह की नालिश हो या किसू रथ्यत के बदन या माल के कुछ बिदद, या तुकसान करने फ़रीआद होवे, जिसकी सज्जा रेजीमेट, रिचालै, कंपनी या तहेनाती में तुह आसामी, या वे आसामी एलाक्का रखते हों, जिन पर फ़रीआद हुई है; तौ ऊस ही के सर्दार, और आहदेदारों को चाहिए, इस आईन के मुआफ़िक मुनासिद दरखास्त पर, ऊस फ़रीआदी या फ़रीआदियों से, या ऊन के तरफ से, कि अपने मक्कड़ भर ऊस आसामी या आसामियों को, जिन पर नालिश हुई है, मुल्क हाकिम को सौपें';... ( १७६० )

( रोमन लिपि )

'लिंग्विस्ट' में अन्य रचनाओं की भाषा इस प्रकार है :

'जो जड़ और डाल पात किसू किस्से के लागों के दिलों पर बहुत असीर-पज्जीर है, तौ ऊस को थोड़ा ही मा उत्रू आदमोंयों के सुनाने के लीए वहीए यिह कहानी भरी हुई है कई एक दिलरेश बारिदात से, कि नवीजा और तासीर भे ऊस की हम सब थोड़ा बहुत शरीक है';... ( १७६८ )

( रोमन लिपि )

## प्रथवा

‘यू सुना है कि हिंद में किसी बड़े एक पादशाही भटीज था, उसे यिह खबर पहुंची, कि फ्रान्स ने शहर का इकिम बड़ा ज़ातिम था, सो मर गया; तब ऊर्जने दिल में यिह मन्त्रज्ञा कीआ कि अपने खासुलखास अमार से जै बड़ा सुनिष्ठ हो, सो मेजा चाहीए, कि लोग बहाँ के फिर अजीयत न पाये’’ (८०२)

( रोमन लिपि )

२५. फरवरी, १७६६ के ‘जर्नल’ में दिए गए उदाहरणों से भी उनकी भाषा का स्वरूप स्पष्ट है जाता है, जैसे, ‘हुक्म’, ‘हाकिम’, ‘अहकाम’, ‘हुक्मनामा’, ‘महकूम’, ‘मक्कमा’, और ‘हुक्मसत’। यहाँ यह बात ध्यान रेत को देती है कि शब्दों का रूप-परिवर्तन उद्भूत्याकरण के अनुसार है। (८०२-८०३) में प्रकाशित ‘नक्लियात-इ-हिंदी या दिहिंदी स्टोरी टेलर’ से एक उदाहरण इस प्रकार है :

‘एक बजीर का बेश नाटान न कुंदज्जहन था वज्रोर ने एक दाना के पास उसे मेजा और कहा कि इस लड़के को नरवियत कर शायद कि अक्षजमंद हो जावे तुनाचि दाना ने उमकी तालीय में बहुत सी कोशिश की पर छुछ झायदा न हुआ यम लाचार हंकर लड़के को उनके बाप के पास फेर मेजा और कहा कि तेरा बेटा आकिल नहीं हुआ और मुझे दीवाना किया।’

( फ़ारसी लिपि )

इसी अंथ में भाषा के नियमित उदाहरण भी मिल जाते हैं :

‘कोई बनिथाँ बटोही बाट सूल के एक बन में जा निकला विसे बहाँ और ता कोई न नज़र आया पर एक बोगी दिखाई दिया इसने उसे टड़वत करके पूछा नाथ जो आते हो कहाँ से और जाओगे कहाँ जबाब दिया बाबा हिंगलाज जबालामुखी हरिद्वार कुरखेत्तर करके तो आता हूँ और काशी हो गंगा गोदावरी का मेला कर सेत-बन्धरामेश्वर को जाऊंगा बनिये ने कहा महाराज एक बात पूछूँ जो खफ्फा न हो बोला बाबा एक नहीं दो कहा महाराज हम भरहस्थी हैं जो ऐस देस फिरें तो कुछ दोष नहीं आप फ़कीर हो भटक भटक क्यों भरम गँधाते हो एक ढोर बैठकर किस लिये अपने भगवान का ध्यान नहीं करते कहा बाबा तूने यह कहावत नहीं सुनो

बहता पानी निर्मला बैधा मेघेला हीथ  
साधू जन रमला भला दाम न लागै कोय

( फ़ारसी लिपि )

कितु एक तो ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, दूसरे भाषा में ‘हिंदुस्तानीपन’ या ‘उदूपन’ स्पष्ट कलकत्ता है।

इन अवतरणों की भाषा की तुलना कॉलेज के यौतुल्यी इकराम अली दारा अरबी से हिंदुस्तानी में अनूदित ‘इंतखाब-इ-खुनानुस्फ़ा’ (१८२१) से की जा सकती है :

‘फ़स्त फ़ली छसिद के अहनास में

यहाँ क्रासिद् इवस वही दरिदों के पाठशाह श्रुतिलालस यान शेर के पास आकर कहा कि आदमियों और हैवानों में जिना के पाठशाह के सामने मनाजर हो रहा है हैवानों ने क्रासिदों को सब हैवानात की तरफ रखाः किया है कि आकर उनकी मदद करे मुझको भी आपको। ख्लश्मर में भेजा है एक सरदार अपनी फोन से मेरे साथ कर दीजिये कि वहाँ अलकर अपने अवानार जिन्द का शरीक होवे जिस बत्त उनकी नाबत आवं हस्ताना से मनाजर करे ॥ (फ़ारसी लिपि) अत मैं गिलकाइस्टी हिंदुस्तानी का स्वाभाविक विकास हमें विलयम बढ़रवर्ध बेली की ह फ़रवरी, १८०२ की हिंदुस्ताना पर लिखा गई थीसित (प्रबन्ध) में मिलता है :

‘अग्ररचि साहिवि मुहावरः हिंदुस्ताना ज्ञवान के फ़रवर नहीं करते कि इसमें बहुत नसूर की कित्तवे या तसानोफ़ि इलमी हैं परं कितने ऐक क्रिस्तसे खूब ओ गजलें मरजून ओसैर नस्य में मौजूद हैं, इरकिनार यिह कि मुश्त्रामलति महाजनी लश्करी ओं मुहिम्माति मुर्ली ओंसौरे कि तथल्लुक नविष्ट खवाद से रखते हैं उन्होंने मे ज्ञानि हिंदी जारी है ।’

थीसित में नागरी लिपि का प्रयाग आवश्य हुआ है, किन्तु मात्रा हिंदवी या हिंदुई या आधुनिक हिंदी नहीं है। संभव है डब्ल्यू० च्यतेन की २५ जुलाई, १८०३ की मती प्रथा पर लिखी गई थीसित के आधार पर यह कहा जा सक कि कॉलेज और गिलकाइस्ट को हिंदुस्तानी के अतर्गत अरबी-फ़ारसी और स्कृत उबदावलों से युक्त दोना शेलियाँ माना जाती थी। चैपलेन को थीसित का एक अवतरण इस प्रकार है :

‘क्या इस्तवी क्या आर अच्छी जाता के लाय छिर्णी पंथ के हांय जाना जाता है कि मेरे बाद को मिठाने के कोइ एक भी प्रभान न लाँ सकेगा। हे मद्दाराजों मेरी तुदि से यिह रीति प्रसिद्ध लाव ही जान जाता है आर यिह भा निश्चद कर जानता हूँ कि इस कठिन और अनजानी बोला म तकत जै आ चार्हद वसी नहा रखता। क इस बात का भली माँति से व्यारे समेत समक्काऊ, तिस पर भा मन बलाय तुदि दाङता हूँ ।’

इस अवतरण की भाषा पर विचार करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदुस्ताना

के अरबी-फ़ारसी रूप को प्रधानता देन पर भी गिलकाइस्ट (अरबा कॉलेज क अन्य पदाधिकारी), हिंदवा को पूर्ण अवहंलना न कर सके थे। स्वयं गिलकाइस्ट इस रूप से अधिक परिचित नहीं य आर इसालिए उन्ह लल्लूलाल का रखना पड़ा था। इसा रूप के अधार हिंदवी के आधार पर हिंदुस्ताना या उदू का प्रासाद खड़ा हुआ था। इसलिए उसका ज्ञान परमावश्यक था। विद्यार्थी भी उसका अभ्यास करते थे।

ऐसा परिस्थिति म याद किसी विद्यार्थी ने हिंदवी क अभ्यास क लिए उसम अपना थीसित लिखी ही तो कोइ आश्चर्यजनक बात नहा, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि गिलकाइस्ट हिंदवी का हिंदुस्ताना या उदू के बराबर महत्व देते य, उन्हाँत हिंदवा क हिंदुस्ताना का आधार-स्वरूप भाषा क रूप न गाय तथान दिए, प्रभानडा दूज हिंदुस्तानो क अरबी-फ़ारसी रूप या हिंदुस्ताना या उदू वा की रखा। किंतु जुरा कि उल्लर, प्राइस, राएवक,

आदि के पत्रों से ज्ञात होता है, हिंदवी या 'भास्त्र' या ठेठ हिंदी या खड़ीबोली के गौण स्थान का भी हास हो गया और बहुत दिनों तक हिंदुस्तानी (उदू') का ही प्राधान्य बना रहा। प्राइस के समय में हिंदी का प्राधान्य, किंतु यद्य के विकास का अभाव विज्ञापनों में भी इसका प्रयोग हुआ, किंतु हिंदुस्तानी या उदू' का स्थान भी गौण रूप में बना रहा। साथ ही प्राइस हिंदवी या हिंदुई का कोई नवीन गद्य-प्रथा भी प्रस्तुत न कर सके और न करा सके। दूसरे शब्दों में, गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदल मिश्र द्वारा प्रदत्त गद्य-शैली के लगभग उच्चीस वर्ष बाद भी प्राइस उसका कोई विकास उपरिथित न कर सके। वे लल्लूलाल के पिछले ग्रंथों पर ही निर्भर रहे। आवश्यकतानुसार वे अपने विमाग में नए सुयोग्य अध्यापक भी न ला सके। वास्तव में जिस समय प्राइस प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए ये उस समय तक कपनी का हिंदी जनता के साथ पूर्ण रूप से संबंध स्थापित हो चुका था। इसलिए शासन-व्यवस्था की दृष्टि से उन्हें हिंदवी (हिंदी) को स्थान देना पड़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अध्ययन के लिए लल्लूलाल के ग्रन्थ थे ही। प्राइस के बाद तो कॉलेज के अंतिम दिन थे। उस समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना सभव नहीं थीं।

फोर्ट विलियम कॉलेज में 'हिंदुस्तानी' या उदू' की अधिक या कम प्रधानता आवश्यक ही, इस सबध में प्रभाषणों का अभाव नहीं है। उदाहरण-स्वरूप गिलक्राइस्ट द्वारा

ओरिएटल सेमिनरी के 'जर्नल' में तथा अन्य स्थलों पर व्यक्त भाषा-हिंदुस्तानी के प्राधान्य संबंधी विवार, डब्लर तथा उनके बाद के प्रदाविकारियों द्वारा लिखे के संबंध में प्रभाषण गए पत्र, विज़िटरों के भाषण, 'हिंदुस्तानी' या उदू' ग्रंथों की अत्यधिक सख्त्या में रचना, हिंदवी ग्रंथों की सदैव के लिए सीमित सख्त्या, 'भास्त्र'-मुंशी और पडितों का कम वेतन तथा कॉलेज की व्यवस्था में उनका गोण स्थान, उनकी नियुक्ति के संबंध में अनिश्चित व्यवस्था, फ़ारसी और 'हिंदुस्तानी' का पारस्परिक घनिष्ठ सबध और फलतः 'हिंदुस्तानी' पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अधिक सख्त्या, हिंदुस्तानी विभाग के मुंशियों का हिंदवा-सबधी अज्ञान, बेली कृत थोसिस की भाषा तथा बाद का भाषा में अतर, आदि अनेक बातों का उल्लेख किया जा सकता है।

लल्लूलाल और सदल मिश्र को रचनात्मा के नात हिंदा साहित्य के इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज का उल्लेख करना तो आवश्यक है, किंतु हिंदी भाषा और गद्य-साहित्य

के विकास या उन्हें एक कदम और आगे बढ़ाने की दृष्टि से उसका कोइ महत्व नहा है। कॉलेज से 'हिंदुस्तानी' या उदू' गद्य को प्रोत्साहन मिला, न कि हिंदी गद्य को। जो कार्य केरने वैंगला के लिए किया वह काय किए न हिंदा के लिए न किया। हाँ, कोप, व्याकरण, टाइप, विराम-चिह्न आदि आधुनिक व्यष्यों के सुन्दरात को दृष्टि से कॉलेज आधुनिक मार्तीय भाषाओं के इतिहास में रहगा

**परिशिष्ट**



## परिशिष्ट

### आ (पृष्ठ ३)

कुछ विद्वानों का मत है कि पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले गिलकाइस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन शुरू किया; परंतु वात ऐसी नहीं है। उनसे पहले भी पाश्चात्य विद्वानों ने हिंदुस्तानी का अध्ययन किया था। उन्होंने जिस हिंदुस्तानी का अध्ययन किया उसका रूप क्या था, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

शुरू में अँगरेजों ने हिंदुस्तानी भाषा के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान न दिया। इसका कारण था। जब दक्षिण के पश्चिमी तट पर पोर्चुगीज आकर वह गए तो उन्होंने वहां की बोली सीखने का प्रयत्न किया। परंतु गोआ की पोर्चुगीज सरकार की नीति मिज्ज थी। वह अपने धर्म और पोर्चुगीज भाषा का ही प्रचार करना चाहती थी। इसके लिए उन्हें पादरियों को बाध्य भी किया। इसके परिणाम-स्वरूप भारतीय पोर्चुगीज धर्मावलम्बियों में पोर्चुगीज भाषा का प्रचार हुआ। वे भारतीय पोर्चुगीज भाषा को शुद्ध रूप से न बोल कर विकृत रूप में बोलते थे। १८वीं शताब्दी में जब वे लोग देश के भीतरी भागों और बदरगाहों में जाकर वहां से लगे तो उस भाषा को भी अपने साथ लेते गए। इन स्थानों के योरप निवासियों ने इसी विकृत पोर्चुगीज भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। वे हिंदू और मुसलमान सोदागरों के साथ व्यापार भी इन्हीं नवागंतुकों के द्वारा करने लगे गए। उन्होंने इनसे टुभापिए और क़र्की गाड़ि का काम भी लिया।

अस्तु, बंगाल पर विजय प्राप्त करने से पहले अँगरेज, डच और फ्रांसीसियों का न तो हिंदुस्तानी भाषा की ओर ध्यान ही रहा और न उन्हें सीखने की आवश्यकता ही हुई। शुरू में इसाई मिशनरियों ने हिंदुस्तानों की ओर ध्यान न दिया। १७४३ में मिलियल नामक एक व्यक्ति ने हिंदुस्तानी का अध्ययन कर लीडन से एक पुस्तक प्रकाशित की। परंतु उसे अपने परिश्रम में अधिक सफलता न मिली। दो साल बाद यानी १७४५ में शुल्कियस नामक एक और व्यक्ति ने हल से 'ग्रैमेटिका हिंदुस्तानी' प्रकाशित कराई थी। परंतु उसका कार्य भी सतोषजनक न रहा और न उससे कोई मतलब ही सिद्ध हो सका।

बंगाल में अँगरेजी राज्य के पूर्णरूप से स्थापित हो जाने पर अँगरेजों को विजिरा की भाषा न जानने के कारण बड़ी असुविधाएँ हुईं। उनकी फौज में बहुत से देशी सिपाही थे जो अपनी बोली के अतिरिक्त और दूसरी बोली समझ ही न पाते थे। आगरा प्रांत का सिपाही बजभाषा ही बोलता और समझता था। फौज में मुसलमान सिपाही भी थे और देश के अन्य विजित भागों के सिपाही भी। इसलिए फौजी अफसरों को अपने सिपाहियों से सर्पक बढ़ाने के लिए उनकी बोलियों का जानना अनिवार्य था। तत्कालीन सिविलियनों को शासन के के लिए उन प्रांतों की बोलियाँ जानना या जिनमें दे-

नियुक्त किए जाते थे। इसके लिए कपनी के कर्मचारियों में से बुद्धिमान लोगों ने हिंदुस्तानी का अध्ययन आरभ कर दिया। वैनसीटार्ट के समय में गलस्टन नामक व्यक्ति ने जो फ़ारसी भाषा का दुभाषिया था, हिंदुस्तानी पर एक लेख लिखा। यह लेख उसकी मृत्यु के बाद छपा था। बाद को वह लेख गिलक्राइस्ट के हाथ पड़ गया था। गलस्टन की मृत्यु से कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी के प्रचार-कार्य को धक्का पहुंचा। गलस्टन के बाद डॉ॰ हैरिस का नाम उल्लेखनीय है। वे मद्रास में थे। उन्होंने एक 'हिंदुस्तानी अँगरेजी-कोष' प्रकाशित किया। इसके बाद विलियम कर्कपैट्रिक ने 'हिंदुस्तानी व्याकरण और कोष' प्रकाशित कर व्याकरण की कमी पूरी की। १७८५ में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा के सबव में एक बृहत् ग्रन्थ प्रकाशित करने की आयोजना निकाली, परंतु उसे वे पूरा न कर सके। इनके अतिरिक्त इलंड, ग्लैडविन्, आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

## आ

### बेलेजली का हुंडाज के नाम पत्र : ( पृ० ९ )

... मैं आपको इस बात से परिचित करा देना आवश्यक समझता हूँ कि मेरा इरादा तुरंत ही बंगाल के कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण दृष्टि से सुधार करने के लिए एक आयोजना तैयार करने का है। समस्त प्रात में व्याय-शासन वा मालगुजारी वसूल करने तक की जो कुछ दशा है वह जनता की भलाई के लिए बनाए गए अच्छे-अच्छे क्लायड-क्लान्टों की असफलता का दुखद उदाहरण है। यह अवस्था उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि अपने विभिन्न विभागों में उन आईंनों को बरतने वाले सुयोग्य व्यक्ति हमें न मिलें। यह दोष शासन के प्रत्येक विभाग में धूसा हुआ है। इसकी जड़ प्रधानतः सर्विस के मूलस्रोत में जमी हुई है—मेरा मतलब राइटर्स की हैसियत से यहाँ भेजे गए नवयुवकों की शिक्षा और उनके प्रारंभिक जीवन में अपनाए हुए आचरण से है। इस विषय पर अच्छी तरह सोचने के बाद मेरा यह दृढ़ विचार है कि भारतवर्ष में आने पर दो-तीन साल तक राइटर्स को राजधानी में स्थापित किसी कॉलेज संस्था के अनुशासन और नियमों के अधीन रहना चाहिए। ऐसी संस्था में साधारण आईंन, शरअू मुहम्मदी और भारतीय धर्मशास्त्र के सिद्धांतों, और बंगाल तथा अन्य प्रातो के शासनार्थ सुपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा निर्मित अनेक क्लायड-क्लान्टों को जानने के साथ अपने-अपने पदों के लिए उपयोगी और आवश्यक विभिन्न देशी भाषाओं के मूल सिद्धांतों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अपना कर्तव्य-पालन करने के लिए वे ज्ञान की अन्य बातें भी सीख सकते हैं। जिन नवयुवकों ने अपरिषद्व अवस्था में देश के भीतरी भागों के दुराचरण और भोगलिप्सापूर्ण बातावरण में रह कर अपने जीवन और आचारों की आधारशिला जमाई है, उनमें सुस्ती, काहिली, धृषित वासनाओं और भ्रष्टता के बढ़ जाने की अत्यधिक संभावना है। कॉलेज संस्था में रह कर वे इन दुर्व्यस्तों के स्थान पर फूर्ती, नियम और स्वच्छता के साथ जीवन व्यतीत करना जान सकते हैं। इस समय मैं इस विषय पर अधिक लिखना नहीं चाहता, क्योंकि अच्छी तरह से बाद विवाद करने के स्थिर मैं सीम ही इसे सब-

सामने रखँगा परतु मैं आपको यह बतान चाहता हूँ कि यह दोष इतना बढ़ गया है कि भेरा, कोट की आशा की प्रतीक्षा किए बिना हा, कलकत्ता न एक ऐसी स्थान प्राप्त करने का इरादा है। इसके लिए मैंने कुछ किया भी है, और मुझे आशा है कि यदि व्यवस्थी आवश्यकता हुई भी तो कपनी का और अधिक धन खर्च किए बिना ही मैं अपनी अयोजना को सफल बना सकूँगा।

‘जिस विषय में मुझे सबसे अधिक दिलचस्पी है उसमें आपकी सक्रिय और हार्दिक सहायता का मुझे पूरा भरोसा है।’<sup>११</sup>

## इ

### बेलेजली की मिनिट्स के कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण : (पृष्ठ ११)

‘भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सासार के सबसे अधिक विस्तृत और घने वसे हुए साम्राज्यों में से है। इसके विभिन्न प्रांतों और जातियों के शासन का सीधा सबव विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय कर्मचारियों से है। बंगाल, बिहार, उडीसा और बनारस के प्रात, कपनी की कर्नाटक वाली जागीर, उत्तरी सरकार, बारह महल तथा १७६२ की श्रीराघट्टम की सधि के अनुसार मिले हुए अन्य ज़िले, जिनका शासन सीधे कंपनी के यूरोपीय कर्मचारियों के हाथ में है, भारतवर्ष के धनमपन्न और समृद्धिशाली भूमिभागों में माने जाते हैं, और जहा पृथ्वीमंडल के इस भाग के अन्य किसी प्रदेश की अपेक्षा जान, माल, नागरिक शाति और धार्मिक स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित हैं और जहाँ की जनता शासन की सुव्यवस्था से अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाती है। इसलिए भारतवर्ष में अँगरेज़ों का कर्तव्य है और उनकी नीति का यह तकाज़ा है कि शासन की प्रत्येक शाखा और विभाग का स्थानीय राजकीय प्रबंध दब्ब और योग्य यूरोपीय कर्मचारियों के हाथ में सौंपने की प्रथा का जितना सम्भव हो सके अधिक से अधिक प्रचार हो। न केवल देशी प्रजा की सुख-शाति की दृष्टि से बरन् अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी यह बाढ़नीय है। बंगाल अहाते के मातहत प्रात’ के अनिवार्य शासन-सुवार के लिए लार्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित चतुर और उदार व्यवस्था की तहाँ यही सिद्धान था।

‘इस हितकारियों व्यवस्था के साथ-साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का कार्य भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ कर भवत्पूर्ण हो गया है। जिन ‘राइटर’, ‘फैक्टर’ और ‘मर्चेट’ के नामों से सिविल सर्विस की कई श्रेणियां अब तक गिनाई जाती हैं वे कपनी के कर्मचारियों का कार्य-व्यापार देखते हुए नितात असगत हो गए हैं।

“विभिन्न भाषा-भाषी और आचार, झंडियों एवं धर्मों का अनुसरण करने वाली असंख्य जनता के साथ न्याय बरतना; विस्तार में यूरोप के कुछ बड़े-बड़े राज्यों की बराबर ज़िलों में भारी और पेचीदा मालगुजारी प्रथा को व्यवहार में लाना; सासार के सबसे अधिक घने बसे हुए और झंगझालू भूमि-भागों में शाति बनाए रखना; यही अब कपनी के अधिकतर कर्मचारियों का काम है। बगाज़ अहाते के मातहत बड़े-बड़े मर्चेट्स्

की पाँच सरकिट और अपील अदालतें हैं। उन मर्चेंट्स को जितनी स्थानीय और बहु-जनसंख्यक कानूनी कार्यवाही करनी और बहुत-सी पेचीदा युक्तियों द्वारा गुत्थियाँ सुलझानी पड़ती हैं वे यूरोप को किसी भी जायज्ञ अदालत से कही अविक हैं। कौजदारी (मजिस्ट्रेट्स) और जिला अदालतों में काम करने वाले सीनियर या जूनियर मर्चेंट्स और बहुत-सी अदालतों में और मजिस्ट्रेटों के यहाँ रजिस्टरों या नायबो की हैसियत से काम करने वाले राइटरों या फ़ैक्टरों को अपने-अपने जिलों में थोड़ा-बहुत तरह-तरह का अदालती या पुलीन विभाग का या शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का काम करना पड़ता है। अदालती विभाग की प्रत्येक शाखा में तिजारती जान अनावश्यक ही नहीं प्रत्युत वे कर्मचारी जो मजिस्ट्रेट हैं, या न्याय विभाग में किसी पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, और यद्यपि वे भर्जेंट्स, फैक्टर्स या राइटर्स के नाम से पुकारे जाते हैं, कानूनन् या सौमंधवदा किसी भी व्यापारिक कार्य में भाग नहीं ले सकते। उनकी व्यापारिक उपाधि ने उनके व्यार्थ-व्यापार का उत्ता ही नहीं चलता, बरन् वह उसके चिल्कुल उलटी है।

बहुत-सी अदालतों में मुकदमे और समस्त महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही देशी भाषाओं में होती है। कपनी के जो जो कानून भरतना पड़ता है वह इंगलैंड का कानून नहीं है। लेकिन यह वह कानून है जिससे यदों के लोग अपने पहले शासकों के राजत्वकाल में अभ्यन्त हो चुके हैं, और सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने जिसे अपने बड़े भारी-भारी नियमों से और ब्रिटिश विधान की भावना से प्रेरित हो कर काटछूट कर कम कर दिया है। ये सब बातें यह सावित करने के लिए काफ़ी हैं कि भारतवर्ष में कपनी के साम्राज्य में शासक का पद सुशोभित करने वाले के कार्य की अपेक्षा संसार में अधिक कठिन और पेचीदा शासन-कार्य नहीं है और न इतनी अधिक विविधगुणसंपन्न योग्यता की आवश्यकता ही पड़ती है।

“ऊपर कही गई बहुत-सी आते ठीक उसी प्रकार मालगुजारी विभाग के लिए लागू होगी। इस विभाग के मर्चेंट्स, फैक्टर्स और राइटर्स को कानूनन् या शपथ के ज़ोर से अपनी व्यापारिक उपाधि का परित्याग करना पड़ता है। और न मालगुजारी इकड़ा करने वाले या उसके मातहन किसी अन्य नर्मचारों के लिए देश की भाषा, आचारों और रुद्धियों और बहुत-सी अदालतों में व्यवहृत कानून के सामान्य सिद्धांतों से परिचित हुए बिना यह संभव है कि वह राज्य या जनता के साथ साधारण न्यायपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सके। जो, मजिस्ट्रेटों और कलक्टरों को अदालती और शासन-संबंधी कामों के साथ कभी-कभी अपने जिलों के गवर्नर की हैसियत से भी काम करना पड़ता है। उस समय उनको सेना का लचालन करना और अन्य बड़े-बड़े अधिकारों को व्यवहार में लाना होता है। कानूनन् उनको समय-समय पर कौसिल में गवर्नर-जनरल के पास अपने-अपने जिलों की भलाई की घटि से वर्तमान कानूनों में आवश्यक परिवर्तनों या नए कानूनों के लिए ग्रस्ताव भी भेजने पड़ते हैं। इस प्रकार न्याय और मालगुजारी विभागों के कर्मचारी एक तरह से सपरिषद् गवर्नर-जनरल की उप धारासमितियों का काल देते हैं। साथ ही वे हर समय जनता की माँगों और इच्छाओं का पता लगाने के लिए सरकार के पास एक साधन हैं न्याय और मालगुजारी विभागों के विषय में कही गा-

बात कम स जम उन विभाग वे लिए भी उतनो ही न गू है जिन्ह इस राजनीतिक और आर्थिक विभागों के अंतर्गत रख सकते हैं जिनमें चीफ सेकेटरी, सेकेटरी ट्रेजरी, ऐकाउन्टेंट-जनरल तथा राजधानी में प्रतिदिन का कार्य करने वाले अन्य लोग भी शामिल हैं। इनमें राजनीतिक विभाग के मन्त्री सहित राजदूत और हमारे अधान और सहायक या दूसरे देशी राजाओं के दरबारों में रहने वाले कई रेजीडेंट भी जोड़े जा सकते हैं।

'इन सब पदों पर कंपनी के कर्मचारियों का नियुक्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन सब जगहों के लिए जिन वानों की आवश्यकता है वे या तो व्यापारिकता के विभीत हैं, या व्यापारिक शिक्षा से बहुत आगे हैं।

'यहाँ तक कि इस भास्त्राजय के केवल व्यापारिक कर्ते जाने वाले विभाग के लिए यूरोप के इसी विभाग से कहीं अधिक यिन्ह ज्ञान और आचरण की आवश्यकता है। कंपनी का पूँजी का उस समय तक अपने को अधिक मे अधिक लान और प्रतिशुत के साथ, या प्रना के साथ यथेष्ट न्याय कर सचालन नहीं हो सकता जब तक कि उसके तिजारती रेजेट राजनीतिकों के उपर्युक्त विभिन्न गुणों से विभूषित न हों। कारीगरां तथा श्रमिक वर्ग के अन्य लोगों का उत्तादक परिश्रम दी हमारो पूँजी क' मूल खोन है। कंपनी द्वारा अनिहृत भूमि-भागों की जन सख्त्या के अनुसार उनकी संख्या इतनी अधिक है कि देश की सुख-शाति आर उमड़ि का भार मुख्यतः पूँजी लगाने वाले कंपनी के व्यापारिक कर्मचारियों के व्यवहार पर निर्भर रहता है। यदि वे देशी भाषा, जनता की गतिगति और आचार के साथ-साथ देश के कायदे-कानून से परिचित होंगे तो उनकी तरफ से किसी प्रकार की भी आशंका नहीं हो सकती। तिजारती रेजीडेंट द्वारा धन के दुरुस्थाग, या उसकी अशानता और सतती तक से भयहत प्रातो नी शाति, व्यवस्था आर न्याय को आघात पहुँचने की संभावना रहती है, क्योंकि इनके व्यवध का हमारे अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण स्वार्थी और जनता की अनेक संस्थाओं के साथ घोनष्ठ संवध है। यद्यों की जनता स्वभावतः परिश्रमी होने के कारण तेज़ और झुर्तीली है। उसे अपने माल की बातक या अपनी रुद्देयों और प्रथाओं की विरोधी बातें अब्जी नहीं लगती।

'इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारों किसी प्रकार भी एक व्यापारिक संस्था के एजेंट नहीं समझे जा सकते। वास्तव में वे एक शक्तिशाली संघर्ष के प्रतिनिधि हैं और अब उन्हे उनका नाममात्र की नहीं वरन् वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप दृष्टि से देखना उचित होगा। अपने पुनीत कार्य और उच्च पद से उत्पन्न पैरीदगियों और गहरे संघों का निर्वाह कर, और विचित्र परिस्थितियों मे पड़ कर, जो सरकारी कार्य को गुरुतर और हर एक सरकारी उत्तरदायित्व की दिक्षकता को बढ़ा देती हैं, उन्हे मजिस्ट्रेट, जज, राजदूत और प्रातों के गवर्नरों की हैसियत से काम करना पड़ता है। उनके आर सुसार के प्रत्येक अन्य भाग के राजनातिकों के काम में यहाँ का प्रतिकूल जलवायु एक विदेशी भाषा, विचित्र भारतीय रीति रस्म और कायदे कानूनों और यदा के रहने वाला क

आचारों की कठिनाइयों को छोड़ कर और कोई अंतर नहीं है। इसलिए उनका अध्ययन, शिक्षाक्रम, आचरण, आचार-विचार और चरित्र इस प्रकार विकसित और उन्मुख किए जाने चाहिए जिससे उनके व्यक्तिगत और सरकारी पदों के ऐश्वर्य तथा उनकी योग्यता और उनके कर्तव्य के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। साहित्य और विज्ञान के अग्रणी के सामान्य ज्ञान की उन्हें वही शिक्षा दी जानी चाहिए जो यूरोप में ऐसे ही पद ग्रहण करनेवालों को दी जाती है। इस भूलाधार के माथ उन्हें भारतीय धर्मशास्त्र और शाश्वत मुहम्मदी और धर्मनीति और एशिया में ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक और व्यापारिक हितों और नवधों को शिक्षा सहित भारतीय इतिहास, भाषाओं, रीत-रसमों और आचारों से भर्ती भाँति परिचत करा देना चाहिए। ब्रिटिश विवान की भावना से प्रेरित हो कर लागू किए गए देश के प्राचीन और प्रचलित कानूनों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा पास किए गए कायदे कानूनों के आधारभूत सिद्धान्तों का पूर्णज्ञान होना उनके लिए ग्रावश्यक है। उन्हें ब्रिटिश विधान के सच्चे और दृढ़ सिद्धांतों का बहुत अच्छा और नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र और अर्तराष्ट्रीय कानून, और सामान्य इतिहास के मामूली सिद्धांतों का काफी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में व्यवहृत विभिन्न कानूनों के मूल भेदों का समझने में और न्याय-शासन करने और शाति और सुशासन की रक्षा करते समय उन दोनों की भावना को व्यवहार में ला सके। अंत में शुरू से ही उनके मन में परिश्रम, दूरदर्शिता, सत्त्वार्दि और धर्म की पक्की नींब डालनी चाहिए जिसके सहारे वे यहाँ जहाँ कहीं किसी भी हालत में होने और खास तौर से भारत में पहले-पहल आने पर यहाँ के जलवायु और लोगों के अन्जोव भ्रष्ट-चरणों से उत्पन्न प्रलोभनों और कुब्जलनों से अपने को बचा सकें। सरकारी कर्मचारियों के प्रारम्भिक अनुशासन द्वारा उनको यहाँ के जलवायु और लोगों के कुब्जसनों और प्रवृत्तिजन्म्य आलस्य, ऐश्वाशी, और शोहदेपन से बचाना हमारा ध्येय होना चाहिए; विशेष यात्यर्थ, पुरस्कार, लाभ और प्रतिष्ठा पाने की आशा के प्रकाश से उनमें श्रेष्ठ और उपयोगी कार्य करने की प्रतियोगिता की भावना को प्रज्वलित कर उसे बनाए रखना आवश्यक है; इंगलैंड की भाँति भारतवर्ष में भी उच्च राजकीय पद ग्रहण करनेवाले सुयोग्य व्यक्तियों को यथेष्ट संख्या में लेने के लिए सतर्कता से काम करना चाहिए ताकि वे स्वयं अपने चार चँदोंवे लगाने के अतिरिक्त जनसाधारण को भी लाभ पहुंचा सकें। विभिन्न सरकारी शाखाओं और विभागों में लगातार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किए जिनका कानून अनीतिपूर्ण और अनुदार बन कर निष्कल और निरर्थक सिद्ध होगा। इंगलैंड में अनगिनत सुयोग्य और दोषहीन सरकारी कर्मचारियों को पाने के लिए अनुशासन और उनकी शिक्षा के विषय में चाहे जो रीति और भार्ग ग्रहण किए जायें, परन्तु हमारी पूर्वीय व्यवस्थाओं की कुछ ऐसी अजीब हालत है कि उन सुदर और लाभप्रद नियमों आर नियत्रणों का बंधन ढीला करने के बजाय सिविल सर्विस की बढ़ी हुई कठिनाइयाँ और सरकारी नौकरी करते ही पग-पग पर मिलनेवाले खतरों को देख कर इस बात की ज़रूरत है कि उनका और भी अधिक सतर्कता और देखमाल के साथ प्रयोग किया जाय।

## पुस्तकों के नाम

| पुस्तक          | प्रकाशन | लेखक | प्रकाशन संग्रहीत |
|-----------------|---------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| पुस्तकों के नाम | प्रकाशन | लेखक | प्रकाशन संग्रहीत |

५०० अधिकारीन कुत बरिधा	२३	नागरी	३५५	हरकारा प्रेस	३५५	कुल
५०० वहीसी रिहाइन	२८३	नागरी	४५००	हरकारा प्रेस	४५००	कुल
५०० शकु तला नाटक	९६२	नागरी	३०००	कलकत्ता गजट प्रेस	३०००	आरभ
५०० अखलाक-इ-हिंदी	९६२	नागरी	४५००	टेलीशाफ़ प्रेस	४५००	आरभ
५०० साध्वानल	९६२	नागरी	३०००	छपना आरभ नहीं हुआ	३०००	छपना आरभ नहीं हुआ
५०० बेताल पचीसी	१४२	नागरी	८५००	हरकारा प्रेस	८५००	छपना आरभ नहीं हुआ
५०० चार दरवेश	३२०	फारसी	८८००	कलकत्ता गजट प्रेस	८८००	छपना आरभ
५०० भीर इचन	३२०	फारसी	५०००	मील प्रेस	५०००	छपना आरभ
५०० गुलिस्ताँ	४३२	फारसी	८५००	टेलीशाफ़ प्रेस	८५००	छपना आरभ नहीं हुआ
५०० तोता कहानी	४३२	फारसी	४५००	मानिंग प्रेस	४५००	छपना आरभ नहीं हुआ
५०० गुलशन	४४२	फारसी	५५००	मानिंग प्रेस	५५००	छपना आरभ नहीं हुआ
५०० हिंदुत्वानी प्रसीपिलस (हिंदुस्तानी) के संस्कृत	१७०	ब्राह्मणी	३७५०	मानिंग प्रेस	३७५०	छपना आरभ नहीं हुआ
५०० श्राव्यास-पुस्तक, जो इस पत्र के साथ भेजी	१००	तोनो में	५००	मानिंग प्रेस	५००	छपना आरभ नहीं हुआ
१०० श्राव्यास-पुस्तक, जो इस पत्र के साथ भेजी	१००	जा रही है	१००	मानिंग प्रेस	१००	छपना आरभ नहीं हुआ

मैंने इसमें अनुवादकों का पारिश्रमिक, जिसकी बोकॉलेज से आशा करते हैं, सामिलित नहीं किया, क्योंकि उनसे से कुछ को तो मैंने पहले हिए इस रूपों में से है दिया है या उन्हें और कामों से हया कर पूरे समय के लिए उपयुक्त रखना एवं अस्तुत कराने में लगा लिया था। किन्तु मेरा इनुमान है कि पारिश्रमिक के मध्य चार इंजीर रूपए से अधिक किसी हालत में खर्च न होगा।

(ह०) जॉन गिलकाइट,  
हिंदुस्तानी प्रोफेसर ।

कौंसिल द्वारा तैयार किया गया विवरण : (पृष्ठ ४८)

प्रतिपादी की सदस्या	पुस्तकों के नाम	पुस्तकों की सदस्या				लिपि	आनुमानित व्यय	कहाँ छपी
		रुपये	शुल्क	पैसे	रुपये			
५००	चार दरबेश	५००	५०	५०	५००	फारसी	११७१	हरकारा प्रेस
५००	मसनवी मीर हसन	५००	३०	३०	११२५	फारसी	११२५	कलाकृता गजट प्रेस
५००	गुलिस्तां	५००	३०	३०	११२५	फारसी	१०३	मिर प्रेस
५००	तीता कहानी	५००	३०	३०	११२५	फारसी	१०३	टेलीग्राफ प्रेस
५००	हिकायात-इ-मुतफरिकात	५००	६०	६०	११२५	नागरी	१०३	कलाकृता गजट प्रेस
५००	बनीसी सिद्दासन	५००	३२	३२	११२५	नागरी	१०३	हरकारा प्रेस
५००	मसिया-मिसकीन	५००	५०	५०	११२५	नागरी	१०३	टेलीग्राफ प्रेस
५००	शकुं तला नाटक	५००	५०	५०	११२५	नागरी	१०३	मिर प्रेस
५००	आ खलाक-ह-हिन्दी	५००	३०	३०	११२५	नागरी	१०३	हरकारा प्रेस
५००	बैतालपन्चीसी	५००	३०	३०	११२५	फारसी	१०३	मिर प्रेस
५००	माधवनाल	५००	३०	३०	११२५	फारसी	१०३	हरकारा प्रेस
५००	हफ्ता गुरुभग्न	५००	३०	३०	११२५	फारसी	१०३	मिर प्रेस

## ज

४ अप्रैल, १८०३ तक हिंदुस्तानी में निर्मित या निर्मित होने वाले ग्रंथों का विवरण : (पृ० ५४)

## कौलि श्रो

१. 'प्रेनियकल आउटलाइन्स' : ऑर, ए स्केच ऑव हिंदुस्तानी ओरथीपी, ऐड दि हिंदुस्तानी प्रिसिपिलस्ट'

## चौपेजी

२. 'दि ओरिएंटल लिभिस्ट', हिंदुस्तानी, या हिंदुस्तान की लोकप्रिय भाषा का सरल और सुदर परिचय।

३. परीक्षा के लिए अभ्यास-पुस्तकें।

४. 'बाज़ो-बहार' : फ़ारसी रचना 'चहार-दरवेश' का कॉलेज के एक देशी विद्वान् द्वारा अनुवाद।

५. 'शकुंतला', 'आख्लाक-इ-हिंदी' और 'बैतालपचीसी' : संस्कृत रचनाओं के बजभाषा और फ़ारसी रूपांतरों का हिंदुस्तानी में अनुवाद; 'माझोनल', कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा बजभाषा में एक स्वतंत्र रचना।

६. 'नस-इ-बेनजीर' : भीर हसन की 'मसनवी' का गद्य में रूपांतर; और 'बाज़-इ-उदू' और 'तोता कहानी', फ़ारसी रचनाओं 'गुलिस्तॉ' और 'तूतीनामा' का कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा अनुवाद।

७. 'बत्तीसी' : मूल संस्कृत के बजभाषा रूपांतर का हिंदुस्तानी में अनुवाद; इसके साथ मिस्कीन की मूल हिंदुस्तानी रचना 'मर्सिया' भी; कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा।

८. 'दि हिंदी मैनुअल' : या 'कास्केट ऑव इंडिया' : हिंदुस्तानी रचनाओं का एक संग्रह।

## अठपेजी

९. 'दि हिंदी स्टोरी टैलर'।

१०. 'दि हिंदी मौरल प्रिसेप्टर'।

११. 'दि ऑरिएंटल फैब्युलिस्ट'; या 'पौलीलौट', ईसप की कहानियों का छः पूर्वीय भाषाओं में अनुवाद।

१२. 'दि हिंदुस्ताना गुलिस्तॉ', दो ज़िलों में

१३. 'दि ईंटी-जार्गोनिस्ट' : या, विस्तृत शब्द-सूची के साथ हिंदुस्तानी भाषा का संक्षिप्त परिचय ।

१४. 'हि स्ट्रे जर्स ईस्ट इडिया गाइड डु दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज' ।

१५. १८०२ और १८०३ के विद्यार्थियों द्वारा रचित दावे ।

१६. 'मुत्फ़र्क़ात' ।

१७. 'इफ़त गुलशन' ।

१८. 'गुलदस्ता-इ-हैदरी' ।

१९. 'आसीर हमज़ार का इतिहास' ।

२०. मिस्कीन कृत 'मर्सिया', गद्य में ।

२१. 'ताजुल्मुल्क' ।

१६-२१ तक की हिंदुस्तानी रचनाएँ कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा हुई ।

### प्रेस में

२२. 'आयार दानिश' (?) चौ० खंड प्रकाशित ।

२३. 'हातिमताई' (?) चौ०, ,, , , ।

२४. 'हिंदी स्टोरी टैलर', जिल्द दूसरी और तीसरी; नामरी और फ़ारसी लिपि में (केवल दूसरी जिल्द प्रकाशित हुई) ।

२५. 'जहाज़ी और वैद्यक-संबंधी हिंदुस्तानी शब्दावली' ।

२६. सौदा की कुल रचनाएँ, जिल्द ३, चौ० ।

२७. बली की कुल रचनाएँ, चौ० ।

२८. 'श्री भागवत', शुद्ध हिंदी में, चौ० ।

२९. 'चकावली', फ़ारसी से अनूदित ।

३०. 'हिंदुस्तानी कहावतें' ।

३१. हिंदुस्तानी में प्रचलित अरबी और फ़ारसी के समस्त वाक्यांशों और वाक्यों का संग्रह ।

३२. 'बारहमासा', एक मूल हिंदुस्तानी रचना, चौ० ।

३३. 'खान-इ-अलवान'; या हिंदुस्तानी पाकशाला ।

३४. 'हिंदुस्तानी बोस्ताँ', अठ० ।

३५. 'हिंदुस्तानी कुरान', चौ० ।

३६. 'अख्लाफ़-इ-हिंदी' या हिंदुस्तानी भाषा में 'हितोपदेश' और एक दूसरा संस्करण शुद्ध हिंदी में

नाम	बड़े चौपैंडी	छोटे चौपैंडी	आठोंडी	पुराकार	भ्रष्टकर्ता
गुलिसां या बाग-ह-उँ	—	—	४००	४००	मीर शेर अली अफसोस
नक्कलियात-ह-उक्कमानी	—	—	३००	६००	तारिखीचरण मित्र, मौलिची अमानतउल्लाह, सुदल मिश पांडित, भीर वहादुर आली, भीर शेर अली अफसोस, भी लाल कवि और शुलाम अशुरफ
पवनामा, पद्म में	—	—	३५	१००	मजहब अली खाँ भीरवहादुर आली
नक्कलियात (मस्त में)	—	—	—	६८ पहला	हेड मुंशी, जिन्होंने इन कहानियों का कई रथलों से अपने घर बैठ कर और कभी कभी दूसरे मुंशियों की सहायता से संग्रह कर, उनकी बुलना, और अनुचाद प्रहवर्त किया है।
नक्कलियात	—	—	—	२००	
—	—	—	१२८	१२८	

गुरु, है, इष्ट। नाम, नामणु लाहि, का ५०  
मिर्जां का जिम्म आली जवाँ

रपए का वेतन मिलना चाहिए और मिर्जां  
जवाँ को, जो इस समय ८० रुपया  
पाते हैं, कम से कम १०० रुपया वेतन  
मिलना चाहिए। इस रूपातर से मीर  
बहादुर आली को वास्तविक योथता का  
प्रदर्शन होगा।

यह एक उत्तम रचना है और प्रत्येक सच्चे  
पूर्व विद्वान् को यह अचूक्ति तरह स्वीकृत  
होगी।

हिदबी के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक।  
इसके लिए पुरस्कार हताना कम केवल इस-  
लिए रचना गया है कि लेखक ५० रुपए  
मासिक पाता है, और उसे कुछ और काम  
नहीं करना पड़ता।  
दोनों अत्यंत उपयोगी रचनाएँ हैं। दूसरी  
प्रसिद्ध हिंतोपदेश के फारसी रूपातर  
'मुफरिदुल कुलल' का रूपातर है।

३००	—	४००	हैदर बहुश	२००	श्री लाल कवि
२५०	—	—	—	२००	—
—	—	—	—	१५०	—
—	—	—	—	१५०	—
—	—	—	—	१००	निहालचद
—	—	—	—	१००	—
—	—	—	—	१००	—

(मेल भेजने के बिंदु तेजार)

सिद्धासनवर्तीसी

चारपासा, पद्म में

यकु तला नाटक

—	—	१२०	—	२००
—	—	१४०	२००	२००
—	—	१४०	१००	१००

मिजां काकिय आली जबाँ

मजहर आली जबाँ

शम्भीर हरकरा

कायनात-जग्गो

लान-इ-आलचान

यह एक मूल कविता है और इतनी अचूकी बन पड़ी है कि लेखक हर प्रकार का पुरकार पाने योग्य है।

ये तीनों उपर्युक्त रचनाएँ हैं, लेकिन जिनके लिएकोई विशेष आत नहीं कही गई उन्हीं की भौति हननके विषय में कोई खास आत नहीं कहनी है।

यह और निम्नलिखित तीन अन्य दृतिहास हिंदुतानी कहाँ के लिए सबसं अधिक उपयोगी सिद्ध होते।  
ये एक विहान लयकि और कवि हैं जो अभी बाल ही में कलेज की पूर्वी या आहिय का केंद्र समझ कर यहाँ आए हैं।

—	—	१६०	—	२००
—	—	—	१४०	२००
—	—	—	१४०	१००
—	—	—	१६०	२००
—	—	—	—	१००
—	—	—	—	१००
—	—	—	—	३००
—	—	—	—	३००
—	—	—	—	३००
—	—	—	—	४००
—	—	—	—	५००
—	—	—	—	—

(बो छप तुली है)

शम्भीर हरकरा

कायनात-जग्गो

हरमिदुद्दीन

५००	—	१००
—	—	६०

१००	६०
-----	----

१००	६०
-----	----

चेद्रावती		६०	सदल मिश्र
प्रस्तुलाकाल शुहिसिंहन	५००	५००	मीर अम्बल
कलाकाराण	२००	१००	कुंदनलाल
राष्ट्रवीति	३००	३००	श्री लाल कवि
गुलदस्ता	३००	२००	देवदर बद्रीश
इस्त-इक्षितलात		५०	मीर अब्दुल कासिम
गुल-ओ-सन्गेवर		७०	बासित खाँ
दिलालवा		६०	तोताराम
झीरोज शाह		५०	मुहम्मद बख्तर
मिस्कीन का सर्सिया (मथु)		२०	मीर जाफर
बो प्रेष के विप लैयार की जा रही है )		२००	{ गुलान (?) शाह भीक ८० }
सारारीड़ाउसलातीन	१००	—	—
किस्सए दिल ओ हुस्ता	—	६०	—
किस्सए फिरओ	—	१००	मुहम्मद बख्तर

अरेक्षण नाइट्रस

तवारीख-इ-आलमगिरी	३००	—	—	५००	मुहम्मद उमर
देश ग्रन्थक	—	—	२००	मंसूर अली	
जास्तिफ़-इ-लैला	३००	—	—	५००	शाकिर आली
तवारीख-इ-लैपुरी	६४०	—	—	५००	तस्फ़क दुर्रीन
अस्ख़ाकुन नवी	—	२००	—	५००	गुलाम अशरफ़
पदनामी ( १ ) कारीदुर्दीन कुत ( पदा भै )	—	—	१००	मुहम्मदुर्दीन	
गुल ओ-हुम्ज	—	—	—	१००	गुलाम हैदर
दूर इ-मज़लिस	—	—	—	१००	शेख मुहम्मद चख्शा
जामीउल्हक्कावानीन	—	—	२५०	—	( गुलाम युस्ताम १ ) सुभान
	—	—	१००	—	हैदर बख्श

पूर्व और प्रेस में जाने के लिए	नक्कि चौपैरी पृष्ठ	छोटे चौपैरी पृष्ठ	अठपैरी पृष्ठ	मौलवी अमानतउल्लाह, मौलवी फ़ज़्रुल्लाह, मिर्ज़ा काज़िम अली जाव़	ग्रन्थकर्ता	चिरेष
तैयार रचनाओं के नाम	—	—	—	दोनो मौलवी ८०-८० रुपए का बोतन पाने योग्य है और मिर्ज़ा जाव़ को इस समय मिल रहे ८० रुपए की जगह कम से कम सौ रुपए मिलने चाहिए। पिछले कई महीनों से ये तीनो एक ऐसी रचना में लगे हुए हैं जो एक उदार शासन से हर प्रकार का सम्बन्धित पुरानकार पाने योग्य है, और सुझे आशा है कि कलेज कौसिल मेरी इस सिफारिश को कृपाद्वितीय से देखेगी। मेरी यह सिफारिश उन व्यक्तियों के संबंध में है जो मेरे निरीक्षण में बड़े उत्साह के साथ कृतान का हितुस्तानी लूपांतर करने में लगे हुए हैं। समवतः यह शान्तारह महीने में या शायद उससे जल्दी समाप्त हो जायगा।	दोनो मौलवी ८०-८० रुपए का बोतन पाने योग्य है और मिर्ज़ा जाव़ को इस समय मिल रहे ८० रुपए की जगह कम से कम सौ रुपए मिलने चाहिए। पिछले कई महीनों से ये तीनो एक ऐसी रचना में लगे हुए हैं जो एक उदार शासन से हर प्रकार का सम्बन्धित पुरानकार पाने योग्य है, और सुझे आशा है कि कलेज कौसिल मेरी यह सिफारिश को कृपाद्वितीय से देखेगी। मेरी यह सिफारिश उन व्यक्तियों के संबंध में है जो मेरे निरीक्षण में बड़े उत्साह के साथ कृतान का हितुस्तानी लूपांतर करने में लगे हुए हैं। समवतः यह शान्तारह महीने में या शायद उससे जल्दी समाप्त हो जायगा।	ये बारासत के रहने वाले हैं और इन्होंने एक वर्ष में यह रोचक रचना पूर्ण की है।

ये एक विद्वान् व्यक्ति और कवि हैं जो अभी ताल ही में कॉलेज की पूर्वी या साहित्य का केंद्र समझ कर यहाँ आए हैं। नारासत के हेड मुंशी । इनकी रचना प्रस्तावित पुराइकार पाने योग्य है। कल क्षेत्र के एक 'देशी मज़बूत' जिन्होंने बड़े उत्ताह के साथ यह मिथ्यत सम्राट् तैयार किया है । यह एक परिपक्व रचना न होकर इस बात का उदाहरण है कि प्रोत्साहन मिलने पर इस इनसे क्या आशा कर सकते हैं ।

साधारण योग्यता के एक हितुस्तानी कवि ।

नारासत के एक मुंशी । हितुस्तान के रहने वासे एक विद्वान् । इस छोटी-सी रचना की मीर शेर अली ने अबही प्रशंसा की है । परिच्छ 'खरेखियन नाहदहस' । इस रचना से हितुस्तानी का शान प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलने की समाविना है ।

बंगाल के निवासी एक देशी द्वारा फारसी रचना का एक उत्तम अनुवाद ।

—	—	४००	काली मिर्ज़ा सुगल	—	१५०	नासित ख़ौ
—	३००	—	—	—	६०	तोताराम
—	३००	—	१००	—	५०	मुहम्मद बख्ता
—	—	—	१००	—	—	शाकिर अली
—	—	—	५०	—	—	—
—	—	—	—	—	१००	मुलायम हैदर
—	—	—	—	—	१००	—
—	—	—	—	—	—	—

कॉलेज कौसिल कुरान के हिंदुस्तानी रूपातर के बास्ते पुरस्कार देने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। शेष के निरीक्षणार्थ उन्होंने दो देशी विद्वानों की एक कमेटी नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट इस प्रकार है, और जिस पर १० अक्टूबर, १८०३ को कौसिल ने विचार किया था :

‘बोस्टॉ’ ( अनुवाद )—सामान्यतः भाषा अच्छी है; और रचयिता सहायता पाने योग्य है। ग्रंथ में कुछ अशुद्धियाँ हैं जो व्राशा की जाती हैं कि छपाते समय सुधार दी जाएँगी। श्री गिलकाइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार...४०० रुपए।

‘कलाकाम’ ( अनुवाद )—भाषा काफी अच्छी है और ग्रंथ की रचना अत्यंत सुदर ढंग से हुई है। श्री गिलकाइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार...१०० रुपए।

‘युल-ओ-हुम्ज़’ ( अनुवाद )—भाषा ग्रंथ के अनुरूप है, यद्यपि इसमें अशुद्धियाँ बहुत हैं। लेकिन श्री गिलकाइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार दिया जा सकता है...१०० रुपए।

‘युलवकावली’ ( अनुवाद )—शैली और भाषा अच्छी हैं, किन्तु रचयिता कुछ सहायता पाने योग्य जान पड़ता है। श्री गिलकाइस्ट द्वारा प्रस्तावित १५० रुपए के स्थान पर १०० रुपए दिए जायें।

‘झीरोज़शाह’ या ‘शहर बदख्शां की कहानी’ ( अनुवाद )—इस ग्रंथ की न तो शैली ही अच्छी है न भाषा, किन्तु तब भी रचयिता को कुछ सहायता दी जा सकती है। श्री गिलकाइस्ट द्वारा प्रस्तावित ५० रुपए में से कुछ कम करने की कोई गुंजायश नहीं है।

‘युलसनोवर’ ( अनुवाद )—यह एक हास्य-संग्रह है जिसमें बहुत-से हास्य तो शब्दों को उनके उच्चारण-मेद से भद्दा और अश्लील बना देते हैं। लेखक की अज्ञानता-वश इसमें अशुद्धियाँ भरी पड़ी हैं। सहायता देने के बदले लेखक कॉलेज के सामने एक अश्लील स्थलों से पूर्ण रचना प्रस्तुत करने की धृष्टा के अपराध में दोषी ठहराया जाय।

‘दिलस्बा’ ( अनुवाद )—रचयिता उदूँ ज़बान से परिचित नहीं जान पड़ता और काव्य-शास्त्र के नियमों से तो विलक्षण अनभिज्ञ है। कुछ अश कवित शैली में लिखे गए हैं लेकिन लेखक ने आगे चल कर इस शैली में दूसरी शैलियों का सम्मिश्रण कर उदूँ ज़बान का प्रयोग करने की असफल चेष्टा की है।

‘हुस्ने-इक्षितलात’ ( अनुवाद )—सामान्यतः भाषा ठीक है, किन्तु शैली अनुपयुक्त है। निर्धारित विषय के संबंध में अज्ञानता के कारण इस छोटे से ग्रंथ में इतनी भूलें और अशुद्धियाँ हैं कि इसकी वर्तमान दशा में लेखक कोई पुरस्कार पाने योग्य नहीं है।

यह रिपोर्ट एच० कोलब्रुक द्वारा प्रेषित हुई थी और कॉलेज कौसिल ने उसे ज्यों का त्वं प्रहस्य कर गिलकाइस्ट को तबदुआर सूचित कर दिया।

## ओ

**२० सितंबर, १८०४ को कौसिल के सामने पेश की गई<sup>१</sup>  
दुस्तकों की सूची :** (पृ० ७३)

### हिंदुस्तानी

१. 'हिंदी स्टोरी टैलर', दूसरी जिल्द। फ़ारसी और नागरी लिपियों में कहानियों का संग्रह।

२. 'अख्लाक-इ हिंदी' हिंदोपदेश के फ़ारसी मंस्करण का हिंदुस्तानी विभाग के प्रधान सुंशी, मीर बहादुर अली, द्वारा अनुवाद। फ़ारसी लिपि, नस्तालीक अक्षर।

३. 'गुलबकावली', सूफ़ी-दर्शन के रूपक-रूप में एक अनुदृत कथा (Fair tale)। शेख इब्न अबुल उल्लाह की फ़ारसी रचना का सुंशी निहालचंद द्वारा अनुवाद। नस्तालीक अक्षर।

४. 'शकुंतला नाटक', अथवा पाणवातक अँगूठी की कहानी। लल्लूलाल कवि और मिजां काजिम अली जर्वा द्वारा बजभाषा से अनूदित। गिलक्राइस्ट द्वारा किए गए लिपि-सुधार की परीक्षा के लिए रोमन लिपि में।

५. 'हिंदायत-उल्-इस्लाम', मौलवी अमानतुल्लाह द्वारा समर्हीत और अनूदित। नस्तालीक अक्षर।

६. 'तोता-कहानी,' कादिर बखश की फ़ारसी रचना का मुशी हैदरबखश द्वारा अनुवाद।

७. 'कुरान', छठका एक अश। देशी विद्वानों द्वारा अरबी से हिंदुस्तानी में अनुवाद।

इन ऊपर की रचनाओं का निर्माण गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में हुआ था।

८. 'व्यवहारेपयोगी संवाठों का संग्रह', अँगरेजी और प्राचीन हिंदुस्तानी में। हिंदुस्तानी व्याकरण का अध्ययन न कर सकने वाले व्यक्तियों को हिंदुस्तानी भाषा का शान प्राप्त कराने के लिए। लेखक, एन्साइन विलियम मैक्डूगल, हिंदुस्तानी भाषा के सहायक प्रोफ़ेसर।

### प्रेस अ०

९. 'प्रेमसागर', भागवत के दशम अध्याय का अनुवाद जिसमें कृष्ण-कथा का वर्णन है। लेखक, लल्लूलाल कवि। नागरी लिपि।

१०. 'आरायश-इ-महफ़िल', फ़ारसी में हातिमताई की कहानी का सुंशी सैयद हैदरबखश द्वारा अनुवाद। छोटे नस्कूशी (१, नस्ख) अक्षर।

११. 'ख़िद अफ़्रोज़ा', अबुलफ़ज़ल के 'अयार दानिश' का मौलवी शेख इक़बीली अहमद द्वारा अनुवाद। छोटे नस्कूशी अक्षर।

१२. 'जौस्पेल-स' (इंसाई धर्म-पुस्तक), देशी विद्वानों द्वारा हिंदुस्तानी में अनूदित। विलियम हंटर द्वारा ग्रीक से तुलना और संशोधन। नागरी लिपि।

१३. 'इ-मोहसनी', मीर अमन द्वारा फ़ारसी से अनूदित नागरी लिपि

प्रेस के लिए तैयार हो रही पुस्तकें

१४. 'सिहासन वर्तीसी', अथवा विक्रमादित्य के सिहासन की ३२ पुतलियाँ द्वारा वर्णित कहानियाँ। लख्तुलाल कवि द्वारा संस्कृत से अनुदित। नागरी लिपि।

१५. 'अख्लाक-उल्लंजिता' हिंदुस्तानी भाषा के सहायक प्रोफेसर, जेम्स मोश्ट, के निरीक्षण में अमानतुल्लाह द्वारा फ़ारसी से अनूदित।

5

खिल्डा नं० १ (पृ० ७६)

कॉलेज की स्थापना के समय से श्री गिलकाइस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकों—कौसिल से ग्राम आर्थिक सहायता के विवरण सहित:

पुस्तके	प्रकाशित होने पर की प्रति का मूल्य	कुल रुपया	प्राप्त आर्थिक सहायता
१. ऐटी जार्डनिस्ट	२६ रु०		
२. ऑरिएंटल लिमिटेड, द्वि०स०	०		
३. स्ट्रेनजर्स गाइड	८ रु०	१४ रु०	
४. हिंदी गुलिस्ताँ, दो जिल्द			३००० रु०
५. हिंदी स्टोरी टैलर, पहली जिल्द			१००० रु०
६. हिंदी मोरल प्रीसेप्टर	२० रु०	३२ रु०	
७. पौलीग्लौट केबिलस	३२ रु०	१२ रु०	
८. हिंदी अरेनिक टेबिल	४ रु०		
९. प्रौस्पैष्टम ऑव दी हिंदी ऐल्फावेट	२ रु०	५८ रु०	६००० रु०
१०. हिंदी स्टोरी टैलर, दूसरी जिल्द	८ रु०		
११. अख्लाक़-इ-हिंदी	१० रु०		
१२. नस्त-इ-बेनज़ीर	१० रु०		
१३. गुल-इ-वकावली	१२ रु०		
१४. शकुंतला नाटक	८ रु०	४६ रु०	

१७२ रु० के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य —

२७,२०० रु.

२०० प्रतियाँ लेने के बचन के आधार पर छप चुके ग्रथो पर निकलता

हुआ रप्या—

५,२०० रुप

चिह्न नं० ३

२० अगस्त, १८०४ को हिंदुस्तानी प्रेस में जो ग्रंथ थे उनका चिन्ह ! ये सब श्री गिलकराईट की सपत्नी हैं

प्राचीन शिल्प

छुपनेवाले पुष्टों का मूल्य

पुणे के सरकार में अनुमोदन

卷之三

ભાગ દ્વિતીય

क्षेत्री	२० अध्याय	५००	४ अध्याय	५६					
"	१६ "	५०८	३ "	१००					
"	७ खण्ड (Divisions)	२००	२ संहिता	७६					
"	३५ प्रकरण (Sections)	११४	२६ प्रकरण	१०८					
		३३६	५२वां प्रकरण—४ पुस्तक	३४०					
		२७८	२७८ वें तीन पुस्तकों	२७८					
		१६३६	इतनी छाप चुकी है कि उन्हें पूर्ण ही समझा जा सकता है।	३०८					
		३०८	२७२	२७२					
म घटपेती	कुल क्षेत्री पुस्तक	१६३६		१००					

## कृ

१ अगस्त १८०७ को निम्नलिखित पुस्तक फ्रीट विलियम कालेज के पुस्तकालय  
और कुछ खरीद कर, बंडे सरकार को भेजी गई थीं :

हिंदुस्तानी-पुस्तकों	कुल	कर्गले ज द्वारा प्रदत्त	वैदि क्षिति द्वारा प्रदत्त	एक प्रति का मूल्य	कुल रुपया	
					रु०	आ० प.
१. सिहासन चत्तीसी	५०	२५	२५	२० रु०	५००	-
२. बैताल पच्चीसी	५०	२५	२५	१६ „	४००	-
३. मसनवी	५०	२०	३०	५ „	१५०	-
४. एप्रेंडिक्स टु गिलक्राइस्ट्स डिक्शनरी	५०	५०	-	-	-	-
५. आर्सिएंटल लिक्रिस्ट	५०	५०	-	-	-	-
६. मिस्कीन कृत मसिया	५०	५०	-	-	-	-
७. प्रैवटीकल आउटलाइन्स	५०	५०	-	-	-	-
८. शकुंतला, नागरी में, खंड	५०	५०	-	-	-	-
९. आथार दानिश	५०	३०	२०	६. द. ०.,,	१३०	.
१०. हातिमताई	५०	३०	२०	४. १५.०.,,	६८	१२
११. घ्रेमसागर	५०	३०	२०	११.७.०.,,	२२८	१२
१२. रुटे न्जर्स गाइड	५०	-	५०	८.,,	४००	.
१३. हिंदी गुलिस्ताँ, दो जिल्द	४२	-	४२	१६.,,	६७२	.
१४. हिंदी मौरल प्रीसेप्टर	५०	-	५०	१२ „	६००	.
१५. गुलब्रकावली	५०	-	५०	१२ „	६००	.
१६. हिंदी स्टोरी टैलर, दो जिल्द	५०	-	५०	१६ „	८००	.
१७. अख्लाक्ह-हिंदी	५०	४	४६	१० „	४६०	.
१८. नस इ-बेनज़ीर	५०	५	४५	१० „	४५०	.
१९. तोता कहानी	५०	-	५०	१२ „	६००	.
२०. शकुंतला (रोमन लिपि में)	५०	-	५०	४ „	२००	.
२१. चार दर्शेश	५०	-	५०	२० „	१०००	.
२२. डायलौज़	२७	४	२३	१२ „	२७६	.

## ख

उन ग्रंथों को सूची जिनसे हंटर ने अपनी 'हिंदुस्तानी डिक्षितरी' के फ़ाइल-समूह ग्रहण किया था : (पृ० १०३)

१. मीर तकी : 'कुल्लियात' २. ज़ुरत : 'कुल्लियात' ३. सौदा : 'कुल्लिय
४. मीर सोज़ : 'दीवान' ५. मीर शेर अली अफ़सोस : 'दीवान' ६. मीर इसन : 'मसन
७. आफ़ताब (शाह आलम) : 'मसनवी' ८. वली : 'दीवान' ९. दक्खिनी बोली में टीपू  
पुस्तकालय से किसी अज्ञात कवि की रचना : 'मसनवी' १०. नज़ीरी : 'दीवान' ११. मि  
जवाँ : 'बारहमासा' १२. मीर इसन : 'मसनवी खवाब अलवान' १३. मीर दर्द : 'दीव
१४. मीर शेर अली १५. बहादुर अली 'नस इ-बेनज़ीर' १६. हैदर नव

किस्से इ-हातिम' १७. मीर आमन 'बाजोबहार १८. मीर शेर आमहफ़िल' १६। मिर्ज़ा काखिम अली 'शकु तला २०. मजहर अली खाँ  
दर बखश : 'तोता कहानी' २२. १ : 'नक्लियात' (लल्लूलाल कृत ? )  
कवि, 'प्रेमसागर' २४. मजहर अली खाँ : 'बैताल पर्चीसी' ५५५. मिर्ज़ा  
जवाँ : 'सिहासन वर्त्तीसी' २६. लल्लूलाल कवि : 'राजनीति' (ब्रजभाषा)  
'रामायण' (पूर्वी) २८. मीर बहादुर अली : 'अख्लाक-इ-हिंदी'  
'कवित्त-रामायण' ३०. सदल मिश्र पडित : 'राम चरित्र' (पूर्वी, सस्कृत  
नारायण : 'किस्स-इ-आक्षिलशाह' ३२। : 'राजकोप' ३३. १ : 'भाव  
'अल-फ़ाज़ अद्वीया' ३५। : 'रियाजुल अद्वीया' ३६। : 'सेहत-उल-ज  
'मख्जन उल-अद्वीय' ३८। : 'गुरायिब-उल-लुशात' ३८. डॉ० हैरिस : '  
नरी' ४०. गिलक्राइस्ट और रोएबक : 'हिंदुस्तानी डिक्षणरी' ४१. इश्वर  
'दरिया-इ-लताफ़त' ४२. इब्राहीम अली खाँ : 'तज्जिरा' और ४३. ग्लैडन  
पश्यन एंड हिंदुस्तानी' । १

## ग

सरकारी कागजों के आधार पर लौकेट का मेज़ा  
इस प्रकार है : (पृ० १०५)

पुस्तक का नाम और विवरण	प्रति पृ०	दिया गया धन	किसके द्वारा अधि- कृत और किस तिथि में
१. शकुतला, नागरीमें	५००	१४०६. ४ ०	कॉलेज कोसिल द्वारा, ६ फरवरी, १८०२
२. प्रैकटीकल आउट- लाइन्स और एस्कैच ओव हिंदी और थीणी ऐड दि हिंदुस्तानी प्रिसीपिल्स	५००	३९५०. ०. ०	कॉ० कॉ०, १ फरवरी, १८०२
३. मिस्कीन कृत एलेजी, हिंदी	५००	३७५. ०. ०	कॉ० कॉ०, २५ जनवरी, १८०२
४. अख्लाक-इ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी में हिंदोपदेश का अनुवाद और एक दूसरा संस्करण शुद्ध हिंदी में	५००	४५००. ०. ०	कॉ० कॉ०, १

— कॉ० वि०, १७ मार्च, १८०२—१० जुलाई, १८११, जो  
प० ४८६ ड८० ४० र० हि०

५. गुलिस्ताँ और पदनामा, हिंदुस्तानी में अनुवाद	१००	३०००. ०. ०	कॉ० कौ०, २४ जनवरी, १८०३
६. नस्त-इ-बेनज़ीर, हिंदी		?	कॉ० कौ० !
७. दि हिंदो मौरल प्रीसेप्टर	२०	१	
८. दि आर्सिएंटल फैब्रिलिस्ट और पौली-ख्लॉट, पूर्व की छः भाषाओं में ईसप्स फ्रेंचिल्स का अनुवाद	२०	१०००. ०. ०	कॉ० कौ०, २७ जून, १८०३
९. हिंदी-स्टोरी टैलर, नागरी और फ़ारसी लिपि में	१००	१२००. ०. ०	कॉ० कौ०, १३ जनवरी, १८०३
१०. बारोबहार	५००	१७३७. ८. ०	कॉ० कौ०, ३१ अगस्त, १८०४
११. तोता कहानी, हिंदी	१००		कॉ० कौ०, १२ नवंबर, १८०४
१२. गुलज़कावली, फ़ारसी से हिंदी में अनुवाद	?	?	कॉ० कौ०, !
१३. बत्तीसी सिहासन, मूल संस्कृत के ब्रजभाषा संस्करण से हिंदुस्तानी अनुवाद	१००	१०००. ०. ०	! !
१४. मसनधी मीर इस्तन	१००	१०५०. ०. ०	कॉ० कौ०, २४ जून, १८०५
१५. वैताल पचीसी, मूल संस्कृत के ब्रजभाषा और फ़ारसी संस्करण से हिंदुस्तानी में अनुवाद	१००	१२००. ०. ०	कॉ० कौ०, ३० सितंबर, १८०५

१६. आरायश-इ-मह- फिल, प्रथम भाग, अथवा हिंदी में हिंदुस्तान के राजाओं का इतिहास	१००	२१००.	०.	०	कॉ० कौ०, २८ सितंबर, १८०७
१७. हिंदुस्तानी ऐड- हंगलिश डिक्षनरी	१००	६०००.	०	०	कॉ० कौ०, २४ जून १८०५
१८. राजनीति, ब्रज- भाषा में	१००	८३७.	८.	०	कॉ० कौ०, ३ फरवरी, १८०६
१९. विहारी की सत- सई, ब्रजभाषा में	१००	२४०.	१०.	०	कॉ० कौ०, ५ मई, १८०६
२०. प्रेमसागर, द्वितीय संस्करण	१००	१६३५.	०.	०	कॉ० कौ०, ३ फर- वरी, १८०६
२१. तुलसी कृत रामा- वद्य	१००	२५७६.	६.	०	कॉ० कौ०, १६ जनवरी, १८१०
२२. लतायक-इ-हिंदी, अथवा हिंदी और हिंदु- स्तानी में कहानियों का संग्रह	१००	८७५.	८.	०	कॉ०, कौ०, २६ जनवरी, १८१०
२३. सर्फ़ - इ - उदू०, हिंदुस्तानी पद्य	१००	३५७.	४.	८	कॉ० कौ०, २३ जनवरी, १८१०
२४. इंतखाब - इ - कुल्लियात-इ-मिर्जाँ ईफ़ी- ठस्तौदा, हिंदुस्तानी	१००	२३७५.	१२.	०	,, , ,
२५. ब्रैमैटिकल प्रिसी- पिल्स और ब्रजभाषा ऐड इंग्लिश	१००	६०४.	८.	०	कॉ० कौ०, २६ जनवरी, १८१०

२६. हिंदुस्तानी में इख्बामुस्सका का अनु- वाद	१००	१२५०. ०. ०	कॉ० कॉ०, २६ जून, १८१०	कारण और विवरण मंत्री के २२ जून, १८१० के पत्र में।
२७. मीर तकी की मूल रचनाएँ	१००	५४३४. ०. ०	कॉ० कॉ०, २६ जुलाई, १८१०	कारण और विव- रण मंत्री के २२ जुलाई, १८१० के पत्र में।
२८. नैवल डिक्षनरी	१००	८००. ०. ०	कॉ० कॉ०, २६ मार्च, १८११	कारण और विव- रण मंत्री के १५ जनवरी, १८११ के पत्र में।
२९. हिंदुस्तानी डिक्षा- नरी का परिशिष्ट भाग	१००	३०००. ०. ०	कॉ० कॉ०, २६ जनवरी, १८०८	कारण और विव- रण मंत्री के २१ दिसंबर, १८०८ के पत्र में। १६ फर- वरी, १८१० से १८ महीने के लिए एक सुशी और एक पंडित के वेतन- स्वरूप ७० रु० मासिक डॉ० हॉटर को दिए गए। इसके बाद वह जून, १८१२ तक बढ़ा हिया गया। परिशिष्ट भाग अभी प्रकाशित नहीं हुआ।
३०. अङ्गरेजी अनुवाद उहित अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी और पंजाबी भाषाओं में कहावतों का संग्रह	१००	२२७४. ०. ०	कॉ० कॉ०, २६ जनवरी, १८११	कारण और विव- रण मंत्री के १८ जनवरी, १८११ के पत्र में। संग्रह अभी प्रकाशित नहीं हुआ।
३१. भारहमासा, हिंदी में	१००	४२५. ०. ०	कॉ० कॉ०, २६ मई, १८१२	कारण और विव- रण मंत्री के १८ मई, १८१२ के पत्र में।

अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, संस्कृत, मराठी, उडिया और हिंदू-मुस्लिम आईन की कुल नवाची पुस्तकें प्रकाशित हुईं और कुल व्यय २६४१०६.६.१ हुआ।

### विस्तृत विवरण :

#### शकुंतला

डॉ० गिलकाइस्ट कृत पूर्वी और पश्चिमी ध्वनियों प्रकट करने वाली वर्ण-विन्यास (Orthoepigraphical) आयोजना के उदाहरण-स्वरूप शकुंतला नाटक की लोकग्रन्थ कथा जिसका 'शकुंतला अथवा फैलरिंग' शीर्षक से सर विलियम जोन्स ने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था।

#### मिस्कीन कृत एलेजी—हिंदुस्तानी

२५ जनवरी, १८७२ को कॉलेज कौसिला ने निष्पत्रित प्रस्ताव स्वीकार किया था :

'कि विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकों से सर्वध रखने वाले २ नवंबर, १८७१ के प्रस्ताव की नकल विभिन्न प्रोफेसरों के पास भेजो जाय और उनसे अपने-अपने विषयों से सर्वध रखने वाली पाठ्य-पुस्तकें छुन कर यथासंभव शीघ्र ही कौसिल के पास भेजने की प्रार्थना की जाय।'

विद्यार्थियों के लिए हिंदुस्तानी ग्रंथों का निरांत अभाव था। इसलिए डॉ० गिलकाइस्ट के कहने से यह तथा निष्पत्रित हिंदुस्तानी ग्रंथ अथवा उनसे जुने हुए अशो के सम्राट् कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित हुए थे।

#### सिंहासन बच्चोंसी

संस्कृत से अनूदित ब्रजभाषा संस्करण से। ब्रजभाषा संस्करण समाद् शाहजहाँ की आज्ञा से।

#### शकुंतला नाटक

#### अख्लाक-इ-हिंदी

#### बैताल पचीसी

ब्रजभाषा से हिंदुस्तानी में।

#### बागोबहार

अमीर खुसरो कृत मूल फ़ारसी से। एशियाई शिष्ठाचार और रीति-रसमों का वर्णन।

मीर हसन की मरनवी

'सहस्र बयान' के नाम से भी प्रसिद्ध है। शाहजादा बेनझीर की कथा रूपक के रूप में।

#### हिंदी गुलिस्ताँ श्रौर पंदनामा

#### सौदा कृत 'गुलस्तौ'

#### ताता कहानी

ज़ियाउद्दीन नस्तिमू कृत फ़ारसी 'दतीनामा' का संवित रूपांतर।

## हिंदुस्तानी छिकशनरी

गिलक्राइस्ट द्वारा अपने विद्यार्थियों के लाभार्थ रचित ।

नस्त-इ-बेनज़ीर

मीर हसन की मसनवी का गद्यात्मक रूप । डॉ० गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में हिंदुस्तानी कलाओं के लाभार्थ ।

## शिदी मौरल प्रीसेप्टर

और 'पश्चियन स्कॉलर्स शॉट्ट गाइड टु दि हिंदुस्तानी लैन्बेज'—लेखक डॉ० गिलक्राइस्ट । इसमें फ़ारसी और हिंदुस्तानी विभक्तियाँ तथा व्याकरण, और सादी कृत पंदनामा तथा अन्य रचनाओं से अँगरेजी अनुवाद सहित उद्धरण हैं । साथ ही विद्यार्थियों के लाभार्थ हिंदुस्तानी अनुवाद सहित फ़ारसी में बातचीत भी जोड़ दा गई है ।

## आर्फिएंटल फैब्यूलिस्ट

अथवा विद्यार्थियों के लाभार्थ डॉ० गिलक्राइस्ट कृत ईसप्स फ़ेविल्स का अरवी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, अजभापा, संस्कृत और बंगाल में अनुवाद ।

## गुलबकावली

फ़ारसी कथा का हिंदुस्तानी अनुवाद । हिंदुस्तानी में 'मज़ाहब-इ-इश्क़' के नाम से भी प्रसिद्ध है । फ़ारसी ग्रथकार का नाम शेख इज़्जतुल्लाह है जा सौ वर्ष पूर्व बंगाल के निवासी थे । निहालचंद ने इसका अनुवाद किया था और पाठ्य-पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी ।

## सिहासन बच्चीसी

संस्कृत से हिंदुस्तानी में ।

मीर हसन की मसनवी

## आरायश-इ-महफ़िल

'खुलासहुत्त हिंद' के एक भाग का मीर शेर अली अफ़सोस द्वारा संकृत हिंदुस्तानी रूपानन्द । दिल्ली के—युधिष्ठिर से राय पिथौरा तक—हिंदू राजाओं का इतिहास ।

## हिंदुस्तानी एंड इंगलिश डिक्शनरी

डॉ० विलियम हंटर द्वारा प्रकाशित हिंदुस्तानी भाषा का कोष । कैट्टेन जे० टेलर द्वारा मूल संपादन का संशोधन ।

## राजनीति—'ब्रजभाषा'

हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर ने एक अति उत्तम पाठ्य-पुस्तक के रूप में इसकी लिङ्ग-रिश की यी ब्रजभाषा की शित्र के लिए यह अव्यति है

### बिहारी का सतर्दै

पाठ्य पुस्तक के रूप में इसके गुण और उपयोग देख कर का तंज कौसिल न सरकारी सरकारी के लिए सिफारिश की थी।

### प्रेमसागर

हिंदुस्तानी के बतेमान प्रोफेसर ने इस ग्रंथ के, जिसमें हिंदू देवता कृष्ण की जीवनी है, संघर्ष में इस प्रकार लिखा था—‘पाठ्य-पुस्तक के रूप में हिंदुस्तानी के पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि में सहायक होने का संभाना तथा उपयोगिता और ‘भाखा’ में पुस्तकों का अत्यंत अभाव होने की विष्टि से कॉलेज कौसिल का संरक्षण पाने योग्य है।’

### तुलसी कृत रामायण

#### लतायक-इ-हिंदी

कॉलेज के भाषा-सुशीललूकाल कवि ने यह ग्रंथ प्रकाशित किया है। यह उदू भाषा, जिसमें कहावतों और सुहावरों की छवि दिखाई गई है, और हिंदी में कहानियों का संग्रह है। हिंदुस्तानी के प्रोफेसर, कैट्टेन डेलर, और प्लॉर्ट विलियम कालेज के पराक्रम, लेफ्टिनेंट लोकेट, द्वारा रचित अर्थ सहित दुर्बोध और अर्थावारण शब्दों और अभिभ्यजनाओं का एक कोप भी उसमें जोड़ दिया गया है। हिंदुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करने में इस ग्रंथ से सहायता मिलने की विष्टि से एक उपयोगी ग्रंथ देख कर तथा २५ जनवरी के मन्त्री के पत्र में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर की इसकी रचना के संबंध में सम्मति देखकर कॉलेज कौसिल ने सौ प्रतियाँ लेने की सिफारिश की थी।

#### सर्फ़-इ-उदू

यह अमानतुल्लाह कृत हिंदुस्तानी व्याकरण का नंदेश में सार है। स्वरण सखने की सरलता का विवार कर उन्होंने इसकी रचना पद्धात्मक रूप में की है। हिंदुस्तानी के प्रोफेसर ने कॉलेज कौसिल को लिखा था कि यह ग्रंथ निच्च कक्षाओं में सुहावरों और व्याकरण की सरल पद्धात्मक रूप में शिद्धा देने में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा (मन्त्री का पत्र, २२ मार्च, १८१०)।

### इतखाव-इ-कुल्लियात-इ-सौदा

#### इंग्रेजिकल प्रिंसीपिल-स आॅव बृजभास्त्रा

हिंदुस्तानी भाषा की एक लाभदायक बोली और उसकी रचना-विधि का ज्ञान उपलब्ध करने के लिए उपयोग होने की विष्टि से हिंदुस्तानी के प्रोफेसर ने इसे अच्छा ग्रंथ बताया था।

#### मीर तक्की की रचनाएँ

सपादक—प्रधान सुंशी तारिखीचरण मित्र और गुलाम अकबर।

व्याकरण सहित इंग्लिश और हिंदुस्तानी नैवल डिक्षणरी—संपादक, लेफ्टिनेंट रोएवक।

हिंदुस्तानी डिक्षणरी का परिषिष्ट भाग—सपादक, डॉ. विलियम हर-

हिंदुस्तानी, फ़ारसी, अरबी और पंजाबी में कॉलेज कॉसिल के मन्त्री, डॉ० विज्ञियम हठर, द्वारा पूर्वी कहावतों का संग्रह।

### बारहमासा

या दस्तूर-उल-नहिद। हिंदुस्तानी विभाग के मिर्जा काज़िम अली की हिंदुस्तानी में एक कविता। इसमें भारतवासियों के शिष्याचार तथा रीति-रसमों और वर्ष के विभिन्न महानों में अनेक कार्यों का वर्णन है। हिंदुस्तानी में मूल रचनाओं का अभाव है और जिन ग्रंथों को प्रोत्साहन मिला है उनमें से आधाकाश दूसरी भाषाओं से अनूदित ग्रंथ रहे हैं। मौलिकता के महत्व और हिंदुस्तानी भाषा का शिक्षा देने के अतिरिक्त यहाँ के निवासियों की अजीब रीतियों के संबंध में सूचित करने की इष्टि से भी इस कविता का लाभ है।<sup>१</sup>

### घ

गिलक्राइस्ट और प्राइस के संचिस जीवन-विचरण

### गिलक्राइस्ट

( १७८६-१८४१ )

गिलक्राइस्ट का जन्म १७५६ में एडिन्बरा में हुआ था। वहाँ के जॉर्ज हेरियट्स (Heriot's) अस्पताल में चिकित्सा-संबंधी शिक्षा प्राप्त कर वे ३ अप्रैल, १७८३ को इंस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी की हैसियत से सहायक सर्जन नियुक्त होकर कलकत्ते आए। २१ अक्टूबर, १७६४ को वे सर्जन नियुक्त हुए। भारतवर्ष में रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी के अध्ययन और प्रचार के लिए विशेष प्रयत्न किया और निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की :

'ए डिक्षनरी इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी', दो भाग ( १७८७—१७९० )

'ए ग्रैमर ऑव दि हिंदुस्तानी लैरेंज' ( १७९६ )

'दि आर्सिएटल लिपिवस्ट' ( १७९८, द्वितीय संस्करण, १८०२ )। कॉलेज ( १८०० ) में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हो जाने पर उन्होंने अनेक पाठ्य-पुस्तकों ( भारतीय अध्यापकों द्वारा रचित ) का रूपादन और निर्माण किया, जैसे,

'दि एटी जार्गोनिस्ट' ( 'दि आर्सिएटल लिपिवस्ट' का संक्षिप्त संस्करण, १८०० )

'दि स्ट्रॉजर्स ईस्ट इंडियन गाइड दु दि हिंदुस्तानी' ( १८०२, द्वितीय संस्करण लदन से—१८०८, तृतीय संस्करण, १८२० )

'द हिंदी स्लोरी टैलर' ( १८०२ )

'ए कलेक्शन ऑव डायलौग्स, इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी' ( १८०४, एडिन्बरा से द्वितीय संस्करण, १८०६, लंदन से तृतीय , १८२० )

'दि हिंदी मौरल प्रीसेप्टर' ( १८०३ )

दि आरिएटल फैब्यूलिस्ट' ( १८०३ ), आदि ।

स्वास्थ्य ठीक न रहने तथा अन्य कारणों से १८०४ में वे त्याग-पत्र देकर हँगलैड वापिस चले गए । सर्परिषद् गवर्नर-जनरल ने उनकी कोर्ट से सिक्षारिश की और लॉर्ड वेलेजली ने व्यक्तिगत रूप से एक पत्र श्री ऐडिगटन ( बाद को लॉर्ड सिड्मथ ) को भी लिखा । कुछ दिन तक वे एडिन्बरा में रहे जहाँ के विश्वविद्यालय । ३० अक्टूबर, १८०४ को उन्हे एल-एल० बी० की उपाधि प्रदान की । ६ जनवरी, १८०६ को उन्होंने कपनी की नौकरी छंड दी और ३०० वार्षिक पैशन उन्हे मिलने लगा । गिलकाइस्ट तेज़ मिज़ाज और उम्र राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे और इसीलिए प्रायः उनका लोगों से कहांहा हो जाया करता था । उन्होंने एक पूर्वीय चिडियाघर भी खोला और जेम्स इंग्लिस (Inglis) की सहकारिता में 'इंगलिस, बौर्थविक् गिलकाइस्ट' के नाम से एक बैक भी खोली । लेकिन दूसरी बैंकों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखे जाने पर गिलकाइस्ट की बैंक बहुत शीत्र बन्द हो गई ।

१८०६-८ में उन्होंने एडिन्बरा से 'ऐटी-जागोनिस्ट', 'स्ट्रेंजर्स गाइड', 'आरिएटल लिविस्ट' तथा कई अन्य हिंदुस्तानी भाषा-संबंधी रचनाएँ मिलाकर उन्हे 'दि ब्रिटिश इंडियन मौनीटर', दो भाग, के नाम से प्रकाशित किया । १८१२ में उन्होंने ग्रासगो से 'Parliamentary Reform on Constitutional Principles; or British Loyalty Against Continental Royalty' नामक एक सनसनी पूर्ण राजनीतिक रचना प्रकाशित की । तत्पश्चात् भारत में सरकारी नौकरी पाने के हच्छुक व्यक्तियों को निजी तौर से पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा देकर धनोपार्जन की दृष्टि से वे १८१६ में लंदन चले आए । दो वर्ष बाद इंस्ट इंडिया कपनी ने अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से चिकित्सक अफसरों, को भारत आने से पूर्व हिंदुस्तानी के प्राथमिक सिद्धांतों का शिक्षा देने का निश्चय किया । इस कार्य के लिए उन्होंने गिलकाइस्ट को २०० L. वार्षिक पर लाइसेस्टर (Leicester) स्कायर में स्थापित आरिएटल इस्टीव्यूशन में प्रोफेसर नियुक्त किया । वेतन के अतिरिक्त, उन्हे १५० L. अधिक और इस शर्त पर दिए जाते थे कि वे फिर प्रत्येक विद्यार्थी<sup>१</sup> से तीन गिनी से अधिक नहीं लेंगे । किन्तु गिलकाइस्ट ने यह स्वीकार न किया और अपनी ओर से वह नियम बना दिया कि विद्यार्थियों का उनकी हास भे तभी दाखिला होगा जब वे उनके प्रकाशकों से इस बात की रसांद ले आवेगे कि उन्होंने उनकी काफ़ी रचनाएँ खरीद ली हैं । उनकी रचनाओं का मूल्य १० L. से १५ L. तक हांग था । इस प्रकार मुफ्त पढ़ाने के बहाने वे अधिकारियों द्वारा निश्चित धन से चौमुना वा पैचगुना धन विद्यार्थियों से ले लेना चाहते थे । उनके पढ़ाने के अव्यवस्थित ढंग की भी कहीं आलोचना की गई । १८२५ में कपनी ने उन्हे सहायता देना बद कर दिया । वे कपनी के अत्याचार, लोभ और उसकी कृतज्ञता की पहले ही शिकायत कर चुके थे । वे चाहते थे कि कपनी न केवल चिकित्सकों को बरबू सभी कर्मचारियों का शिक्षा क लिए उनके पास मेजे राखि उनकी आमदनी और भी बढ़े उन्होंने अपने उमस्त प्रयोग सकलन 'दि आरिएटल,

व्यूनरी पायनियर के नाम से

एक ही जिह्वा मे कर दिया और कपनी के पदाधिकारियों तथा उन सभी को जो पूर्वीय ज्ञान के प्रचार में संलग्न थे भला-बुरा कहा। १८२६ तक वे शिक्षा देते रहे। उसके बाद उन्होंने शिक्षा देने का भार आर्नॉट (Arnold) और डकन फोर्ब्स ने देकर सताइ में एक बार अपना निःशुल्क व्याख्यान देने का नियम रखका। अपने ग्रंथों की विक्री कम होते देख कर उन्होंने फिर पहला प्रथा प्रहण करनी चाहो, किंतु उनकी आशा पूरी न हो सकी। १८२८ के प्रारम्भ मे उन्होंने आरिएटल इस्टीश्यून के पास ही हिंदुस्तानी कहा स्थापित करने की असफल चेष्टा की। आर्नॉट और फोर्ब्स जब उनसे आजिज़ आ गए तो उन्होंने आरिएटल इस्टीश्यून के प्रथम वापिक विवरण (१ अप्रैल, १८२८ को प्रकाशित) में उनकी कड़ी आलोचना की। अपने जोवन का शेष भाग उन्होंने अवकाश मे व्यतीत किया। ६ जनवरी, १८४१ को पेरिस मे उनका देहांत हुआ। उनके कोई उतान नहीं थी। उनकी जी भी ऐन कोवेट्री (Mary Ann Coventry) ने नेपिल्स (Kingdom of Naples) के जनरल ग्युग्लिएल्मो पे पे (General Guglielmo Pepe) से पेरिस मे विवाह कर लिया।

### विलियम प्राइस

विलियम प्राइस ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वे ८ फ़रवरी, १८०७ को बगाल के पॉचवे रेजीमेंट मे लेफ्टिनेंट, ११ जुलाई, १८२३ को कैप्टेन और २२ अप्रैल, १८३१ को मेजर नियुक्त हुए। १८१५ से कुछ बाले वे फोर्ट विलियम कॉलेज मे संस्कृत, बंगला और मराठी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के रूप मे उन्होंने अवकाश प्रहण किया।

प्राइस के सबध मे इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है।

### च

**फोर्ट विलियम कॉलेज मे ६ फ़रवरी, १८०२, २९ मार्च, १८०३ और २० सितंबर, १८०४ मे पढ़ी गई थीसिसें :**

### बेली की थीसिस—१८०३

दावा ॥

हिंदुस्तान मे काररवाई के लीए हिंदी ज्ञान और ज्ञानों से जीआदः दरकार है विद्युस्तानी ज्ञान कि जिसका जिक्र मेरे दावे मे है उसको हिंदी-उरदू आरेखतः भी कहते हैं और यिह मुरक्कब श्रवणी और फ़ारसी ओ संस्कृत या भाषा से है और यिह पिछली अगले ज्ञाने मे तमान हिंद मे राएज़ थी

अरव के सौदागरों की आमद और रफत से और मुसलमानों की अकस्त यूरि और दुकूमति के श्रामी के वाइच अखफ़ाखि अरवी और छारसी उसी पुरानी बोक्सी मे बद्ध मिल गये और ऐक ज्ञान नहीं वन गई ऐसे कि कुनियादि क़दीम पर तामीर नौ होवे

गरज रफत रफत इस जवान जदद ने यिह सूरत पकड़ी और दिल्ली के अहलि रवार ने चाहा कि यिही बोली हमार उन कामों में जो जवान से तश्वलुक रखते हैं वसीलः हो तब यिह बतदरीज हर तरफ़ केली चुनाच नतोऽः इसका यिह हुआ कि हर ऐक मुसलमानी दरबार छोटे आर बड़े में भी ऐक मुहत में यिह नई जवान जारी हुई

आखिरल अमर यिह बोली हिंदूस्तान सबको अज्ञीज और प्यारो हुई आ अकसर मुतविनों ने इसी मुरक्कव जवान पर रापिव होकर इसकी अखज कीआ कि अपने ऐसे मुश्रामलात जिनका इस्तहकाम मौकूफ़ तहरीर पर न हो उनमें इसीसे कलाम करें

जो हिंदिलान मुसलमानों का हिंदुओं के साथ कई सब और बजह से कबही कसरत से हुआ और कवी क्लिनत से—पस इसी बास्ते दिवी जवान में अजनवी अल्फ़ाज़ा की आरम्भिश बहवी कर्सार कवही जलीज हुई

यिह इखिलाफ़ जवान का तीन बजह से बाहर नही याने मुहावरें कदीम या दहाती अमुमी या शहरी—दरवारी या इत्मी—जो कोई नहे इन तीनों का इमतियाज बखूबी करे कि हर ऐक का मकाम जुदा जुदा और फाइदः हिंदूस्तान की हर ऐक नौम और कवाइल में अलाहिदः अलाहिदः

पैहले मुहावरे में अजनवी अलफ़ाज़ कम दखाल हुए हैं इसी बास्ते बुद अपन जगह की देसी भाषा से अकसर जीआदः निसवत रखता है और सदरे में तख्मीनन अज्ञेय खलूता जुँजि असलां के मृतसावी हैं तीसरे में अरवी और फारसी अलफ़ाज़ की जीआदती कमाल है

इस जवान के गलवे में जुक वाजे-वाजे मुल्कों में कितने आरिज्जों से जो पड़ा है सो उनकी तफसील ज़रूर नहीं क्यू कर कि वे हर ऐक साहिवि और पर खुद बखुद रोशन हैं

लेकिन इस इकरार से मेरा दावा कुछ ज़ईक नही हो जाता क्यू कि अगरच हिंदूस्तान की सरजमीन पर कई ऐक सरकार और सूवे के लोग अपनी अपनी देसी भाषा बोलते हैं तौ भी मैं मुसिर हूँ कि उनके या कोई ऐक अजनवी बोली में से जो अब हिंदूस्तान में मुरब्बज़ है वरावर हिंदूस्तानी जवान के उम्मन कोई मुफ्कीद नहीं

ओ यिह बात साहिवि फ़िक्र पर अर्थात् है कि किसी मुल्क वसी में अगरच बहुत देसी भाषा वाल्क वाजी जवानें मुख्तलफ़ भी बोलने में आती हैं तौ भी दरवारी और दारुसलतनत की जवान ला कलाम झाइदे में औरों पर तरजीह रखती है ओ इसी सब से वहां सब कोई क्या मुतविन क्या अजनवी पैहले इसी को मुक़द्दम जानकर इस्त्यामाल में लाते हैं

अब चाहता हूँ कि ऐसी कई दलीलें नकल करूँ कि मेरे दावे की इस बात का नूजिव है

हिंदूस्तान की तमाम सर ज़मीन में कम कोई मुसलमान नज़र आवेगा— हिंदूस्तानी जवान समझता या बोलता न होगा

हिंदू भी जो कहरे इमतियाज रखता हो या मुसलमानों से या अंगरेजों कौम से जिसके कुछ ऐलाक़ : है थोड़ी बहुत हसविहाल अपने नहीं हा सकता कि न जानें

अकसर अज्ञानवी कोमों ने कि दूआदेवाश अपनी हिंदूस्तान में की है इसी ज्ञान को वसीलः गुण्ठतओगू का इखतीआर करते हैं चुनांचि हम जोग पुर्तेज़ ओ ब्लंदेज़ ओ फ्रानसीस ओ दीनामार ओ अरब ओ तुर्क ओ यूनीनी आ इरमनी ओ गुरजो ओ पारस ओ मुशाल ओ चीनी ओ गेरे इस बात के शाहिदि जिदः है

हिंदूस्तान के अकसर लश्करों में यही ज्ञान जवाव ओ सुवाल का व्यसीलः पड़ती है अगरनि हर ऐक आदमी उन्ह में अपने अपने देस की बोली जान्ता है

सेतवंध के करीब से काशुल तक ऐक मुल्क कि जिसकी लंबाई इजार कोस कमआ-वेश और चौड़ाई सात सै कोस तखमीनन है—बड़ी गगा के इस तरफ उसमें जिन वस्तीओं ओ शहरों पर मुसलमानों का तसर्फ़ ओ अमेजिश हुई उन्हों म ऐसे आदमी कम पाए जाएंगे जो हिंदूस्तानी ज्ञान बक्कदर ज़रूरत के न जान्ते होंगे । किता नजार इससे कि गंगा के उस पार भी अकसर जगहों म मथहूर आ मुरब्बज़ है

जो हर किसी कौम रसूमात और चलन और तवारीख का दरयाफ़त करना उनकी ज्ञान की शिनासाई पर वेशतर मौक़ूफ़ है पस और मुल्का की निसवत वसवव मुख्तलिफ़ होने दीन ओ फ़िक्रह ओ रुसूम ओ आदत के हिंदस्तान में यिह शिनासाई ( खुसून ) जीत्रादः ज़रूर है

जब तलक किसी मुल्क के साहिवि तस्ल्लुत और हाकिम अपनी रैयत की ज्ञान से वाकिफ़ न हो ज़ल्म ओ फ़साद खावाहमखावाह आजाम होगा ।

अगरचि किसू ऐक जारी ज्ञान में इन्हमी किताबों की क्रिल्लत हो तो हो लेकिन वही ज्ञान उमराति मुल्की तजारती लश्करी और अदालती के वृशीले के वास्ते सब ज्ञानों सेतुस दथान में मुफ्तीद ओ मुनासिव है

अब यिह बात कहनी ज़रूर हुई कि हनोज़ पाच चार सूदी नहीं गुजरी कि फ़िक्रह फ़राइज़ और काएदः कवानीन और तमाम इलम अजनवी ज्ञान से हमारे मुल्क मे सीखा और लिखा जाता था इस पर भा अंगरेजी ज्ञान उस ज्ञान पर झालिव चली आई और यिह भी दलील कहनी है कि वहा का रोज़मर्रे काविल इसलाइ और तहसील के था

अगरचि साहिवि भुहावरः हिंदूस्तानी ज्ञान के फ़खर नहीं करते कि इसमें बहुत नसर को कितावे या तसानीकि इलमी है पर कितने ऐक किससे खूब ओ गज़ले मरवख ओ ज़ैरे नज़म में मोजूद है । दरकिनार यिह कि मुआसलति महाजनी आ लश्करी ओ मुहिम्माति मुल्की ओ ज़ैरे कि तअल्लुक़ नविशत खावाद से रखते हैं उन्हों म भी ज्ञानी हिंदी जारी है

और यिह बात किसू पर छिपी नहीं कि यहा के दानिशमंदों की तालीम और मुवाहस ओ मुनाज़रए इन्हमी इसी ज्ञान म हाता है और जो कोई चाहे कि कुछ तबनीक

कर या और किसू से कुछ मतलब लिखवाए हस्तम खेत्राल करता और इसी समर्थन समझाता

ऐक फ़ाऐद : यह भी है कि अक्षय और जवानों का इक्किसाव इसकी खुब शिनाराई से आसान होता और चिर्फ़ यिही जवान बृसीलः है कि जिससे करार वाकई वे-इनसाफ़ी और तदाल्लुव रैथत से दूर हो जावे

जिन सुकदिमों का जिक्र हूया अगर उनकी विना रास्ती पर फ़िलवाकः काहम हो मैं हैरान हूँ कि उन्हें के नतीजे के वातिल करने पर दुइ कोनसी दबीकें होगी जो कोई लावेगा और उह नतीजः लाकलाम यिही है कि सौदागर —मुसाफ़िर —मुख्की और लसकरी उद्देश्य इकीम और त्रिवीव हाफ़िलि कलाम इर ऐक तरह के आदमीओं को सरोकार छोटे बड़े मुश्रामलों से दिस्तान के रव्वते हो हिदून्तानों बोलो उम्मन और बोलीओं से जीआदतर दरकार और मुफ़्रीद है और इसी सवव से लाजिम है कि सब जवानों की निसवत कदर और तरजीह रखे

( मॉडरेटर—गिलक्राइस्ट )

नागरी लिपि )

## विलियम चैपलिन की थीसिस—१८९३

वाद

सती होने की रीति हिंदूओं में अपने पति के साथ भलमनसी और मर्या के चलन से बाहर है

कथा ईस्ती क्या और अच्छी जातोंके लाग किसी पंथके होय जाना जाता है कि मेरे वादके मिटानेको कोई ऐकभी प्रमान नला भकेगा हे महाराजो मेरी दुदिसे तो यिह रीति प्रसिद्ध सच ही जानी जाती है और यिहभी निश्चय कर जानता हूँ कि इस कठिन औ अनजानी बोली में सकत जैसी चाहिये वैसी नही रखता कि इसवात को भली भाति सेव्योरेसमेत समझाऊं तिस परभी मन चलाय दुदि दौड़ाता हूँ जा मेरे बचनोको ध्यान दे कर सुनो ता आपके मनकी दुवधा जाय सचहै जो इस भयानक चालका सार जिस अब मैं दोषता हूँ जब धीरजकी दृष्टसे देखियेगा तब इसकी अनीति आर कठोरी औ झुरोतिको जानियेगा तो आपकी भतिभी मेरीही भतिके समान हो जयगी

रीति व्याहकी सुदेखोमें इसलिये है कि दोनों और प्रीतिहो औ आपस में दितसे सेवा फ़र और जो पुरुष अपने अपने विसन छाड ऐकऐके वसर्म रहेजो कि यिहवात साच है तो हिंदूओं में अकेली अवलास्वामीके मरेसे वयू जलमरतो है यिह कैसा न्याव़है इसभांतिका मरना लोगोंमें हुलासेहोकैबलसेपर व्याह के फलकी आतका वैरी है और सुधर्म सुदेखके चलनसे जोपालना वालकों का पिता को उचित है तो उसके मुएपर उनकी माताको ढूना है इसलियेनारीको जोग है कि पतिके मरे पीछे अपने लड़कोंको सुमाताकी चालसे पाले जोकि तुरक जिनकी अनीति ज्योंयोके निमित्त में हमारे द्वा कहावत है सो वेभी अपनी नारियोके ऊपर ऐसी अनीति पतिके मरे पीछे नहीं करते जो उन्हें विन मृत्युबीतेबी महाराजो इस रीतिका विपरीतिके लीये मरा अधिक कहना वया है

"हुत जातीका चलन बोहार इसभाति का है ईसा पथियोंके समान उनमें सुमानसी बहुत औड़ी पाईजातीहै वरन कुछभी नहीं और जिनके धर्ममें ऐसी हिसा है कि नारीको मरेवामी पर वल देते हैं उन्हकी तो क्या चरचाहे क्यूं कि सच्चही यिह रीति भनुष्यतासे आहरहै

जानाचाहिये कि जब मनुष्य मनुष्यता के चलनसे अनजानये तवसे यिह भोडी रीति चलीहै कै किसी कुचाला कठोरने सैकड़ों वरस पीछे जनसकी प्रीतिकी ढोरिया मनोसे काटदीं उससमें कि यहस्ती धर्म चलानेके लिये दोनों ओर नेहकी जड़ जमी हूईथी सारे संसारमें जो मैं दूँहूँगा तो ऐसे पापका दृष्टांत कहा नपाऊंगा पचो श्रव उचित है कि मैं ऐसी चालको निरी मूरखता कहूँ कि जिसके कर नेसेपशुओं भी लाज आवे जोनर अपने को मनुप जानताहै तिसपर उसको पंथनेभी मायामोइ सिखायाहै तुह अपने शाखाके पटकी ओटमेहा सोशनिराङ मावहन द्वितीको विन सोच सकोच मारडालकर लालौ लाल हो इस अकारथ प्रसचता के लिये ऐसा बड़ा अधर्म भरा हो जैजैकार करे

डरकर इसवातसे मैं चौकताहूँ और भगवानकीउया दृष्टसे चाहताहूँ कि साचे धर्मके चलानेसे यिह रीति बनावूनी औ अनीनिकी मूलसे जातीरहे औरप्रगट जानीजातीहै कियिह चाल मनकी तरगसे निराली है क्यूं कि माता की ममताके बंधन छूटजातेहैं और तुह सुख आसमरा दरखकिजा सुमाता को अपने प्यारे लड़का के पालनेमें नेमधर्म से है सो कुसमें धूंधला होजाताहै सतीके धुएं से और तुद्धिलोगोंकी रंडीके जल मरनें को नहीं चाहती इसलाये किमति ऐसे मरनेकी रीति को अज्ञानदेगी पर कुपथहीमें यिह अंधेरहै जो सच पूँछोतो मूरतपूजनेवाले निर्दै ब्राह्मण केवचन सेहै जिसकी दया मया और वातोमें प्रसिद्धहै वोही इसहत्याकी सीख देताहै हांतक कि उसको सोच विचारके लिये ऐक पलभी हुड़ी नहीं देता जो मरहूये प्यारे प्रोत्तम के दुखमें आपको वचवे भला हाँ किसोका ऐसा मन कठिनहै जो हमारा साथी होके उन विन अपराध स्त्रीयोंके मरनेपर जो सदा ऐसी बुरी रीति मे जोव देती ह पछतावा नकरे जो तुम मनुष्य हो तो तुम्हारी मायामो हमें इतनी दुवधानहीं औजो ईसापथी हो तो कुछभा नहीं जैसो धिनहमें इस पापसे है वैसी हम कथनहीं सकते यिह अन्याव बढता है परोहितके बहकानेसे कि तुह कहताहै जो ऐसा कर्म करे सो धर्मके छ कीछाहतले रहे हाकैसी उलटी अज्ञा है कि सतके लिये जीव रक्षक के शब्दको जो विवाताने अत्मवातकेवावने को देहम उपजाया है रोकताह सब कोई चाहता होगा कि यिह कुचाल किसी ढवसे उठजाय और मुझे निपट हुलास होता जो हमारी ओरसेउसी रीति पर कुछेक उकासी होती औ सुद्धितासे यिह भी जानाजाता है कि लोगों कीपछ और इठको जो धर्मके लियेह किसीवातपरऐकाएकी उठ देना वहुत कठिन है जो किसी उपायसे यिह कामना सिद्ध होसके उमलागोमें जो अपने धर्म और निरक्षल काजके वसहैं तो ईसापंथीयोंके सतरसंगसे हो तो हो यिह वडी मनसा सिद्धहोनी समेपर है आर निपट अनांति औ अन्यावहोता जोकाई धर्मकेकाजों में लोगाकामनारथ वलसे नहोने देता मनुष्यकेलिय हन जातोमें आपस मरेसाहीउपदसा है क्यूं कि मनुषका चित अन्यावसे नहीं होता विशेषधर्म कर्म

जिसे नित क सुख जानते हैं चाहिये कि उगत महाराज श्रगरेख का उम्बिं विजारके साथ निदान काजआवे क्यू किएकविन ऐक सदा अकारथ है।  
आगे मेरा कहना लथा इस लिये मैं जानताहूं तुम्हारे जीमें बोहीभानहैजो मेरे हिरदे समायाहै इसकारनमैमुनने को लौल गयेहूं इमहाराजों मैं देखुं तां तुम कैसा कैसी पकड़े करतेहो यिहसविन लगाव कहताहूं जो कोई मेरे बाद को कछुभी झुडावे बोहो बड़ा ज्ञानी है।  
(मॉडरेटर—गिलकाइस्ट)  
(नागरी लिपि)

## जै० रोमर की थीसिस—१८०४

### इच्छावा

ममालिकि हिदकी जुबानोक्ते असूल भुनवाद नस्कृत है ॥

लेकिन जो शाखव इस दश्वेके साधित करने का इरादः करे उसे हिदूस्तान की बश्वजी जुबानि मुरव्वज से खूब वाकिफ़ होना और हासिल करना जुरूर है गोकि उह नबसे भाहिर नहो पस मुझे अगर यिह बात जाजिम न होती कि इन्वानि दश्वेमें कुछ कसूर नकरू ता इस काम में हरशिज दखल नकरता जिसके रद्द ओ बदल करनेके लिये ऐक यसकभी मुक्कमें नहीं ॥

जब कि यिह माजरा यूं है जैसामेने बयान किया तो उन वसीलों को जो मैं आपने दश्वेके काइम रखने को लासकता हूं इखतियार करके उन फ़ी होश मुस्त्रिका से जिन्होने इस मुक्कदमे में लिखा है खवाह लफ़ज़ हो या मध्रने इसतआरः करता हूं उम्मेदवार हूं कि मेरा यिह उज्जर कदूलहो ॥

तुनाचे उन मुस्त्रिका में जास साहिव सबसे नामवर है लेकिन उसके किसम वकिम में इशतकाक की तफ़तीश और मुशिगाफ़ी से बाज़ रहता हूं इस बातो कि इस कलाम का तर्ज़ से ज़रूर है कि ता मक़दूर जितना होतके मुख्तसर करूं एस उस साहिव की किताबो के जुदे जुदे इक्कतवास करनेस उन दलीलों की बज़अू के जाहिर करने के इवज़ उलमेड़ा डालना है ॥

तमाम हिदूस्तान की मुख्तनकि जुबानों की जड़ संस्कृत है कि जिस से वे पैदा हुई हैं इस सबव मेरे लियाल में यिह बात ठहरती है कि हरऐक का जुज्बी अहवाल कि जिसमें संस्कृत की मुवाफ़कत ओ मुख्तालकत का बयान हो लिखा जावे ॥

और उह रिसालः कि संस्कृत ओर पराक्रत की जुबान के बयान ने लिखा और मशहूर है जो इसी बज़अू का है तो काफ़ी है कि उसके साहिव फ़हम मुस्त्रिक की बाता से जोकुछ कि इस दश्वेके बर करार रखने को मेरी दरयाफ़ में जुनासिव है इस्तिबात् करू ओर उस सबव से कि जिसका मज़कूर इवतदाय कलाम में मैं ने किया अमदन यिह काम करता हूं ॥

उस रिसालपै मज़कूर के मुसालेफ़ ने पराक्रत या सतुती बला ज्ञानीक बयान फरके हिंदी या हिंदवी जुबान म यू लिखा है क मशक्तूम हाग है जा आज कल क हिदूस्तानी

जुबान उससे निकली है और उस भाषा में नज़्म की आजमाइश करने से जो मुशब्दहत हिंदी और संस्कृत में है सो बहुत सफ़ल ठहरती है और जो कोई इन दोनों जुबानों से वाकिफ़ है वे शुब्दह यिह कहेगा कि हिंदी और लंगूल संस्कृत में नकली है अकसर अलफ़ाज़ जिनके बजाए तसमियः से यिह खुलता है कि वे निरी संस्कृतके हैं उस जुबान में हूब्हू मुटर्ज़ है और बहुत और लफ़ज़ों में चिवा आखिरी हरफ़ इक्लत कि साकिन करने से आर कुछ तबदील नहीं होई और बहुत ऐसे हैं कि सिर्फ़ उन हरफ़ों के बदलने से जो मुशब्दहत होते हैं मुतफ़ावत हो जाते हैं बाका थोड़ेसे शाज़ लफ़ज़ों के चिवा वशासनी आमल संस्कृत में पाए जाते हैं और यिह बुह ज़ह है कि जिस से हिंदी पैदा होई है वहिंदी बुह जुबान है कि जिस से संस्कृत ने रौनक पाई है इशतकाक्ष से लाभित होती है क्यूँ कि मुशब्दहत हिंदी में नहीं रहती और संस्कृत में काइम रहती है ॥

मारा या बगला जुबान तमाम सबसे बंगले में चिवाय सरदही ज़िलाओं के मुरव्वज है और लोग कहते हैं कि सिर्फ़ पूरब की तरफ़ खूब सफ़ाई से बोली जानी है और जिस तरह वहाके रहने वाले उस जुबान को बोलते हैं सो इसमें बहुत कम अलफ़ाज़ है कि जिन को बुनियाद असूल संस्कृत से नहीं ॥

दूसरी जुबान जो इसी चिलसिले में मैथला या तिरहुत्तया है सो भी बंगले से बहुत मुशाविः है और वे हरूक कि जिन्ह में बुह लिखी जाती है उन्ह में और बंगले के हरफ़ों में थोड़ा सा फ़रक़ है ॥

बुह जुबान जो सूबः उठकाला या उड़ा देला में बोलते हैं जिसका नाम उड़या है जहा तक कि नाकिसः नमूने से दरयाप्त होती है तो इस में संस्कृत के अलफ़ाज़ जो तरह तरह में खराब हूए हैं और ब्रह्मजे फ़ारसी और अरबी लफ़ज़ जो हिंदूस्ताना के उसीले से मुसतार हैं और वे कि जिनकी असूल में शक है मिले हैं ॥

ये वे पाचों जुबानें हैं कि हिंदूस्तान के उत्तर और पूरब के बसने वाले बोलते हैं और ये पाच जुबानें जो इस ममलुकत के दखन और पच्छम का तरफ़ के बारिंदे बोलते हैं में इसी ही सनद पर बयान करता हू ॥

पहली उनू में से तामल जिस जुबान का मुख्यिफ़ में व्याकरन और उवेधान की ऐक ऐक पोशी देखी है और इन दलीलों से यिह इरशाद किया है कि तामला में बहुत से संस्कृत के अलफ़ाज़ जों के तो या कुछ तबदील पाए हूए भोजूद हैं और अकसर बिगड़े हूए और ऐसे बहुत हैं कि जिन की असूल में शुब्दह है ॥

दूसरी महाराश्टर या मरहटे की जुबान से हिंदूस्तान की और जुबानों की मानद बहुत सी साफ़ संस्कृत की बातें हैं और उससे ज़ियादः खराब अलफ़ाज़ उसी भाषा के आते हैं और थोड़े से अलफ़ाज़ अरबी और फ़ारसी मखलूत हैं और चिवाय इन्ह के अकसर ऐसे हैं कि जिन्ह की बुनियाद कुछ मश्लूम नहीं होती ॥

तीसरी कारनाडा या कारनाडक की पुरानी भाषा है जो मुशब्दहत संस्कृत से और दखन की और जुबानों में है सो यह की बोली में भा है काढ़े भी अकसर और दखनी छोमों की मानन्द अपनी मुख्यी जुबानों के साथ बदवर्जे से संस्कृत के तंतुप्फ़ करने में बगादे और उसके मुख्यक मुख्यज्ञों के बद नमू ने की फैती नहीं करते

चौथी तैलागा तेलागा तिलागा नाम क्रौम का और जुबान का और उन हरफों का कि जिन्ह में यिह बोली लिखी जाती है तिना का है और वहा के ब्रह्मन इन्हीं हरफों से संस्कृत के अलकाजा लिखते हैं और कहते हैं कि संस्कृत के लक्ष्मज तिलागे क मुहावरे में और दखनी बोलियों में जियादः हैं ॥

पाचवीं गुरजरा जिल्हो गुजरात कहते हैं वहाँके रहने वाले उह जुबान बोलते हैं कि जिस का नाम उनका इस नाम है सो हिंदी में अकसर मुशानिह और जिल खत् में उह लिखी जाती है मुंडी नागरी से थोड़ा ही कुछ फरक्क है ॥

मैंने इसी सूरत से एक मञ्चकूल औ मुञ्चतवर किताब का बातें जो इस दध्रवे के वर करार रखने को किफायत करती है इज्जतमाय् कर लीं हैं और सिफ़् इतनी बात जियादः कहता हूँ जब लग संस्कृत की असल लज्जुल (१) हाथ न लगे तब तक चाहइये की इस इस सूरत में इसी को हिंदूस्तान की उमल लिसान समझें ॥

(मॉडरेटर—मोश्ट्रट)

(नागरी लिपि)

# काला-प्रकाश

१६००	कंपनीका प्रथम चार्टर
१७२६	कंपनी का द्वितीय चार्टर
१७७४	झाइव का भारतागमन
१७८७	झासी का युद्ध
१७९१	पानीपत का युद्ध
१७९४	बक्सर का युद्ध
१७९५	बंगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी ऑगरेजों के हाथ में
१७९५-१७९७	झाइव दूसरी बार भारत में
१७९२-१७९४	वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर और फिर गवर्नर-जनरल के रूप में
१७९३	नॉर्थ का रेग्यूलेशन एकट
१७९३	जॉन बौर्थविक् गिलक्राइस्ट का भारतागमन
१७९४	पिट का इंडिया एकट
१७९५-१७९३	कॉर्नवालिस गवर्नर-जनरल के रूप में
१७९५-१७९०	गिलक्राइस्ट कृत 'ए डिक्षनरी, इंगलिश एड हिंदुस्तानी'
१७९३-१७९८	सर जॉन शोर गवर्नर-जनरल के रूप में
१७९५-१७९८	गिलक्राइस्ट कृत 'ए ग्रैमर आॅव दि हिंदुस्तानी लैरवेज'
१७९८	गिलक्राइस्ट कृत 'दि आॅरिएंटल लिंग्विस्ट'
१७९८-१८०५	मार्किस वेलेजली गवर्नर-जनरल के रूप में
१७९८	आॅरिएंटल सेमिनरी की स्थापना और गिलक्राइस्ट की अध्यापक में नियुक्ति
१७९९	चतुर्थ मैसूर युद्ध और श्री रंगपट्टम का पतन
४ मई, १८००	श्री रंगपट्टम के प्रथम विजयोत्सव के अनुसार कॉलेज की स्थापना
१० जुलाई, १८००	कॉलेज की स्थापना के संबंध में वेलेजली के नोट्स तथा रेयूलेन-
	कॉलेज की स्थापना के संबंध में वेलेजली की 'मिनिट्स-इन-
१८ अगस्त, १८००	और कोर्ट के डाइरेक्टरों को सूचना
१८००	हिंदुस्तानी विभाग के प्रधानाध्यापक के रूप में गिलक्राइस्ट की
१८००	लल्लूलाल की सर्टिफिकेट मुंशी की हैसियत से नियुक्ति
१८००	गिलक्राइस्ट कृत 'ऐंटी-जागोनिस्ट' की रचना
१० अप्रैल, १८०१	कॉलेज के विवान का प्रथम परिच्छेद

- १८०१ १८०२ लल्लूलाल और बर्वा कृत 'सिंहासन बच्चीसी' और 'शकु रत्ना  
१८०१ १८०२ लल्लूलाल और विला कृत 'वैताल पच्चीसी' और 'माधोनल कामकदला  
२७ जनवरी, कॉलेज तोड़ने के संबंध में कोर्ट का वेलेजली के नाम पत्र  
१८०२  
५ अगस्त, १८०२ वेलेजली का उत्तर  
१८०२ गिलकाइस्ट कृत 'दि स्ट्रॉजर्स ईस्ट इंडियन गाइड टु दि हिंदुस्तानी'  
(द्वितीय संस्करण, १८०८)  
१८०२ गिलकाइस्ट कृत 'दि हिंदी डाइरेक्टरी, और स्ट्रॉडॉट्स इंट्रोडक्टर टु दि  
हिंदुस्तानी लैंग्वेज'  
१८०२ गिलकाइस्ट द्वारा 'दि हिंदी मैनुअल' या 'कास्केट ऑव-इंडिया' का  
संपादन  
१८०२-१८०३ लल्लूलाल स्थायी सुंशी के रूप में  
१८०२-१८०३ गिलकाइस्ट द्वारा 'नक्लियात-इ-हिंदी' अथवा 'दि हिंदी स्टोरी टैलर',  
दो जिल्द  
१८०३-१८०४ लल्लूलाल कृत 'प्रमसागर'  
१८०३ सदल मिश्र कृत 'चंद्रावती' अथवा 'नासिकेतोपाख्यान'  
१८०३ गिलकाइस्ट द्वारा 'दि हिंदी मौरल प्रीसेप्टर' या 'आंतातीक-इ-हिंदी' और  
'दि ऑरिएटल फैब्युलिस्ट' का संपादन  
१८०४ गिलकाइस्ट कृत 'दि हिंदी रोमन और्थीपीयैकीकल अल्ट्रीमेटम...' \*  
१८०४ गिलकाइस्ट का पढ़ाया  
१८०४-१८०६ सदल मिश्र कॉलेज में विद्यमान  
१८०५-१८०७ सर जॉर्ज बालों गवर्नर-जनरल के रूप में  
१८०५ कॉलेज छोटे पैमाने पर किया गया  
१८०५ हंटर द्वारा 'न्यू टेस्टामेंट' का संपादन  
१८०६ ईस्ट इंडिया कॉलेज, हलीबरी की स्थापना  
१८०६ कॉलेज के विधान का द्वितीय परिच्छेद  
१८०६ अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में अनुवाद करने पर सदल मिश्र  
की पुरस्कार  
१८०६ मोअट की प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति  
१८०७-१८१३ लॉर्ड मिटो गवर्नर-जनरल के रूप में  
१८०८ मोअट का स्थाग-पत्र और टेलर की प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति  
१८०८ कैट्टन जोसेफ टेलर और हंटर द्वारा 'ए डिक्षानरी हिंदुस्तानी एंड  
इंग्लिश' की रचना  
१८०९ हिंदी और फ़ारसी शब्द-सूची तैदार करने पर सदल मिश्र को पुरस्कार  
१८०९ कॉलेज के विधान का तृतीय परिच्छेद  
१८०९ लल्लूलाल कृत 'राजनीति'

१८१०	लल्लूलाल कृत 'नक्लियात या लतायफ़-इ-संस्करण'
१८११	रोएबक कृत 'इंग्लिश एड हिंदुस्तानी नैवल फ़िका संस्करण'
१८१३	लल्लूलाल कृत 'ब्रजभाषा व्याकरण' की रचना
१८१४	चार्टर एक्ट
१८१४-१८२३	कॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद
१८१५	लॉर्ड मौयरा, नार्किस और हेस्टिंग्स, गवर्नर-जनरल लल्लूलाल द्वारा संपादित 'सभा विलास'
१८१५	इंड्रेश्वर पंडित की नियुक्ति
१८१५	लल्लूलाल द्वारा संपादित 'सभा विलास'
१८१६	कॉलेज के विधान का पाँचवाँ परिच्छेद
१८१८-१८२१	नरसिंह पंडित कॉलेज में
१८१८	रोएबक कृत 'दि इनलूस ऑव दि कॉलेज ऑफ़ का प्रकाशन
१८२२	कॉलेज के विधान का छठा परिच्छेद
१८२३	पंडित गंगाप्रसाद शुक्र
१८२३-१८२८	लॉर्ड ऐम्हरस्ट गवर्नर-जनरल के रूप में
१८२३-१८३०	प्राइस प्रधानाध्यापक के रूप में
१८२४	रोएबक कृत 'ए कलेक्शन ऑव प्रौवर्ब्स एंड फ्रेज़ेज़ एंड हिंदुस्तानी लैंग्वेज़'
१८२४	कॉलेज के विधान का सातवाँ परिच्छेद
१८२५	गिलकाइस्ट कृत 'दि जनरल ईस्ट इंडिया गाइड ...'
१८२५	कॉलेज के विधान का आठवों परिच्छेद
१८२७	प्राइस और तारिखीचरण द्वारा संपादित 'हिंदी एंड कशन्स', दो जिल्ड ( १८३० में दूसरा संस्करण
१८२७-१८२८	ख्यालीराम पंडित
१८२८-१८३४	लॉर्ड विलियम वैटिंक गवर्नर-जनरल के रूप में
१८३०	प्रधानाध्यापक के पद तोड़े गए
१८३२-१८३८	ब्रह्म सचिदानन्द
१८३३	चार्टर एक्ट
१८३५	मैकौले की शिल्पा-संबंधी मिनिट्स
१८३५-३६	सर चाल्स मेट्काफ़ गवर्नर-जनरल के रूप में
१८३६-१८४२	लॉर्ड ऑक्लौड गवर्नर-जनरल के रूप में
१८३८-१८४१	मधुसूदन तर्कार्लिंकार
१८४१	मुशी देवीप्रसाद कृत 'पौखीग्लौर मुशी'

१८४१	इश्वरचंद्र विलासागर (१)
४४	कालंज के नए नियमों का निराश
१८४२-१८४४	लॉर्ड एलेनबरा गवर्नर-जनरल के रूप में
१८४४-१८४६	लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर-जनरल के रूप में
१८४६-१८५६	लॉर्ड डलहौजी गवर्नर-जनरल के रूप में
१८५२	हिंदी पटित, शेष शास्त्री, की नियुक्ति
१८५३	चार्टर ऐकट
१८५४	मुश्ती देवी प्रसाद कृत 'पौलीस्लौट ग्रामर एँड ऐक्सरसाइज़ ...'
जनवरी, १८५४	कॉलेज लोडे जाने की आज्ञा और बोर्ड ऑफ एजामिनर्स की स्थापना
१८५४	चालस वुड की शिक्षा-आयोजना
१८५६-१८६२	लॉर्ड कैनिंग गवर्नर-जनरल के रूप में
१८५७	विद्रोह
१८५८	ऐकट कार दि बैटर गवर्नर्मेंट और इंडिया और कंपनी के शासन का अत

# सहायक ग्रंथ और सामग्री

१. उदू', जनवरा, १६२४
२. उचैस अहमद अदीब : 'तम्कीदी मताले, इलाहाबाद
३. एड्वर्ड बाल्फर, सर्जन जनरल : 'दि एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया ऐंड ऑफ ईस्टर्न ऐंड सदने पश्चिमा', दो जिल्द, लदन, १८८५, तृतीय संस्करण। प्रथम संस्करण, १८५८
४. 'एशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर', १७६६....
५. 'एशियाटिक जर्नल'
६. ए० टी० प्रिसेप : 'ए जनरल रजिस्टर ऑफ दि ऑनरेबुल ईस्ट इंडिया कंपनीज़ सिविल सर्वेट्स', कलकत्ता, १८४४
७. 'ऐक्सरसाइज़ेज़ फॉर दि यूस ऑफ दि कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम', कलकत्ता, ?
८. 'कलकत्ता गज़ट', १७६६....
९. 'कलकत्ता रिप्प्यू'
०. क्लौडियस व्यूकैनैन, रेब० (सपादक) : 'दि कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इन् बंगाल' (सरकारी काशजो और साहित्यिक विवरण, आदि), लंदन, १८०५.
१. गार्सन० द तासी : 'इस्टवार द ल लित्रेट्यूर ऐंड ऐंडुस्तानी', दो जिल्द, १८३८-१८४७। परिवर्द्धित और संशोधित संस्करण, तीन जिल्द, १८७०-१८७१, पेरिस
२. चार्ल्स डॉयले : 'दि यूरोपियन इन् इंडिया', लंदन, १८१३
३. सी० आर० विल्सन : 'ओल्ड फोर्ट विलियम इन् बंगाल', दो जिल्द, लदन, १८०६
४. जे० सी० मार्शमैन : 'लाइक ऐंड टाइम्स ऑफ कैरे, मार्शमैन ऐंड वार्ड', लंदन, १८५८
५. जॉन बौर्थविक् गिलक्राइस्ट : 'डिक्षनरी, इंगलिश ऐंड हिन्दुस्तानी', दो जिल्द, ?  
 'दि ऑरिएंटल लिपिवस्ट', कलकत्ता, १७६८ (द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १८०२)  
 'ऐपेंडिक्स दु गिलक्राइस्ट्स डिक्षनरी', कलकत्ता, १७६८, तथा अन्य  
 उपलब्ध ग्रंथ
६. जॉन विलियम के : 'लाइब्रेरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स', लंदन, १८६७
७. जॉर्ज, बाइकाउंट बैलेंशिया : 'बैयेजेज़ ऐंड ट्रैविल्स दु इंडिया, सीलोन, दि रैड सी, ऐब्रीसीनिया ऐंड ईजिप्ट, १८०२-१८०६', तीन जिल्द लदन, १८०८
८. जॉर्ज ऐब्राहम ग्रियर्सन० . 'दि मॉडर्न बर्नियूलर लिट्रेरेचर ऑफ हिन्दुस्तान', कलकत्ता, १८८८
९. जॉर्ज डब्ल्यू० जॉनसन० : 'दि स्ट्रेजर इन् इंडिया', दो जिल्द, लंदन, १८४३
१०. जेम्स फ्लोर्सू : 'ऑरिएंटल मेम्बार्स', दो जिल्द, लंदन, १८३४
११. जेम्स बॉर्स, डॉ० : 'दि क्रौनौलौजी ऑफ मॉडर्न इंडिया, ए०डी० १४४४-१८६४', प्रदिनवरा १६१३

२२. बोसेफ्ट टेलर (फैप्टेन) और डब्ल्यू० हरर 'डिक्शनरी हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश दो जिल्द, कलकत्ता, १८०८
२३. टॉमस रोएबक : 'ऐनलूस आँव दि कॉलेज आँव फोर्ट विलियम', कलकत्ता, १८१६
२४. टेन्मथ, लॉर्ड : 'मेम्बायर आँव दि लाइफ एंड कॉरेस्पौन्डेंस आँव जॉन लॉर्ड टेन्मथ', दो जिल्द, लंदन १८४३
२५. 'दि स्टैट्यूट्स आँव दि कॉलेज आँव फोर्ट विलियम इन बगाल, कलकत्ता, १८०१-१८४१'
२६. 'प्रीमिटी ओरिएंटलिस' (Primitiae Orientales), दूसरी और तीसरी जिल्द, कलकत्ता, १८०३ और १८०४
२७. 'प्रोसीडिंग्स आँव दि कॉलेज आँव फोर्ट विलियम तथा अन्य सरकारी विवरण' (ह०) और प्रेस लिस्ट, तीस जिल्द, इंपेरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली २८ 'फोर्ट विलियम कॉलेज' (हैदराबाद, दक्षिण, से प्रकाशित)
२९. फ्रेडेरिक जॉ. शोर : 'नोट्स आँन इंडियन ऐफेग्रस', दो जिल्द, लंदन, १८३७
३०. मौनट्सोमरी मार्टिन : 'दि डस्पेचेज, मिनिट्स एंड कॉरेस्पौन्डेंस आँव दि मार्किन वेलेजली', पाँच जिल्द, लंदन, १८३६-३७
३१. रामचंद्र शुक्ल : 'हिंदी साहित्य का इतिहास', १६२६ और १६४२ संस्करण
३२. ( गवर्नर-जनरलों से सर्वंवित ) 'खुलास आँव इंडिया सीरीज़'
३३. आर० आर० पीअर्स : 'मेम्बायर्स एंड कॉरेस्पौन्डेंस आँव दि मोस्ट नोबिल रिचर्ड मार्किन वेलेजली', तीन जिल्द, लंदन, १८४६
३४. लल्लुलाल की रचनाएँ
३५. लेस्ली स्टीफेन और सिड्नी ली : 'ए डिक्शनरी आँव नैशनल ब्रायग्रौफ़ी', लंदन १८८५...
३६. डब्ल्यू० एस० सेटन-कार : 'सेलेक्शन्स फॉर कलकत्ता गजट्स', तीन जिल्द, १७८८ १८०५ कलकत्ता, १८६४-१८६८
३७. ब्रजरत्नदास : 'खड़ीबोली हिंदी साहित्य का इतिहास', बनारस, १६४२
३८. श्यामसुंदर दास : 'हिंदी भाषा और साहित्य', प्रयाग, १६३० तथा नवीन संस्करण
३९. एस० कै० डे : 'हिस्ट्री आँव बंगाली लिटरेचर इन दि नाइन्टीन्थ सेंचुरी, १८००-१८२५' कलकत्ता, १६१६
४०. सदल मिश्र : 'नासिकेतोपाख्यान' (ना० प्र० स०)
४१. सूर्यकात शास्त्री : 'हिंदी साहित्य का विवेचान्तमक इतिहास', लाहौर, १६३०
४२. 'हिंदुस्तानी', १६४०-१६४३
४३. हेनरी यूल और ए० सी० बनैल : 'हॉवसन-जॉवसन', लंदन, १६०३
४४. घू० पीअर्सन : 'मेम्बायर्स आँव दि लाइफ एंड राइटिंग्स आँव दि रेवरेंड क्लौडियस ब्यूकैनैन', दो जिल्द, लंदन, १८१४, तृतीय संस्करण



# अनुक्रमाण्डिका

- 'अक्षयनामा' १०१  
 'अख्लाक-इ (उल्)-जलाली' ७४, १६४  
 'अख्लाक-इ-मोहम्मदी' १६३  
 अख्लाक इ-हिंदी' ६०, ६३, १०७, १६७,  
     १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६,  
     १८३, १८४, १८६, १८७, २०१  
 'अख्लाकुन-नबी' १८८  
 'अख्लाकुल मुद्दिनीत' १८८  
 'अतालीक-इ-हिंदी' १६७  
 'अध्यात्म रामायण' ७५, १६३  
 'अनवर सुहेली' ११०, १३६  
 अफ़ज़ल १६६  
 अफ़सोस दे०, 'शेर अली'  
 अबुल कासिम मीर १८८, १६१  
 अबुलफ़ज़ल १०६, १०८, ११४  
 अबू तालिब ७१, ७३  
 अब्दुर्रहीम १३५  
 अब्दुल अली ७३  
 अब्दुल अहद १२३, १३६  
 अब्दुल्ला १२३, १३८, १४०, १६७  
 अब्दुस्समद १२३  
 अब्बास अली ६२  
 अमानतुल्लाह ७४, १८५, १८६, १६०,  
     १६३, १८४, २०३  
 अमीर खुसरो १६४, २०१  
 'अमीर हम्जा' १८७  
 'अमीर हम्जा का इतिहास' १८४  
 'अम्मन' दे०, 'मीर अम्मन'  
 'अयार दानिश' ६०, ६३, ७६, १०५,  
     १०८, १८४, १६३, १८५, १८६  
 'आरायश-इ-महफिल' १६७  
 'अरेचियन नाइट्स' १८८, १८९  
     तुसेन १२३
- अलिक इलैला १८८, १६१  
 'अल्फ़ाज़ अद्वीथा' १६७  
 असद अली खाँ २३  
 'आईने अकवरी' ११४  
 आउज़ले, जे० डब्ल्यू० जे० ११३, १२८,  
     १२६, १३०, १३३, १३४, १३५,  
     १३६, १४०, १४१, १४६  
 ऑक्लैंड, लॉर्ड १५०  
 आठबाँ परिष्ठेद १२८  
 'आत्मकथा' (लल्लूलाल कृत) ४८  
 आफ़ताब (शाह आलम) १६६  
 'आरायश-इ-महफिल' १०१, १११, १६३,  
     १६६, २०२  
 'आरिएंटल, ऑक्सीडेटल व्यूशनरी पाय-  
     नियर, दि....' २०५  
 'आरिएंटल फैब्रिलिस्ट, दि' ५५, १६७,  
     १८३, १८८, २०२, २०५  
 'आरिएंटल मिसेलेनी' ६  
 'आरिएंटल लिमिस्ट, दि' ५, ५४, ५८,  
     १०१, १६६, १६८, १६९, १८३  
     १६४, १६६, २०५  
 आरिएंटल सेमिनरी द, १०, १७, ३१  
 'आर्टिक्लिस ऑब वॉर' १११, १६६, १६८  
 आरनॉट २०६  
 'ईगलिश ऐंड हिंदुस्तानी एक्सर्साइज़ेक्चर  
     १०८  
 'ईगलिश ऐंड हिंदुस्तानी डायलौग्ज' १०८  
 'ईगलिश ऐंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी विथ् ए  
     ग्रैमर प्रिफ़िक्स्ड, ऐन' १०४, १०८  
 'ईगलिश ऐंड हिंदुस्तानी नैवेल डिक्शन-  
     री....' १०८, २०३  
 'ईगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी' ('डिक्शन-  
     री, ईगलिश ऐंड हिंदुस्तानी') ४,

- ‘इंट्रोडक्शन टु दि हिंदुस्तानी सैंग्रेब’ १४३  
 ‘इंडियन गाइड’ ६८  
 ‘इतखाब - इ-कुल्लियात - इ-मिर्जाँ रफ़ी-उस्तौदा’ १६६  
 ‘इतखाब-इ-कुल्लियात-इ-सौदा’ २०३  
 ‘इतखाब-इ-सुलतानी’ ७५  
 ‘इतखाब मीर सोज़’ १०१  
 हैश्वर ६२, ६३, ६४  
 हैशा १६४, १६७  
 हक्कराम अली १७०  
 ‘इकौनौमी आँव ख्यूमैन लाइफ’ १०६  
 ‘इख्यानुस्फ़ा’ १०१, १०२, १११, १५६,  
     १७०, २००  
 हज्जतुल्लाह १६३, २०२  
 हब्राहीम अली खाँ १६७  
 ‘ईसप्स फेविल्स’ १६८, २०२  
 ईस्ट इंडिया कॉलेज हेलीबरी, ६४  
 ‘ईस्ट इंडिया गाइड’ (स्ट्रेंजर्स) ५३  
 ईश्वरचंद्र विद्यासागर १४७, १४८  
 ईश्वरचंद्र शर्मा १५७, १६१  
 उदौँ-कोप १५१  
 एडमॉन्स्टन, एन० बी०, आ०न० १८, २०,  
     २२, ३५, ५१, १२४  
 एन० बी० एडमॉन्स्न दे०, ‘एडमॉन्स्टन’  
 ‘एन्साइक्लोपीडिया हिंदुस्तानिका’ १०४  
 ‘एलेजी’ १६७, २०१  
 ‘एशियाटिक जर्नल’ १२५, १२६  
 एशियाटिक सोसायटी ३, १५१  
 ‘ऐटी जार्गोनिस्ट, ए शौर्ट इंट्रोडक्शन टु दि हिंदुस्तानी’ ५४, ५६, १८४, १६४,  
     २०४, २०५  
 ऐट्रिक्सन ६३, ६४, ११३  
 ऐडिंगटन २०५  
 ऐड्वर्ड स्कॉट वारिंग १६  
 ‘ऐन्स्प्र आँव दि कॉलेज आँव फोट विलि-यम १०, ४१, १०७, १०६  
 ‘ऐपेंडिक्स टु गिलकाइस्टस डिवशा १६६  
 ऐब्राहम लौकेट ८४, ८५, ८७, ८८  
     ८३, ८४, ८७, १००, १०१,  
     १०६, ११२, ११३, १६७, २०  
 ऐम्हस्टी लॉर्ड १२५, १२८  
 ऐलेक्जैंडर एटन (Ayton) दे०  
     ऐलेक्जैंडर एटन’  
 कमालुद्दीन ६४  
 ‘कम्प्लीट हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश नरी’ १०८  
 करम हुसैन १३५  
 ‘कलाकाम’ १८८, १९१, १९२  
 ‘कलेक्शन आँव आ०रिएंटल प्रै  
     १०८  
 ‘कलेक्शन आँव डायलौस, इंग्लि-हिंदुस्तानी, ए’ २०४  
 कल्व अली २३, ५०,  
 ‘कवित-रामायण’ १६७  
 ‘कसीरुल फ़तवायद’ १०८  
 कहावतों का सघृ २००, २०४  
 काञ्जिम अली (मौलवी) १३८  
 काञ्जिम अली खाँ जवाँ ४८, ५२  
     ८४, ८६, ८२, ८३, १०४,  
     १६४, १६७, १८६, १८७,  
     १८३, १८६, १८७, २०४  
 कादिर बखश १८३  
 ‘कायनात-ओ-जश्नो’ १८७  
 कॉर्नवालिस १, ३, ४०, १७७  
 कालीदास १६४  
 कालीप्रसाद १२३  
 कॉलेज का विधान (स्टैट्यूट्स)  
     परिच्छेद १६  
 कॉलेज के नए नियम १५०  
 काशीराज २२, २३, १०४ १०८  
 ‘कास्टेट आँव इंडिया’ ६३ १८३

- किनेश्वर २६  
 'किरान-जुन' १०६  
 'क्रिस्त-इ-आकिलशाह' १६७  
 'क्रिस्त-इ-जबै' ७५  
 'क्रिस्त-ह-हातिम' १६७  
 'क्रिस्त ए दिज ओ हुस्न' १८८  
 'क्रिस्त ए क्रिरओ' १८८  
 कुंदलजल २२, १८८, १६१  
 'कुरान' ७७, १८४, १८६, १६२, १६३,  
     १६५  
 कुर्जन अली १२३, १३८  
 'कुलिनयात' १६६  
 'कुलिनयात-इ-सौदा' १६०  
 कैरे दे०, 'विलियम कैरे'  
 कैसिलीरीआ ४०  
 कोलबुक, आर० डब्ल्य०, और एच० ३,  
     २२, ३५, ३१, ६५, ७१, ७७, १००,  
     १६२  
 कौब, कैप्टेन ११४  
 क्लाइव १  
 क्लौडियस ड्यूकैनैन ३, १८, २७, ३२,  
     ३६  
 'खड़ीबोली और इंगलिश शब्द कोप' १०६,  
     ११०  
 खलता खाँ ७५  
 खलीद खाँ १८७  
 खलील खाँ, मिर्जा ६८, ७३, १०१  
 'खान-इ-शलवान' १८४, १८७  
 'खिर्द अफ्रोज' १०५, १०६, १०८, १३६,  
     १५८, १६३  
 'खुलासतुल हिद' ७७, २०२  
 'खुलासतुल हिसाब' १०२  
 खेम नारायण १६७  
 ख्यालीराम १३१, १३२, १३७  
 गंगानारायण १३१, १३८, १४१, १४७,  
     १४८
- गंगाप्रसाद शुक्ल ६७, ११३, १२८, १३१,  
     १४२, १४३  
 गंगाविष्णु ६२  
 गदाधर १३२, १३६  
 'गारायब-उल-लुशात' १६७  
 गलसठन १७६  
 'गाइड' ६०  
 गॉर्डन, ए० डी० १२३, १२८  
 गिलकाइस्ट ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,  
     १७, १८, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५,  
     ३६, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७  
     ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४,  
     ५५, ५६, ५७, ६०, ६१, ६२, ६३,  
     ६४, ६७, ६८, ७३, ७४, ७६, ७७,  
     ८३, ८५, ८७, ८८, १०२,, १३०,  
     १०५ १११, ११५, ११८, ११९,  
     १२२, १२५, १४१, १६४, १६५,  
     १६६, १६७, १६८, १६९, १७१,  
     १७२, १७५, १७६, १८१, १८३,  
     १८०, १८२, १८३, १८४, १८५,  
     २०१, २०२, २०४, २०५, २०६,  
     २११  
 'गुल-इ-बकावली' दे, 'गुलबकावली'  
 'गुल-ओ-सनोवर' १८८, १६१, १६२  
 'गुल-ओ-हुसुज' ७५, १८८, १६१, १६२  
 'गुलदस्ता' १८८  
 'गुलदस्ता-इ-हैदरी' १८४  
 'गुलबकावली' ६०, ६३, १००, १०५,  
     १०८, १११, १५८, १८४, १८६,  
     १६०, १६२, १६३, १६४, १८८,  
     १६८, २०२  
 'गुलशन' दे०, 'हफ्त गुलशन'  
 'गुलशन अखलाक' १०१  
 'गुलसनोवर' दे०, 'गुज-ओ-सनोवर'  
 'गुलान (१) शाह भीक १८८  
 गुलाम अकबर २२, १०५ १८७, २०३

- गुलाम अली ६६  
 गुलाम अशरफ २२, ४८, १८५, १८८  
 गुलाम गौस २२, २३, ६६  
 गुलाम नज़राबंद ६६  
 गुलाम फ़रीद १२३, १३६  
 गुलाम शुलाम (?) १८६  
 गुलाम सुनान ६६  
 गुलाम हैदर ७५, १२३, १४८, १८८, १९१  
 'गुलिस्ताँ' ४८, ५१, ५३, १०८, १३८, १६७, १८१, १८२, १८२, १८३, १८५, १९८  
 गोम, डब्ल्यू० एम०, सर १५६  
 'धौस्पेल्स' १६३  
 'प्रैमर आँव दि हिंदुस्तानी लैग्वेज' १६६, १६८, २०४  
 'ग्रैमैटिकल प्रिसीपिल्स आँव वृजभाषा' २०३  
 'ग्रैमैटिकल प्रिसीपिल्स आँव वृजभाषा' १६६  
 'ग्रैमैटिका हिंदुस्तानी' १७५  
 ग्रोट, ए० १५७, १६०  
 ग्लैड्विन ७७, १७६, १८७  
 'चद्रावती' ५८, १६३, १८८  
 चतुर्थ परिच्छेद ८८  
 'चहार दरवेश' दे०, 'चार दरवेश'  
 'चार गुलशन' १०४  
 'चार दरवेश' ४५, ४८, ५१, ५३, ५४, ६३, १०४, १८१, १८२, १८३, १८५, १९६  
 चाल्स ग्रांट २७, २८  
 चाल्स थियोफिलस मेटकाफ २८  
 चाल्स रॉथमैन १८, ४४, ६२, ६५  
 चैपलिन दे०, 'विलियम चैपलिन'  
 छठा परिच्छेद ६७  
 'जनेस' ८, १६८, १७०, १७२  
 जर्वां दे० क ड्रिम अली खाँ बर्वाँ  
 'जहाजी और वैयक्त नवधी हिंदुस्तानी शब्दावली' १८४  
 जॉन टॉमन टॉमन १५१  
 जॉन तपिरा १०२, १०४  
 जॉन बेली १८, ५१  
 जॉन बैर्थविक् गिलक्राइस्ट दे०, 'गिलक्राइस्ट'  
 जॉन विलियम के २८, ३८, ४०  
 जॉन विलियम टेलर ७८, ८१, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८०, ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, १००, १०१, १०५, १०६ १०७, १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११७, १६६, १७१, १७२, २०३  
 'जामीउल्कायानीन' १८८  
 जॉर्ज हिलेरो बालो १८, २०, २२, ३५, ४८, ४०, ४२, ६८  
 किंगउदीन नखशबू २०१  
 जुरत १११, १६६, १६८  
 जे० डब्ल्यू० जे० आउज़ले, दे०, 'आउज़ले'  
 जेम्स इंगलिस २०५  
 जेम्स ऐट्किंसन ८८  
 जेम्स ऐलैक्जैडर एटन ८८, १०७  
 जेम्स डिनिंडी १६  
 जेम्स माकिन्टोश ३८, ७७, ८८  
 जेम्स मोअट ५४, ६१, ६५, ६७, ६८, ६९, ७३, ७४, ७५, ७७, ७८, ७९, १६६, १६४, ११३  
 जोसेफ टेलर, कैप्टेन २०२, दे०, 'टेलर, जे०'  
 'टाइटिल्स आँव हिंदी गौस्पेल्स' ७५  
 टॉड, एच० १२८, १२९, १३०, १३३, १३४, १३६, १३८, १३७, १४०  
 टॉमस रोइवक १०, ४१, ८१, ८२, ८५, ८७, ८८, ६०, ८१, ८२, ८३, ८४, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६,

- १०७, १०८, १०९, १७१, १६७, १०३, १०४, ११०, १११, ११२,  
२०३  
टेनमथ २६, २७, २८, ४२,  
‘टिबिल्स एंड प्रिसिपिल्स’ ४२  
टेलर डे०, ‘जॉन विलियम टेलर’  
टेलर, जे०, केप्टेन २०२  
द्रेवोर, श्री० बी० १५७  
द्रेवोर, ची० बी० १६०  
द्रौपदि १४६  
डंकन फ्लोवर्स २०६  
डलहौजी १५४, १५६  
‘डाइरेक्टरी’ ६३  
डाउ ११४  
‘डायलौग्ज़’ १६५, १६६  
डाट्सथ ३७  
‘डिक्षनरी’ ( हाटर कृत ) १०६  
‘डिक्षनरी, इंग्लिश ऐड हिंदुस्तानी, ए’  
१६६, १६८, २०४  
‘डिक्षनरी, पर्शियन ऐड हिंदुस्तानी’ १६७  
हुंडाज़ १७६  
डेविड ब्राउन १७, १८, ३८, ४२,  
डेविड स्कॉट १५, ३८  
जोरीन, जे० ऐ० १५६  
तक्की, मीर १११, १६६, २००, २०३  
‘तज्ज्ञिरा’ १६७  
तक्कज्जुल हुसैन १४८  
‘तवारीख-इन्ड्रालमगीरा’ १८८  
‘तवारीख-बंगला’ १८७  
‘तवारीख-उस्सलातीन’ १८८  
तस्हुक हुसैन १२३, १३१, १३४, १३६,  
१८८  
ताज मुहम्मद १४८  
‘ताजलमुल्क’ १८४  
ताबॉ १६६  
तारिखीचरण मित्र २२, ५२, ६८, ८४,  
८८, ९२, १३, १४, १७, १०१, १०२,
- १०३, १०४, ११०, १११, ११२,  
१३१, १३२, १३५, १३६, १३७,  
१४१, १४२, १४३, १४५, २०३,  
‘तारीख-हन्तैमूरी’ १८८  
‘तारीख नादिरी’ १०४  
तुलसी ( दास ) १४२, १६७, १६८, २०३  
‘तूतीनामा’ १८३  
दूराब अली १०१, १०२  
तत्तीय परिच्छेद ८४  
‘तोता कहानी’ ६०, ६३, १०१, १६७,  
१८१, १८२, १८३, १८४, १८५,  
१८६, १८७, १८८, २०१  
तोताराम १८८, १८९  
‘दरिया-इ-लताफत’ १८७  
दर्द १६६, १६८, १८६  
दलीलुदीन १२३, १३१, १३४, १३८,  
१४७  
‘दस्तूर-उल्-हिद’ १०४, २०४  
‘दह मजलिस’ १८८  
‘दावे’ विद्यार्थियों द्वारा रचित १८४  
‘दिलख्ता’ १८८, १८१, १८२  
दीनवधु १४८  
‘दीवान’ १८६  
‘दीवान-ह-जहौ’ १०८  
‘दीवान मीर सोज़’ १०१  
दु प्लेसी १६  
‘दुर-इ-मजलिस’ १८८  
देवीप्रसाद ६६, १५२  
दौलतराम १६३, १६४, १६५  
द्वितीय परिच्छेद ७२  
‘नक्कलियात’ ६०, १८५, २६७  
‘नक्कलियात-ह-लुकमानी’ १८५  
‘नक्कलियात-ह-हिदी’ ६६, १००, १६३,  
१६४, १६७, १६८, १७०  
नजफल्लाह ६६, १२३, १३५  
नबीरी १६६

- नया नियम (New Testament) ६७  
 नरसिंह ६५, ६६  
 नरोत्तम १२३, १४०  
 नसरकलाह २२  
 'नस्त्रह-बेनजीर' ६०, ६३, १६७, १८३, १८६  
 १८६ १८४, १८६, १८८, २०२  
 'नागरी दशम' ८०, 'प्रेमसागर'  
 'नागरी वर्णमाला' १४४  
 'नासिकेतोपाख्यान' १४२, १६३, १८५  
 निवाज १६४  
 निहालचंद १८६, १८०, १८३, २०२  
 नूर अली १०२  
 'नैवल डिक्षनरी' २००  
 'न्यू थिरी आँव पर्शियन बर्स विथ् दे प्रर  
 हिदुस्तानी सिनोनिम्स' ६०  
 'पंजाबी डिक्षनरी' १०६  
 'पंदनानौ' (?) १८६  
 'पदनामा' ५३, १८५, १८८, २०१  
 'पच्चीसी' (बंगला) १३६  
 पद्मलोचन १२३, १४०  
 'पद्मावत' ११६  
 'पर्शियन डिक्षनरी' १०५  
 'पर्शियन स्कॉलर्स शौटैर्स्ट गाइड डि  
 हिदुस्तानी लैभेज' २०२  
 पॉचवाँ परिच्छेद ६२  
 पाण्डिनि १३७  
 पालमेट्री रिफॉर्म...?' २०५  
 पिट ३८, ३६  
 पीअर्स, डब्ल्यू० एच० २६, २६, ३८, ३६,  
 १४२, १४३, १४४  
 पीकॉक, बी १४६  
 'पीयर्स दे०, 'पीअर्स'  
 'पुरुष परीक्षा' १०५, १०६  
 'पृथ्वीराय चरित्र' ११४  
 पोख ३८  
 पौसन, डब्ल्यू० आर० १०६  
 'पौलीग्लौट' ५३, १८३, १८८  
 'पौलीग्लौट डिक्षनरी' १४२  
 'पौलीग्लौट फ्रेविल्स' ६०, १८४  
 'पौलीग्लौट फैब्रिलिस्ट' ११६  
 'पौलीग्लौट मुशी' १४२  
 प्राइम ८१, ८२, ८३, ८८, ८४, ८६,  
 ८७, १०६, १०७, १०८, ११०,  
 ११२, ११३, ११५, ११६, ११७,  
 १२०, १२१, १२२, १२३, १२४,  
 १२५, १२७, १२८, १२९, १३०,  
 १३१, १३३, १३४, १३५, १३६,  
 १४१, १४२, १४३, १४४, १६६,  
 १६८, १७१, १७२, २०४, २०६  
 प्रौक्टर, टां०, १२६, १३०, १३३, १३४,  
 १३६  
 प्रिसेप, एच० टी०, १२८  
 'प्रेमसागर' ('नागरी दशम') ५८, ६०,  
 ६३, ७६, ८३, ८७, ८८, १०१,  
 १०३, १०४, १०६, ११०, १११,  
 १२०, १२३, १२४, १३६, १४२,  
 १४४, १५१, १५२, १५३, १५४,  
 १६०, १६३, १६४, १६५, १६८,  
 १८८, १९३, १९४, १९५, १९७,  
 १९८, १९९, २००, २०१, २०२  
 २०३, २०४, २०५, २०६, २०७,  
 २०८, २०९  
 'प्रेमसागर, शब्दावली सहित' १४२, १४४  
 'प्रैक्टीकल आउटलाइन्स' १६६  
 'प्रैक्टीकल आउटलाइन्स : आँर, ए स्केच  
 आँव हिदुस्तानी आरथीपी, ऐड दि  
 हिदुस्तानी प्रिसिपिल्स' १८३, १८७  
 'प्रौस्पैक्टसल् आँव दी हिंदी ऐक्षावेट'  
 १४४  
 फ़ख़ुज़मन १२३, १३१, १३४, १३८  
 फ़ख़ुद्दीन १४७  
 फ़ख़लुल्लाह १८६, १८०  
 फ़रेद्दीन १८८  
 फ़र्ख़सियर १४४

- फ्रासिस ग्लैडनिन १८  
 फ्रासिस ब्यूकैनैन ७६, ७७  
 क्रितरत ६१, ६६, ७४  
 क्लिदा खाँ १६४  
 'फीरोजशाह' १८८, १८१, १८२  
 फेल, ए० ६४  
 'फ़ार गोस्पेल्स' ७४  
 फौस्टर ५६  
 वक्लैड, सी० टी० १५७, १६०  
 'वकावली' दे०, 'गुलबकावली'  
 बख्शीश अली ६२, १२३, १३२, १३२,  
     १३६, १३७  
 'वत्तीसी सिहासन' दे०, 'सिहासन वत्तीसी'  
 बदनुदीन १२३  
 बदर अली १३५  
 बनजी, के० एम०, रेव० १५८, १६१  
 'बरहान-इ-कातिन' १०८, १०९  
 बशरदीन ६६  
 बहादुर अली, मीर २२, ४२, ६५, ६६,  
     १६७, १८५, १८६, १६३, १६६,  
     १६७  
 'बहार-इ-इश्क' १०२  
 'बहार दानिश' ७५, १०२  
 बाकिन अली १२३  
 'बाग-उदू' दे०, 'गुलिस्ताँ'  
 'बागोबहार' ('बागा-ओ-बहार') ६०,  
     १०४, १०५, १०८, ११०, १११,  
     १३६, १४६, १६०, १६७, १८३,  
     १६७, १८८, २०१  
 बाचूराम पंडित ६८, ८८, १०२, १०३,  
     १०४, १०६  
 'बारहमासा' १०४, १८४, १८७, १८६,  
     २००, २०४  
 बाली, रॉबर्ट, सर १५७, १६०  
 नाचित खाँ १८८, १८१  
 बैक्स, लॉर्ड १२६  
 बेकेट ब० ६४  
 बेदार १६६  
 बेनी नारायण १०४, १०५, १०८  
 बेली ५७, तथा दे०, 'विलियम बटर्वर्थ  
     बेली'  
 'बैताल पञ्चीसी' ४८, ४८, ५१, ७४,  
     १०४, ११०, १११, १२०, १४२'  
     १५२, १५६, १६३, १६७, १८१,  
     १८२, १८३, १८७, १८६, १८७,  
     १८८, २०१  
 ब्रॉड ग्रॉव एरजामिस १५५, १५७, १५८,  
     १६०  
 'बेस्टा' १८७, १८१, १८२  
 'ब्रजभाषा व्याकरण' १००, १०३, १६३  
 'ब्रज विलास' १५३  
 ब्रह्म अचिवदानद १२७, १३८, १३८, १४०,  
     १४६  
 ब्राह्म ६४, ८६,  
 'ब्रिटिश इंडियन मोनीटर' १०४, १०८,  
     २०५  
 ब्यूकैनैन ६५, तथा दे०, 'क्लौडियस  
     ब्यूकैनैन', और 'फ्रासिस ब्यूकैनैन'  
 'भागवत' १८४, १८३  
 भारतेंदु १६५  
 'भावप्रकाश' १६७  
 गसुर अली ६८, १८८  
 'मखङ्गन-उल-अदवीय' १८७  
 'मज़हब इ-इश्क' २०२  
 मज़हब अली खाँ विला १८, ४८, ५२,  
     ५३, ६८, ८८, १०३, १६३, १६४,  
     १६७, १८४, १८७, १८७  
 मज़हबलजाह १२३  
 मधुसूदन (तर्कालिकार) १२३, १४६,  
     १४७, १४८ १५८  
 'मनुस्मृति' १०४  
 मसिया ४४ ४८, १५३, १८१ ८

- १८३, १८४, १८८, १८९,  
‘मसनवी’ १८३, १८४, १८८, २०१,  
२०२  
मसनवी ख्वाब अलवान’ १८६  
‘मसनवी मीर हसन’, (‘मीर हनन’) १८१  
१८२  
महानंद (पंडित) ५२, ६६, ८२, ९३,  
९६, १४१  
माकिन्टोश दे०, ‘जेम्स माकिन्टोश’  
‘भाषावानल कामकदला’ दे०, ‘भाषानल’  
‘भाषानल’ (‘भाषावानल कामकदला’)  
४८, ४९, १११, १४२, १८३, १८४,  
१८७, १८१, १८२, १८३, १८७, १८७  
मार्टिन (आर०) ३४, ८१, ८२, ८३  
मार्ले, जे० १०८  
मार्शमैन १२१  
मार्शल, जी० टी० १४१, १४६, १४७,  
१४८, १५०, १५१, १५२, १५३  
मिटी, लॉर्ड ८४, ८७, ८८  
‘मिताक्षरा’ १०३, १०४  
मिनिट्स, कॉलेज-स्थापना सम्बन्धी १०, ११,  
१७७...  
मिर्ज़ा बेग १०६  
मिर्ज़ा मुगल १८७, १८१  
मिलियस १७५  
मिल्स, ए० जे० एस० १५७, १६०  
‘मिसेलेनी’ (विविध संग्रह) १०५  
मिस्कीन ४४, ४८, १६६, १८१, १८२,  
१८३, १८४, १८८, १९६, १९७,  
२०१  
मीर १६६, १६८  
मीर अम्मन २२, ५३, ६६, १६७, १८८,  
१८३, १८७  
मीर जाफ़र १८८  
मीर हसन १८२  
मुहिमूदीन १८८  
मुजफ्फर हुसैन १२३, १४७  
‘मुत्फ़रकात’ १८४  
‘मुझरिहुल कुलूल’ १८८  
मुवारक मुहीउद्दीन २३  
मुतंज़ा खाँ २२, ६६, ८४,  
१३४, १३६, १३७  
मुहम्मद इस्माईल १४८  
मुहम्मद उमर १८८  
मुहम्मद तकी २३, ६६  
मुहम्मद ताहा १३८  
मुहम्मद बखश १८८, १८९, १९०  
मुहम्मद मुस्तकिम १२३  
मुहम्मद बसी १२३, १३१, १३२  
मुहम्मद बाजिद ८६, ८४, ८८  
मुहम्मद बाजिब १५७, १६१  
मुहम्मद सादिक २२, २३, ६६  
मुहम्मदन कॉलेज १६  
मुहिब अली ८६  
मुले खाँ १६४  
‘मेम्बायस’ ३८, ३९  
मेरी ऐन कोवेंट्री २०६  
मैकन, टी० ११०  
मैकेन्जी, कर्नल ११४  
मैक्हूगल ४३, ६३, ६७, ६८  
मोअट दे०, ‘जेम्स मोअट’  
मोतीराम कवीश्वर १६४  
मौला बखश १२३, १३१,  
१४६, १४७, १४८  
यूसुफ अली ८६, ८८  
येट्स, डब्ल्यू० १४३, १४४  
योगद्यान मिश्र १५१, १५२  
रघुम, आर्कडीकन ३८  
रडैल, डौ० ८४, ८६, ११३  
१२२, १२३, १२७,  
१३१, १३२, १३४, १३५  
१३६, १४०, १४२, १४१

- रहमद्वालाह खाँ २२, २३  
 राजकृष्ण बनर्जी १५८  
 'राजकोष' १६७  
 'राजनीति' ८२, ८८, ९८, १०१, १२३,  
     १२४, १४३, १४४, १५६, १६३, १६४,  
     १८८, १९७, १९९, २०२  
 रॉबर्ट एवरकॉम्बी ६२  
 रॉबर्ट बालों, सर दे० 'बालों'  
 रॉबट्सन २७  
 रामकुमार १३६  
 रामचंद्र १२३  
 रामचंद्र राय १४०  
 'राम चरित्र' १६७  
 रामनारायण १२३  
 रामप्रसाद निरंजनी १६३, १६४, १६५  
 राममोहन १२३  
 राममोहन तर्कवागीश १२३, १३८, १४०  
 राममोहन राय १०६  
 'रामायण' ७५, ८३, ९८, १०२, १०४,  
     १६०, १६७, १६८, २०३  
 रिकेट्स, एच० १५७, १६०  
 'रियाज़ुल अद्वीया' १६७  
 रघुनुदीन १००  
 'रहीमेंट्स आॅव दि हिदुस्तानी टंग, दि'  
     १६६  
 रेग्यूलेशन, कॉलेज-स्थापना सबधी ११,  
     १२, १३, १४  
 रोएवक दे०, 'टॉमस रोएवक'  
 रोमर, जे० २११  
 'लतायफ़-इ-हिंदी' ८८, १००, १६३, १६६,  
     २०३  
 लम्पडन १६, ८१, ८७, ८८, ८९, ९३,  
     ९४, ९६, १२७  
 लत्तलूलाल (लाल कवि) ४७, ५०, ५१,  
     ५२, ६५, ६६, ७७, ८३, ८८, ९२,  
     ९३, ९४, ९६, ९७, ९८, ९९, १००,
- १०१, १०२, १०३, १०६  
 १४१, १४२, १४३, १४४  
 १६२, १६३, १६४, १६५,  
 १६७, १६८, १७१, १७२,  
 १८६, १८८, १९३, १९४, १९१  
 'लाइब्रेरी आॅव इडियन आॉफ़िस' ४०  
 लीज़, डब्ल्यू० एन० १६०, १६१  
 लो०, जे० १५६  
 लोचनराम पंडित १०३  
 लौकेट दे०, 'ऐब्राहम लौकेट'  
 बली १६६, १८४, १९६  
 बाजिबुहीन १२३, १३१, १३४, १३८  
 वारेन हेस्टिंग्स १, ३, २८, ४१  
 विद्याकर मिश्र १०६  
 'विद्या दर्पण' १०८  
 विला दे०, 'मज़हर अली खाँ'  
 विलियम कक्षपैट्रिक ३, १८, २५, १७  
 विलियम केसूमेट १२२  
 विलियम कैरे १८, ३६, ७४, ८५,  
     ९३, ९७, ९८, १२०, १२१,  
     १२८, १२९, १३०, १३३,  
     १३५, १३६, १४१, १७२  
 विलियम चेप्लिन १७१, २०६  
 विलियम जोन्स (जोस) २०१, २११  
 विलियम विट दे०, 'ऐम्हर्ट'  
 विलियम ग्राइस दे०, 'ग्राइस'  
 विलियम बटवर्थ बेली ४०, ७६,  
     १७२, २०६  
 विलियम मैक्स्लग्राह १६३  
 विलियम स्कॉट १६८  
 विलियम हट्टर ६३, ८८, ७४, ७५  
     ८४, ८५, ८८, ८९, १०१,  
     १०३, १०४, १०५, १०७,  
     ११३, ११६ २००, २०२,  
     २०४

- बिल्किन्स ७३, ८०  
 वित्तकारी २६, ३८  
 विल्सन ११४  
 वुल्मटन १४६  
 'वेदान दर्शन' १०६  
 वेन्सीटार्ट १७६  
 वेलेजली १, २, ६, ७, ८, १०, ११, १४,  
     १५, १६, १७, २४, २५, २६, २७,  
     २८, ३०, ३२, ३३, ३४, ३६,  
     ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ५१,  
     ५४, ६१, ६५, ७७, ८७, ९३, ११४,  
     १५४, १५५, १६२, १७६, १७७,  
     २०५,—रेज़ीडेंट, ११३, ११५  
 'वेलेजली डेसैचेज़' ३८, १७७  
 वेस्टन ८१, ८८, ८३  
 वैलेंशिया ३२  
 'वौक्रेन्यूलरी, इंग्लिश एंड हिंदूस्तानी' १६६  
 'व्यवहरोपयोगी संवादों का संग्रह' १६३  
 'व्याकरण' १०८  
 'शकुंतला' (नाटक) ४८, ४९, ६३, ६८,  
     १११, १६३, १६४, १६७, १८१,  
     १८२, १८३, १८७, १८३, १८४,  
     १८६, १८७, २०१  
 'शहर बदखण्ठों की कहानी' १६२  
 शाकिर अली १८८, १८९  
 शुल्जियस १७४  
 शेक्सपियर १३०, १३३  
 शेर अली ४५, ४२, ६४, ६८, ६६, ७७,  
     ८४, ८८, १६७, १८५, १८६, १८७,  
     २०२  
 शेष शाल्मी १४६  
 'शौट इंडोइंडेशन डु दि हिंदूस्तानी, ए'  
     द०, 'ऐरी जागोनिस्ट'  
 'सतसंहे' (विहारी) ६८, ८६, १०१,  
     १८६, २०३  
 सदरलैंड, आई० सी० सी० १४६  
 सदल मिश्र ६५, ७५, ८६, १४२, १५१,  
     १६२, १६३, १६४, १६५, १६६,  
     १७२, १८५, १८८, १८७  
 सदसुखलाल १६२, १६४  
 'सभा विज्ञास' ८३, १०६, १०७, १४४,  
     १६०, १६३, १६४  
 'सर्फ़-इ-उदू' १६६, २०३  
 'सहरुल ब्यान' २०१  
 सातवाँ परिच्छेद ११७  
 सादुदीन १२३  
 'सामुद्रिक शब्दावली' (Marine  
     Vocabulary) १०२  
 'सिहासन बत्तीसी' ४८, ४९, ५१, ७४,  
     १०४, १११, १२०, १४२, १६३,  
     १६७, १८१, १८२, १८३, १८७,  
     १८४, १८६, १८७, १८८, २०१,  
     २०२  
 चिडमथ, लॉर्ड २०५  
 सीताराम पंडित १२२, १२३, १२४  
 सु दर पंडित २३, ५०  
 सुमान १८६  
 'सेहत-उल-अमराज' १६७  
 'सैफुल मुल्क' १८८  
 सैयद अली ८४, ८२, १०१, १२३, १३८  
 सैयद जाफ़र २३  
 'सैरलमुताखरीन' १२३  
 सोज़, मोर १६६  
 सौदा १०१, १११, १६६, १६८, १८४,  
     १६६, २०३  
 'स्ट्रैज़स इंस्ट इंडियन गाइड डु दि हिंदूस्तानी  
     लैंगेज, दि' १६७, १८८, १८४,  
     १८४, १६६, २०४, २०५  
 'स्ट्रैज़स गाइड' द०, 'दि स्ट्रैज़स इंस्ट  
     इंडियन गाइड ....'  
 स्पैगर, ए० १५८, १६१  
 हरद० 'विज्ञयम् हस्त'

## अनुक्रमणिका

- हक्कीजूदीन १०६, १८७, २६३  
 'हफ्त गुलशन' ('गुलशन'), १८१, १८२, १८४, १८७  
 'हफ्त कैकर' १९०  
 हल्लैब १६८, २७६  
 हसन अली १२३  
 हसन, मोर १६६, १६८, २०१, २०२  
 'हातिमताई' ६०, ६३, ७६, १८४, १८६, १६३, १६५, १६६  
 हाकिज़ मुज़फ्फर अली १२३  
 हारिगटन ३, १६, ३५, ६५, ७२, १०१  
 हॉलवेल ३  
 'हिंदी, अरेबिक टेबिल' ६०, १८४  
 'हिंदी एंड इंग्लिश डिक्षनरी' (या, 'हिंदी-इंग्लिश-डिक्षनरी') १४२, १५२  
 'हिंदी एंड हिंदुस्तानी सेलकशन्स' ('हिंदी-हिंदुस्तानी संग्रह') १४३, १४४  
 'हिंदी गुलिस्ताँ' १६४, १६६, २०१  
 'हिंदी हाइरेक्टरी, दि' १६८  
 'हिंदी मैनशल, दि' ५१ १६७, १८३  
 'हिंदी मौरल प्रीसेप्टर, दि' ५५, ६०, १६७, १८३, १८४, १६६, १६८, २०२, २०५  
 'हिंदी-रोमन और थीपीसीफीकल अल्फीमेट्री' १६८  
 'हिंदी स्टोरी टैलर, दि' ५३, ५४, ६०, ६३, १०४, १६७, १६८, १७०, १८३, १८४, १८३, १८४, १८६, १८८, २०४  
 'हिंदुई-डिक्षनरी' १४३  
 'हिंदुस्तानी' १२२  
 'हिंदुस्तानी-इंग्लिश डिक्षनरी' या 'हिंदुस्तानी और इंग्लिश डिक्षनरी' या
- 'हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश' ६५, १०१, १०७, १७६, ११  
 'हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश डायलौग' १०३  
 'हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश नैवल' १०३  
 'हिंदुस्तानी कहावते' १८४  
 'हिंदुस्तानी कुरान' ६०, ६३  
 'हिंदुस्तानी गुलिस्ताँ' ६०, १८३  
 'हिंदुस्तानी ब्रैमर' ५४, १४४  
 'हिंदुस्तानी डायलौगज़' ६३  
 'हिंदुस्तानी डिक्षनरी' ७७, ८८, १०३, १०४, १८६, १८७, २०२, २०३  
 'हिंदुस्तानी प्रिसिपिलूस' ४८, ५१,  
 'हिंदुस्तानी बोस्ताँ' १८४  
 'हिंदुस्तानी व्याकरण और कोष' १८६, १८८  
 'हिंदुस्तानी-हिंदुस्तानी' १८२  
 'हितोपदेश' १२०, १३८, १८४, १८८, १८९, १९३, १९४  
 'हिदायतुल्लूहस्लाम' ६३, १६३, ११  
 हिलालुदीन २२  
 हिशामुदीन १३४  
 'हुस्न (हुस्ने, हुस्नी) इखितलात' १६१, १६२  
 हेनरी ऐडिगटन ३०, ३८,  
 हेनरी बुदाज़ ६४, १०, ३८  
 हेनरी वेलेजली २०  
 हैदरबद्दशा २२, ७५, १००, १०४, १८६, १८८, १८९, १९७  
 हैरिस, डॉ १७६, १८७  
 हैलीडे १५५

## शुद्धि-पत्र

४०	प	अशुद्ध	शुद्ध
४१	३	हेलवरी	हेलीबरी
४२	१६	तत्वाधान	तत्वावधान
४३	१५	प्रगति	प्रतीत
४४	अतिम पंक्ति	सरकारी	सरकारी मंत्री,
४५	ग	स्टीटरी	स्टोरी
४६	१५, १८	चैपलेन	चैपलिन